

छत्तीसगढ़ विधान सभा

की

अशोधित कार्यवाही



(अधिकृत विवरण)



षष्ठम् विधान सभा

द्वितीय सत्र

मंगलवार, दिनांक 27 फरवरी, 2024

(फाल्गुन 08, शक सम्वत् 1945)

[अंक 16]

Webcopy

# छत्तीसगढ़ विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 27 फरवरी, 2024

(माघ-फाल्गुन 8, शक संवत् 1945)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

{अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए}

## तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

### राजनांदगांव जिला में ठेकेदारों को मुरुम परिवहन हेतु प्रदत्त अनुमति

[खनिज साधन]

1. ( \*क्र. 2419 ) श्री दलेश्वर साहू : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- क्या राजनांदगांव जिला में वर्ष 2020-21 से प्रश्नावधि तक सड़क, पुलिया एवं भवन निर्माण हेतु ठेकेदारों को मुरुम परिवहन हेतु अनुमति प्राप्त हुई है? यदि हां, तो अनुमति दिनांक, स्थानों का नाम व कितनी मात्रा (क्यूबिक मी.) की अनुमति जारी कियी गयी है तथा उक्त वर्षों में अवैध मुरुम एवं पत्थर, रेत उत्खनन के कितने प्रकरण दर्ज किये गये? वर्षवार, प्रकरणवार जानकारी दें?

मुख्यमंत्री ( श्री विष्णु देव साय ) :जी हां। विस्तृत जानकारी "संलग्न परिशिष्ट 1<sup>†</sup>प्रपत्र-अ" अनुसार है। प्रश्नाधीन अवधि में अवैध मुरुम/पत्थर/रेत उत्खनन के 70 प्रकरण दर्ज किये गये हैं। वर्षवार एवं प्रकरणवार जानकारी "संलग्न प्रपत्र-ब" अनुसार है।

श्री दलेश्वर साहू :- अध्यक्ष महोदय, प्रश्नों का जवाब तो लगभग आया हुआ है। मेरा पूरक प्रश्न है कि मुरुम परिवहन की अनुमति देने के पूर्व जिस ग्राम व खसरा नंबर की अनुमति प्रदान की गई है, उस स्थल की भौतिक स्थिति का निरीक्षण किस-किस अधिकारी द्वारा किया गया और किस अधिकारी के निरीक्षण पश्चात् अनुमति दी गई?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विभिन्न स्थानों पर मुरुम खदानों के लिए और अन्य खदानों के लिए अनुमति दी गई है। उसमें विभिन्न खसरा नंबर 100 से अधिक, तो सभी का पूछ रहे हैं या फिर स्पेशलफिक कोई ऐसा माइंस है?

श्री दलेश्वर साहू :- अध्यक्ष महोदय, मैंने यह पूछा है कि आपने परिवहन की अनुमति तो दी मगर कहीं न कहीं आप नोटशीट चलाये होंगे या उनकी नियमावली होगी कि किस-किस विभाग के

<sup>1</sup> † परिशिष्ट "एक"

अधिकारी की अनुमति से आपने दी है। यह तो सीधा सा प्रश्न है। अनुमति देने के पहले आपकी नियमावली होगी। अध्यक्ष महोदय, मैं वही तो प्रश्न करना चाह रहा हूँ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें पहले तो जमीन का चिन्हांकन होता है। ग्राम सभा का प्रस्ताव फिर आर.आई., पटवारी उसको देते हैं फिर वह माइनिंग विभाग के पास जाता है। उसको माइनिंग इंस्पेक्टर भौतिक रूप से फील्ड में उसे देखता है, उसके बाद सत्यापित करता है कि वह जमीन माइन्स देने लायक है या नहीं है। ये माइनिंग इंस्पेक्टर करता है।

श्री दलेश्वर साहू :- अध्यक्ष महोदय जी, मंत्री जी गलत जवाब दे रहे हैं। पर मैं यह कहना चाहूंगा कि आपने अनुमति तो दे दी, चाहे पटवारी से दिया या चाहे आर.आई. से दिया, वह तो उत्तर ही गलत है। पर क्या आपने उस स्थिति का भौतिक सत्यापन कभी करने का प्रयास किया? या भौतिक सत्यापन की क्या स्थिति है? आपने जितनी भी अनुमति दी है, उसकी बात करना चाहता हूँ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सही जवाब दे रहा हूँ। पहले माइनिंग इंस्पेक्टर माइनिंग की ओर से आते हैं फिर अंत में अनुमति तो रेवेन्यू ऑफिसर ही देते हैं। आखिरी में कलेक्टर ही देंगे। प्रक्रिया के तहत पटवारी का प्रतिवेदन, आर.आई. का प्रतिवेदन फिर एस.डी.एम. के पास जाता है, फिर वह कलेक्टर के यहां जाता है। फिर वह माइनिंग विभाग के प्रतिवेदन के आधार पर उसे अंत में राजस्व के ही अधिकारी उसे अनुमति देते हैं।

श्री दलेश्वर साहू :- अध्यक्ष महोदय, खैर आपने अभी जो भी जवाब दिया है, उसके बाद भौतिक निरीक्षण कब-कब किये? आपने अनुमति दे दी। अनुमति देने के बाद भी आपका कोई दायित्व बना होगा कि क्या उस जगह का परिवहन के लिए जो डंप की अनुमति दिये थे या जे.सी.बी. चलाकर जो उत्खनन किये हैं, उनका निरीक्षण कब-कब और किस-किस अधिकारी के द्वारा किया गया?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, समय-समय पर निरंतर उसकी जांच होती रहती है और उसका सत्यापन होता रहता है। भौतिक सत्यापन किया जाकर ही मुरुम का एडवांस रूप से रॉयल्टी वगैरह जमा कराया जाता है।

श्री दलेश्वर साहू :- अध्यक्ष महोदय, चलिए, मैं दूसरा प्रश्न करता हूँ। जिन लोगों से अवैध मुरुम उत्खनन हेतु समझौता राशि वसूली की गई है, आपने राशि का भी उल्लेख किया है कि इतना रूपया हमने वसूला है। उस राशि का निर्धारण गाड़ी के आधार पर किये हो या स्थल में देखकर क्यूबिक मीटर के आधार पर या घन मीटर के आधार पर आपने जो राशि के निर्धारण किया है। आपने मुझे जो सूची दी है, उनका निर्धारण किस आधार पर किया?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, राशि का निर्धारण उसकी मात्रा के अनुसार किया जाता है। वैसे अमूमन इसके मानक घन मीटर ही होते हैं, लेकिन रैंडमली क्या होता है

जैसे एक ट्रेक्टर है तो उसे 3 घन मीटर मान लिये। यह एक ऐसा उदाहरण है। तो एक क्राइटेरिया होता है। उसका मानक घन मीटर है।

श्री दलेश्वर साहू :- अध्यक्ष महोदय, क्या आपने उस स्थल को देखने का प्रयास किया? चलो आपने उस गाड़ी को रेंडमली मान लिया कि आपने एक हाइवा को पकड़ लिया। क्या उस जगह में जाने के बाद कितना क्यूबिक, कितना घन मीटर आपने उत्खनन किया गया है, इसका निरीक्षण किया गया है ? यदि अनुमति के विपरीत अगर उसने उत्खनन किया है तो क्या आप इसकी जांच कराएंगे ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- अध्यक्ष महोदय, इसमें दो प्रकरण के प्रकरण होते हैं। एक तो परिवहन के दौरान होता है, रास्ते में पकड़ते हैं जिसमें स्थल जांच नहीं करते लेकिन जहां पर भी उत्खनन का प्रकरण बनता है, उस जगह का भौतिक निरीक्षण किया जाता है।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक।

श्री दलेश्वर साहू :- अध्यक्ष महोदय, आखिरी प्रश्न। मैं यह कह रहा हूं कि आपने परिवहन की अनुमति दी है या जो भी हो। वहां पर न कोई डम्प रहता है, तहसीलदार के माध्यम से, आर.आई. के माध्यम से बैठे-बैठे नोटशीट बनती है। फर्जी तरीके से उत्खनन करने की प्रक्रिया होती है। मैं चाहूंगा कि क्या आप इसकी जांच कराएंगे ?

अध्यक्ष महोदय :- कोई विशेष प्रकरण हो तो बता दीजिए, दिखवा लेंगे।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- कोई स्पेसीफिक प्रकरण हो तो बता दीजिएगा, उसको निश्चित रूप से दिखवाएंगे।

### जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मोजर वेयर पावर प्लांट की स्थापना

[ऊर्जा]

2. ( \*क्र. 1677 ) श्री बालेश्वर साहू : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मोजर वेयर पावर प्लांट स्थापना के लिए राज्य शासन और संबंधित पावर प्लांट के प्रवर्तक के मध्य कब एम.ओ.यू. हुआ था? कृपया जानकारी दें? (ख) उक्त एम. ओ. यू. के अनुसार कब तक पावर प्लांट की स्थापना एवं उत्पादन कार्य शुरू किया जाना था ? (ग) प्रश्नों क "क" एवं "ख" के अनुसार यदि समय-सीमा में स्थापना एवं उत्पादन कार्य शुरू नहीं किया जा सका है तो क्या शासन प्रभावित किसानों की अधिग्रहित जमीन को वापस करेगा? यदि हां तो कब तक और नहीं तो क्यों, कृपया अवगत कराएंगे?

मुख्यमंत्री ( श्री विष्णु देव साय ) : (क) एम.ओ.यू. दिनांक 04.09.2008 को सम्पन्न हुआ था।(ख) उक्त एम.ओ.यू. के उपरांत दिनांक 30.08.2010 को इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट निष्पादित हुआ

जिसके अनुसार पाँवर प्लांट के प्रथम यूनिट की स्थापना एवं उत्पादन का कार्य, इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट निष्पादन से 65 या 70 माह के भीतर (यूनिट आकार के आधार पर) होना प्रस्तावित था।(ग) उत्तरांश 'क' में उल्लेखित इकाई मेसर्स मोजर वेयर पावर प्लांट (परिवर्तित नाम मेसर्स जांजगीर थर्मल प्रोजेक्ट) को पावर प्लांट (औद्योगिक प्रयोजन) की स्थापना हेतु भूमि का आबंटन किया गया था। इकाई द्वारा परियोजना में उत्पादन प्रारंभ नहीं करने के कारण विभाग द्वारा आबंटित भूमि का अधिपत्य दिनांक 08.06.2020 को वापस प्राप्त कर लिया गया है तथा यह भूमि विभाग के लैंड बैंक में संधारित है। अतः औद्योगिक प्रयोजन हेतु अधिग्रहित भूमि किसानों को वापस करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

श्री बालेश्वर साहू :- अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब आया है । मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि जैजैपुर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत मोजर वेयर पावर प्लांट की स्थापना के लिए राज्य सरकार और संबंधित पावर प्लांट के प्रवर्तक के मध्य एम.ओ.यू. हुआ था, 2008 में । (ख) उक्त एम.ओ.यू. के अनुसार कब तक पावर प्लांट की स्थापना की जाएगी ? किसानों से 2008 में जो जमीन खरीदी की गई है, आज दिनांक तक किसानों की जमीन में न तो पावर प्लांट खुला है और न ही उस पर कोई पहल की गई है तो क्या किसान इंतजार में ही बैठा रहेगा कि कब पावर प्लांट खुलेगा और क्षेत्र में नौकरियां मिलेंगी ? अपनी जमीन बेचकर किसानों को क्या फायदा है ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- अध्यक्ष महोदय, पूर्व में उस जमीन में मोजर वेयर पावर एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड नई दिल्ली द्वारा परियोजना प्रारंभ की जानी थी । परंतु परियोजना समय सीमा में प्रारंभ नहीं होने के कारण उसको निरस्त कर दिया गया है और वह जमीन औद्योगिक विभाग के पास, इंडस्ट्रीयल पॉलिसी के तहत भूमि बैंक के रूप में रखा गया है ।

श्री बालेश्वर साहू :- मंत्री महोदय, उच्च न्यायालय से मान लीजिए कोई आदेश हुआ होगा तो उसकी कॉपी हमें उपलब्ध करा दीजिएगा और किसी निजी कंपनियों के लिए अधिग्रहीत की गई भूमि का उपयोग किस उद्देश्य के लिए, वास्तव में जिस उद्देश्य के लिए भूमि ली गई थी वह आज तक खुला नहीं है । तो मोजर वेयर प्लांट उस भूमि का उपयोग किस काम के लिए करना चाह रहा है, यह भी बता दीजिए । वहां प्लांट खुलेगा या किसानों को जमीन वापस की जाएगी ? टाटा ग्रुप की जमीन, लोहंडीगुड़ा, जगदलपुर में और अन्य 9 गांवों में किसानों की जमीने वापस की गई थी। क्या यह जमीन भी किसानों को वापस की जाएगी ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पूछा है कि निजी भूमि अधिग्रहण किस आधार पर होता है तो वर्ष 2013 के पूर्व निजी भूमि अधिग्रहण, भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाता है और उसी के अंतर्गत यह किया गया है । चूंकि समय सीमा पर प्लांट चालू नहीं हो पाया इसलिए वह भूमि सरकार के पास जमा है । दूसरा, बस्तर क्षेत्र के लोहंडीगुड़ा में टाटा ग्रुप के विषय में पूछा है । अध्यक्ष महोदय, ये दोनों प्रकरण भिन्न हैं । लोहंडीगुड़ा में

टाटा ग्रुप की जो जमीन थी, वह केवल इसी के नाम से अधिग्रहीत की गई थी और इनका प्रश्न है इसमें औद्योगिक विभाग ने अपने नाम से, किसानों से भूमि का अधिग्रहण किया था। अधिग्रहण करने के बाद कंपनी को दिया था। यह स्पेसीफिक टाटा ग्रुप के लिए था कि टाटा ग्रुप को भूमि ट्रांसफर नहीं हुई थी इसलिए टाटा ग्रुप वाला निरस्त किया गया था। दोनों प्रकरण अलग हैं इसलिए इसमें जमीन किसानों को वापस नहीं की जा सकती।

श्री बालेश्वर साहू :- माननीय मंत्री जी, किसानों को जमीन वापस नहीं की जा सकती। किसान लोभ में पड़कर जमीन दे दिए हैं, मेरे क्षेत्र में रोजगार मिलेगा, प्लांट खुलेगा करके जमीन बेच दिए हैं। उनको क्या लाभ मिल रहा है। उस क्षेत्र के किसान न धान बेच पा रहे हैं, न फसल उपजा पा रहे हैं। उनको क्या लाभ मिलेगा ? आप बताईए। उस क्षेत्र के किसान काफी आक्रोश में है कि हमारा प्लांट कब खुलेगा। आप इसमें किसी प्रकार की घोषणा करिए ताकि वे संतुष्ट हो जाएं। आप पांच साल के अंदर प्लांट खोलेंगे या किसानों को उनकी जमीन वापस देंगे यह बता दीजिए। किसान फसल उपजायेंगे या धान बेचने का लाभ उठायेंगे, वे उसमें सब्जी उपजायेंगे, वे क्या करेंगे, आपके पास ऐसा कोई उद्देश्य है। उस क्षेत्र की जमीन को खरीदा गया है, उस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की पहल नहीं की जा रही है, वह क्षेत्र नदी के किनारे स्थापित है। उस क्षेत्र के किसानों का जीवन स्तर बहुत गरीबी स्थिति में है, वह खेत बेचकर पैसा को खत्म कर डाले हैं, वे आज क्या करेंगे ? आप ऐसी कुछ घोषणा कर दीजिए जिसमें उनको किसी भी प्रकार का फायदा पहुंचे।

अध्यक्ष महोदय :- आपको बताया न, लैंड बैंक बना लिये हैं। मंत्री जी का जवाब आ चुका है कि विभाग ने इस भूमि को अधिग्रहण किया था, किसी कंपनी ने नहीं किया था। इसलिए भविष्य में उसको लैंड बैंक के रूप में यूज करेंगे।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता सही है और उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि होने के नाते चिंता कर रहे हैं। मैं सरकार की ओर से उसमें बताना चाहूंगा कि उसमें जो इन्वेस्टर्स हैं, वहां बड़े इंडस्ट्री लगाने वालों से बातचीत चल रही है, उसमें जल्द ही कुछ न कुछ उद्योग लगेगा और लोगों को पुनर्वास नीति के तहत नौकरियां भी मिलेगी और आपकी जो चिंता है, उसका समाधान भी होगा।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए ठीक है। आशाराम जी।

श्री बालेश्वर साहू :- माननीय मंत्री जी, आप एक और घोषणा कर दीजिए। उस समय जो जमीन खरीदी गयी थी, अभी उसका भुगतान चार गुना हो गया है, उस कंपनी को बोलिए कि उसमें चार गुना भुगतान करें ताकि वह अपने स्थापित क्षेत्र में कोई रोजगार का काम कर पाए। माननीय मंत्री जी, कुछ तो कर दीजिए। वर्ष 2008 का मामला है। आज तक कुछ नहीं हुआ है। कुछ तो कर दीजिए। माननीय मंत्री जी आपसे निवेदन है।

अध्यक्ष महोदय :- यह पुराना हो गया, गाड़ी बहुत आगे निकल गयी। चलिए आपका प्रश्न बहुत हो गया। आशाराम जी।

**छत्तीसगढ़ के विभिन्न विभागों में कार्यरत अधिकारी/ कर्मचारियों के विरुद्ध फर्जी जाति के मामले**

[सामान्य प्रशासन]

3. (\*क्र. 599) श्री आशा राम नेताम : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय विभागों में कार्यरत कितने अधिकारी /कर्मचारियों के विरुद्ध फर्जी जाति प्रकरण में कार्यवाही करने के लिए संबंधित विभाग को पत्र प्रेषित किया गया है? वर्तमान में कितने अधिकारी/ कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही लंबित है ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) :- वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय विभागों में कार्यरत कुल 232 अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध फर्जी जाति प्रकरण में कार्यवाही करने के लिए संबंधित विभाग को पत्र प्रेषित किया गया है। वर्तमान में कुल 102 अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही लंबित है।

श्री आशाराम नेताम :- अध्यक्ष महोदय, मुझे मंत्री जी का उत्तर मिल गया है लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ के विभिन्न विभागों में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध फर्जी जाति प्रकरण के मामले को बताने की कृपा करेंगे।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय विभागों में कुल 232 अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध फर्जी जाति पत्र का शिकायत करने संबंधी विभिन्न विभागों को हमने पत्र भेजा है और उसमें वर्तमान में कुल 102 अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही लंबित है। हमने बाकी की कार्यवाही कर दी है।

श्री आशाराम नेताम :- अध्यक्ष महोदय, यह बताने की कृपा करें कि जो 102 अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही लंबित है, वह किन-किन विभागों में है। यह मैं आपसे जानना चाहता हूं।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो 102 प्रकरण हैं, उसमें 60 प्रकरण में विभाग स्तर पर जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, 33 केस माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर से स्थगन प्राप्त है, 6 केस माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में विचाराधीन है, 2 केस उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति में अन्वेषणाधीन हैं और 1 केस सेवानिवृत्ति के पश्चात् जांच कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

अध्यक्ष महोदय :- शकुंतला पोर्ते जी।

**प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में संचालित आंगनबाड़ी एवं मिनी आंगनबाड़ी केंद्र**

[महिला एवं बाल विकास]

4. (\*क्र. 2005) श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में कितने आंगनबाड़ी एवं कितने मिनी आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं ? (ख) इनमें से कितने केंद्र स्वयं के शासकीय भवन में संचालित हैं? (ग) इन आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों में संचालित रेडी-टू-इट का संचालन किन समूहों के द्वारा किया जा रहा है? विकासखंडवार जानकारी दें।

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : (क) प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में 868 आंगनबाड़ी एवं 92 मिनी आंगनबाड़ी कुल 960 केन्द्र संचालित है। (ख) इनमें से 690 आंगनबाड़ी एवं 59 मिनी आंगनबाड़ी कुल 749 केन्द्र स्वयं के शासकीय भवन में संचालित है। (ग) इन आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों में संचालित रेडी-टू-इट का संचालन समूहों के द्वारा नहीं किया जा रहा है। अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।

श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं महिला बाल विकास मंत्री महोदया से यह पूछना चाहती हूँ कि प्रतापपुर विधान सभा क्षेत्र में कितने आंगनबाड़ी एवं मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं ?

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या जो प्रश्न पूछी हैं, उनको इस पत्र के माध्यम से उत्तर मिल चुका है लेकिन मैं फिर भी बताना चाहूंगी। प्रतापपुर विधान सभा क्षेत्र में 868 आंगनबाड़ी केन्द्र हैं और 92 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र हैं। कुल 960 केन्द्र संचालित हैं।

श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इनमें से कितने केन्द्र स्वयं के शासकीय भवन में संचालित हैं।

अध्यक्ष महोदय :- 749 केन्द्र शासकीय भूमि में संचालित हैं। बता दीजिए। स्वयं के भवन में है, आपने जवाब दिया है।

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- अध्यक्ष महोदय, इनमें से 749 केन्द्र स्वयं के भवन में संचालित हैं।

श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या आंगनबाड़ी भवनों का भौतिक सत्यापन किया गया है ?

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हां, आंगनबाड़ी भवनों का भौतिक सत्यापन किया गया है ।

श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते :- माननीय अध्यक्ष महोदय, भवनों का भौतिक सत्यापन कब किया गया है, यह मैं जानना चाहती हूँ । समयावधि बताएं ।

अध्यक्ष महोदय :- आप क्या पूछ रही हैं ?

श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते :- अध्यक्ष महोदय, भवनों का भौतिक सत्यापन कब हुआ है, समयावधि जानना चाहती हूँ ।

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- अध्यक्ष महोदय, भवनों का भौतिक होता रहता है ।

श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते :- अध्यक्ष महोदय, पिछली बार कब हुआ है ।

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- अध्यक्ष महोदय, यह सतत् चलने वाली प्रक्रिया है ।

अध्यक्ष महोदय :- दोनों पड़ोसी हो, थोड़ी बहुत बात पूछ लिया करो ।

श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो आंगनबाड़ी केन्द्र भवनविहीन हैं, उसके लिए आप क्या करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय :- भवनविहीन आंगनबाड़ी को कब तक बनाएंगी, यह प्रश्न है।

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे ही बजट आता जाएगा, वैसे ही आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित होते जाएंगे ।

### जिला दंतेवाड़ा के जिला खनिज न्यास निधि की राशि का उपयोग

[खनिज साधन]

5. ( \*क्र. 2277 ) श्री चैतराम अटामी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-  
(क) जिला खनिज न्यास निधि के व्यय हेतु क्या नियम/मापदंड हैं? नियमावली उपलब्ध करावें । (ख) वित्तीय वर्ष 2021-22 से प्रश्नांकित दिनांक तक जिला-दक्षिण बस्तर,दंतेवाड़ा को जिला खनिज न्यास निधि मद में कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई तथा उससे किस-किस मद में, कितना-कितना व्यय किया गया? वर्षवार, मदवार जानकारी उपलब्ध करावें । (ग) प्रश्नांश "ख" के जिला खनिज न्यास निधि से, कितनी राशि आबंटित की गई तथा उनके द्वारा कितना व्यय किया गया? वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें। (घ) क्या प्रश्नांश "ग" कीप्राप्त राशि को निर्माण/मरम्मत कार्यों तथा सामग्री खरीदी हेतु भी व्यय किया गया? यदि हाँ,तो कितनी-कितनी राशि व्यय की गयी ? वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें।

मुख्यमंत्री ( श्री विष्णु देव साय ) : (क) जिला खनिज न्यास निधि का व्यय "छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015" में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। नियमावली "पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ" अनुसार है।(ख) वित्तीय वर्ष 2021-22 से 31 जनवरी, 2024 तक जिला-दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा को जिला खनिज न्यास निधि मद में वर्षवार प्राप्त राशि की जानकारी "पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब" अनुसार है। मद/सेक्टरवार व्यय राशि की जानकारी "पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स" अनुसार है।(ग)प्रश्नांश "ख" के जिला खनिज न्यास निधि से

आबंटित/स्वीकृत राशि एवं व्यय राशि की वर्षवार जानकारी “पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-द” अनुसार है।(घ) जी हां। निर्माण/मरम्मत कार्यों तथा सामग्री खरीदी पर व्यय किया गया है। वर्षवार जानकारी “पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-इ” अनुसार है।

श्री चैतराम अटामी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न जिला दंतेवाड़ा के लिए है । वित्तीय वर्ष 2020-21 से प्रश्नांकित दिनांक तक दंतेवाड़ा जिले में कुल कितने रेत खदान पंचायतों में नीलामी द्वारा लीज पर अनुज्ञप्ति किए गए ? वर्षवार स्वीकृत खदानों की सूची अनुज्ञप्तिधारक के नाम सहित उपलब्ध करावें । प्रश्नांश के अनुसार पंचायतों को अनुज्ञप्ति रेत खदानों से कुल कितनी राशि रायल्टी के रूप में प्राप्त हुई ? वर्षवार, रेत खदानवार अनुज्ञप्तिधारक पंचायत के नाम सहित जानकारी उपलब्ध करावें ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने डी.एम.एफ. संबंधी प्रश्न पूछा है । चूंकि रेत माईनर मिनरल में आता है । इनको कोई जानकारी है तो बता दें, हम उसकी सूची उपलब्ध करा देंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- आपको सूची उपलब्ध करा देंगे ।

श्री चैतराम अटामी :- अध्यक्ष महोदय, प्राप्त रायल्टी राशि से कितनी-कितनी राशि संबंधित पंचायतों, जनपद पंचायतों को प्रदान की जानी थी और कितनी-कितनी राशि प्रदान की गई ? पंचायत, जनपदवार वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने शुरू में ही बताया कि रेत डी.एम.एफ. से संबंधित नहीं है । डी.एम.एफ. मेजर मिनरल्स हैं । इनकी रायल्टी केन्द्र और राज्य को जाते हैं, वह पुनः वापस आते हैं । जो जिलों में आते हैं और जिलों में खर्च करना है । रेत गौण खनिज है ।

अध्यक्ष महोदय :- यह माईनर मिनरल है । मेजर मिनरल नहीं है । डी.एम.एफ. का पैसा इसमें जमा नहीं होता । इसलिए इसमें उस प्रकार के काम की जो जानकारी आप चाह रहे हैं, वह नहीं दिया जा सकता ।

श्री चैतराम अटामी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पंचायतों और जनपद पंचायतों को प्राप्त रायल्टी कितना-कितना हिस्सा प्रदान किये जाने का प्रावधान है ? प्रश्नांश "ग" के अनुसार पंचायत और जनपद पंचायतों को क्या उनके प्रावधानित हिस्से की राशि प्रदान की गई ? यदि नहीं तो क्यों प्रदान नहीं की गई ? इस हेतु कौन अधिकारी जिम्मेदार है तथा उस पर क्या कार्रवाई की गई ?

अध्यक्ष महोदय :- रेत में डी.एम.एफ. की राशि नहीं मिलती, मंत्री जी ने बताया है ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह डी.एम.एफ. से संबंधित प्रश्न ही नहीं है । फिर भी मैं बताना चाहूंगा कि माननीय सदस्य नये हैं । चूंकि डी.एम.एफ. फंड जो है, जिले में

जो डी.एम.एफ. की बॉडी है, जो शासी परिषद होती है, उसके माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में तय होता है कि कहां-कहां तय करना है। आप भी अपने क्षेत्र में उस बॉर्ड के सदस्य होंगे और डी.एम.एफ. का जिला या जनपद में कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है।

श्री चैतराम अटामी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला खनिज न्यास निधि के व्यय हेतु क्या नियम मापदण्ड हैं ? नियमावली उपलब्ध करावें।

अध्यक्ष महोदय :- मापदण्ड बताईए।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य नियमावली के बारे में पूछ रहे हैं। यह बहुत लंबा-चौड़ा है। मैं इनको नियमावली की कॉपी उपलब्ध करा दूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- इनको नियमावली की पूरी कॉपी उपलब्ध करवाईए।

श्री चैतराम अटामी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2021-22 से प्रश्नांकित दिनांक तक जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा को जिला खनिज न्यास निधि मद से कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई तथा उससे किस-किस मद में कितना-कितना व्यय किया गया है, वर्षवार, मदवार जानकारी उपलब्ध करायें ?

अध्यक्ष महोदय :- जिला खनिज न्यास का पूछ रहे हैं, रेत का नहीं पूछ रहे हैं।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दंतेवाड़ा में डी.एम.एफ.से वर्ष 2021-22 में 276 करोड़ 64 लाख 55 हजार रुपये विभिन्न विकास कार्यों हेतु प्राप्त हुआ है। 238 करोड़ 46 लाख 86 हजार रुपये स्वीकृत है एवं 196 79 लाख 81 हजार रूपया व्यय किया गया है।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक। अजय जी, इसी में कोई प्रश्न हो तो। छोटा प्रश्न करना है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो छोटा-छोटा प्रश्न करता हूं। माननीय मंत्री जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि खनिज विकास निधि के बारे में नियम में बताया गया है कि अधिशासी न्यास की स्वीकृति से कार्य स्वीकृत होते हैं। वर्ष 221-22 जो प्रश्न में उल्लेखित है, उसमें कितने कार्य ऐसे हैं, जो अधिशासी परिषद से स्वीकृत हैं और अधिशासी परिषद् से स्वीकृत नहीं है, बिना स्वीकृति के कितने काम करवाये गये हैं ?

अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात, क्या ऐसे भी कार्य हैं, जिनके कार्य आदेश कर दिए गए हैं और उसकी स्वीकृति अभी भी नहीं ली गई है और काम हो गया है ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तक प्रक्रिया वही है कि अधिशासी परिषद में कार्यों का अनुमोदन लिया जाता है। फिर भी माननीय सदस्य के पास ऐसी कोई जानकारी है कि बिना अनुमति के कार्य हुए हैं..।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, मेरे पास जानकारी है या नहीं, यह अलग विषय है। मंत्री जी, उत्तर तो आप दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- आप दंतेवाड़ा तक सीमित रहिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, मैं दंतेवाड़ा तक ही सीमित हूं। माननीय मंत्री जी, अधिशासी परिषद से स्वीकृति लेनी है। मेरा कहना है और मैं जवाबदारी से कह रहा हूं कि कितने ऐसे काम हैं, जो बिना अधिशासी परिषद की स्वीकृति के स्वीकृत किए गए और उसका काम हो गया है, मैं एक लाइन का प्रश्न पूछ रहा हूं। मंत्री जी, आपके पास जानकारी है तो बताइये, नहीं है तो नहीं है कहिये। फिर मैं आपको सूची दूंगा। दूसरी बात, दूसरा प्रश्न लगा हुआ है, सुन लीजिये। दूसरी बात, ऐसे कितने काम हैं, जो बिना स्वीकृति के हो गए हैं और जिसका भुगतान हो गया है और कितने का भुगतान शेष है ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो पूरे ही काम अधिशासी परिषद से बिना अनुमोदन के स्वीकृत नहीं होता है। मेरा यह मानना है कि अधिशासी परिषद के अनुमोदन से ही स्वीकृत हुए हैं। यदि नहीं हुआ है तो आप बताइये।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, मैं आपको सूची दूंगा, जो बिना अधिशासी परिषद से बिना स्वीकृति के स्वीकृत किया गया है तो आप उसकी जांच करवायेंगे क्या ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बिलकुल जांच करवायेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- एक प्रश्न, एक सेकेण्ड।

अध्यक्ष महोदय :- बस, बस। श्रीमती रायमुनी भगत

श्री अजय चन्द्राकर :- उसी प्रश्न का आखिरी हिस्सा है।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं-नहीं, श्रीमती रायमुनी भगत जी।

श्री अजय चन्द्राकर :- उसी प्रश्न का आखिरी हिस्सा है।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत समय दे दिया।

श्री अजय चन्द्राकर :- ऐसे कितने काम हैं, जो बिना स्वीकृति के हो गए हैं और जिसका अभी तक भुगतान नहीं हुआ है ? मैंने यह पूछा था।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे काम बिना स्वीकृति के हो गए हैं और जिसका भुगतान नहीं हुआ है।

अध्यक्ष महोदय :- जानकारी उपलब्ध करा देना।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे पास ऐसी जानकारी नहीं है, आपको जानकारी उपलब्ध करा देंगे।

अध्यक्ष महोदय :- श्रीमती रायमुनी भगत

प्रश्न संख्या 6 : XX XX

सुश्री लता उसेण्डी :- माननीय अध्यक्ष महोदय,  
 अध्यक्ष महोदय :- कोई सूचना नहीं दी गई है कि आप उनकी जगह प्रश्न पूछेंगे।  
 अध्यक्ष महोदय :- श्री ललित चन्द्राकर

प्रश्न संख्या 7 : XX XX

**गौरैला-पेंड्रा-मरवाही जिलान्तर्गत संचालित रेत खदान**

[खनिज साधन]

8. ( \*क्र. 2444 ) श्री प्रणव कुमार मरपची : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- जिला गौरैला-पेंड्रा-मरवाही में रेत की कितनी खदानें संचालित हैं, कृपया विकासखण्डवार जानकारी दें।

मुख्यमंत्री ( श्री विष्णु देव साय ) :जिला गौरैला-पेंड्रा-मरवाही अंतर्गत वर्तमान में कोई रेत खदान संचालित नहीं है। अतः शेष जानकारी निरंक है।

श्री प्रणव कुमार मरपची :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जिला गौरैला-पेण्ड्रा-मरवाही में कितनी रेत खदानें संचालित हैं ? विकासखण्डवार जानकारी दें।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी वर्तमान में गौरैला-पेण्ड्रा-मरवाही में कोई भी रेत की खदान संचालित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी बता रहे हैं कि कोई रेत खदान संचालित नहीं है।

श्री प्रणव कुमार मरपची :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी सरकार की महत्वपूर्ण आवास योजना चल रही है। उसके साथ -साथ बहुत सारी सरकारी योजनाएं क्षेत्र में संचालित हैं। जिले के क्षेत्र का फैलाव डेढ सौ किलोमीटर से दो सौ किलोमीटर तक में है। ऐसी स्थिति में वहां के लोगों को रेत खरीदना मुश्किल होता है। तो क्या इसके लिए अलग से बजट की व्यवस्था की जायेगी ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अधिसूचना दिनांक 19.1.2023 के अन्तर्गत पेण्ड्रा-गौरैला-मरवाही जिले में तीन खदानें घोषित हुए हैं, तीनों खदानों में पर्यावरण सम्मति प्राप्त होने के पश्चात् यहां अनुबंध की कार्यवाही की जायेगी और यह जल्दी से होगा ।

अध्यक्ष महोदय :- विधायक जी यही चाह रहे हैं कि खदान को जल्दी से खोलिये ताकि आवास के लिये इनको सुविधा होगी और कोई प्रश्न है विधायक जी ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 3 खदान जल्द खुलेंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- 3 खदान बोल रहे हैं कि जल्दी खुल जायेंगे । इसके अतिरिक्त कोई प्रश्न हो तो करिये ?

श्री प्रणव कुमार मरपच्ची :- धन्यवाद अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद । धर्मजीत जी ।

### बिलासपुर संभाग अंतर्गत रेत उत्खनन एवं भंडारण

[खनिज साधन]

9. ( \*क्र. 1595 ) श्री धर्मजीत सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-  
(क) बिलासपुर संभाग अंतर्गत मार्च, 2020 से अगस्त 2023 तक रेत उत्खनन हेतु कहां-कहां, कितने-कितने अवधि के लिए, किन-किन को, किस-किस दर पर रेत उत्खनन एवं भंडारण हेतु अनुमति प्रदान की गयी है, वर्षवार विवरण देवें ? (ख) कंडिका "क" के तहत प्रदत्त अनुमति से रेत उत्खनन एवं भंडारण से कुल कितनी रायल्टी प्राप्त हुई है, वर्षवार विवरण देवें? (ग) क्या कंडिका "क" के क्षेत्र में उक्त अवधि के दौरान अवैध उत्खनन एवं अवैध भंडारण की शिकायतें प्राप्त हुई हैं या कोई कार्यवाही की गई है, विवरण देवें?

मुख्यमंत्री ( श्री विष्णु देव साय ) : (क) बिलासपुर संभाग अंतर्गत 01 मार्च, 2020 से अगस्त 2023 तक रेत उत्खनन हेतु एवं रेत भंडारण हेतु प्रदान की गई अनुमति की जानकारी "संलग्न प्रपत्र-अ" अनुसार है। रेत भण्डारण हेतु कोई दर निर्धारित नहीं है। रेत उत्खनन हेतु निर्धारित सीलिंग प्राइज की जानकारी "संलग्न<sup>2</sup> प्रपत्र-अ" के कॉलम-7' अनुसार है। (ख) प्रश्नांश 'क' के तहत स्वीकृत भंडारण अनुज्ञप्ति से किसी प्रकार की रायल्टी प्राप्त नहीं होती है। रेत उत्खनन से प्राप्त रायल्टी की वर्षवार जानकारी "संलग्न प्रपत्र-ब" अनुसार है। (ग) कंडिका "क" के प्रश्नाधीन अवधि के दौरान स्वीकृत क्षेत्रों से बाहर अवैध उत्खनन एवं अवैध भंडारण की शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं। स्वीकृत उत्खननपट्टों के औचक निरीक्षण पर पायी गयी अनियमितताओं पर पर की गई कार्यवाही की जानकारी "संलग्न प्रपत्र-स" अनुसार है।

श्री धर्मजीत सिंह :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं बिलासपुर संभाग के वर्ष 2020 से लेकर वर्ष 2023 तक रेत, रायल्टी उत्खनन हेतु उनकी अवधि, कार्यवाही, अवैध उत्खनन, अवैध भण्डारण के शिकायतों के बारे में प्रश्न पूछा है । उसमें आपका संलग्न प्रपत्र स में आपने 1 मार्च 2020 से 31 अगस्त 2023 तक रेत खदानों में पाई गई अनियमितताओं के आधार पर की गई कार्यवाही का उल्लेख किया है । आपने 1.5 लाख, 2.5 लाख, 25 हजार, 72 हजार रूपयों की वसूली की है । मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि क्या विभाग का नियम है कि अनियमितता पाये जाने पर सिर्फ रूपये की राशि ही वसूलना है या कोई और अन्य कार्य करने का भी इसमें प्रावधान है ?

<sup>2</sup> परिशिष्ट "तीन"

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, रेत उत्खनन और परिवहन के मामले में आर्थिक रूप से दण्ड आरोपित किये जाते हैं, गाड़ियां जब्त की जाती हैं और जरूरत पड़ने पर उसे राजसात भी किया जाता है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, आपने इस तीन सालों में एक भी गाड़ी जब्त नहीं किया है यानी भैंसा गाड़ी भी जब्त नहीं हुआ है, बड़ा गाड़ी भी जब्त नहीं हुआ है, सिर्फ रूपया लेकर आप छोड़ देते हैं । जो टेंडर हुआ है, उसका लायसेंस भी आपने कैंसिल नहीं किया है । अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूँ कि सिर्फ अवैध काम करने के बदले में रूपया लेने से ही विभाग के कर्तव्यों की इतिश्री हो जाती है । आपको इसमें पोकलेन भी जब्त करना था, हाईवा भी जब्त करना था, उस टेण्डर को निरस्त करने की कार्यवाही करनी थी, नॉट ए सिंगल, एक भी कार्यवाही नहीं हुआ है, यह क्यों नहीं हुआ है, मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें पट्टा भी निरस्त करते हैं, लेकिन एक कहावत है कि सांप निकलने के बाद डंडा पीटने वाली बात है, अभी एक सप्ताह पहले इसी सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी के विभाग का जवाब देते हुये भारसाधक मंत्री चौधरी जी ने कहा था कि कार्यवाही करेंगे । मुझे सदन को बताते हुये अत्यंत हर्ष है कि एक सप्ताह के अंदर हमने रेत के 7 प्रकरण दर्ज किये हैं, जिसमें 5 चैन माऊंटिंग मशीन हमने जब्त की है, एक जेएसबी किया है, एक हाईवा को जब्त किया है, 193 अवैध परिवहन के प्रकरण के साथ-साथ 10 अवैध भण्डारण के मामले विष्णु देव साय जी की सरकार ने 1 सप्ताह के अंदर किया है और अवैध उत्खनन पर लगातार इस प्रकार की कार्यवाही चलती रहेगी । आप लोगों ने निश्चित रूप से जो चिन्ता किया था, उस पर सरकार गंभीर होकर कदम उठा रही है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, वह तो विधान सभा में मामला उठा और ओ.पी.चौधरी साहब ने यहीं पर आदेश दिया है, मैं उसके लिये धन्यवाद देता हूँ, आपको भी धन्यवाद देता हूँ, लेकिन तीन साल तक आपने एक भी गाड़ी जब्त नहीं किया है, खुले आम रेत माफिया या रेत ठेकेदार वहां पर अवैध भण्डारण करते रहे हैं, रेत निकालते रहे हैं, आप सिर्फ 1.5 लाख, 1.25 लाख लेकर छोड़ते रहे हैं । यह प्रवृत्ति बंद करके सख्त कार्यवाही करेंगे या नहीं करेंगे, यह आपसे जानना चाहता हूँ और उनके ठेके को निरस्त करने की कार्यवाही करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय :- सख्त कार्यवाही करेंगे या नहीं करेंगे ? बता दीजिए ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल सख्त कार्यवाही करेंगे और ठेका भी निरस्त करने की कार्यवाही करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- सख्त कार्यवाही करेंगे, मंत्री जी का आश्वासन आ गया । श्रीमती भावना बोहरा जी ।

श्री गुरु खुशवंत साहब :- अध्यक्ष महोदय जी ।

अध्यक्ष महोदय :- इसी में ?

श्री गुरु खुशवंत साहब :- जी, अध्यक्ष महोदय । मेरे आरंग जनपद में एक कुमारी घाट है, जिसमें मशीन एलाऊ नहीं है ...।

अध्यक्ष महोदय :- बिलासपुर से आरंग कहां से आ गये भई ?

श्री गुरु खुशवंत साहब :- अध्यक्ष महोदय, इसी में रेत खदान का विषय है। इसमें जो कार्यवाही हुई है ...।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न बिलासपुर का है ना ? कोई भी बात पूछ लो, मंत्री जी जवाब देंगे ।

श्री गुरु खुशवंत साहब :- कुमारी घाट में मशीन लोडिंग एलाऊ नहीं है । वहां पर लेबर लोगों को पत्र दिया जाये, लेबर से कराया जाये । वहां अवैध रूप से मशीन चलाया जा रहा है । लगभग 5-5, 6-6 मशीन चलाई जा रही है ।

अध्यक्ष महोदय :- अवैध है तो उसको जब्त कराईये ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से माननीय सदस्य विधान सभा में बता रहे हैं, आज ही टीम जायेगी, वहां मशीन चल रही है तो मशीन जब्त करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- आज तुरंत टीम जायेगी। गुरु जी का काम कर दिये। भावना बोहरा जी।

### रेडी टू ईट योजना संबंधी

[महिला एवं बाल विकास]

10. ( \*क्र. 2468 ) श्रीमती भावना बोहरा : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जिला-कबीरधाम में पूरक पोषण आहार रेडी टू ईट बनाए जाने हेतु कुल कितने केंद्र स्थापित हैं? विकासखंडवार जानकारी दें? (ख) कबीरधाम जिले में किन-किन समूहों द्वारा रेडी टू ईट योजना संचालित है? विकासखंडवार जानकारी दें? (ग) कबीरधाम जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को कौन-कौन से पौष्टिक आहार दिए जा रहे हैं? इस हेतु शासन द्वारा कितनी राशि स्वीकृत की गई है? विकासखंडवार जानकारी दें?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : (क) प्रश्नांश "क" की जानकारी निरंक है। (ख) प्रश्नांश "क" के परिप्रेक्ष्य में जानकारी निरंक है। (ग) कबीरधाम जिले के आंगनबाड़ी केन्द्रों में पूरक पोषण आहार कार्यक्रम अंतर्गत 06 माह से 03 वर्ष आयु के बच्चों को रेडी टू ईट (टेकहोम राशन के रूप में) व 03 से 06 वर्ष आयु के बच्चों को नाश्ता एवं गर्म भोजन एवं मुख्यमंत्री सुपोषण योजना

अंतर्गत 01 से 03 वर्ष के कुपोषित बच्चों को गर्म भोजन तथा 01 से 06 वर्ष के कुपोषित बच्चों को चिककी का वितरण किया जा रहा है। प्रश्नांश “ग” की शेष जानकारी संलग्न<sup>3</sup> प्रपत्र अनुसार है।

श्रीमती भावना बोहरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में जो सहायिकाएं या कार्यकर्ता काम करती हैं। वहां कभी-कभी यह स्थिति देखी गयी है कि वह सहायिकाएं बच्चों के परिजनों को कुछ विषय को समझाने में असफल भी रहती है। मेरा प्रश्न यह है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं हेतु शिक्षा अर्हता का मापदण्ड क्या तय किया गया है ?

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, बताईये।

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- एक बार प्रश्न दोहराईये।

श्रीमती भावना बोहरा :- अध्यक्ष महोदय, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं हेतु शिक्षा अर्हता का मापदण्ड क्या तय किया गया है ?

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- क्या परिजनों को समझाने के लिये ?

श्रीमती भावना बोहरा :- आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं हेतु शिक्षा अर्हता का मापदण्ड क्या तय किया गया है ?

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- अध्यक्ष महोदय, वैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं हेतु 12वीं कक्षा की अर्हता है और यदि उस गांव में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाली कोई महिला नहीं है, तो फिर वहां 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाली महिलाओं को भी लिया जाता है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये ठीक है। 12वीं या 10वीं उत्तीर्ण महिलाओं को लिया जाता है।

श्रीमती भावना बोहरा :- अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा प्रश्न यही है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। क्या परियोजना अधिकारी के अलावा आंगनबाड़ी केन्द्रों की रिपोर्टिंग हायर अथॉरिटी के द्वारा ली जाती है ? क्योंकि जिस तरह से आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की संख्या कम होती जा रही है, वह काफी चिंता का विषय है।

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का कहना जायज है और मैं मानती हूँ कि जहां तक 03 साल के 06 साल तक के बच्चों को आंगनबाड़ी में पढ़ाया जाता है। कहीं न कहीं।

श्रीमती भावना बोहरा :- अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी यह बता दीजिये कि छत्तीसगढ़ में जो आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है, आपकी हायर अथॉरिटी के द्वारा पिछली बार उनकी कब रिपोर्ट ली गयी थी ?

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- अध्यक्ष महोदय, एक मिनट मैं आपको बताती हूँ। माननीय सदस्या का प्रश्न यह है कि पिछली बार आंगनबाड़ी की रिपोर्ट कब ली गयी थी। आपका क्या सवाल था ?

<sup>3</sup> परिशिष्ट “चार”

श्रीमती भावना बोहरा :- अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ में जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं, उनकी जो बच्चों की रिपोर्ट है, चाहे वह कुपोषण से संबंधित हो, चाहे आहार से संबंधित हो, उनके डेव्हलपमेंट से संबंधित हो या प्रोटीन आहार देने के विषय में हो, परियोजना अधिकारी के अलावा उनकी रिपोर्ट पिछली बार संबंधित विभाग के प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा कब ली गयी थी ? या उनका भौतिक सर्वे कब किया गया था ?

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक आंगनबाड़ी की बात हो, उन बच्चों के पोषण आहार की बात हो और विशेष की बात हो तो यह प्रतिदिन इसकी रिपोर्ट लेते रहते हैं।

श्रीमती भावना बोहरा :- क्या प्रदेश में प्रतिदिन रिपोर्ट जाती है ?

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- जी।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, राजेश मूणत जी।

श्रीमती भावना बोहरा :- अध्यक्ष महोदय, मैं एक आखिरी प्रश्न पूछना चाहूंगी और यह विषय लगातार क्षेत्र में भी आ रहा है कि क्या आंगनबाड़ी में रेडी टू ईट का काम पुनः स्व सहायता समूह की बहनों को दिया जायेगा ? मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि क्या इसकी कोई विशेष तिथि तय की गयी है कि इस तिथि के बाद हम वह काम एस.एज.जी. गुप को देंगे और उसकी प्रक्रिया क्या होगी ? क्योंकि यहां लाखों की संख्या में समूह है तो हमारी उन समूहों को लेकर क्या प्राथमिकता होगी जिनको हम रेडी टू ईट का कार्य देने वाले हैं ?

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- अध्यक्ष महोदय, यह सवाल पिछली बार भी आया था तो मैंने अपना जवाब दिया था कि जहां तक रेडी टू ईट की बात है तो रेडी टू ईट स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को देने वाली जो बात कही थी। इसमें युक्तियुक्त निर्णय लिया जा रहा है। इसमें हम अधिकारियों से डिसकस करके आगे की कार्यवाही करेंगे।

श्रीमती भावना बोहरा :- अध्यक्ष महोदय, मैं इस पर विषय लेना चाहूंगी क्योंकि यह बहुत गंभीर विषय है और यह विषय क्षेत्र में लगातार आता है। जब मंत्री महोदय जी का जवाब आया था, उसको लगभग 10-15 दिन होने आ गये हैं। यदि वही जवाब 15 दिन के बाद भी मिलेगा तो फिर आगे की वस्तुस्थिति क्या रहेगी ? कृपया मंत्री जी या तो उसकी डेट बता दे कि इस डेट में होगी।

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगी कि अभी विधान सभा का बजट सत्र चल रहा है। जैसे ही सत्र खत्म होता है अधिकारियों के बीच बैठक लेकर इसकी आगे की प्रक्रिया चालू की जायेगी।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, मंत्री जी सत्र के बाद निर्णय लेंगी। राजेश मूणत जी।

श्रीमती भावना बोहरा :- अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि इसमें उनको कार्य देने की क्राईटेरिया क्या रहेगी ? वह जरूर तय कर लीजिये।

अध्यक्ष महोदय :- भावना जी, आपका बहुत प्रश्न हो गया। राजेश मूणत जी।

**देशी व अंग्रेजी शराब की आपूर्ति, ओवर रेट व अवैध विक्रय पर कार्यवाही**

[वाणिज्यिक कर (आबकारी)]

11. ( \*क्र. 2311 ) श्री राजेश मूणत : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-  
(क) प्रदेश में दिनांक 1.1.2019 से 30.11.2023 तक देशी एवं अंग्रेजी शराब की आपूर्ति कितनी-कितनी मात्रा में किस-किस डिस्टिलरी से, किस-किस दर पर की गई? जिलेवार जानकारी दें? (ख) प्रदेश में अधिक दरों पर शराब बेचने, मिलावटी शराब बेचने, अन्य प्रदेशों की एवं अवैध शराब बेचने के कितने-कितने प्रकरण प्रश्नांक 'क' में उल्लेखित अवधि में दर्ज किये गये? कितनी कालातीत शराब/बियर नष्ट की गई? जिलेवार शराब की मात्रा सहित जानकारी उपलब्ध करावें ? (ग) प्रश्नांश 'ख' के प्राप्त प्रकरणों में दोषियों पर क्या कार्यवाही की गई? जिलेवार जानकारी उपलब्ध करावें?

मुख्यमंत्री ( श्री विष्णु देव साय ) : (क) प्रदेश में दिनांक 01.01.2019 से 30.11.2023 तक देशी एवं अंग्रेजी शराब की आपूर्ति की मात्रा, प्रदायकर्ता इकाई एवं क्रय दर की जिलेवार एवं वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अ एवं ब अनुसार है। (ख) "प्रश्नांश-क" अवधि में प्रदेश में अधिक दर पर शराब बेचने, मिलावटी शराब बेचने, अन्य प्रदेशों की एवं अवैध शराब बेचने के दर्ज प्रकरणों की जिलेवार, वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र स, द, इ एवं ई अनुसार है। उपरोक्त अवधि में कालातीत शराब/बियर नष्ट की गई शराब की मात्रा की जिलेवार, वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र फ अनुसार है। (ग) "प्रश्नांश-ख" के प्राप्त प्रकरणों में दोषियों पर की गई कार्यवाही की जिलेवार, वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र स, द, इ एवं ई अनुसार है।

श्री राजेश मूणत :- सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न थोड़ा विस्तार से है और माननीय मंत्री जी ने उसका उत्तर भी विस्तार से दिया है। इसमें लगभग 700 पेज का उत्तर आया है। मैं आपसे स्पेसिफिक प्रश्न पूछ रहा हूँ कि क्या सरकार की शराब खरीदने की कोई नीति है ? यह स्पष्ट कर दें कि सरकार किस नीति के आधार पर पार्टियों से शराब खरीदती है, जिस शराब की पूर्ति करते हैं?

अध्यक्ष महोदय :- यदि आपके पास शराब खरीदने की नीति है तो आप बता दें ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ में सरकार द्वारा शराब खरीदी की नीति बनी हुई है। सरकार उस नीति के तहत शराब खरीदती है। साथ ही मांग एवं बिक्री के अनुसार मदिरा दुकानों के लिए शराब खरीदी जाती है।

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इसकी नीति पूछी है ? क्या आप इसके लिए टेण्डर आमंत्रित करते हैं ? क्या आप कोटेशन आमंत्रित करते हैं? आप यह राष्ट्रीय स्तर पर करते हैं या

प्रदेश स्तर पर करते हैं ? इसे कौन व्यक्ति सप्लाई कर सकता है, इसका टर्न ओव्हर कितना है ? मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि इसकी नीति क्या है ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, रेट ऑफर एवं टेण्डर के माध्यम से शराब की खरीदी की जाती है।

अध्यक्ष महोदय :- यह टेण्डर के माध्यम से होता है।

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के उत्तर में ही आपने कहा। क्या समाचार पत्रों में राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञापन होकर छपा, जब उसका टेण्डर आमंत्रित हुआ तो कितने फर्मों ने भाग लिया ? आपने वर्ष 2019-2020 और वर्ष 2021-22 में जानकारी बतायी। ठीक है। तो आज तक छत्तीसगढ़ में केवल कुल 3 ही लोग आए ? यानी यह चिन्ता का विषय है कि देश में डिस्लरी कितनी है? छत्तीसगढ़ में केवल 3 ही लोग शराब की सप्लाई करते रहे। उसमें देशी और विदेश मदिरा दोनों का टेण्डर कब-कब आमंत्रित किया और उसमें कितनी फर्मों ने भागीदारी निभायी ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो टेण्डर हैं मैंने पहले ही बताया कि उसमें टेण्डर भी करते हैं और उसमें देशी मदिरा का प्रदाय का बता रहा हूँ। प्रदेश में हमारे यहां केवल 3 ही डिस्लरी हैं इसलिए इसमें 3 ही टेण्डर आएंगे। यह राज्य के अंदर से ही लेना था।

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या यह नियम है कि इसमें राज्य के लोग ही उस टेण्डर में भागीदार होंगे ? जब पूरे प्रदेश में मदिरा चाहे देशी हो या विदेशी हो। क्या हमारा कोई ऐसा नियम बना है कि जो राज्य की डिस्लरी है वही शराब की सप्लाई करेगी ? इसमें स्पष्ट सीधा जवाब दे दें और अगर नहीं तो मैं इसमें बता देता हूँ। वर्ष 2018-19 में 37 फर्मों ने मदिरा क्रय करने का आवेदन दिया। वर्ष 2019-2020 में 61 फर्मों ने मदिरा क्रय करने का आवेदन दिया और वर्ष 2020-21 में 1 अप्रैल 2020 से 12 मई, 2020 तक आपने 21 फर्मों को विदेशी मदिरा क्रय करने का दिया। उसी प्रकार से यह संख्या अपने आप कम हो गया। यहां वर्ष 2021-22 में केवल 14 फर्में विदेशी आयीं।

अध्यक्ष महोदय :- आप विदेशी बोल रहे हैं और वह देशी का जवाब दे रहे हैं।

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने देशी में भी बताया कि वर्ष 2018-19 में 37 फर्मों ने मदिरा क्रय करने का आवेदन दिया तो फिर आप 3 डिस्लरी तक कहां पहुंच गये ?

अध्यक्ष महोदय :- आपको न देशी से मतलब है न विदेशी से मतलब है।

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे दोनों से मतलब नहीं है। मुझे इस चीज से मतलब है।

अध्यक्ष महोदय :- आप फिर क्यों प्रश्न कर रहे हैं ?

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर छत्तीसगढ़ में ई.डी. का पदार्पण हुआ है तो शराब से ही हुआ है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये। आपको कुछ बताना है तो आप बता दीजिए।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह नियम वर्ष 2013 से है कि केवल प्रदेश के ही डिस्लरी वाले हैं वह देशी मदिरा प्रदान करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- यह बहुत अच्छा जवाब है।

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चलिये। अगर आपने यह कहा तो मैं इससे सहमत हूँ। अब यह भी बता दीजिए कि जो तीन मदिरा वाले हैं क्या आपने उनके जिले बांटे थे ?

श्री अटल श्रीवास्तव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2013 में आपकी सरकार थी। आपकी सरकार ने यह तय किया कि इसमें छत्तीसगढ़ के लोग पार्टिसिपेट करेंगे। फिर यहां बार-बार यह प्रश्न क्यों आ रहा है। आपकी सरकार के द्वारा सब नीतियां बनार्यी गईं।

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप घबरा क्यों रहे हैं ? मैं अभी आप तक तो पहुंचा ही नहीं हूँ। माननीय मंत्री जी इसका उत्तर दे रहे हैं। मैं उनसे सीधे प्रश्न पूछ रहा हूँ। आपने जिस नीति में कहा कि उसमें छत्तीसगढ़ के लोग ही डिस्लरी वाले पार्टिसिपेट करेंगे। मैं सहमत हूँ। इसमें कोई समस्या नहीं है। क्या आपने जिले बांट दिये थे कि फलाने-फलाने जिले में सप्लाई करेंगे। इसलिए यह प्रश्न खड़ा कर रहा हूँ सिंडिकेट बना करके योजनाबद्ध तरीके से इस प्रदेश को दारू माफियाओं ने लूटने का काम किया है।

श्री विक्रम मंडावी :- राजेश भैया, आपको देशी की या विदेश शराब की चिंता है ?

श्री राजेश मूणत :- मैं न देशी हूँ, न विदेशी हूँ। मैं तो छत्तीसगढ़ में रहता हूँ और छत्तीसगढ़ की चिंता करता हूँ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सप्लाई का एरिया है, जिलों को 8 जोन में बांटकर सप्लाई किया जाता था और उसके आधार पर 3 दुकान होने की वजह से निश्चित रूप से कुछ जोन में आया है।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। आप आखिरी प्रश्न कर लीजिए।

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे को आश्चर्य लग रहा है। प्रदेश का इतना बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ रहा हूँ। आपने टेंडर के अंदर क्या जिलावाइज टेंडर बुलाया था ? आपने प्रदेश के अंदर मदिरा सप्लाई करने के लिए टेंडर आमंत्रित किया। जब प्रदेश में मदिरा सप्लाई करने के लिए आपने टेंडर आमंत्रित किया, उसमें 3 लोगों ने भाग लिया जिनकी डिस्टलरी यहां है। क्या 5 साल तक एक व्यक्ति, एक डिस्टलरी वाला एक जिले में सप्लाई करेगा ? दूसरा व्यक्ति दूसरे जिले में सप्लाई करेगा, तीसरा व्यक्ति तीसरे जिले में सप्लाई करेगा ? मैं किसी डिस्टलरी वाले का नाम नहीं लूंगा।

अध्यक्ष महोदय, यह पॉलिसी के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह है, मैं खाली उस पर ही बात करूंगा। यह प्रदेश का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मेरा प्रश्न 4 किशतों में है। अभी खाली पहला प्रश्न चालू हुआ है किन एजेंजियों ने सप्लाई की और कहां-कहां तक सप्लाई की ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, टेंडर 8 प्रदाय क्षेत्रवार बनाकर आमंत्रित किया गया था और जो 8 जोन बनाये थे, उसी के आधार पर ही टेंडर बुलाये थे। अलग से कोई जिला बांटकर इस प्रकार का नहीं था।

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यही तो प्रश्न है बालोद जिले में 5 साल तक एक ही कंपनी छत्तीसगढ़ डिस्टलरी सप्लाई करती रही। अंधा बांटे रेवड़ी, चीन्ह-चीन्ह के देय। अध्यक्ष महोदय, मेरा महत्वपूर्ण सवाल है। हर साल टेंडर आमंत्रित करते हैं और हर टेंडर करने के बाद में एक व्यक्ति एक ही जगह सप्लाई करता है। यह आश्चर्यजनक बात है।

अध्यक्ष महोदय :- आप प्रश्न कर लीजिए।

श्री राजेश मूणत :- अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही प्रश्न पूछ रहा हूँ कि क्या एक ही डिस्टलरी से 05 साल का कांटेक्ट एक ही जगह का हुआ ?

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो कंपनी टेंडर हासिल करेगी। माननीय, अनावश्यक समय ले रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- यादव जी, आपको जवाब नहीं देना है। मंत्री जी खड़े हैं, आप कहां जवाब दे रहे हैं ?

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न उपस्थित ही नहीं हो रहा है, उसी-उसी बात को कह रहे हैं। जो टेंडर हासिल करेगा, वही तो काम करेगा। टेंडर गलत हुआ है, आप वह वाली बात लाईये न। आप टेंडर गलत होने की बात ला ही नहीं रहे हैं।

श्री राजेश मूणत :- सुनिये न, नेता प्रतिपक्ष जी बैठे हुए हैं। आप क्यों परेशान हैं, आपका नाम ई.डी. में नहीं है, आप परेशान मत होईये।

अध्यक्ष महोदय :- वह आपका विषय नहीं है। मंत्री जी सक्षम हैं।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो 8 प्रदाय क्षेत्र बनाये थे, प्रदाय क्षेत्रवार जो प्रतिवर्ष न्यूनतम दर आई, उसको सप्लाई का टेंडर दिये। अगर प्रतिवर्ष 10 साल भी न्यूनतम दर आयेगी तो उसको सप्लाई का टेंडर देंगे। उसमें प्रक्रिया है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, बहुत अच्छा किये। चलिये, अब खत्म करिये।

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे करबद्ध प्रार्थना है।

अध्यक्ष महोदय :- आपको प्रश्न करते हुए 12 मिनट हो गये हैं।

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी 10 मिनट हुआ है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप आखिरी प्रश्न करिये।

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे दो प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। आपने प्रदेश में दुकान पर फर्जी के प्रकरण बनाये। एक भी प्रकरण ऐसा नहीं है जिसके अंदर सरकार ने चालान प्रस्तुत करके किसी व्यक्ति को जेल हुई हो। अगर आप कहें तो मैं आंकड़े बता देता हूँ। अगर वह भी कहेंगे तो फिर आप कहेंगे कि यह कह रहे हैं। वर्ष 2019 में खाली 4 प्रकरण दर्ज किये हैं। एक आदमी जेल गया। वर्ष 2019-20 में 8 प्रकरण बने, एक आदमी जेल गया। दुकानों के अंदर दो तरह की दारू एक बिना होलोग्राम की duplicate और एक सरकारी बिक शराब रही है। जो प्रकरण duplicate शराब के दर्ज किये गये और यह पूरे प्रदेश के केस में एक आदमी को सजा नहीं हुई। यानि आश्चर्यजनक बात है कि सरकारी दुकान में प्लेसमेंट एजेंसी अपने कर्मचारियों के माध्यम से दारू बेचती है, आपने प्रकरण दर्ज किये, लेकिन प्लेसमेंट एजेंसी के एक आदमी के खिलाफ में आपने कोई कार्रवाई नहीं की। प्रश्न यहीं तो उद्भूत होता है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, प्रश्न का जवाब दे दीजिये।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अवैध शराब बिक्री और अधिक दर पर शराब बेचने या मिलावटी शराब बेचने पर विभाग ने पर्याप्त कार्रवाई की है। यदि समय हो और आप बोलेंगे तो मैं वर्षवार बता सकता हूँ। दुकानों में कार्यरत कर्मचारियों के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज भी किया गया है और जेल दालिखे की भी कार्रवाई हुई है। चूंकि यह न्यायालयीन प्रक्रिया है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, हो गया।

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न का उत्तर नहीं है। अगर कोई व्यक्ति शासकीय दुकान के अंदर आकर शराब बेच देता है तो आप उस सरकार की प्लेसमेंट एजेंसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे? छत्तीसगढ़ के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। राजस्व की प्राप्ति के चक्कर में 2 नंबर का राजस्व। जिन-जिन लोगों ने, आपने कहा कि मैं प्रकरण गिनवा देता हूँ। पांच सालों में मिलावटी शराब बेचने के 157 प्रकरण बने और दो आदमी। प्रदेश के 568 दुकानों में रेट से ज्यादा कीमत पर शराब बेची गई। आपने उसमें क्या किया? 5 प्रकरण बनाये, लेकिन एक को कुछ नहीं किया। यानि आश्चर्य है कि सरकार की दुकान में कोई डाका डालकर चले जाये और सरकार हाथ में हाथ धरी बैठी रहे, इससे बड़ा दुर्भाग्य छत्तीसगढ़ के लिए कुछ नहीं हो सकता है। यह चिंता का विषय है कि सरकार की जो राजस्व की हानि हुई है, वह अभी मैंने नहीं पूछा है। वर्ष 2020-21 में सरकार को राजस्व हानि हुई है।

श्री धर्मजीत सिंह :- भैया, वसूली मास्टर लोग बैठे थे, वह लोग सब किये हैं और वह जो भी वसूली किये हैं, वह भी मिलने वाला नहीं है।

श्री राजेश मूणत :- अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है । यह माननीय मुख्यमंत्री का विभाग है, जिसमें माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा इस प्रकरण में प्लेसमेंट एजेंसी से लेकर जो भी दोषी है, क्या आप इसकी जांच करायेंगे?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी इसमें दो बातें हैं। मैं जांच वाली बात भी बताऊंगा कि जांच करायेंगे या नहीं करायेंगे। इससे पहले माननीय सदस्य ने अधिक दर पर शराब बेचने वालों की जो संख्या, आंकड़ा बता रहे थे, वह सही नहीं है। हमने इसमें पर्याप्त केस दर्ज किया है। वर्ष 2019-2020 में 500 केस बनाये, उसमें से 574 लोगों को सेवा से पृथक किया है। उसी प्रकार से ...।

श्री राजेश मूणत :- यह सेवा से पृथक होने वाले 500 लोग कौन हैं? यदि आपके पास इसकी जानकारी है तो आप जरा यह भी बता दीजिये।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से जिनको रखे थे।

श्री राजेश मूणत :- अध्यक्ष महोदय, जो प्लेसमेंट एजेंसी पूरे छत्तीसगढ़ में संचालित कर रही है, उसके 500 कर्मचारी यदि बदमाशी कर रहे हैं, तो क्या उस एजेंसी को ब्लैक लिस्टेड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? प्रश्न तो यही खड़ा हो रहा है। मंत्री जी, मैं सीधा-सीधा प्रश्न पूछ रहा हूँ कि जिन लोगों ने छत्तीसगढ़ के राजस्व पर डाका डाला, जिन लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से छत्तीसगढ़ को लूटा, क्या आप उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे?

अध्यक्ष महोदय :- यदि कोई शिकायत है तो कार्रवाई करेंगे?

श्री बघेल लखेश्वर :- माननीय मंत्री जी, आजकल राजेश मूणत जी लेने लगे हैं।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें ई.डी. और ए.सी.बी. के द्वारा इसकी जांच कराई जा रही है। अब इससे बड़ा जांच तो हो नहीं सकता है।

अध्यक्ष महोदय :- वह कह रहे हैं कि जांच हो रही है।

श्री राजेश मूणत :- अध्यक्ष महोदय, ई.डी. अपना काम कर रही है।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- अध्यक्ष महोदय, इसमें ए.सी.बी. भी जांच कर रही है।

श्री राजेश मूणत :- अध्यक्ष महोदय, हम लोग सिर्फ यह बोलकर मुक्त हो जायेंगे कि ई.डी. जांच कर रही है। मेरे महादेव एप प्रश्न पर भी बोल दिया गया कि ई.डी. जांच कर रही है। आप रेत खदान के ऊपर में भी बोल दिया कि ई.डी. जांच कर रही है।

श्री अटल श्रीवास्तव :- आदरणीय राजेश भैया, आपको ई.डी. जांच पर भरोसा नहीं है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय, उनको ई.डी. जांच के ऊपर भी भरोसा नहीं है। आपको ई.डी. के ऊपर भरोसा नहीं है। (व्यवधान)

श्री राजेश मूणत :- क्या आप इसको संज्ञान में लेकर जांच करायेंगे?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप एक बार बोल दीजिये कि ई.डी. के ऊपर भरोसा नहीं है। मंत्री जी जांच करवाइये।

श्री रिकेश सेन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2013 से यह शराब नीति बनी है, तब से जांच हो जाये।

श्री विक्रम मंडावी :- आप बस यह बता दीजिये कि आपको ई.डी. के ऊपर भरोसा नहीं है?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- अध्यक्ष महोदय, इसमें ई.डी. भी और ए.सी.बी. भी जांच कर रही है। (व्यवधान)

श्री रिकेश सेन :- अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2013 से यह नीति बनी है, 2013 से जांच हो जानी चाहिए। माननीय सदस्य जी चिंता कर रहे हैं तो इसमें निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए।

श्री राजेश मूणत :- एक मिनट। अध्यक्ष महोदय, प्लेसमेंट एजेंसी ने अपने कर्मचारियों के माध्यम दुकान में डबल रेट में, कम रेट में माल बेचा और डुप्लीकेट माल खपाया। जो सरकार का होलोग्राम है, वह ढक्कन में होलोग्राम लगाने वाली संस्था कौन थी, जिसका डुप्लीकेट माल खपाया गया है? इसमें एक भी प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है। आप 500 लोगों को सेवा से निकालने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो प्लेसमेंट एजेंसी काम करती थी, जिसने राजस्व में घाटे का नुकसान किया। सरकारी दुकान में दो रेट में दारू बेची, यह आपका या मेरा प्रश्न नहीं है। यह व्यवस्था को लेकर प्रश्न है और मेरे मन में किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। मेरा सीधा-सीधा प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ के राजस्व के ऊपर योजनाबद्ध तरीके से यदि लोगों ने मिलकर डाका डाला है तो ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए फिर वह चाहे सत्तापक्ष हो या विपक्ष हो ?

श्री अटल श्रीवास्तव :- वर्ष 2013 से जांच हो जाये न जब शराब नीति बनी थी।

श्री राजेश मूणत :- मैं कहां मना कर रहा हूं ? आप मेरी बात सुनिए न। (व्यवधान)

श्री अटल श्रीवास्तव :- जब शराब नीति बनी थी, जिस पर वर्ष 2018 के बाद से काम हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- आप कहां आ गये ? चलिये।

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सीधा पूछ रहा हूं कि जब प्रकरण आया।

श्री अजय चंद्राकर :- वर्ष 2013 से करवाने के लिये कल एक ध्यानाकर्षण ले आईये। कहां बीच में आ गये ? आप प्रश्न करने दो न। आप वर्ष 2000 या वर्ष 2003 से करवा लो।

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सीधा एक प्रश्न है कि क्या प्लेसमेंट एजेंसी आज भी वर्तमान में वहां काम कर रही है ?

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आखिरी बता दीजिये।

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक आखिरी प्रश्न है। मुझे इसका उत्तर दे दें कि क्या वहां प्लेसमेंट एजेंसी आज भी काम कर रही है ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- जी हां, कर रही है ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये ।

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यही तो मेरा प्रश्न है कि जो व्यक्ति लगातार डाका डालते रहा । छत्तीसगढ़ के राजस्व के ऊपर नुकसान करता रहा वह आज भी छत्तीसगढ़ के अंदर काम कर रहे हैं । मेरा केवल इतना ही प्रश्न है कि क्या आप प्लेसमेंट एजेंसी के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले ही इसमें पर्याप्त कार्यवाही हुई है । सेल्समेन, उसके चीफ सेल्समेन, मल्टीपरपज वर्कर इसके साथ 30 से ज्यादा जो विभागीय अधिकारी हैं उनके ऊपर ए.सी.बी. ने एफ.आई.आर. दर्ज की है । इस पर अभी और जांच चल रही है, इसमें जो-जो दोषी होंगे, कोई नहीं बचेगा ।

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने सीधा प्रश्न पूछा । मैं और कुछ पूछ ही नहीं रहा हूँ ।

अध्यक्ष महोदय :- हो गया ।

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने 700 पन्ने का उत्तर दिया है । मैं उसको कल रात से पढ़ रहा हूँ । उसको पढ़ते-पढ़ते मैं ही वह हो गया । मेरा सीधा प्रश्न है और मैं इतना ही पूछ रहा हूँ कि जिस प्लेसमेंट एजेंसी ने सरकार के राजस्व पर डाका डाला क्या उस प्लेसमेंट एजेंसी के खिलाफ में कार्यवाही करेंगे ? मेरा धा-सीधा प्रश्न है । क्या उसके खिलाफ में एफ.आई.आर. दर्ज करेंगे ? यह स्पेशल है । सर्वभ्रष्टाचार किसने किया, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये । क्या प्लेसमेंट एजेंसी के खिलाफ कार्यवाही करने का कोई ईरादा है ?

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सीधा-सीधा एक लाइन का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय :- अब आप बैठ जाइये ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें प्लेसमेंट एजेंसी ने अपने नीचे के कर्मचारियों को बचाने का प्रयास नहीं किया है । उसने उसमें पर्याप्त फेरबदल किया है ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है ।

श्री रिकेश सेन :- आप प्लेसमेंट एजेंसी के पक्ष में बात कर रहे हैं । (व्यवधान)

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो आश्चर्यजनक है । (व्यवधान)

श्री अनुज शर्मा :- न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी । रहने दीजिये । (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का उत्तर आ चुका है । दूसरे को भी मौका चाहिए । (व्यवधान)

श्री रिकेश सेन :- जिसके लिये हमने लंबी लड़ाई लड़ी । (व्यवधान) यह जांच का विषय है । (व्यवधान)

श्री राजेश मूणत :- आपका अवसर आयेगा तो आप बोलिएगा । (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- हम बचाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं । (व्यवधान)

हम यह चाह रहे हैं कि जब जांच हो रही है । (व्यवधान) मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं तो उसको मानना चाहिए । (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- पूर्ववर्ती सरकार के संरक्षण में शराब का घोटाला चल रहा था । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- आपस में बात मत करिये । (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- ई.डी. जांच कर रही है । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- बैठिए । (व्यवधान)

श्री विक्रम मण्डावी :- आपकी ही सरकार है, आपके ही संरक्षण में चल रही है। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आपको उत्तर मिल चुका है । ई.डी. जांच कर रही है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- बैठिए । हो गया । (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आपको उत्तर मिल चुका है । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, बहुत हो गया । चातुरी नंद अपना प्रश्न करेंगी ।

श्री रिकेश सेन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जांच होनी चाहिए । हम लोग एक लंबी लड़ाई लड़कर यहां पहुंचे हैं । (व्यवधान) जांच होनी चाहिए । (व्यवधान)

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं आया । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- जवाब आ गया है ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- मंत्री जी उत्तर दे चुके हैं । (व्यवधान)

श्री विक्रम मण्डावी :- मंत्री जी उत्तर दे चुके हैं । आप समय खराब कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, बैठिये । (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- उस पर कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए, एफ.आई.आर. होना चाहिए । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, बैठिए । (व्यवधान)

श्री रिकेश सेन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत लड़ाई लड़कर हम लोग इस सदन तक पहुंचे हैं । छत्तीसगढ़ को शराब के माध्यम से लूटने नहीं देंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- बैठिए । आप लोग भी बैठिए । (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- छत्तीसगढ़ लुटाया भी नहीं है। (व्यवधान)

श्री रिकेश सेन :- हम छत्तीसगढ़ को लूटने भी नहीं देंगे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, बैठिए।

श्री राजेश मूणत :- दो हजार करोड़ रुपये एजेंसी के माध्यम से लूटा गया है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- राजेश जी, हो गया। (व्यवधान) कुछ बोलना चाहेंगे क्या?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य मेरी बात को सुन लें। उसमें जांच चल रही है और यदि जांच में अनियमितता पायी जायेगी तो उसके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करेंगे और यदि अनियमितता पायी जायेगी तो टेंडर भी जारी नहीं किया जायेगा। (व्यवधान)

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सीधा एक प्रश्न है। जो वर्तमान एजेंसी थी, जिसने प्लेसमेंट एजेंसी के अंदर आदमी सप्लाई किये, उसकी अनियमितताओं को लेकर जांच करेंगे क्या? इतना तो प्रश्न पूछा।

श्री अटल श्रीवास्तव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने चातुरी नंद के अगले प्रश्न को बोल दिया। उसके बाद भी ये बोले जा रहे हैं।

श्री राजेश मूणत :- आप क्यों चिंता कर रहे हैं? आपका उसमें नहीं है।

श्री अटल श्रीवास्तव :- आप प्रश्नकाल खत्म कर रहे हैं न। (व्यवधान)

श्री राजेश मूणत :- छत्तीसगढ़ को लूटकर खा गये। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- आप लोग बैठिए। (व्यवधान)

श्री अटल श्रीवास्तव :- आगे बढ़ गया है। इनका नाम ले लिया गया है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- बैठिए-बैठिए। (व्यवधान)

श्री रिकेश सेन :- आप प्लेसमेंट एजेंसी के पक्ष में बात कर रहे हैं। बड़ा आश्चर्यचकित है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- बैठिए। एक प्रश्न को 15 मिनट से ऊपर हो गया है।

श्री राजेश मूणत :- सर, एक मिनट का उत्तर है। इस प्रदेश में पूरे देश में चर्चित दारू घोटाला।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जो जवाब दे दिये।

श्री राजेश मूणत :- मंत्री इतना ही बोल दे न।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री से कुछ बोलवाया नहीं जा सकता। जो बोल रहे हैं, वही अंतिम उत्तर होता है। बस भोलाराम जी।

श्री राजेश मूणत :- यही है क्या?

श्री रिकेश सेन :- तो मंत्री जी मान लें कि यही आपका उत्तर है। क्या जांच नहीं होगी?

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय..।

श्री अटल श्रीवास्तव :- आप मंत्री जी के ऊपर दबाव डाल रहे हैं।

श्री रिकेश सेन :- मंत्री जी उत्तर नहीं देंगे तो फिर वह ब्लैक लिस्ट नहीं किया जायेगा। क्या जांच नहीं होगी? क्या ब्लैक लिस्ट नहीं किया जायेगा? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- बैठिए-बैठिए। धरम जी बैठिए। (व्यवधान)

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये)

श्री अटल श्रीवास्तव :- आप लोग पूरा समय खा जाते हो। (व्यवधान)

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को इसमें ऐसा लग रहा है कि बड़ी गड़बड़ी हुई है तो प्लेसमेंट एजेंसी की जांच कराने की घोषणा जाती है। (मेजों की थपथपाहट)

श्री राजेश मूणत :- धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- बस चलिए। भोलाराम जी। अब हो गया। ज्यादा प्रश्न नहीं करना है।

प्रश्न संख्या 12 : XX XX

**अविभाजित राजनांदगांव जिले में संचालित क्रेशर प्लांट**

[खनिज साधन]

13. ( \*क्र. 2433 ) श्री भोलाराम साहू : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) अविभाजित राजनांदगांव जिले में वर्तमान में कहां-कहां पर क्रेशर प्लांट, किन-किन नाम व फर्म के नाम से संचालित हैं? जिलेवार, विकासखण्डवार जानकारी दें? (ख) क्रेशर प्लांट से पर्यावरण को हो रहे नुकसान के संबंध में अनुज्ञाधारी एवं राज्य शासन द्वारा रोकथाम के क्या-क्या उपाय किए गए हैं एवं उसका पर्यवेक्षण किस अधिकारी के द्वारा किया गया है ? किन-किन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई है? बतायें?

मुख्यमंत्री ( श्री विष्णु देव साय ) : (क) अविभाजित राजनांदगांव जिले में कुल 82 क्रेशर संचालित है, जिसमें से 35 क्रेशर उत्खनिपट्टा क्षेत्र में तथा शेष 47 क्रेशर भण्डारण अनुज्ञप्ति क्षेत्र में स्थापित किया गया है। जिलावार, विकासखण्डवार जानकारी "संलग्न परिशिष्ट 1<sup>4</sup> प्रपत्र-अ" अनुसार है।(ख)क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल जिला दुर्ग द्वारा क्रेशर प्लांट में प्रदूषण की रोकथाम हेतु वाॅयब्रेटरी स्क्रीन को जी.आई. शीट से कवर्ड किया जाना तथा फ्यूजिटिव उन्सजन के नियंत्रण हेतु जल छिडकाव की व्यवस्था किया जाना आवश्यक बताया गया है। क्रेशर प्लांट के निरीक्षण की जानकारी "संलग्न प्रपत्र-ब" अनुसार है। निरीक्षण में कोई अनियमितता न पाये जाने के फलस्वरूप की गई कार्यवाही की जानकारी निरंक है।

श्री भोलाराम साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे अविभाजित राजनांदगांव जिले में वर्तमान में कहां-कहां क्रेशर प्लांट, किन-किन नाम व फर्म के नाम से संचालित है? जिलेवार, विकासखण्डवार जानकारी दिये हैं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पर्यावरण एजेंसी किस आधार पर जारी

<sup>4</sup> परिशिष्ट "छः"

किया जाता है और अगर पर्यावरण का पालन नहीं कर रहे हैं तो उस क्रेशर प्लांट वाले के ऊपर क्या कार्रवाई कर रहे हैं? जांच करायेंगे क्या? यह बता दीजिए।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :- एक बार फिर से प्रश्न रिपीट कर दीजिए।

श्री भोलाराम साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से राजनांदगांव जिले के क्रेशर प्लांट के बारे में पूछा था। पर्यावरण एन.ओ.सी. किस आधार पर जारी किया जाता है? अगर पर्यावरण का पालन नहीं करते तो क्या उस फर्म के क्रेशर वाले के ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे? जांच करायेंगे क्या? यह बता दीजिए।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्यावरण अनुमति पूरी प्रक्रिया के तहत उसके फील्ड में माइनिंग वाले जाते हैं। environment के अधिकारी भी आते हैं। उसकी पूरी रिपोर्ट जाती है फिर जारी होती है और जनरली जो क्रेशर में है कव्हर करने का रहता है जी.आई. शीट से और उसमें पानी का फव्वारा रहता है। पौधे लगाने का रहता है। अगर जो नियम पालन नहीं करता है तो उस पर हम कार्रवाई करते हैं और उसके जो पर्यावरण लाइसेंस हैं और उनके माइनिंग लीज को भी निरस्त करते हैं।

श्री भोलाराम साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाना आवश्यक है? अगर जल छिड़काव नहीं किया जाता है तो इस पर क्या कार्रवाई करायेंगे? या जांच करायेंगे क्या? यह बता दीजिए।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- हां, बिल्कुल अगर ऐसा आपका लग रहा है कि नियम का पालन नहीं हो रहा है तो मुझे दे दीजिएगा। हम बिल्कुल उसे दिखवायेंगे।

श्री भोलाराम साहू :- ऐसा किसी क्रेशर प्लांट में किया नहीं जा रहा है। क्या आप जांच करायेंगे क्या ? यह बता दीजिए।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल, समय-समय पर यह प्रक्रिया है। विभाग बराबर जाता है और जांच करता है। जो नियमों का पालन नहीं करते हैं, उसके ऊपर कार्रवाई होती है।

श्री भोलाराम साहू :- अभी तक एक भी किसी क्रेशर प्लांट के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्रेशर प्लांट को जितनी शासकीय भूमि आवंटित की गई है, उससे कई गुना ज्यादा क्षेत्र में उत्खनन किया जा रहा है। क्या इसमें जांच या कार्रवाई करेंगे क्या?

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल समाप्त ।

(प्रश्नकाल समाप्त)

समय

12.00 बजे

### पृच्छा

अध्यक्ष महोदय :- शून्यकाल की सूचना कुछ हो तो ।

श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े (सारंगढ़) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूँ कि ।

अध्यक्ष महोदय :- थोड़ा ज़ोर से बोलिए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- विपक्ष की उपस्थिति रहेगी तब तो शून्यकाल चलेगा अध्यक्ष महोदय । विचारशून्य विपक्ष क्या शून्यकाल चलाएगा ?

श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े :- अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सहकारिता मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूँ कि सी.जी.एस. छत्तीसगढ़ सहकारिता भर्ती परीक्षा 2023 में सहकारिता प्रबंधक, फीडर प्रबंधक, उप प्रबंधक जैसे 400 पदों पर भर्ती परीक्षा परिणाम 84 दिनों के पश्चात भी नियुक्ति की कार्यवाही अब तक क्यों नहीं हो पा रही है ? जबकि अन्य भर्ती परीक्षा नियम से हो रही हैं । कब तक भर्ती परीक्षा की कार्यवाही पूर्ण हो पाएगी। समय सीमा बताने का कष्ट करेंगे ?

श्री विक्रम मंडावी (बीजापुर) :- अध्यक्ष महोदय, सरकार बने हुए 3 महीने हो रहे हैं और तीन महीने में पूरे प्रदेश में घटनाएं बढ़ रही हैं, हत्याएं हो रही हैं । मैं बस्तर की बात करूँ तो पिछले तीन महीने से बस्तर में नक्सली घटनाएं बढ़ रही हैं । दोनों ओर से आदिवासी मारे जा रहे हैं । बस्तर में भय का माहौल है । पूरे कवर्धा जिले में लगातार हत्याएं हो रही हैं, बैगा आदिवासी मारे जा रहे हैं । कल की घटना है विधान सभा थाना अंतर्गत में ही एक व्यक्ति ने पिस्टल से दूसरे व्यक्ति को मारा है और वह पिस्टल उत्तर प्रदेश से आ रही है । इस प्रकार से पूरे प्रदेश में लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं । इस पर गृहमंत्री जी तत्काल वक्तव्य दें । इन घटनाओं पर चर्चा होनी चाहिए ।

श्री उमेश पटेल (खरसिया) :- अध्यक्ष महोदय, हमने पुलिस व्यवस्था को लेकर स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है । पिछले 2 महीने में जिस तरह से घटनाएं देखने को मिली हैं । गृहमंत्री जी के स्वयं के जिले में, आप भी उस जिले से आते हैं । लगातार मर्डर की घटनाएं देखने को मिल रही हैं । विधान सभा का थाना अंतर्गत घटना देखने को मिली है । जनकराम ध्रुव जी के क्षेत्र में दो अपहरण की घटनाएं सामने आई हैं । प्रतापपुर विधायक जी के क्षेत्र में भी कल एक अपहरण की घटना सामने आई और बच्चे की बहुत बुरी तरीके से हत्या कर दी गई है । इस तरह से तमाम घटनाएं अभी इस विधान सभा के अंदर सभी विधायकों ने उठाई हैं । अध्यक्ष महोदय, हमने कानून व्यवस्था की स्थिति पर स्थगन का प्रस्ताव दिया है । आपसे निवेदन है कि इस पर चर्चा कराएं, हम सारे विषय को लेकर आना चाहते हैं । आप इसको जरूर ग्राह्य करेंगे ।

श्री कवासी लखमा (कोंटा) :- माननीय अध्यक्ष जी, सरकार बदलने के बाद लगभग ढाई महीना होने जा रहा है। बस्तर की यह हालत है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में दुलोड़ी गांव, चिंतागुफा थाने के बाजू में, 22 तारीख को 2 आदमियों का मर्डर किया गया, जब्बागट्टा में 2 आदमियों का रात को मर्डर किया गया। लगातार जेल ले जा रहे हैं, 3-4 लड़के घूम रहे हैं तो उनको जेल भेजा जा रहा है। बीजापुर में, दंतेवाड़ा में, सुकमा में, नारायणपुर में दुर्ग का एक मुसलमान लड़का वहां घूम रहा था। नलजल मिशन में डैली वेजेस में काम कर रहा था, उसको बाजार में काटा गया। हम वही बात कर रहे थे कि बस्तर में 5 सालों में, ऐसी बात नहीं है कि हमारी सरकार के कार्यकाल में घटना नहीं हुई। उस समय में सिलगोर और टेकलगुड़ा में घटना हुई थी। लेकिन इस तरह की लगातार घटनाएं होना, लगातार गाड़ियां जलाना। कोंटा से सुकमा रोड में 5-8 साल में रोड काटना बंद हुआ था। अभी दिन दहाड़े वहां बसें जल रही हैं। लोग हाट-बाजार में जाने से डर रहे हैं। जो 15 सालों में 700 लोगों का गांव चालू हुआ था, उन लोगों द्वारा तेलंगाना में पलायन किया गया है। इसलिए हम लोग हमारे बस्तर के विधायक लखेश्वर बघेल और विक्रम मंडावी ने ध्यानाकर्षण लगाया है, उस ध्यानाकर्षण को स्वीकार करिए। हम इसमें विस्तृत जानकारी देंगे। उस समय भी घटनाएं होती थी, कोई भी घटना छोटी नहीं है। जब आम्रपाली, बीजापुर, में घटना होती थी तो बीजेपी के नेता लोग बड़ी-बड़ी बात कर रहे थे। हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता को मार दिए, कांग्रेस के लोग मरवा दिए, अब कौन मरवा रहा है। उस समय हम लोग भी खड़े होकर बोलते थे, मैं मंत्री रहकर बोलता था कि नक्सलाईड किसी पार्टी के नहीं होते। किसी समाज के नहीं होते, उनको जिसको मारना है, वे मारते ही हैं। उसके बाद भी एक आदमी नहीं सुनता था। कभी तोंगापाल बीच रोड में मोटर सायकल से गिर गया, उसमें भी बड़ी-बड़ी बात हुई कि तोंगापाल में नक्सलाईड कांटर चला गया। अभी दौड़ी, जपरकट्टा में कांटर जा रहा है तो कौन जा रहा है? अध्यक्ष महोदय, उसके साथ-साथ हम लोगों ने स्थगन भी लगाया है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए हो गया। हां ठीक है, आपने बोल दिया।

श्री कवासी लखमा :- अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। स्थगन में एक दो लाईन बोल रहा हूं। अभी युवा मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री हैं, उस जिला में क्या हो गया? 7-7 मर्डर हो गया, घर में जाकर मर्डर हो गया।

श्री अजय चंद्राकर :- दादी, जोर-जोर से मत बोलिए, आराम से बोलिए।

श्री कवासी लखमा :- अभी रोड में मर्डर हो गया, विधान सभा क्षेत्र के अंदर मर्डर हो गया। गोली मारकर चला जा रहा है। आपकी बारी में आप बोलिए। अध्यक्ष जी, इस बारे में हम लोगों ने सुरक्षा की मांग की है। किसी भी प्रदेश में, देश में, सुरक्षा सबसे बड़ी चीज है। आदमी जिंदा रहेगा तो गोदी खोदेगा, ड्राइविंग करेगा, जीयेगा लेकिन अगर आदमी जिंदा नहीं रहेगा तो कुछ नहीं होगा। न दुर्ग सुरक्षित है, न

रायपुर सुरक्षित है, न बस्तर सुरक्षित है, न सरगुजा सुरक्षित है, कहीं भी सुरक्षित नहीं है। अध्यक्ष जी, यह गंभीर मामला है, हमारा जो स्थगन है, उसको ग्राह्य किया जाए।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है, आप बैठ जाईए।

श्री कवासी लखमा :- इसमें हम लोग गंभीरता से बात करेंगे। जान है तो जहांन हैं। जान रहेगी तो कैसे भी करके जीयेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- आप बहुत धीरे-धीरे बोलिए।

श्री कवासी लखमा :- अध्यक्ष महोदय, मेरी इच्छा भी नहीं है। मैं इसी बात को बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

अध्यक्ष महोदय :- आप बैठ जाईए। बहुत गंभीर है और लोग बोल रहे हैं।

श्री कवासी लखमा :- अध्यक्ष महोदय, बहुत गंभीर मामला है। व्यापारी हाट बाजार जा रहे हैं, मैं मुर्गा बाजार जाने वाला हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट बोलकर समाप्त कर रहा हूं। बीजापुर में जवान लड़का बाजार में नहीं निकल रहा है, आंध्रप्रदेश भाग गए, सुकमा के लड़के भाग गये, उधर मार भी रहे हैं और इधर जेल भी भेज रहे हैं। 3 महीने में 200 आदमी जेल गये हैं, नारायणपुर में जाकर मुख्यमंत्री जी ने जानकारी दी है। कहीं से 10 लड़के, दंतेवाड़ा से 5 लड़के जेल जा रहे हैं। दोनों तरफ से लगातार आदिवासी लोग पीसा जा रहा है। जेल जा रहे हैं, मर रहे हैं, आदमी कैसे जीयेगा। अध्यक्ष महोदय, इसलिए आपके माध्यम से इसको ग्राह्य किया जाए और गंभीरता से चर्चा की जाए। इसको रोकने का प्रयास जरूर करना चाहिए। डबल इंजन की सरकार है, हमारे गृह मंत्री जी कभी-कभी नगरनार का मजा लेने आते हैं। क्या यह उनको नहीं देख रहे हैं ? डबल इंजन सरकार आने के बाद डबल-डबल मारना है क्या ? पहले तो सिंगल इंजन की सरकार थी। अभी डबल इंजन में डबल मारने से कैसे होगा। सबको वोट दिए, आप लोगों को भी वोट दिए। बस्तर में ये करेंगे, वो करेंगे बोलते थे। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- दादी हो गया।

श्री लालजीत सिंह राठिया (धरमजयगढ़) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है ? अपहरण, मर्डर, की घटनाएं लगातार हो रही है, छत्तीसगढ़ में अशांति फैलती जा रही है। हम लोगों ने स्थगन दिया है। बस्तर क्षेत्र के लिए दादी ने स्थगन दिया है, वहां आदिवासी लोगों को बिना मतलब के मुठभेड़ में टारगेट बनाकर मारा जा रहा है, हत्याएं हो रही है। हमारे बस्तर, सरगुजा चारों दिशा में अशांति फैली हुई है। हमने स्थगन लाया है, इस पर चर्चा कराई जाए।

श्री ब्यास कश्यप (जांजगीर चांपा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने क्षेत्र की बात रखना चाहता हूं। मध्य भारत पेपर मिल का मालिक चितलांगिया, कलकत्ता निवासी मिल बंद कर भूमिगत है। जांजगीर चांपा के क्षेत्रवासी करोड़ों की देनदारी पाने भटक रहे हैं। 1982 से बिरगहनी गांव में मध्य भारत पेपर मिल लिमिटेड 40 साल तक चलने के बाद बंद कर दिया गया है। बंद होने से कामगार बेरोजगार

हो गये हैं, किसानों का पैरा भी जो बिकता था, वह बंद हो गया है। कम्पनी मालिक द्वारा मिल को हाजी अनवर को बिक्री कर दिया गया है। पेपर मिल में 100 एकड़ की सरकारी जमीन भी है और मालिक एवं खरीददार की वादाखिलाफी करते हुए अब तक स्थानीय बेरोजगार, व्यापारियों, श्रमिकों एवं शासकीय देनदारी का भी भुगतान बकाया है। उनको न्याय मिलना चाहिए।

श्रीमती अनिला भेंडिया (डौंडीलोहारा) :- अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में पुलिस व्यवस्था चरमरा गई है। आज कहीं पर भी मर्डर करके झोपड़ी में जला रहे हैं, कहीं मर्डर करके कमरे में बंद कर रहे हैं, चाहे बस्तर की बात करें या सरगुजा की बात करें। कहीं पर भी बच्चों के अपहरण हो रहे हैं, कहीं बच्चियां स्कूलों में आत्महत्या कर रही हैं। इस तरह का माहौल पूरे छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। इसलिए हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि हमने जो स्थगन लाया है, उसमें काम रोककर चर्चा कराई जाये।

श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी (भानुप्रतापपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ में लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं और खासकर हमारे बस्तर संभाग में ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं, जिसके कारण नागरिकों में बहुत रोष है और पूरे जिले में भय और असुरक्षा का वातावरण बना हुआ है। यह गंभीर मामला है। सदन में इस पर चर्चा कराई जानी चाहिए।

श्री कुंवर सिंह निषाद (गुण्डरदेही) :- अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी का अमृतकाल अब लोगों के लिए महाकाल बन रहा है, विषकाल बन रहा है। राज्य में कानून व्यवस्था लगातार गिर रही है। हत्या, बलात्कार, लूट की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, उससे पूरे प्रदेश में असुरक्षा एवं भय का माहौल व्याप्त है। हमने इस बात को लेकर सदन में स्थगन लाया है। इसे स्वीकार कर चर्चा कराई जाये।

श्री रिकेश सेन (वैशाली नगर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक गंभीर विषय की ओर मैं आपका ध्यानाकर्षित कराना चाहता हूं। वैशाली नगर की एक बेटी है-सौम्या। सौम्या सलूजा की शादी बसना में हुई थी। बसना में उस बच्ची की हत्या कर दी जाती है (विपक्ष के द्वारा शेम-शेम की आवाज) यह आपके शासनकाल की बात है, वह मैं आपको बता रहा हूं। उसकी हत्या की जाती है, उसके बाद उसे आत्महत्या में तब्दील कर दिया जाता है। जब डी.जी. महोदय ने संबंधित अधिकारी की शिकायत की जाती है तो उसके बाद उसकी जांच कमेटी बनती है, जिसमें एडिशनल एस.पी. को जांच के लिए नियुक्त किया जाता है।

अध्यक्ष महोदय :- आपने कोई सूचना दी है क्या ?

श्री रिकेश सेन :- मैंने विधान सभा में सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय :- आपने प्रश्न लगाया है, ध्यानाकर्षण लगाया है, क्या लगाया है ?

श्री रिकेश सेन :- मैं शून्यकाल में बोल रहा हूं। मैंने सूचना दे दी है।

अध्यक्ष महोदय :- आप बैठिए।

श्रीमती भावना बोहरा (पण्डरिया) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पण्डरिया विधान सभा क्षेत्र के नेशनल हाईवे 130 (ए) का मामला है, यह पोड़ी, पाण्डातराई और पण्डरिया स्थित है और इसमें पिछले एक साल से कार्य चल रहे हैं। इसमें स्थानीय लोगों के द्वारा लगातार अनियमितता की शिकायत की जा रही है। जो गन्ने की गाड़ियां चल रही हैं, वह गाड़ियां लगातार पलट रही हैं, बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं और जो नेशनल हाईवे के जो अधिकारी हैं, उनसे अधिकारियों ने सम्पर्क किया, मैंने स्वतः भी उनसे सम्पर्क किया, लेकिन इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। समय से अधिक अवधि हो गई है, भुगतान लगातार हो रहा है और जो ठेकेदार है, न सिर्फ उसका इस नेशनल हाईवे पर, बल्कि छत्तीसगढ़ में जितने भी काम चल रहे हैं, वह सब काम इसी तरीके से हैं। निवेदन है कि इसमें जांच कमेटी बिठाई जाये क्योंकि संबंधित अधिकारियों की संलिप्तता इसमें दिखाई दे रही है।

श्री धरम लाल कौशिक (बिल्हा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बालको संयंत्र के द्वारा लगातार औद्योगिक सुरक्षा, श्रम एवं पर्यावरण के नियमों का घोर उल्लंघन किया जा रहा है, जिसके कारण कोरबा क्षेत्र में लगातार स्वास्थ्यगत समस्या बढ़ रही है। इसी सत्र में एक प्रश्न लगाया गया था, जिसमें 2022 से 23 तक 52 लाख मीट्रिक टन के फलाई ऐश के उत्सर्जन का मामला है। वहां पर इस बात को लेकर लोगों में आक्रोश है कि जो बताई जा रही है कि हमने इतना किया है और जहां पर किया गया है, उस स्थान को देख रहे हैं तो संभव नहीं है। मैंने इसमें ध्यानाकर्षण दिया है। आप कल इसको स्वीकार कर लें तो आपकी कृपा होगी।

श्री गजेन्द्र यादव (दुर्ग शहर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ सरकार के विभिन्न योजनाओं के तहत छत्तीसगढ़ के अलग-अलग शहरों में जैसे दुर्ग में विभिन्न मदरसा संचालित हो रहे हैं। मदरसा में हम लोगों को किसी प्रकार का कोई प्रवेश नहीं है और वहाँ यह देखने में आ रहा है कि मदरसा की आड़ में कोई पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखण्ड, बिहार के बच्चे हैं, ऐसा बताया जाता है। उसमें जांच होनी चाहिए कि वह बच्चे कहां के हैं? कहीं मदरसे की आड़ में विदेशों से बच्चे तो नहीं लाये जा रहे हैं। उसमें जांच हो, यह मैं आपसे मांग करता हूं।

श्री द्वारिकाधीश यादव (खल्लारी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम निवेदन कर रहा हूं कि पहले देश में छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा के रूप में जाना जाता था। इस दो महीने में छत्तीसगढ़ को दिल्ली में भी अब अपराध के गढ़ के रूप में जाना जा रहा है। राजधानी भी सुरक्षित नहीं है। बस्तर सुरक्षित नहीं है और कवर्धा तो हर महीने में, अब वहां की स्थिति यह हो गई है कि सुबह अखबार उठायेंगे तो अखबार का आधा समाचार केवल अपराध से भरा रहता है। पत्रकारों को भी असुविधा हो रही है कि अन्य समाचारों को कहां जगह दें। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन 10-20, 50 गैर जमानती अपराध ना हो रहे हों। अगर समय रहते सदन में इस पर चर्चा नहीं हुई, चिंता नहीं की गई तो

ऐसा ना हो कि यह धान का कटोरा छत्तीसगढ़ में गैर जमानती अपराध मिनटों में हो। अगर छत्तीसगढ़ को बचाना है तो इस पर चर्चा होनी चाहिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- तै (श्री भोलाराम साहू, सदस्य) तो सेटिंग वाला आदमी अस भईया ।

श्री भोलाराम साहू (खुज्जी) :- जल्दी सेटिंग कर लिए रहथे तो ये डहार बैठे के स्थिति नइ आय रहतीस, ओ डहार आय रहतीस। (हंसी) आप सेटिंग मा देरी कर देव। अभी भी एक ठन हावय। अभी भी सेटिंग कर लेवा तो आप ओ डहार चल देहा ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों का जनजीवन भयभीतमय है, पूरे आदमी भयभीत हैं। कवर्धा में लगातार घटनाएं हो रही हैं। सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि छुरिया बाजार से चिचोला जाने वाले रास्ते में एक सब्जी बेचने वाले को चाकू मार दिया गया। यह भयंकर गंभीर हादसा है। वह मोटर सायकल में अपने दामाद के साथ जा रही थी। मिर्ची छींचकर (डालकर) लूटने का प्रयास किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा जो स्थगन है, उस पर चर्चा कराई जाये। क्योंकि यह प्रदेश का मामला है।

श्री लखेश्वर बघेल (बस्तर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब से डबल इंजन की सरकार आई है, तब से बस्तर में चाहे नक्सली घटना हो, हत्या हो, वहां कई प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। हम लोगों ने इसके सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण दिया है। इसे ग्राह्य करके चर्चा कराईये।

श्री इन्द्रशाह मण्डावी (मोहला मानपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज अपराध पूरे प्रदेश में विकराल रूप लेते जा रहा है। अभी कोयलीबेड़ा में नक्सली के नाम से वहां के ग्रामीणों को मार दिया गया। वह जंगल में पान तोड़ने के लिए, रस्सी लेने के लिए गये थे। उनको जंगल में जाना ही पड़ता है। वहां उनको मारकर नक्सली का रूप दिया गया है। वैसे ही हमारे मोहला में 3 नक्सलियों ने आत्म समर्पण किया है, वहां से भरमार मात्रा में बंदूक बस में लाया सकता है ऐसा सोच सकते हैं, वहां पर भारी मात्रा बंदूक लेकर आये और मोहला में समर्पण करवाया गया। पुलिस वालों के द्वारा इस तरह का ऐसा नकली उदाहरण दिया जा रहा है। वैसे ही कवर्धा में भी लगातार बैगा आदिवासियों के साथ ऐसा किया जा रहा है। हम लोगों ने जो स्थगन प्रस्ताव लाया है, उसको ग्राह्य कर उस पर चर्चा करवायें।

श्रीमती संगीता सिन्हा (संजारी बालोद) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य की बात करूं, संभाग की बात करूं या जिले की बात करूं, सभी जगह दहशत का माहौल है।

श्री अजय चन्द्राकर :- या बालोद की बात है ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- मैं बालोद की जिले की बात कर देती हूं।

श्री सुशांत शुक्ला (बेलतरा) :- अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि हमारे विपक्ष के साथियों का स्मरण भ्रम हो गया है। वे अपने कार्यकाल को याद करके स्थगन प्रस्ताव लाये हैं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, जब से छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार आई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, बच्चियां सुरक्षित नहीं है। अभी चन्द्राकर जी ने बालोद जिले की बात की, मैं वाकड़ में बालोद विधानसभा क्षेत्र की बात करूंगी। अभी वहां पर दो महीने में 4-4 रेप की घटनाएं हुई हैं, यह रिकार्ड हो गया है। अध्यक्ष महोदय जी, प्रदेश सुरक्षित नहीं है। चाहे एकसीडेंट का मामला हो, उस दिन गुण्डरदेही में दो बच्चे प्रवेश पत्र लेने जा रहे थे, उसको रेत दिया गया। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। आप पूरी व्यवस्था को संभालिये। हमने जो स्थगन लाया है, उसको ग्राह्य कर चर्चा करायें।

श्री अटल श्रीवास्तव (कोटा) माननीय अध्यक्ष महोदय, कानून व्यवस्था को लेकर स्थगन दिया गया है। कल बिलासपुर की घटना है। सिरगिट्टी थाने में एक महिला ने थाने के अंदर जहर पीकर आत्महत्या कर ली। रतनपुर जो महामाया की नगरी है, वहां पर कका आश्रम के नीचे, जहां साधु-संत रहते हैं, उन पर प्राण घातक हमला हुआ है। इस तरह कानून की स्थिति है। अध्यक्ष महोदय, जब साधु सुरक्षित नहीं है तो कौन सुरक्षित रहेगा ? अध्यक्ष महोदय, स्थगन आना चाहिये और इसे ग्राह्य किया जाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय :- श्रीमती यशोदा नीलाम्बर वर्मा ।

श्रीमती यशोदा नीलाम्बर वर्मा (खैरागढ़) :-माननीय अध्यक्ष महोदय, जब से छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार बनी है, तब से अपराध भी डबल हो गया है, चाहे वह कवर्धा का हो, साधराम यादव के हत्या का मामला हो, कबीरधाम जिले में बैगा आदिवासी के रूप में 3-3 लोगों की वहां हत्या हो गयी है, पुलिस प्रशासन के द्वारा इसे आत्महत्या का रूप दिया जा रहा है । यहां तक कि मंत्री के बंगले में भी पुलिस की हत्या हुई है और उसे आत्महत्या बताया जा रहा है । पुलिस विभाग अपराधियों को लगातार पकड़ने में नाकामयाब हैं और इसे रोक नहीं पा रही है । हत्या की घटनायें लगातार बढ़ती जा रही है । अध्यक्ष महोदय, मैं चाहती हूँ कि इस कार्यवाही को रोककर इस अति संवेदनशील विषय पर स्थगन के माध्यम से चर्चा कराई जाये ।

अध्यक्ष महोदय :- रामकुमार जी, बोलिये ।

श्री रामकुमार यादव (चन्द्रपुर) :- अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ में हम अपराध के बात करन त देश म एला शांति के टापू कहे जाय । अगर कोई व्यक्ति ला शांति से जीना रहाय...।

श्री रामकुमार यादव :- रामकुमार जी, शांति के टापू में लेव्ही वसूली मान्य है ?

श्री रामकुमार यादव :- बैठव, थोड़न थिरावव, थिरावव त पहले । देश म कोई नौकरी करय, वोखर पोस्टिंग छत्तीसगढ़ होवय, वोहा इन्हें रहि जाय । अपन घर परिवार ला कहय कि इंहा कस शांति असन जगह नइ ए । अध्यक्ष जी, हम आपके समय भी जानथन । जैसे ही सरकार परिवर्तन होय हे, इंहा के मरडर करे के तरीका बदल गो हे । फिल्म म जो देखन, गला रेतके तड़पा-तड़पा के मारना, आदमी ला

घर में आगी लगा के खत्म कर देना, अइसना घटना छत्तीसगढ़ में पहली कभु नई होय हे । मैं आपके माध्यम से कहना चाहथं कि जान हे त जहान हे, अगर आदमी च नई रही त रोड ला काखर बन बनाहव । अगर आदमी च नई रही त इंदिरा आवास ला काखर बन बनाहव, मोर आपसे प्रार्थना हे, आदमी ला सुरक्षित करना चाही, जियो और जीने दो ।

श्री धर्मजीत सिंह :- तैं सुरक्षित हस कि नइ येला तैं पहली बता ? तैं सुरक्षित हस ना ?

श्री रामकुमार यादव :- एखर रिस हा, कब हमर ऊपर उतर जाही । कोन जनी ददा ? चन्द्राकर जी के रिस हा ?

अध्यक्ष महोदय :- चन्द्राकर को तुमसे कुछ खतरा है ?

श्री रामकुमार यादव :- बहुत खतरा है साहब । देखथं त डर लागथे ।

श्री धर्मजीत सिंह :- जतका अशांति वाले हे वो सब जेल के अंदर हे । वो सब ला ठीक कर दे जाहय, बुलडोजर बर बता तो दिये हन । चलाहय थोड़ा रूकौ तो ?

श्री रामकुमार यादव :- कोन मरडर करथे, तेला त पकड़व । बाद में बुलडोजर चला ही ।

श्री अटल श्रीवास्तव :- हमर रामकुमार जी के घरेलू हिंसा के प्राब्लम नई आही, काबर कि वोखर शादी नई होय हे ?

अध्यक्ष महोदय :- आप बोल चुके हैं, अब दोबारा खड़े मत होइये ।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल (डोंगरगढ़) :- अध्यक्ष महोदय, जिला कवर्धा पुलिस अधीक्षक कार्यालय से सिर्फ 100 कदम पर एक महिला और उसकी बेटी की हत्या करके कमरे में बंद कर दिया गया, उसकी कोई जानकारी ही नहीं है । पुलिस थाने के आसपास इतनी घटनायें हो रही हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ है । इतना सारा केस जो हमारे छत्तीसगढ़ में आ रहा है, यह सोचने वाली बात है । इस पर स्थगन आना चाहिये, यह आपसे निवेदन है ।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय महंत जी ।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ.चरणदास महंत) :- अध्यक्ष महोदय, पूरे सदन को, खासकर विपक्ष के सदस्यों को, इस बात की चिंता है कि माननीय नरेन्द्र मोदी जी के द्वारा घोषित अमृत काल में और यहां घोषित उनकी गारण्टी में सरकार बनने के बाद किस तरह की बातें सामने आ रही हैं ? कबीरधाम, यह आपका ही जिला है, कबीरधाम गृह मंत्री जी का जिला है, वहां पर 6-6 हत्यायें हो चुकी हैं, साधराम यादव की हत्या हो गयी, आदिवासी की हत्या हो गयी, अभी और आया है कि मदर और उसकी पुत्री की हत्या हो गयी, इसमें पुलिस विभाग पूरी तरह से शांत है, जांच नहीं कर रही है, यह तो आपके जिले में हो रहा है । जब गृह मंत्री के जिले में ऐसी वारदातें हो रही हो, अध्यक्ष महोदय का जिला अशांत हो, उसका भय पूरे प्रदेश में व्याप्त होना स्वाभाविक है । दूसरा, बस्तर की हालत आपने लखमा जी से सुन लिया, आज भय का वातावरण इतना अधिक है कि हमारे बच्चे भाग-भाग कर दूसरे प्रदेशों में जाकर बचने की

कोशिश कर रहे हैं। कल की घटना आपने सुनी है या नहीं सुनी है, यह पता नहीं। प्रतापपुर में मुझे खुद ही पुलिस वालों का फोन आया था कि किसी तरह से सहयोग करिये। एक पड़ोसी आदमी बच्चे को गबन कर लेता है और कुछ दिन बाद उसकी हत्या कर देता है। मनेन्द्रगढ़ में कल की घटना है कि दो लोग स्कूटर में बैठकर गये और महिला से पानी मांगे और जब महिला ने उनको पानी लाकर दिया तो उस महिला को गोली मार दिये। अब मनेन्द्रगढ़ में गोली चल रही है। अभी विधान सभा का सत्र चल रहा है और हमारे विधान सभा के थाना के अंतर्गत गोली चल रही है। इसी तरीके से जैसे अभी आपको हमारे सदस्य, अटल जी ने बताया कि साधु संत भी सुरक्षित नहीं है। अभी राजिम मेला चल रहा है। यहां साधु लोग आवागमन कर रहे हैं और उन पर चाकूबाजी और दूसरी तरह की घटनाएं हो रही हैं। यदि थाना के अंदर महिला जहर पीने की कोशिश कर रही है तो आपने यह कैसा वातावरण निर्मित किया है ? हम लोगों ने आपको इसी से संबंधित एक ध्यानाकर्षण दिया है। मेरा निवेदन है कि आप उस ध्यानाकर्षण को स्वीकार कर लें, ताकि हम लोग उसमें विस्तृत चर्चा कर सकें। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- सभी सम्माननीय सदस्यों की बात सुनने के बाद मुझे लगता है कि जो स्थगन प्रस्ताव आपने दिया है। सबसे पहला तो एक से अधिक विषयों की सूचना उसमें समाहित है। दूसरा,

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय :- अब मैं व्यवस्था दे दूँ फिर आप बोलियेगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने तो ध्यानाकर्षण कहा है और बाकी लोगों ने स्थगन कहा है। उन्होंने क्या दिया है, यह समझ में नहीं आ रहा है।

श्री विक्रम मंडावी :- वह स्थगन बोले हैं। सभी ने स्थगन बोला है।

श्री कवासी लखमा :- अध्यक्ष महोदय, हमने स्थगन भी दिया है और ध्यानाकर्षण भी दिया है।

डॉ. चरणदास महंत :- अध्यक्ष महोदय, मुझे क्षमा करिये। चन्द्राकर जी को कष्ट हो रहा है और चन्द्राकर जी का ध्यानाकर्षण है कि प्रदेश में लापता लोगों की संख्या में निरंतर वृद्धि होने की ओर उप मुख्यमंत्री (गृह) का ध्यान आकर्षिक करेंगे। यह तो आपने दिया है न ?

श्री अजय चन्द्राकर :- लेकिन आप शून्यकाल में जो विषय उठा रहे थे, आपने उस स्थगन को ध्यानाकर्षण कहा और आपके सदस्यों ने स्थगन कहा।

डॉ. चरणदास महंत :- आप स्वयं उस बात से व्यथित है।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने यह कहा कि आपने दोनों में से क्या नोटिस दिया है, जिसमें व्यवस्था आयेगी ?

डॉ. चरणदास महंत :- यह आपकी, भारतीय जनता पार्टी की, विष्णुदेव साय जी की और मोदी जी की गारंटी की सरकार है, उसके बाद भी आप खुश नहीं है। आपको क्या तकलीफ है ? आप क्यों बार-बार हमारे सदस्यों को परेशान करते रहते हैं ?

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, अभी हस्तक्षेप मत करिये।

### अध्यक्षीय व्यवस्था

अध्यक्ष महोदय :- सभी सम्माननीय सदस्यों की बात सुनने के बाद मुझे लगता है कि जो स्थगन प्रस्ताव आपने दिया है। सबसे पहला तो एक से अधिक विषयों की सूचना उसमें समाहित है। दूसरा, प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव के विषयों पर पूर्व में सदन में चर्चा हो चुकी है। इस विषय पर शासन का वक्तव्य आ चुका है। एक बार सभा में जब विषय पर चर्चा हो चुकी है, फिर उस विषय पर स्थगन के रूप में चर्चा नहीं की जा सकती। इसलिये विचार के उपरांत मैंने आपके द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव को अग्रहण कर दिया है। (व्यवधान)

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही गंभीर विषय है। (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- अध्यक्ष महोदय, किसी न किसी माध्यम से इसमें चर्चा कराई जाये। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- यह महिलाओं पर अत्याचार का मामला है। (व्यवधान)

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही गंभीर समस्या है। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इसको ग्राह्य करके इसमें चर्चा कराई जाये। यह बहुत ही गंभीर मामला है। यह बच्चों का और महिलाओं का मामला है। (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- अध्यक्ष महोदय, अभी मेला चल रहा है और साधु संत खतरे में हैं। (व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- अध्यक्ष महोदय, इससे महत्वपूर्ण विषय नहीं हो सकता।

श्री कवासी लखमा :- आपकी डबल इंजन की सरकार क्या कर रही है ? (व्यवधान) आपके मोदी की गारंटी किधर है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- दादी, धीरे बोलिये। (व्यवधान)

श्री विक्रम मंडावी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश में जिस तरीके से घटनाएं घट रही है। इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री कवासी लखमा :- छत्तीसगढ़ सुरक्षित नहीं है। यहां न महिला और न ही पुरुष सुरक्षित है। न (व्यवधान) करने वाला व्यक्ति सुरक्षित है। हम ही दोनों तरफ से (व्यवधान)।

श्री उमेश पटेल (खरसिया) :- (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी विधान सभा में इस महत्वपूर्ण विषय को उठाया गया है। चाहे प्रतापपुर का विषय हो, चाहे जनक ध्रुव जी का विषय हो। आपसे निवेदन है कि यदि स्थगन पर चर्चा होगी तो सभी सदस्यों को इस पर चर्चा लेने का मौका मिलेगा। लॉ एंड ऑर्डर का विषय छत्तीसगढ़ सरकार का प्रथम विषय है। इस पर सबको चर्चा करने का अधिकार है परंतु हम आपसे फिर से निवेदन करते हैं कि यह सारे सदस्यों की चिंता का विषय है कि इसमें हर सदस्य, चाहे वह सत्ता पक्ष का हो, चाहे विपक्ष का हो, वह यहां चर्चा करने के उद्देश्य से पहुंचा है। इसलिये आपसे फिर से निवेदन है कि एक बार आप इस स्थगन को ग्राह्य करके इस पर जरूर चर्चा करवायें।

श्री विक्रम मंडावी (बीजापुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश में हर जिले में लगातार जो घटनाएं हो रही हैं। इस विषय पर हमारे सभी सदस्य चिंतित हैं। यह महत्वपूर्ण विषय है और हम सभी चाहते हैं कि हमारे स्थगन पर चर्चा हो ताकि पूरे प्रदेश की जनता को मालूम हो कि यहां की कानून व्यवस्था क्यों फैल है। डबल इंजन की सरकार क्यों फैल है। इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होनी चाहिए।

श्री लखेश्वर बघेल (दंतेवाड़ा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर विषय है और ऐसे विषय पर इस पवित्र सदन में चर्चा नहीं होगी तो कहां होगी ? हमारा आपसे निवेदन है कि इस स्थगन को ग्राह्य करके इस पर चर्चा करायी जाये।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने ही सदन में व्यवस्था के रूप में चर्चा करने की अनुमति दी जाने की स्वीकृति दी थी तो मेरा यह निवेदन है कि इस स्थगन को स्वीकार करके, इस पर जरूर चर्चा करायी जाये। प्रदेश की कानून व्यवस्था का मामला है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह गंभीर विषय है। यह महिलाओं, बच्चियों का मामला है।

### सदन को सूचना

अध्यक्ष महोदय :- आज भोजन की व्यवस्था माननीय रामविचार नेताम, कृषि मंत्री जी की ओर से माननीय सदस्यों के लिए लॉबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिए प्रथम पर की गई है। कृपया सुविधानुसार भोजन ग्रहण करें।

### पृच्छा

श्री कवासी लखमा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है।

अध्यक्ष महोदय :- भईया, दादी आप धीरे बोलिए। आपकी तबियत ठीक नहीं है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप इस स्थगन पर चर्चा की अनुमति दे दीजिए। आप इस स्थगन को ग्राह्य कर दीजिए।

श्री कवासी लखमा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विधान सभा सत्र समाप्त होगा तो हम यह कहां बतायेंगे। 3 महीने तक विधान सभा सत्र नहीं होगा। तब लोक सभा का चुनाव होगा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- दादी आप धीरे बोलिए। आपकी तबियत ठीक नहीं है। आप तो बैठिये। आप बाकी माननीय सदस्यों को बोलने दीजिए।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह लॉ एण्ड ऑर्डर का विषय है। इसमें आप बाहर बात करेंगे तो इस पर सभी माननीय सदस्य चिंता जाहिर करते हैं। मुझे यह लगता है कि इस पर संपूर्ण रूप से चर्चा होती है तो (व्यवधान)...

श्री विक्रम मण्डावी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस स्थगन पर चर्चा होनी चाहिए। (व्यवधान)  
(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा नारे लगाए गए)

अध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित ।

**(12.23 से 12.48 बजे तक कार्यवाही स्थगित रही)**

समय :

12.48 बजे

**(अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए)**

### पृच्छा

श्री उमेश पटेल (खरसिया) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज पूरा प्रदेश एक डर के माहौल में जीवनयापन कर रहा है और खास कर कवर्धा की बात कर रहा हूं। माननीय उप-मुख्यमंत्री, गृह का स्वयं का जिला है और उसे जिले में अगर एक महीने में 4-4 घटनायें हो जाती हैं तो पूरे छत्तीसगढ़ में संदेश जाता है कि छत्तीसगढ़ की कानून-व्यवस्था बिगड़ी हुई है। छत्तीसगढ़ में अगर हम अपने प्रदेशवासियों को यह सुकून, शांति नहीं दे सकते कि वह यहां सुरक्षित हैं तो मुझे लगता है कि यहां हम लोग और कुछ काम नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपसे फिर से एक बार विनती करता हूं कि हमने जो स्थगन दिया है, उस पर एक बार पुनः विचार करते हुए इस पर चर्चा करायें। क्योंकि हमारे बहुत सारे सदस्य अलग-अलग विषयों में इस चर्चा में हिस्सा लेना चाहते हैं। अभी विधायक जी बता रहे थे कि 05 दिन पहले एक बच्ची का अपहरण हो गया। वह इस बात को चर्चा के दौरान रखेंगी। माननीय प्रतापपुर की विधायिका हैं, वह इस बात को रखेंगी। इस तरह से एक वृहद चर्चा होगी। यह विषय कोई आरोप-प्रत्यारोप का नहीं है। लेकिन जो हमारी चिंता है, इस पर हमको चिंतन करने की आवश्यकता है। इसलिए हम आपसे यह निवेदन कर रहे हैं कि हमारी जो चिंता है, इस पर आप चर्चा जरूर करायें।

श्री विक्रम मंडावी (बीजापुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, लगातार पूरे प्रदेश में चाहे वह बस्तर, सरगुजा, बिलासपुर संभाग हो, हर जिले में इस तरह की घटनाओं की लगातार बातें सामने आ रही हैं। उसकी चिंता हम सभी विपक्ष के सदस्य के साथ-साथ, सत्तापक्ष के सदस्य भी कर रहे हैं। सरकार बने हुए 3 महीने हो गये हैं, इन 3 महीने में सरकार ने भी जो बड़ी-बड़ी बातें की, हम जब कहते हैं कि विष्णु देव साय की सरकार है, वह कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है। हम जब फिर डबल इंजन की सरकार बोलते हैं तो वह बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हर बात को वह लगातार घुमा-घुमाकर कह रहे हैं। प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री, गृह के रूप में हमारे युवा साथी विजय शर्मा जी बने हैं। हम सबको उम्मीद थी कि आप शुरूआती तौर पर कहीं न कहीं इन घटनाओं पर अंकुश लगेगा और प्रदेश में घटनाएँ रुकेंगी और कम होंगी, लेकिन वह कम होने के बदले दिनों-दिन बढ़ती ही जा रही है। चाहे हम उनका स्वयं गृह जिला कवर्धा की बात करें, चाहे बस्तर में आदिवासियों की मौत की बात करें, चाहे बस्तर में नक्सली घटनाओं की बात करें, चाहे जवानों की शहादत की बात करें, हर जगह से घटनाओं की खबरें आ रही हैं। अभी तो विधान सभा सत्र चल रहा है और विधान सभा थाना क्षेत्र के अंतर्गत में गोलीबारी होती है। वह पिस्टल उत्तर प्रदेश से आता है। ऐसी घटनाएं लगातार घटित हो रही हैं। हम सभी चिंतित हैं और प्रदेश चिंतित है। इसलिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होनी चाहिए।

श्री द्वारिकाधीश यादव (खल्लारी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही चिंता का विषय है कि देश में छत्तीसगढ़ की साख गिर रही है। एक समय में छत्तीसगढ़ को मजदूरों के पलायन के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब परिस्थिति यह बन रही है कि अगर कानून व्यवस्था यही रही तो यहां के लोग निवास करने के लिए कोई दूसरे प्रांत में जाकर बसेंगे। हम केवल दलगत राजनीति में विरोध नहीं कर रहे हैं बल्कि हम प्रदेश की जनता की सुरक्षा के लिए चिंता कर रहे हैं। जब इसमें चर्चा होगी तो क्षेत्र की जनप्रतिनिधियों के पास में बहुत सारी बातें हैं, जो कानून व्यवस्था को बनाये रखने के लिए कारगर साबित होगी और आरोपियों को कड़ी दण्ड मिलने के लिए जो बहुत सारी बात बतायेंगे, जो विवेचना के दायरे में आयेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम आपसे पुनः निवेदन कर रहे हैं कि आप इसमें ज्यादा से ज्यादा समय देकर चर्चा करायें।

### अध्यक्षीय दीर्घा में अतिथि

#### श्री सुनील कुमार सोनी, सांसद, लोक सभा

अध्यक्ष महोदय :- अध्यक्षीय दीर्घा में रायपुर संसदीय क्षेत्र के लोकसभा के सांसद श्री सुनील कुमार सोनी जी उपस्थित हैं। सदन की ओर से उनका स्वागत है। (मेजों की थपथपाहट)

## पृच्छा

श्री लालजीत सिंह राठिया (धर्मजयगढ़) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी-अभी मेरे यहां से सूचना मिली है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र धर्मजयगढ़ थाने में एक निर्दोष व्यक्ति को पुलिस विभाग द्वारा उठाकर लाया गया और उनको थाने में इतनी बेदर्दी से पीटा गया है कि उसके परिवार के सदस्य लोग उसके ऊपर एफ.आई.आर. दर्ज करने के लिए एस.पी. ऑफिस गये हैं। यह परिस्थिति हो गई है। यहां तक की सत्ता पक्ष के हमारे वरिष्ठ विधायक चन्द्राकर जी ने आपके ध्यानाकर्षण में लाया है कि यहां पर लापता लोगों की वृद्धि हो रही है। आपके सत्तापक्ष के विधायक ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया है। अध्यक्ष महोदय, यह गंभीर विषय है, चिंता का विषय है।

अध्यक्ष महोदय :- मैं माननीय सदस्यगणों को बताना चाहूंगा कि दिनांक 23.02.2024 को बैगा जनजाति की परिवार की हत्या पर शासन का वक्तव्य आ चुका है। शासन के प्रकरण पर भी सदन में चर्चा हो चुकी है। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि आप सहयोग करें। मैंने स्थगन प्रस्ताव को पूर्व में ही अग्रहण कर दिया है। इसलिए अब इस पर चर्चा नहीं होगी। (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सिर्फ बैगा जनजाति का ही विषय नहीं है। हमने पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर स्थगन लगाया है। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय, आपके सत्तापक्ष के विधायक ने दिया है। इसको स्वीकार करके इसमें चर्चा कराई जाये। हम लोगों ने इस विषय पर स्थगन लाया है। (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- अध्यक्ष महोदय, आपसे यह निवेदन है कि आप इसमें किसी न किसी स्वरूप में चर्चा करवा दीजिये। हम लोग चर्चा के लिए तैयार हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में लॉ एंड ऑर्डर के लिए, छत्तीसगढ़ के लोगों को सेम्स ऑफ सेक्युरिटी देने के लिए इसमें चर्चा करवाना पड़ेगा। हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इसमें चर्चा करनी चाहिए। यहां राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप नहीं होनी चाहिए।

(प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा लगातार शासन विरोधी नारे लगाये गये)

श्री अजय चंद्राकर :- धर्मांतरण को बंद करो ।

(प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा लगातार शासन विरोधी नारे लगाये गये)

अध्यक्ष महोदय :- कृपया सहयोग करें । माननीय सदस्यों से आग्रह है कि कृपया सहयोग करें । मैंने पर्याप्त समय दिया है । मैंने आप सभी की बात सुनी है इसलिए कार्यवाही आगे चलने दें ।

(प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा लगातार शासन विरोधी नारे लगाये गये)

अध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही 5 मिनट के लिये स्थगित ।

**(अपराह्न 12.58 से 1.12 बजे तक कार्यवाही स्थगित रही)**

समय :

1.12 बजे

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष तो नदारद है। नेता जी, आपके साथ कोई नहीं है। आप अकेले हैं। बाकी लोग कहां हैं?

श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी :- आ रहे हैं। सब आ रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- आ रहे हैं।

श्री राजेश मूणत :- सब नाश्ता करने गये हैं।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरण दास महंत) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे पक्ष के सभी सदस्यों को बड़ी चिंता है कि छत्तीसगढ़ जो शांति का टापू है, धीरे-धीरे करके दो महीने से कवर्धा जिले से जो रफ्तार पकड़ा है, वह अंबिकापुर पहुंच गया। मनेन्द्रगढ़ पहुंच गया। प्रतापपुर पहुंच गया। बस्तर पहुंच गया और ये हम सबके मन में बहुत ग्लानि है। हमने आपसे प्रार्थना की है, प्रार्थना कर रहे हैं कि इस बात को सुनिए। हम यह नहीं कह रहे हैं कि आप किसी को सजा दीजिए। कम से कम इस प्रदेश में लोग शांति से जीयें, आपकी गारंटी की सरकार है। विष्णु देव की सरकार है तो लोगों को पता चले कि भगवान की सरकार कैसी होती है? यहां तो [xx] नजर आ रही है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय नेता जी, आप लोग एकमत हो जाइए। क्योंकि कोई बोलता है कि स्थगन दिये हैं। कोई बोलता है कि ध्यानाकर्षण दिये हैं।

श्री चरण दास महंत :- हमने ध्यानाकर्षण भी दिया है। हमने स्थगन भी दिया है। यह बात भी सही है दोनों दिये हैं। हमने दोनों दिया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- इसलिए सभी एकमत हो जायें। (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- हमने दोनों दिया है। भैया, आपको क्या दिक्कत है? हमने सारे में दिया है, आपको क्या दिक्कत है?

श्री द्वारिकाधीश यादव :- जिसमें समय देंगे हम उसमें बात करेंगे।

श्री उमेश पटेल :- क्या नियम में है क्या कि ध्यानाकर्षण दिये हैं तो स्थगन में नहीं दे सकते। जब हमने दोनों दिया है तो दोनों का उल्लेख करेंगे।

डॉ. चरण दास महंत :- हमने स्थगन भी दिया है। हमने ध्यानाकर्षण भी दिया है। हमने तरह-तरह के माध्यम से आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारा स्थगन स्वीकार कर लें। हम उस पर चर्चा करें। हम अपनी बात कह सकें। हमारा आपसे इतना ही निवेदन है।

अध्यक्ष महोदय :- मेरा यहां विपक्ष के माननीय नेता प्रतिपक्ष सहित सभी सदस्यों से यह आग्रह है कि सभा की कार्यवाही चलाने में सहयोग करें और कार्यवाही आगे बढ़ने दें।

डॉ. चरण दास महंत :- नहीं-नहीं, चलेंगे सरकार, ऐसा नहीं है। हम आपका पूरा सहयोग करेंगे।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी, हम सहयोग करना चाह रहे हैं, पर जनता की समस्या पर बात होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये हठधर्मिता का परिचय दे रहे हैं। (व्यवधान)

(विपक्ष के सदस्य नारे लगाते हुए गर्भगृह में आए)

(विपक्ष के सदस्यों द्वारा गर्भगृह में रहते हुए निरंतर नारे लगाये गये)

समय

01.15 बजे

### निलम्बन

### गर्भगृह में प्रवेश करने पर स्वमेव निलम्बन

अध्यक्ष महोदय :- विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 के उप नियम (1) के तहत निम्न सदस्य अपना स्थान छोड़कर गर्भगृह में प्रवेश करने के कारण सभा की कार्यवाही से स्वमेव निलंबित हो गए हैं :-

1. नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत),
2. श्री कवासी लखमा,
3. श्रीमती अनिला भेंडिया,
4. श्री उमेश पटेल,
5. श्री लखेश्वर बघेल,
6. श्री लालजीत सिंह राठिया,
7. श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े,
8. श्री दिलीप लहरिया,
9. श्री रामकुमार यादव,
10. श्री द्वारिकाधीश यादव,
11. श्रीमती अंबिका मरकाम,
12. श्रीमती संगीता सिन्हा,
13. श्री कुंवर सिंह निषाद,
14. श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा,
15. श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी,

16. श्री विक्रम मंडावी,
17. श्रीमती विद्यावती सिदार,
18. श्री फूल सिंह राठिया,
19. श्री अटल श्रीवास्तव,
20. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह,
21. बालेश्वर साहू,
22. श्रीमती कविता प्राण लहरे
23. श्री इंद्र साव,
24. श्री संदीप साहू,
25. श्री जनक ध्रुव,
26. श्री ओंकार साहू,
27. श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल।

कृपया निलंबित सदस्य सदन से बाहर जाएं। मैं निलंबन की अवधि पश्चात् निर्धारित करूंगा।  
(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा सरकार विरोधी नारे लगाते हुए सदन से बाहर प्रस्थान किया गया)

### निलंबन समाप्ति की घोषणा

अध्यक्ष महोदय :- प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 के उप नियम (1) के तहत जो माननीय सदस्य अपने स्थान को छोड़कर गर्भगृह में प्रवेश के कारण सभा की कार्यवाही से स्वमेव निलंबित हो गये थे, मैं उनका निलंबन समाप्त करता हूँ।

### अध्यक्षीय व्यवस्था

अध्यक्ष महोदय :- सदन में बातचीत करना सदन की गरिमा के अनुरूप नहीं है। सदन में जिस प्रकार नारेबाजी हुई, वह सदन की गरिमा को कम करता है, कृपया कार्यवाही के संचालन के लिए सहयोग करें। मैंने निलंबन समाप्त किया है, कृपया आकर अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री अजय चंद्राकर जी अपना ध्यानाकर्षण लेंगे।

समय :

1:22 बजे

### ध्यानाकर्षण सूचना

अध्यक्ष महोदय :- सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यानाकर्षण की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलंबनीयता तथा महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के विशेष आग्रह को देखते हुए सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम 138(3) को शिथिल करके मैंने आज की कार्यसूची में तीन ध्यानाकर्षण सूचनाएं शामिल किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है।

मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत है।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गयी)

#### (1) प्रदेश में लापता लोगों की संख्या में निरंतर वृद्धि होना।

श्री अजय चंद्राकर (कुरुद) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण की सूचना इस प्रकार है।

प्रदेश में लापता लोगों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है, जिसमें अधिकांश नाबालिग और लड़कियां हैं, साथ ही बुजुर्ग भी गुमशुदगी में पीछे नहीं हैं। पिछले 33 माह के दौरान लगभग 48,675 लोगों के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है, जबकि यह आंकड़ा और ज्यादा हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग रिपोर्ट ही दर्ज नहीं करवाये हैं। यदि प्रतिमाह का हिसाब लगाया जाये तो औसतन 1354 लोग प्रतिमाह एवं प्रतिदिन के हिसाब से देखें तो 40 से 45 लोग प्रतिदिन लापता हो रहे हैं, जो अत्यंत विचारणीय है। परिवार के सदस्य अपनों की तलाश में दर-दर भटक रहे हैं। इनमें से कईयों ने उम्मीदें खो दी हैं, वहीं कई दूसरे प्रदेशों में अपनों की तलाश कर रहे हैं, यहां तक कि कईयों द्वारा इनाम देने की घोषणा तक की गयी है, इसके बावजूद भी हजारों की संख्या में लोग लापता हैं। सरकार गुमशुदगी की रोकथाम व खोजबीन के संबंध में अब तक कोई ठोस निर्णय या कार्ययोजना नहीं बना सकी है और इसके संबंध में कोई चर्चा तक नहीं करना चाहती है। कई बार इस संबंध में ध्यान आकर्षित करने के बावजूद भी कोई परिणाम हासिल नहीं हुआ है। लापता होने वाले लोगों के परिवार की बात करें तो कई ऐसे भी परिवार हैं, जो लापता को ढूंढने में पूरी जिन्दगी लगा चुके लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला, जिससे पीड़ित परिवार अपने आपको थका-हारा महसूस कर रहे हैं और पीड़ित परिवारों में शासन-प्रशासन के प्रति काफी रोष व आक्रोश व्याप्त है।

उप मुख्यमंत्री (गृह) श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कहना सही नहीं है कि प्रदेश में नाबालिग और लड़कियां एवं बुजुर्ग के लापता होने की संख्या बढ़ रही है। अपितु लापता लोगों

की खोजबीन के लिये प्रदेश में अभियान चलाया जा रहा है तथा मिलने पर उनके परिजनों को वापस सौंपा जा रहा है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार विगत 05 वर्षों में मानव तस्करी में 176 प्रकरणों में 744 बालक/बालिका एवं महिला पुरुष लापता हुए थे, जिनमें से 740 व्यक्तियों को रेस्क्यू किया गया। इन मामलों में 421 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया। मानव तस्करी में लिप्त प्लेसमेंट ऐजेंसी एवं उनके संचालकों के विरुद्ध वर्ष 2012 से 2015 तक कुल 26 प्रकरणों में 50 कंपनियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर 19 संचालकों एवं 31 एजेंट को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रदेश के 27 जिलों में एन्टी ट्रैफिकिंग सेल का गठन किया गया।

जिलों से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रदेश में पिछले 33 महीनों में 46746 लापता होने की रिपोर्ट दर्ज हुई है। जिनमें कुल लापता 9997 अव्यस्क बालक/बालिका में से 8892 एवं 27623 लापता महिला में से 20485 एवं कुल लापता 10530 पुरुष में से 7885 तथा कुल लापता 1235 वृद्धजन में से 800 को खोजकर परिजनों से मिलवाया गया है। पुलिस द्वारा माह जनवरी, 2024 में गुम बच्चों की तलाश हेतु विशेष अभियान "आपरेशन मुस्कान" चलाकर 51 बालक एवं 453 बालिका सहित कुल 504 बालक/बालिकाओं को वापस ढूंढकर उनके परिजनों को सौंपा गया है। राज्य के सभी जिलों में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक या उप पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में विशेष किशोर पुलिस इकाई का गठन किया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेक द मिसिंग चाइल्ड पोर्टल में गुम बच्चों का छायाचित्र सहित उनके माता-पिता, उम्र, पता आदि सभी जानकारी प्रविष्ट की जा रही है। इस पोर्टल की सहायता से भी गुम बच्चों की तलाश के प्रयास किये जा रहे हैं।

प्रदेश में लापता व्यक्तियों की खोजबीन के लिए शासन अत्यंत गंभीर है। पुलिस मुख्यालय से भी इन प्रकरणों की सतत् समन्वय एवं निगरानी की जा रही है। प्रत्येक जिलों में गुम बच्चों के प्रकरणों में टीम गठित कर बच्चों की पतासाजी हेतु प्रदेश एवं अन्य राज्यों में जाकर उनके मिलने के संभावित स्थानों जैसे अस्पताल, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, बाजार, पार्क, होटल, ढाबा, लॉज, फैक्टरी आदि में सघन चेकिंग करते हुए पतासाजी हेतु समुचित प्रयास करने के साथ-साथ संबंधित बच्चे के माता-पिता से संपर्क कर उनसे सूक्ष्म पूछताछ कर लापता व्यक्तियों को वापस प्राप्त करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। समय-समय पर जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके अलावा पुलिस द्वारा 685 प्रकरणों में ईशतहार प्रकाशित एवं प्रसारित कर ईनाम की घोषणा भी की गई है। प्रदेश में सभी जिलों में सीनियर सिटीजन हेल्प डेस्क का गठन किया गया है।

राज्य गठन से अभी तक प्रदेश से लापता व्यक्तियों के समग्र अध्ययन हेतु डायरेक्टर आईआईएम रायपुर से प्रारंभिक चर्चा की गई है एवं उनके द्वारा इस उद्देश्य से एक मल्टी डिसेप्लीनरी रिसर्च करने हेतु सहमति भी व्यक्त की गई है।

यह कहना सही नहीं है कि लापता होने वाले लोगों के परिवार की बात करें तो कई ऐसे भी परिवार हैं जो लापता को ढूँढने में पूरी जिन्दगी लगा चुके हैं, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला, जिससे पीड़ित परिवार अपने आपको थका-हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। अपितु प्रदेश में गुम इंसान प्रकरण दर्ज होने पर उनकी दस्तयाबी हेतु हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं तथा विशेष अभियान चलाकर एवं टीम गठित कर लापता व्यक्तियों की पतासाजी के हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं, जिससे लापता व्यक्तियों को वापस ढूँढकर उनके परिवार में खुशियां लाई जा सके। पुलिस की प्रभावी कार्यवाही से ऐसी घटना को लेकर प्रदेश में किसी प्रकार का जन-आक्रोश परिलक्षित नहीं हुआ है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि आपने ध्यानाकर्षण के उत्तर को देखा है, पढ़ा है तो मैंने पिछले 33 महीने का उल्लेख किया है, जिसमें 48,675 लोगों के लापता होने का उल्लेख किया है। आपके आंकड़े और मेरे आंकड़े में थोड़ा सा अंतर है, आपने 46746 कहा। हम दोनों ने लापता शब्द का उपयोग किया। मेरे पास इसी सत्र के प्रश्नों के उत्तर भी हैं। इसमें बच्चियों और महिलाओं में लापता को खासकर आप स्पष्ट करेंगे। जो उल्लिखित अवधि है, उसके भीतर बच्चियों और महिलाओं में लापता में अपहरण के कितने मामले हैं और तस्करी के कितने मामले हैं ?

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, तस्करी के संदर्भ में ध्यानाकर्षण के वक्तव्य में जानकारी पहले ही दी गई है और उसके कितने प्रकरण हैं, कितने बालक-बालिका, महिला-पुरुष लापता हुए थे, इसमें तस्करी का विषय आया था और उसमें कितने लोगों को वापस प्राप्त किया गया, रेस्क्यू किया गया, उसकी जानकारी दी गई है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, हम लोगों ने लापता कहा है। आपने लापता में खोजकर मिलवाया भी है। यह गंभीर मामला है। मैंने यह पूछा कि बच्चों और महिलाओं में मानव तस्करी का विषय कितना है और उसमें अपहरण के मामले कितने हैं या सभी लापता हैं, गुम इंसान हैं ? मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूँ, वह वक्तव्य के उत्तर में नहीं है। उसको अलग से बताने का कष्ट करें क्योंकि अपहरण मेरे ध्यानाकर्षण की सूचना में उल्लेख है।

श्री विजय शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, ध्यानाकर्षण की सूचना के अनुरूप ही मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि जो मानव तस्करी का विषय है, वह इसमें बताया गया है कि 176 प्रकरण दर्ज हुए हैं, 744 लोग लापता हुए थे, मानव तस्करी का प्रकरण जिसमें पंजीबद्ध हुआ और उसमें से 740 व्यक्ति रेस्क्यू किए गए थे। अन्य जो लापता लोग हैं, उसमें वयस्क, अवयस्क बालक-बालिका कितने हैं, महिला कितनी है, पुरुष कितने हैं और वृद्धजन कितने हैं, इन चारों की जानकारी दी है।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, मैं भी उसको रखा हूँ, जो आप रखे हैं। मैं इसको पढ़ देता हूँ। प्राप्त जानकारी के अनुसार विगत 5 वर्षों में मानव तस्करी के, मैंने अपहरण का अलग से पूछा है। मानव तस्करी में भी बालक-बालिका, महिला पुरुष हुए। आप लापता हुए थे, लिखे हैं। मैं भी उत्तर पढ़

रहा हूँ। 176 प्रकरणों में तस्करी हुई, मैंने आपसे तस्करी में यह पूछा कि बच्चों और महिलाओं के कितने प्रकरण हैं और अपहरण के कितने प्रकरण हैं ? अपहरण का कहीं उल्लेख नहीं है। या तो अपहरण नहीं हुए हैं, यह उत्तर दे दीजिये। यदि तस्करी के अलग-अलग संख्या की जानकारी नहीं है तो वह बता दीजिये। क्योंकि सेम उत्तर मेरे पास हाथ में है, जो आप रखे हुए हैं।

श्री विजय शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, तस्करी के सन्दर्भ में Human trafficking कह रहे हैं, आपको उसके सन्दर्भ में बायफरकेशन चाहिए तो मैं वह आपको उपलब्ध करा दूंगा। जो लापता हैं, उनके सन्दर्भ में जानकारी दी गई है, उसमें दो प्रकार की चीजें हो सकती हैं। लापता हैं या अपहरण हुआ है, उसका भी अलग-अलग बायफरकेशन उपलब्ध करा दूंगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह चाहता था कि आप सक्षम मंत्री हैं, यह तो बहुत छोटा आंकड़ा है। अधिकारी दीर्घा में बहुत बड़े लोग मौजूद हैं, मेरे हिसाब से ये छोटी चीजें तो रहनी चाहिए। बहरहाल, ये जो 50 प्लेसमेंट कम्पनी के 29 संचालकों और 31 एजेंटों को गिरफ्तार किया है। 50 प्लेसमेंट कम्पनी के ही 29 संचालक और 31 एजेंट है या 29 संचालक और 31 एजेंट 50 प्लेसमेंट कम्पनियों के बाहर के हैं ? दूसरा प्रश्न, इसी से लगा हुआ है ये प्लेसमेंट एजेंसियां अब छत्तीसगढ़ में प्रतिबंधित हैं या कार्य कर रही हैं ?

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो प्लेसमेंट कम्पनियां हैं, उनसे संबंधित एजेंट और संचालक, इन्हीं 50 कम्पनियों के अन्तर्गत हैं। इन कम्पनियों को प्रतिबंधित किया गया है अथवा नहीं, मुझे इसकी जानकारी और प्राप्त करनी है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप मुझे सभी जानकारियां अलग से प्राप्त करवायेंगे ? आप यह बताइये कि आपकी दृष्टि से अपहरण कहे, तस्करी कहे या लापता कहे, जिसकी संख्या बड़ी है, पुलिस विभाग ने आई.आई.एम. से समझौता किया है। आप उसके साथ जब भी रिपोर्ट बनवाये वह अलग विषय है। पुलिस का अपना रिसर्च, अनुसंधान विंग है। अनुसंधान विंग से छत्तीसगढ़ में इतनी बड़ी संख्या में लोग अपहरण, तस्करी या लापता का शिकार हो रहे हैं, उसके पीछे आपका क्या दृष्टिकोण है ? किन कारणों से ऐसा हो रहा है ? आप इसका कारण बता सकते हैं ?

श्री विजय शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, यह 46,746 बड़ी संख्या है, ये लापता हैं, अपहृत हैं, एक और 744 संख्या है, जिसमें Human trafficking, का मामला आया है। Human trafficking, किन कारणों से होता है ? लोगों को काम करने के लिए, लोगों का शोषण करने के लिए भ्रमित करके ले जाया जाता है, यह हमको ध्यान है। इसका एक कारण है। जो दूसरा मसला है, जिसमें लापता लोगों की बड़ी संख्या है। विभिन्न कारणों से लापता होते हैं, कोई स्वतः ही ऐसा करता है, कोई दबाव है, मन में अवसाद है, उसके कारण कभी यह भी होता है कि लापता होने के पीछे जब पकड़े जाते हैं, उनको वापस रेस्क्यु किया जाता है, पूछा जाता है किस कारण हुआ है तब बातें सामने आती है। अपहरण हो रहा है, उसके भी

विभिन्न कारण हैं, फिरौती हो सकती है या कोई भी मामले हो सकते हैं। तो विभिन्न कारण हैं। इन्हीं सारे कारणों के लिए लिंगानुपात में क्षेत्र के आधार पर, कारण के आधार पर उनको अपहृत किया गया तो होने वाली घटनाओं के आधार पर, इन सारे आधार पर फिर से एक बार इसको और जांचने परखने के लिए इसके पूरे अध्ययन के लिए इसमें एक बार मल्टी डिस्प्लेनरी रिसर्च हो जाये और पूरी जानकारी आ जाये इसीलिए आई.आई.एम. से भी सम्पर्क किया गया है। पुलिस विभाग का जो रिसर्च विंग है, उसकी भी रिपोर्ट है और वह भी लगभग ऐसी ही है।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, अभी आपने कहा कि आई.आई.एम. द्वारा रिसर्च किया जायेगा फिर पूरा मामला आ जायेगा। फिर आप कहते हैं कि पुलिस का दृष्टिकोण भी लगभग ऐसी है। तो दोनों समान बता रहे हैं, रिपोर्ट आई है तो दोनों समान कैसे हो गये ?

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक विषय है, इसके बार-बार अध्ययन से और अच्छी, सही बातें सामने आती हैं। पुलिस का रिसर्च विंग है, वह इस पर अनवरत काम कर रहा है। अनवरत काम करने से उसका रिजल्ट सामने है। हमने इसमें एक और विंग शुरू किया, एक और थर्ड पार्टी शुरू की। मैंने तो यह सोच रखा है कि हम लोगों ने आई.आई.एम. से जो बात की है, उसमें विधानसभा के सदस्यों को भी एकत्रित किया जाये, उनसे भी बात की जाये। इस बात को समझने की आवश्यकता है कि अगर इतनी बड़ी संख्या में अपहरण हो रहा है, लापता हो रहे हैं, Human trafficking, हो रहा है तो यह क्यों हो रहा है, इस बात को समझने की आवश्यकता है। हम सब मिलकर विभिन्न संस्थानों के माध्यम से इस बात को समझने की कोशिश करेंगे

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, लापता, अपहरण, तस्करी जैसे मामलों में भूगोल और जाति मुझे बता सकते हैं ? भूगोल और जाति से आशय बस्तर के लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, रायपुर शहर के लोग हैं, सामान्य वर्ग के लोग हैं, चूंकि पुलिस के पास अध्ययन है, आप बता रहे हैं कि क्या ऐसा अध्ययन है कि भूगोल और किस समाज से संख्या ज्यादा है ?

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि ध्यानाकर्षण के विषयवस्तु में ऐसा नहीं था कि भूगोल और जाति के संदर्भ में एनालाइज करके इस विषय को आपके सामने रखना है। मैं आपसे यह जरूर कहना चाहता हूँ कि जातियों का कोई विषय नहीं है, हर तरह के लोग हैं, ह्यूमेन ट्रेफिकिंग में विशेष रूप से किसी क्षेत्र विशेष का नाम आता है, जैसा कि हम सब जानते हैं ....।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मंत्री जी, एक सेकण्ड। चूंकि आपके पास 46-47 हजार लोग लापता के रूप में दर्ज हैं, मैं पुछूँ या नहीं पुछूँ आपके रिकार्ड में यह बात जरूर होगी कि भूगोल और जाति कौन सी है ? यह निश्चित होगी। मेरे उल्लेख होने या नहीं होने का विषय नहीं है। यह प्रदेश का महत्वपूर्ण मामला है, आप गंभीरता से ले रहे हैं, आप अध्ययन करा रहे हैं, क्योंकि एक निश्चित इलाके

में ज्यादा लोग सक्रिय है और निश्चित समाज के बीच में ज्यादा सक्रिय हैं । आप बता सकते हैं या बाद में जानकारी देंगे, आप जैसा बताना चाहें ?

श्री विजय शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, इसके भौगोलिक अध्ययन के लिये भी और भी विशेष रूप से जो छोटे बच्चे हैं, उनके मन में क्या चलता है, इसके अध्ययन के लिये भी इन्हीं सारी बातों के लिये आई.आई.एम. से संपर्क किया हुआ है । भौगोलिक स्थितियों के आधार पर ह्यूमेन ट्रेफिकिंग का मामला अभी तक जानकारी के आधार पर आता है, यहां सरगुजा क्षेत्र का बहुत ज्यादा मामला होता है, उस पर भी जनजागरण के लिये आगे कार्यवाही करेंगे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न करके समाप्त कर रहा हूँ । आपके पास जो उपलब्ध संसाधन हैं, आप जब भी आई.आई.एम. से अध्ययन करायें, उपलब्ध संसाधन और अध्ययन आपके पास हैं, आपने लिखा है कि राष्ट्रीय स्तर पर Trade the missing child portal गुम होने के कारण बच्चों को, तो यहां नाम पता भर दर्ज है और नाम की घोषणा कर दी है । जो आपके पास अध्ययन हैं और जो घटनायें हैं, जो संसाधन हैं, उसमें आप क्या नया कदम उठाएँ हैं कि अब तक यह घटना रोकी जा सके ? अभी तक तो हम सूचनार्थ चर्चा कर रहे थे, जितनी आपके पास क्षमता, संसाधन, जानकारी, रिसोर्सेज, फील्ड की जानकारी, अवेयरनेस, जो-जो आपके हैं, यह कदम नया उठा रहे हैं और यह कदम उठाएंगे या यह कर रहे हैं या इतना किया है ?

श्री विजय शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, इसमें हर तरह की बातें हैं, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात का उल्लेख किया है कि पैनिक बटन हर जगह महिलाओं के लिये लगाये जायेंगे, यह विषय भी उसमें आयेगा । उसके कॉल की 112 नंबर पर ही लैंडिंग होनी है । दूसरे, जो सारे सीनियर सिटीजन हैं, उसके अपने हेल्प डेस्क हैं, उनके अपने हेल्प लाईन नंबर्स हैं, आपातकालीन सेवा के लिये वह भी 112 कॉल कर सकते हैं, उस विषय पर भी जा सकते हैं । हम इसमें गुम इंसानों के लिये क्या-क्या कर रहे हैं, जो राष्ट्रीय स्तर का ट्रैक द मिसिंग चाइल्ड पोर्टल है, इसमें सारी जानकारियां उपलब्ध हो जायें । अभी इसके लिये भी अभियान कर रहे हैं और अंतर्गत जनवरी महीने में ऑपरेशन मुस्कान चलाकर 51 बालक और 453 बालिकाओं को रेस्क्यू किया गया है । यह विशेष अभियान था, जो जनवरी महीने में चलाया गया था ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूँ कि यदि आप विशेष अभियान से 740 लोगों को रेस्क्यू कर लिये हैं तो आपके ध्यान में एक ही बात लानी है कि ज्यादा मानव तस्करी, लापता जो शब्द उपयोग करें, छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से से लेकर जशपुर तक का इलाका ज्यादा पीड़ित है, यह लगातार विषय आता है । गुम इंसानों की संख्या काफी है, रेस्क्यू किये हुये लोगों की संख्या कम है, यदि आप रेस्क्यू करके उतने लोगों को लाये हैं, आप अध्ययन कर रहे हैं, अच्छी बात है, आई.आई.एम. से मदद ले रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन रेस्क्यू से यदि इतने लोग आते हैं

तो इसमें कहूंगा कि निरंतरता होनी चाहिये, इसमें गंभीरता होनी चाहिये, यह अपेक्षा आपसे है। छत्तीसगढ़ के लिये यह बहुत गंभीर घटना है।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। डॉ. चरणदास महंत जी। अपना ध्यानाकर्षण लें।

श्री जनक ध्रुव :- अध्यक्ष महोदय, मेरा इसी में एक प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय :- इसमें कोई प्रश्न नहीं होता।

(माननीय नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) द्वारा तस्वीर सदन के पटल पर रखी गयी।)

डॉ. चरणदास महंत :- जिस पर मैंने सवाल किया है वह सिर्फ तस्वीरें हैं। मैं सचिव महोदय से निवेदन करूंगा कि एक तस्वीर माननीय अध्यक्ष महोदय को दे दें, एक तस्वीर माननीय मंत्री जी को दे दें और एक तस्वीर सदन के लिये रखे।

## (2) रायपुर स्थित जंगल सफारी में चौसिंगा हिरणों की मौत होना।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है:-

रायपुर में जंगल सफारी में 25 नवंबर 2023 को पांच चौसिंगाओं की आकस्मिक मृत्यु की घटना को गंभीरता से नहीं लिया गया। उनकी उचित चिकित्सा, अन्य चौसिंगाओं को संक्रमण से बचाव के उपाय तथा विशेषज्ञों की सेवाएं नहीं लेने के फलस्वरूप अन्य चौसिंगाओं की निरंतर आकस्मिक मृत्यु हुई। शाकाहारी चौसिंगा हिरण पूरे विश्व में एक मात्र ऐसा जीव है, जिसके चार सींग हैं। यह विलुप्त प्रजाति का शेड्यूल-1 श्रेणी का दुर्लभ वन्य प्राणी है। यह विश्व में केवल नेपाल (5%) तथा भारत के कुछ क्षेत्रों (95%) में पाया जाता है। ऐसे वन्य प्राणी के प्रति भी वन विभाग की घोर लापरवाही अक्षम्य है। वन क्षेत्रों में तो वन्य प्राणियों को विभाग बचा नहीं पाता है, किंतु यह अत्यधिक दुर्भाग्यजनक है कि सर्वसुविधा संपन्न जंगल सफारी में भी इस सबसे छोटे स्तनपायी गोवंशी प्राणी को नहीं बचाया जा सका। यह टेट्रासेरस वंश का एक मात्र जीवित प्राणी है, जो विलुप्ति की कगार पर है। ऐसा प्रतीत होता है कि जंगल सफारी के लिए योग्य अधिकारियों का अभाव है। चौसिंगाओं की अस्वाभाविक मौत की जांच रिपोर्ट के आधार पर कठोर कार्यवाही नहीं की जाकर उत्तरदायी अधिकारियों को संरक्षण दिया जा रहा है। जंगल सफारी में विशेषज्ञ अधिकारी/कर्मचारी को पदस्थ किया जाना आवश्यक है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। घोर लापरवाही से दुर्लभ चौसिंगा हिरणों की मृत्यु होने और उत्तरदायित्व का निर्धारण नहीं होने से वन्यजीव प्रेमियों तथा प्रदेश के नागरिकों में अत्यधिक रोष व्याप्त है।

वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि रायपुर में जंगल सफारी में 25 नवंबर, 2023 को पांच चौसिंगाओं की मृत्यु हुई पर यह सही नहीं है कि घटना को गंभीरता से नहीं लिया गया। अपितु दिनांक 25.11.2023 की रात्रि 05 चौसिंगाओं का स्वास्थ्य

अस्वाभाविक प्रतीत होने पर संबंधित जू कीपर्स द्वारा प्रभारी वनरक्षक को सूचित किया गया, त्वरित कार्यवाही करते हुए प्रभारी वनरक्षक द्वारा परिक्षेत्र सहायक एवं परिक्षेत्र अधिकारी को सूचना दी गयी एवं उनके द्वारा पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. राकेश वर्मा को इलाज हेतु तत्काल सूचित किया गया, साथ ही सहायक संचालक, श्री वाय. के. डहरिया को भी उक्त बाबत तत्काल सूचना दी गयी। त्वरित कार्यवाही करते हुए प्राथमिक उपचार के रूप में अधीनस्थ अमले द्वारा बीमार प्रतीत हो रहे 02 नग चौसिंगाओं को आईसोलेट किया गया। प्रातः काल जंगल सफारी, नवा रायपुर के पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. राकेश वर्मा ने स्थल पर पहुंचकर इलाज आरंभ किया परंतु इलाज के दरमियान ही 03 नग, इस प्रकार कुल 05 नग चौसिंगाओं की मृत्यु हो गयी। उल्लेखनीय है कि पशु चिकित्सा महाविद्यालय अंजोरा से विभाग प्रमुख प्रोफेसर डॉ. अली को दिनांक 26.11.2023 को बुलाकर त्वरित इलाज की प्रक्रिया जारी रखी। यह विशेष तौर पर उल्लेखनीय है कि मृत वन्यप्राणियों के शव विच्छेदन एवं परीक्षण में पशु चिकित्सा अधिकारी के साथ प्रोफेसर डॉ. अली स्वयं मौजूद थे, अतः यह कहा जाना कि मृत हो रहे चौसिंगा को गंभीरता से नहीं लिया गया तथा बाह्य चिकित्सा विशेषज्ञों की सहायता नहीं ली गयी असत्य है।

पुनः दिनांक 27.11.2023 को पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. अजीत पाण्डेय तथा संविदा पशु चिकित्सक डॉ. सोनम मिश्रा द्वारा वन्यप्राणियों का इलाज लगातार जारी रहा। दिनांक 28.11.2023 को पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. पवन चंदन, कानन पेंडारी, बिलासपुर द्वारा भी स्थल पर पहुंचकर संविदा पशु चिकित्सक डॉ. सोनम मिश्रा के साथ बीमार हो रहे वन्यप्राणियों का इलाज लगातार जारी रखा परंतु चौसिंगाओं की जीवन की रक्षा नहीं की जा सकी। वन्यप्राणी चौसिंगाओं में हो रहा संक्रमण इतना तीव्र एवं संक्रामक था कि लक्षण परिलक्षित होने तथा वन्यप्राणी चौसिंगाओं की मृत्यु होने के बीच पशु चिकित्सकों को विशिष्ट बीमारी की पहचान नहीं की जा सकी। मृत हुए वन्य प्राणियों का खून एवं विसरा परीक्षण इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट (IVRI) बरेली, उत्तर प्रदेश भेजा गया। साथ ही बैक्टीरियल इंफेक्शन परीक्षण हेतु पशु चिकित्सा महाविद्यालय अंजोरा, दुर्ग प्रेषित किया गया।

चौसिंगाओं की अस्वाभाविक मौत की घटना की जांच तीन सदस्यीय वन अधिकारियों की समिति गठित कर करायी गयी। समिति के जांच प्रतिवेदन में उत्तरदायी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की अनुशांसा के साथ प्रेषित किया गया। जांच में दोषी पाये गये डॉ. राकेश वर्मा, वन्यप्राणी चिकित्सा अधिकारी जंगल सफारी रायपुर तथा श्री वाय.के. डहरिया, सहायक संचालक जंगल सफारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने की कार्यवाही की गई है। एक अन्य पशु चिकित्सक (संविदा) के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक सह वनमण्डलाधिकारी जंगल सफारी द्वारा स्पष्टीकरण जारी किया गया है।

यह कहना असत्य है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही नहीं किया जाकर अधिकारियों को संरक्षण दिया जा रहा है। यह कथन सत्य नहीं है कि इससे आम जनता में अत्यधिक रोष व्याप्त है,

क्योंकि वन्यप्राणी चौंसिंघाओं की मृत्यु अत्यंत तीव्र संक्रमण से हुई है, पर इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट (IVRI) बरेली, उत्तरप्रदेश से प्रप्त परीक्षण रिपोर्ट में मृत्यु का कारण वायरस जनित फुट एवं माउथ रोग से होने की संभावना व्यक्त की गयी है। अतः यह कहना सही नहीं है कि घोर लापरवाही से दुर्लभ चौंसिंघा हिरणों की मृत्यु होने और उत्तरदायित्व का निर्धारण नहीं होने से वन्यजीव प्रेमियों तथा प्रदेश के नागरिकों में अत्यधिक रोष व्याप्त है।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने उनके विभाग से जो उत्तर आया है यहां पर उसको पढ़ दिया है। मैं उनके उत्तर से संतुष्ट नहीं हूँ। मैं यह भी बता दूँ कि मेरी माननीय मंत्री जी से कोई दुर्भावना नहीं है। मैं सीधे-सीधे आपकी तरफ मुखातिब होना चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित सफारी बनायी। यह 320 एकड़ हेक्टेयर में बना हुआ है। इसका अक्टूबर 2012 में निर्माण शुरू हुआ। आपने 1 नवम्बर, 2016 को प्रधानमंत्री जी को बुलाकर, इसका उद्घाटन करवाया। इसका छत्तीसगढ़ और आपके लिए कितना महत्व हो सकता है, यह आप समझ सकते हैं। यह 56 करोड़ रुपये की लागत से बना था। अब तक इस पर 96 करोड़ रुपये खर्च हो गए। आप प्रतिवर्ष 10 करोड़ रुपये खाना-पीना दवाईयां और ईलाज के लिए रखते हैं। यह जंगल सफारी रायपुर शहर की शान है। हमारे छत्तीसगढ़ की शान है। वहां जो चौंसिंघा हिरणों की मृत्यु होती है दिनांक 24.11.2023 को 01 चौंसिंघा, दिनांक 25.11.2023 को 04 चौंसिंघा की मृत्यु हो गयी। वहां जंगल सफारी में 05 चौंसिंघा मरते ही डॉक्टर बुलाये जाते हैं। वह डॉक्टर चौंसिंघाओं की जांच करते हैं। उसके बाद वह छुट्टी लेकर चले जाते हैं। मुझे यह बताया गया है, मैंने यह पता किया तो कहीं कोई यह बोलते हैं कि वह शिर्डी चले गये, कोई यह बोलते हैं कि वह गोवा चले गये। मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि वह कहां जा रहे हैं। मगर उस बीच आचार संहिता लगी थी। क्या आचार संहिता में छुट्टी लेकर जा सकता है? क्या छुट्टी लेकर गया होगा या भाग के गया? वह जाने। मगर उसके बाद लगातार 26 को 3, 27 को 5, 28 को 2, 29 को 2, इस तरह से कुल 17 नग चौंसिंघा हिरणों की मृत्यु हो गई, जो इतना महत्वपूर्ण हमारे लिए है। अध्यक्ष महोदय, कुछ जानकारी मैं सिर्फ आपको देना चाहता हूँ, विभाग के लोग चाहे तो नोट करें। दिनांक 25.11.2023 से 29.11.2023 तक 17 चौंसिंघा हिरणों की मृत्यु हुई। 21.12.2023 को I.V.R.I. की बरेली से रिपोर्ट आई। दिनांक 04.12.2023 को राज्य स्तरीय जांच समिति का गठन किया गया। दिनांक 16.01.2024 को राज्य स्तरीय समिति ने रिपोर्ट C.C.F. को भेजी। दिनांक 17.01.2024 को रिपोर्ट C.W.L.W. (Chief Wildlife Warden) को भेजी गई। दिनांक 31.01.2024 को C.W.L.W. ने C.C.F. को कार्रवाई के लिए भेजा। C.C.F. द्वारा जांच समिति बनने के बाद दिनांक 08.12.2023 को C.W.L.W. ने C.C.F. को लेटर लिखा कि डॉक्टर वर्मा को सचेत कर छोड़ दिया जाये। माननीय अध्यक्ष महोदय, I.V.R.I. बरेली की रिपोर्ट आने से पहले ही C.W.L.W. ने यह मान लिया था कि मौत बैक्टीरिया से हुई है जो कि चौंसिंघा इनफ्लुएन्जा की मिट्टी बदलने के कारण हुआ

हुआ। उनने जिम्मेदारी तय करने के बजाय जो कार्रवाई करना था, कर दिया। आप राजधानी में अपनी नाक के नीचे चिड़ियाघर में रखे हुए जानवरों को नहीं बचा पा रहे हैं। जंगल के जानवर वैसे मर रहे हैं, चाहे तार से मरें या किसी से मरें। इसके अलावा डॉक्टर वर्मा ने जो रिपोर्ट तैयार की, उसने बिना पोस्टमार्टम किये, 2 का पोस्टमार्टम किया, बाकी का मान लिया कि मैंने पोस्टमार्टम कर लिया। जो छुट्टी पर ही गया हो, वह कैसे रिपोर्ट तैयार करेगा, यह वन विभाग से कभी पूछ लीजियेगा। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि उसके खिलाफ भारतीय दंड विधान संहिता की धारा 467, 468, 469, 411, 420 (बी) के तहत इसको दंडनीय अपराध माना जाना चाहिए और उसको जो सजा देना हो, वह देना चाहिए। यह सिर्फ चौसिंगा हिरण की मृत्यु की बात नहीं कर रहा हूँ। यह जो मानव निर्मित जंगल सफारी है, इसको हमने इतना बड़ा बनाया है, हम इस जंगल सफारी को रायपुर और पूरे छत्तीसगढ़ की शान माना है। अभी दो मिरकेट भी आये थे कि यहां ब्रीड करेंगे, जिसको आपने पढ़ा होगा कि मैसूर से लाये थे, वह भी मर गये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से इस पर एक भी सवाल नहीं करूंगा। मैंने पूरी की पूरी बात आपसे किया हूँ। आप इसकी गंभीरता को समझ सकते हैं। आपने उसको बनाया है, प्रधानमंत्री को लाया है, इसका उद्घाटन कराया है। इतनी सारी घटनायें हो गईं, कैसे हो गईं, किसके द्वारा की गईं, किनको जांच करनी चाहिए, आप क्या जांच बैठाते हैं, विधायकों की, जज की जांच बैठाते हैं, न्यायिक जांच कराते हैं, मैं सब आपके ऊपर छोड़ता हूँ। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी से बात करके मैं यह सब मामला सुनिश्चित करूंगा। मंत्री जी से बात करके आपने जो अभी बात रखी है, उसको आगे बढ़ाने का काम करूंगा। चलिये, धन्यवाद।

डॉ. चरणदास महंत :- अध्यक्ष महोदय, आप जो चाहें। मेरा काम था आपके ध्यान में लाना। आप सदन के मालिक हैं, मैं सदन के ध्यान में ले आया। आप मंत्री जी से बाद में बात कर लीजियेगा।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, कुछ बोलना चाह रहे हैं।

डॉ. चरणदास महंत :- आप कक्ष में बात कर लीजिए। यहां वह वही बोलेंगे जो वन विभाग ने उनको लिखकर दिया है। मैं दावे से कह सकता हूँ कि वन विभाग ने उनको गलत जानकारी दी है।

अध्यक्ष महोदय :- आप उनको सुन तो लीजिए।

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय मैंने अपने उत्तर में ही कहा है कि इसमें जो भी अधिकारी यदि दोषी होगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। हम लोगों ने 3 अधिकारियों को शो-काँज नोटिस दिया हुआ है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि यह मौत लगातार हुई है, क्योंकि वायरल संक्रमण इतना तेजी से फैला था। फूड एंड मौत का जो संक्रमण है, जिसके माध्यम से उसके थ्रोत और नाक के आसपास जिस तरीके से संक्रमण फैलता है और बड़ी तेजी के साथ जीवों की मृत्यु हो जाती है। मैंने पिछले 300-400 वर्षों का पूरा रिकॉर्ड भी मंगवाया है कि कौन-कौन से वर्ष में कितने-कितने वन्य जीवों की मृत्यु हुई है? मैंने पूरे देश भर की भी जानकारी मंगवाई है। मेरे पास बहुत सारी जगह की जानकारी भी आई और

उसमें मैंने कुछ स्थान को देखा भी कि वहां पर जब संक्रमण फैलता है, उसके कारण तत्काल मौत होती है। इसमें कुछ संबंधित अधिकारी हैं, जिसने अपने उत्तर में यह कहा कि वह छुट्टी लेकर चला गया और वह आचार संहिता के दौरान ही चला गया था। उसको सो कॉस नोटिस दिया गया है। उसके साथ में जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी, वह हम सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा हमने इसकी रिपोर्ट सेंटर जू अथॉरिटी को भेजा हुआ है और आवश्यकता हुई तो हम सेंटर जू अथॉरिटी से माध्यम से भी इसकी जांच करवायेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय :- बोलिये।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, चौसिंगा हिरण बहुत दुर्लभ प्राणी है। मंत्री ने अपने पूरी कार्रवाई से सदन को अवगत तो करा दिया है। आगे आपको देखना है। अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें दो चीज जानना चाहता हूं कि यह जो Zoo है, उसमें परमानेंट पशु चिकित्सक और अस्पताल का सेटअप है या नहीं है? सिर्फ यहीं भर ही नहीं, हर Zoo में सेटअप है या नहीं है? जैसा कि कानन पेंडारी है, जंगल सफारी है और कहीं-कहीं Zoo होगा, वहां सेटअप है या नहीं है? छत्तीसगढ़ में 44 प्रतिशत वन आच्छादित क्षेत्र है। यहां टाईगर रिजर्व भी है। सब कुछ है। जो इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इस तरीके के इंस्टीट्यूट में हम जांच करने के लिए भेजते हैं, उसके बजाय यहीं संस्था रहती तो हमको पहले ज्यादा मदद मिल सकती थी। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि यहां अस्पताल का सेटअप है या नहीं है? यदि नहीं है, तो जहां-जहां पर हमारा Zoo है, नेशनल पार्क है या टाईगर रिजर्व क्षेत्र है, वहां पर पशु चिकित्सकों का एक अस्पताल खोलने का कष्ट करेंगे? यहां अभी सब टेम्पोरेरी डॉक्टरों से इलाज हुआ है। उनको रायपुर से और कहीं और से बुलाना पड़ा।

श्री अटल श्रीवास्तव :- अध्यक्ष जी, इसी में मेरा एक और प्रश्न है।

श्री धर्मजीत सिंह :- एक मिनट। मेरे प्रश्न का जवाब आने दीजिये।

अध्यक्ष महोदय :- सेटअप बता दीजिये।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ उनकी रक्षा के लिए यह जानना चाहता हूं कि क्या वहां अस्पताल का सेटअप था? यदि सेटअप नहीं है तो वहां अस्पताल खोलेंगे क्या?

श्री केदार कश्यप :- अध्यक्ष महोदय, वहां पर वर्तमान में हमारे 34 अधिकारी/कर्मचारी पदस्थ हैं, जिसमें 1 पशु चिकित्सा अधिकारी कार्यरत हैं। उसके अलावा वहां पर 1 कम्पाउंडर पशु चिकित्सक पदस्थ हैं। वहां पर संचालक सह वनमण्डलाधिकारी पदस्थ हैं और 1 वन क्षेत्रपाल पदस्थ है, 2 वन रक्षक पदस्थ हैं और सहायक ग्रेड-दो, 1 लेखापाल, सहायक ग्रेड-तीन 2 और 4 वन्य जीव परिचायक पदस्थ हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- मंत्री जी, मैं स्टॉफ के बारे में नहीं कह रहा था।

श्री केदार कश्यप :- इसके अलावा वहां पद 53 लोगों की पदस्थापना है। हमारी प्राथमिकता है कि आने वाले समय में इसको और कैसे बेहतर किया जाये, इसके लिए भी हम विचार कर रहे हैं ताकि वहां पर हमारे जितने भी वन्य जीव हैं, उसके साथ में इस तरह की घटना दोबारा ना हो।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न पूछने का आशय सिर्फ यह है कि वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए वन का स्टॉफ तो है। मैं यहां का जंगल सफारी स्वयं गया हूं। मैं वहां पर आपके विभाग के कमी के बारे में नहीं बोल रहा हूं। चूंकि बीमारी हो जाती है। उनका बीमारी का पता लगाने के लिए यदि परमानेंट डॉक्टर, पूरा स्टॉफ रहे तो बीमारी के ऊपर जल्दी से काबू पाया जा सकता है और उनका इलाज हो सकता है। इसलिए वहां पर वेटनरी डिपार्टमेंट के चिकित्सकों की फूल फ्लेश वेल इक्यूब टीम तैनात करेंगे क्या? ताकि आगे इस प्रकार की घटना ना हो और सिर्फ यही भर नहीं, कानन पेंडारी वगैरह में भी बतायेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- वहां के लिए कोई सेटअप है?

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा कि वहां पर पशुचिकित्सा अधिकारी का एक पद स्वीकृत है। इसके अलावा जो कम्पाउंडर है, उसका भी पद स्वीकृत है। इसके अलावा यदि आवश्यकता पड़ती है तो उस आवश्यकता के अनुरूप अंजोरा में हमारी जो यूनिवर्सिटी है। वहां से हम लोग सेवाएं लेते हैं, वह तत्काल संज्ञान में आता है और उसके बाद उसके माध्यम से हम उनके इलाज का प्रावधान करते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक। चलिये, मोतीलाल जी अपना ध्यानाकर्षण पढ़ेंगे।

## **(2) सड़क -उरकुरा रोड पर सड़क स्थित सब्जी मार्केट जाने वाली सड़क अत्यंत जर्जर होना।**

श्री मोतीलाल साहू (रायपुर ग्रामीण) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है -

विधान सभा क्षेत्र रायपुर (ग्रामीण) के अंतर्गत सड़क-उरकुरा रोड पर सड़क स्थित सब्जी मार्केट के सामने से एसेट टाउन, रहेजा स्काईप अपार्टमेंट, केपिटल सिटी फेस-1 एवं केपिटल होम्स को जाने वाली सड़क अत्यंत जर्जर एवं सकरी है, जिससे इन कालोनियों के लगभग पचास हजार रहवासियों को आने-जाने में अत्यंत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी रोड पर कैपिटल सिटी फेस-1 के मुख्य गेट के बगल में प्रायवेट बिल्डर एच.एम. इन्फाटेक द्वारा "विन्ड चिम्स" नाम से मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट का निर्माण किया जा रहा है। बिल्डर द्वारा उक्त सड़क की जमीन पर भी अतिक्रमण कर बाउन्ड्रीवॉल निर्मित कर ली गई है, जिससे सड़क और भी सकरी हो गई है। इस अतिक्रमण से नगर निगम रायपुर द्वारा कराया जा रहा नाली निर्माण कार्य भी रूक गया है। इस रोड पर एक स्कूल भी संचालित है, जिससे बच्चों की आवाजाही लगातार रहती है। अन्य स्कूलों की बसें भी इन कालोनियों में आती-जाती

हैं, जिन्हें आवाजाही में अत्यंत कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। सड्डू रायपुर स्थित सब्जी मार्केट के सामने से कैपिटल सिटी फेस-1 को जाने वाली उक्त सड़क पर अतिक्रमण होने से नाली निर्माण कार्य रूक जाने, जर्जर सड़क का कांक्रिटीकरण एवं चौड़ीकरण कार्य न होने से वहां की कॉलोनियों के रहवासियों में अत्यंत रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

उप मुख्यमंत्री (नगरीय प्रशासन) (श्री अरूण साव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र रायपुर (ग्रामीण) के अंतर्गत सड्डू-उरकुरा रोड पर सड्डू स्थित सब्जी मार्केट के सामने से एसेट टाउन, रहेजा स्काईप अपार्टमेंट, कैपिटल सिटी फेस-1 एवं कैपिटल होम्स को जाने वाली सड़क अत्यंत जर्जर एवं सकरी है, जिसका कांक्रिटीकरण एवं चौड़ीकरण का कार्य किये जाने हेतु अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उप संभाग क्र.-02, रायपुर (छ.ग.) को पत्र क्र.557/नपानि/जोन क्र.09/2023, रायपुर दिनांक 21.09.2023 अनुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया है, मार्ग का निर्माण, लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जायेगा। उक्त मार्ग पर प्रायवेट बिल्डर एच.एम. इन्फ्राटेक का "विन्ड चिम्स" नाम से मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट का निर्माण प्रगतिरत है। एच.एम. इन्फ्राटेक द्वारा उक्त सड़क की जमीन पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया गया है। एच.एम. इन्फ्राटेक द्वारा संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर से स्वीकृत अभिन्यास क्र. 2777/नगानि/धारा-16CGAWAAS/2022/00079/2022, रायपुर दिनांक 04.05.2022 अनुसार विकास कार्य स्वयं की निजी भूमि पर कराया जा रहा है। सड्डू रायपुर स्थित सब्जी मार्केट के सामने से कैपिटल होम्स को जाने वाली उक्त सड़क पर प्रस्तावित नाली निर्माण कार्य स्थल पर निजी भूमि स्वामियों द्वारा स्वयं की भूमि का दावा किया गया है। जिसके निराकरण पश्चात् नाली का शेष निर्माण कार्य पूर्ण किया जावेगा।

श्री मोतीलाल साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उक्त विषय ध्यानाकर्षण में इसलिये आया कि वहां पर निर्माण कार्य जारी था। नाली निर्माण पिछले 2 माह से इस अवैध कब्जे के कारण रूका हुआ है और बाकी जगहों पर खाली एक यही बिल्डिंग है इसको छोड़कर के बाकी जगहों पर जगह पर्याप्त है। नाली निर्माण के बाद भी वहां पर और चौड़ी जगह बचती है लेकिन यह बिल्डिंग पता नहीं किस हिसाब से अतिक्रमण से परे हे ऐसा बता रहे हैं। यह सड़क पर आकर के टिक चुका है। सड़क के अतिरिक्त एक इंच भी जगह नहीं है और वहां पर बाउंड्रीवॉल बना दिया गया है। निश्चित तौर पर बिल्डर के द्वारा अनैतिक तौर पर अतिक्रमण किया गया है और उनका भी आखिर पानी वहीं से निकलना है जो नाली निर्माण को रोककर रखा हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि वर्तमान में सड़क की चौड़ाई क्या है और उसका प्रोपोस्ड भविष्य में उसका जो चौड़ीकरण किया जाना है, जो आपने वक्तव्य में कहा है वो कितना चौड़ा किया जाना है?

श्री अरूण साव :- जो सड़क प्रस्तावित है 60 फीट की चौड़ाई है। अभी existing जो चौड़ाई है, वह केवल 40 फीट है और नाली की जो चौड़ाई बननी है वह 1.5 मीटर की है। 60 फीट की चौड़ी सड़क बने,

ये जो प्रोपोस्ड है, उसी के अनुसार बनेगा। अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने बताया कि नाली निर्माण स्थल पर निजी भूमि स्वामी स्वयं की भूमि का दावा कर रहे हैं, जिसके निराकरण का प्रयास हो रहा है। निराकरण होते ही शेष नाली का निर्माण काम भी होगा और सड़क का निर्माण भी उसी के हिसाब से होगा।

श्री मोतीलाल साहू :- अध्यक्ष महोदय, वहां पर existing रोड अभी 40 फीट नहीं है। अगर 40 फीट की हम चौड़ाई की कहें तो निश्चित तौर पर अगल-बगल में और जमीनें होनी चाहिए। वर्तमान में उक्त बिल्डिंग, जिसके ऊपर यह आरोप लगा है कि उन्होंने अतिक्रमण किया है, निश्चित तौर पर सड़क से बहुत चिपका हुआ है और ये जिसके कारण दो माह तक निर्माण कार्यों में बाधा पहुंची है। कोई भी नगर-निवेश के द्वारा अगर नक्शा स्वीकृत किया जाता है तो उसके पीछे प्रस्तावित रोड को छोड़कर निर्माण कार्य के लिए स्वीकृति दी जाती है। परंतु यह बलात् सड़क के किनारे निर्माण करके सार्वजनिक निर्माण कार्यों को रोकने का कार्य इनके द्वारा किया गया है। निश्चित तौर पर बिल्डर के ऊपर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए और इस प्रकार की घटना पूरे शहर में हो रही है। मेरे पास और भी शिकायतें हैं कि बिल्डर के द्वारा जो नालियां हैं और जो नाला है, उसे अतिक्रमण करके आज उसे सकरा कर दिया है। भविष्य में आने वाले समय में पानी निकासी की बहुत संकट उत्पन्न होगी।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी ने बता दिया कि 60 फीट चौड़ी सड़क बन रही है। 60 फीट की और आप 40 की बात कर रहे हैं। इन्होंने 60 फीट बता दिया। 60 फीट चौड़ी सड़क बनेगी। मंत्री जी, आप कुछ और बताना चाहें तो बता दीजिए।

श्री अरुण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा कि स्वीकृत अभिन्यास से बाहर जाकर निर्माण करने की अनुमति किसी को नहीं है और न ही किसी को अतिक्रमण करने की अनुमति है, बल्कि वहां पर की स्थिति को देखते हुए जो बिल्डर की दीवार है, उसकी निजी जमीन में बना है। उसको भी तोड़कर जो 60 फीट की चौड़ी सड़क बनानी है, वह बनाने का काम हो रहा है।

श्री मोतीलाल साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अभी कहा है कि उसे तोड़कर, अभी टूटने की कहीं गुंजाइश नहीं दिख रही है। दो माह तक उक्त निर्माण कार्य बाधित है, रूका हुआ है और मैं यह समझता हूं कि ऐसे जो बिल्डर हैं, जो सार्वजनिक निर्माण कार्यों में बाधा पहुंचा रहे हैं, इनके ऊपर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं..।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, ठीक है। आपका प्रश्न आ गया।

श्री अनुज शर्मा (धरसीवा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय :- इसमें आपका?

श्री अनुज शर्मा :- हां, इसी में। ये एक रोड इधर जाती है और एक रोड रिंग रोड नं. 3 के लिए आती है। माननीय अध्यक्ष जी, इसमें बजट में 2 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए थे और उसमें वर्ष 2023-24 में खर्च करना था 40 लाख रुपये। मार्च महीना दो दिन के बाद चालू हो जायेगा और अभी तक वहां

तिनका भी नहीं हिला है। पहली बात। माननीय अध्यक्ष जी, दूसरी बात कि वहां पर जो नाला है, उसमें दो लोगों ने कॉलोनी बना दी है, अपनी बिल्डिंग खड़ी कर दी है चैतन्या ग्रीन्स और कैपिटल सिटी फेस-3 ने और दो लोगों का अतिक्रमण नाले में जारी है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा और उनसे जानना चाहूंगा कि क्या नाला की पूर्व में जो चौड़ाई थी वास्तविक तौर पर अभी कितनी बची है ? क्या नाले की अभी जो स्थिति है, उसे सकरा कर दिया गया है, उस पर कितना अवैध कब्जा हो रहा है, उसको रोकने के लिए कोई कार्रवाई करेंगे या जो अभी तक कार्रवाई हमारी शुरू नहीं हुई है, वहां पर रोड बनने का काम, माननीय अध्यक्ष जी, होता यह है कि बजट तो आ जाता है, पैसा खर्च करने की बात भी आ जाती है, लेकिन अधिकारियों द्वारा इतना हिल-हवाला किया जाता है, इतनी देर कर दी जाती है ताकि बिल्डर्स आसानी से उसमें कब्जा कर सकें।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, ठीक है।

श्री अनुज शर्मा :- तो माननीय अध्यक्ष जी, कहीं न कहीं इसमें इस बात की बू आ रही है कि देरी जान-बूझकर की जा रही है तो इस पर क्या कार्रवाई करेंगे और उस पर जो अतिक्रमण हो रहा है, मेरा माननीय मंत्री जी से एक आग्रह और है, बाजू में ही है। एकाध बार ऐसी टहलते आप हमारे साथ चले चलें तो दूध का दूध पानी का पानी हो जायेगा।

श्री अरुण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा कि कोई बिल्डर हो या निजी व्यक्ति हो, स्वीकृत अभिन्यास से बाहर जाकर काम करने की इजाजत किसी को नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत बढ़िया।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, मैंने बोला कि नाले में भी अतिक्रमण हो रहा है, उसके लिए माननीय मंत्री जी क्या व्यवस्था करेंगे?

श्री अरुण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने कहा कोई बिल्डर हो या निजी व्यक्ति हो । स्वीकृत अभिविन्यास से बाहर जाकर कार्य करने की इजाजत किसी को नहीं है ।

श्री अनुज शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि नाले में भी अतिक्रमण हो रहा है, उसके लिए क्या व्यवस्था करेंगे, नाले में अतिक्रमण हो चुका है और अभी कर रहे हैं ।

श्री अरुण साव :- अतिक्रमण करने की किसी को इजाजत नहीं है । अतिक्रमण होगा तो कार्रवाई निश्चित होगी । अभिविन्यास से बाहर जाकर कोई निर्माण किया होगा तो उस पर भी कार्रवाई होगी ।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय मंत्री जी, कब तक कार्रवाई होगी । एक समय सीमा बता दीजिए । एकाध महीने में, दस दिन में, पांच दिन में ।

अध्यक्ष महोदय :- पर्याप्त हो गया ।

समय

2.11 बजे

**नियम 267-क के अधीन विषय**

अध्यक्ष महोदय :- निम्न लिखित उपस्थित सदस्यों की शून्यकाल की सूचना सदन में पढ़ी हुई मानी जाएगी। इन्हें उत्तर के लिए संबंधित विभाग को भेजा जाएगा।

1. श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल

समय

2.12 बजे

**याचिकाओं की प्रस्तुति**

अध्यक्ष महोदय :- आज की कार्यसूची में सम्मिलित उपस्थित माननीय सदस्यों की याचिकाएं सभा में पढ़ी हुई मानी जाएंगी।

1. श्री इंद्र शाह मंडावी
2. श्रीमती भावना बोहरा
3. श्री मोतीलाल साहू

समय

2.13 बजे

**छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2024 (क्रमांक 4 सन् 2024)**

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी.चौधरी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2024 (क्रमांक 4, सन् 2024) पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। श्री उमेश पटेल।

श्री उमेश पटेल (खरसिया) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक पर चर्चा के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। इससे पहले, मैं कल हुई घटनाओं पर अपनी बात रखना चाहूंगा। हम सब एक जनप्रतिनिधि हैं, एक जिम्मेदार पद पर यहां आसीन हैं। मैं इस बात को सभी सदस्यों के स्व-विवेक पर छोड़ूंगा कि क्या हमें इस सदन से किसी प्रधानमंत्री के बारे में कोई टिप्पणी करनी चाहिए। प्रधानमंत्री, भारत देश को रिप्रेजेंट करते हैं, करते रहे हैं। उन्हें यह कहना कि दुबके हुए रहते थे, ये शब्द ही उचित नहीं हैं, हमें इन सबसे बचना चाहिए। मेरा आग्रह है कि हम सभी सदस्यों को अपनी जिम्मेदारी का अहसास होना चाहिए। इस तरह की बात इस सदन से न जाए, इस पर जरूर ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि यदि हम बाहर जाकर भारत देश को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें हम सबकी इज्जत और भारतवर्ष की इज्जत की बात होती है। हम सबको ऐसी बातों से परहेज करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, अजय जी चले गए, यहां नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी इस बात को माने या न माने,

में पर्सनली इस बात को मानता हूँ और शायद आप भी इस बात को जानते हैं क्योंकि आप इस सदन में रहे हैं। अगर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें अजय चन्द्राकर जी का बहुत बड़ा योगदान है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने पिछली विधान सभा में जितने मुद्दे यहां उठाए हैं, मेरी ख्याल से पूरी भारतीय जनता पार्टी उन मुद्दों को बाहर नहीं उठा सकी।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- अध्यक्ष महोदय, अभी अजय चन्द्राकर जी 15-20 मिनट इनके पास बैठकर गए थे, उससे प्रभावित होकर यह ऐसी बात कह रहे हैं। वैसे इनकी हार्दिक इच्छा नहीं है ऐसी बात कहने की (हंसी)।

श्री उमेश पटेल :- लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको नहीं मानती और अजय चन्द्राकर जी और उनके साथी। चाहे बृजमोहन जी हो, शिवरतन शर्मा जी हों, धरमलाल कौशिक हों या आप स्वयं हों। एक परसेप्शन क्रियेट किया गया, परसेप्शन इस तरह से कि सदन का उपयोग करके कांग्रेस सरकार के खिलाफ या भूपेश बघेल के खिलाफ ऐसा परसेप्शन क्रियेट किया गया, जिसमें वे सफल भी हुए। मैं तो सफल मानता हूँ। परसेप्शन यह क्रियेट किया गया कि भूपेश बघेल की सरकार कर्ज ले लेकर छत्तीसगढ़ को डुबा दी। इसमें वे सफल भी हुए। अध्यक्ष महोदय, आज हमारे कई सदस्य हैं।

श्री राजेश मूणत :- उमेश भाई, सफल हुए तो गलतियां बता-बताकर सफल हुए ना।

श्री रामकुमार यादव :- तुमन कर्ज ले हो तेला बताही, अभी रा ना। तुमन रूक तो जावा। सुन तो लीजिए, आप कैसे खड़े हो गये हो, सुन तो लें, कतेक कर्ज ले हस तेला बताही।

श्री राजेश मूणत :- भाई, एक मिनट रूक तो जाओ। मैं कैसे खड़ा हुआ, मैं अध्यक्ष जी से पूछकर खड़ा हुआ। उमेश से बात कर रहा हूँ, भाई। यादव महाराज ज्यादा परेशान मत होईए। अगर कर्ज लिया तो 15 साल में कितना कर्ज लिया और 5 साल में कितना कर्ज लिया? दो कर्ज हैं, हमारी सरकार 15 साल रही, 40 हजार करोड़ से कम कर्ज लिया। आपने पांच साल में ऐसा कौन सा काम किया है, प्रदेश के अंदर ऐसा कौन सा इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिए जिसमें आपको 40 हजार करोड़ का कर्ज लेना पड़ा। जरा उसमें प्रकाश डालोगे तो अच्छा लगेगा।

श्री उमेश पटेल :- अजय जी पूरी बात सुनिए। Sorry आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए।

श्री राजेश मूणत :- नेता प्रतिपक्ष जी ने पहले ही बता दिया कि आप प्रभावित हो। जादू टोना हो गया है।

श्री उमेश पटेल :- आप मेरी बात सुन लीजिए। आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी, मैं यह कहना चाहता हूँ, मैं उनको इसलिए कहता हूँ कि उनका सबसे बड़ा योगदान है, उन्होंने इस सदन का उपयोग करके गलत परसेप्शन क्रियेट किया। राजेश जी, मैं इसके पीछे का एक कारण बताता हूँ। आप अगर यह कहेंगे कि...

डॉ. चरणदास मंहत :- आप तो अपने वित्त मंत्री की ओर जा ही नहीं रहे हो। उधर जाईए न, जिनके बारे में बोलना है। (हंसी)

श्री उमेश पटेल :- अध्यक्ष महोदय, यह पहली बार बजट प्रस्तुत किए हैं।

श्री राजेश मूणत :- दोनों पड़ोसी हैं और प्यार मोहब्बत की दोस्ती है।

श्री उमेश पटेल :- भैया 3 किलोमीटर बगल में गांव है, कैसे कर रहे हो।

श्री राजेश मूणत :- भैया, आपके विधान सभा क्षेत्र के रहने वाले हैं तो थोड़ा ध्यान रखना ही पड़ेगा ना।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, राजेश जी, आपने कहा कि....।

(माननीय सदस्य, श्री अजय चंद्राकर जी सदन में प्रवेश करने पर)

श्री राजेश मूणत :- वो आ गए। (हंसी)

श्री रामकुमार यादव :- सदन में एखर कस लबारी कोनो नई मारे।

श्री उमेश पटेल :- अजय जी, मैं बता रहा था कि आपने भूपेश बघेल जी के खिलाफ, कांग्रेस की सरकार के खिलाफ, इस सदन का उपयोग करके किस तरह से एक झूठा परसेप्शन क्रियेट किया। आपके साथी उसमें सहयोगी रहें। आपने कहा कि भूपेश बघेल की सरकार...।

समय :

2:17 बजे

(सभापति महोदय (श्री प्रबोध मिंज) पीठासीन हुए)

श्री राजेश मूणत :- उमेश भैया, आज आप बोलते-बोलते आपके साथी कह रहे हैं। भैया, उस समय साथी कौन था ?

श्री उमेश पटेल :- मैंने बता तो दिया।

श्री राजेश मूणत :- यह कन्फ्यूज मत करिए।

श्री उमेश पटेल :- कन्फ्यूज नहीं किया। आपने सुना नहीं, उस समय इनके साथी शिवरतन शर्मा जी थे।

श्री राजेश मूणत :- यही तो परेशानी है, उधर के भी कुछ थे।

श्री उमेश पटेल :- शिवरतन शर्मा जी, अजय जी।

श्री रामकुमार यादव :- मेहनत करे मुर्गी, अंडा खाए फकीर।

श्री उमेश पटेल :- अब एक लाईन पूरा हो जाने दीजिए, ठीक है। उसके बाद बोलिएगा। मैं फिर से पहली लाईन शुरू करता हूँ।

डॉ. चरणदास मंहत :- सभापति महोदय, माननीय अजय जी आ गये हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप सदन के अंदर हमारे साथियों के पास न बैठा करें। उनको दिग्भ्रमित मत किया करें। आप

जब से बैठे हैं, वे आपकी ही चर्चा कर रहे हैं। राजेश मूणत जी ने बताया कि आप जादू टोना करते हो, वह करना बंद करें। (हंसी)

श्री उमेश पटेल :- नेता जी, शायद आप बात को समझ नहीं रहे हैं। आप समझिए।

श्री राजेश मूणत :- अब नेता जी भी नहीं समझ रहे हैं। (हंसी)

श्री उमेश पटेल :- राजेश जी, आप बोल रहे हैं ना, मैं अभी आपकी बात पर आता हूँ। एक परसेप्शन क्रियेट किया गया कि कर्ज ले लेकर छत्तीसगढ़ को डूबा दिया। मैं उसी में आ रहा हूँ। माननीय सभापति महोदय, आप कर्ज को किस तरह से नापोगे। कर्ज नापने का पैमाना क्या है, आप GDP से कर्ज नाप सकते हैं। आपका Debt to GDP Ratio कितना है ? राजेश जी, वर्ष 2018 तक आपकी सरकार रही है। वर्ष 2018 में टोटल Debt लगभग 41 हजार करोड़ था। उस समय GDP 2 लाख 77 हजार थी। Debt to GDP Ratio लगभग 14 से 15 प्रतिशत के बीच में हुआ। आप इसको समझिएगा, इसको नोट कर लीजिए। माननीय सभापति महोदय, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार छोड़ी तब लगभग 91 हजार करोड़ कर्ज था। अगर आप इसमें GDP ऋण और पूंजीगत व्यय के लिए प्राप्त ऋण को हटा देंगे तो ऋण 81,984 करोड़ रूपए हो जाता है। अभी GDP कितना है ? 5 लाख । परसेंट कितना हुआ ? 16 परसेंट । जब कांग्रेस पार्टी ने यहां सरकार बनाई तो Debt-to-GDP Ratio 14 से 15 प्रतिशत के बीच में था । जब कांग्रेस ने सरकार छोड़ी, तब Debt-to-GDP Ratio 16 परसेंट था । आपने जो परसेप्शन क्रिएट किया कि कांग्रेस सरकार लगातार कर्ज लेकर छत्तीसगढ़ को डूबा रही है । अगर आप GST के प्रतिपालन को आप हटा देंगे तो यहां Debt-to-GDP Ratio सिर्फ 16 प्रतिशत था। ये कर्ज की स्थिति थी । इन पाँच सालों में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने लगभग 50 हजार करोड़ के आसपास कर्ज लिया । अगर आप उसको सालाना Divide करेंगे तो प्रतिवर्ष 10 हजार करोड़ के आसपास आएगा । इस सरकार ने अभी दो महीने में कितना कर्ज ले लिया ? इन दो महीनों के अंदर में इस सरकार ने 13 हजार करोड़ रूपए का कर्ज लिया है । (शेम-शेम की आवाज) जब प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो Covid जैसी महामारी से भी हम जुझ रहे थे । उस समय भारत सरकार ने भी हमें कर्ज लेने की छूट दी थी । उस समय की स्थिति को देखते हुए हमारी सरकार ने सिर्फ 50 हजार करोड़ कर्ज लिया और आपने केवल दो महीने में 13 हजार करोड़ कर्ज ले लिया है । अगर आप कर्ज की बात करेंगे तो प्रदेश को कहीं ले जाएंगे।

श्री राजेश मूणत :- मैं यह सब चीजें समझता नहीं हूँ । मैं तो केवल इतना ही पूछना चाहता हूँ कि अगर आपने 50 हजार करोड़ रूपए का लोन लिया तो आपने छत्तीसगढ़ की जनता के हित में भविष्य की दृष्टि से ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया ? (मेजों की थपथपाहट) कोई एक उदाहरण दे दीजिए । मैंने पूर्व मुख्यमंत्री जी से पूछा कि रायपुर में आप एक काम गिना दो, जिसका पाँच साल में आपने स्वयं भूमिपूजन किया हो, उसका लोकार्पण किया हो । अगर आपने पैसा लिया और आप अपनी वाहवाही लूटने के लिए कहा कि जनसम्पर्क में 800 करोड़ रूपए, प्लेन यात्रा में 268 करोड़ रूपए खर्च

किए । उतने में हेलीकाप्टर, प्लेन आ जाता । आपने कहां की यात्रा की, यही तो असली चीज है । जो लीकेज है, जो गड़बड़ियाँ है, वह यही चीज है । आप सुझाव दीजिए, हम उसका स्वागत करेंगे ।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, मैं उस पर भी कहूंगा, लेकिन मुझे अपनी बात कहने दीजिए । आपने दो महीने में 13 हजार करोड़ रूपए कर्ज लिए । आपने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ को बरबाद कर दिया । ये *Forbes India* की *Magazine* है, यह बहुत Reputed *Magazine* है । इसमें Debt-to-GDP Ratio का State wise list किया हुआ है । सबसे खराब Debt-to-GDP Ratio किसका है और सबसे अच्छा Debt-to-GDP Ratio किसका है । राजेश जी, सबसे खराब Debt-to-GDP Ratio अरुणाचल प्रदेश का है, जिसका Debt-to-GDP Ratio इस *Magazine* के हिसाब से 53 प्रतिशत है और सबसे अच्छा उड़ीसा का Debt-to-GDP Ratio है, दूसरा सबसे अच्छा गुजरात का Debt-to-GDP Ratio है, तीसरा सबसे अच्छा Debt-to-GDP Ratio महाराष्ट्र का है, चौथे नम्बर पर सबसे अच्छा Debt-to-GDP Ratio कर्नाटक और पाँचवा सबसे अच्छा Debt-to-GDP Ratio छत्तीसगढ़ का है । इस *Magazine* के हिसाब से Debt-to-GDP Ratio पाँचवा सबसे अच्छा छत्तीसगढ़ का है । हमने कोरोना महामारी के समय में 50 हजार करोड़ रूपए का कर्ज लिया, आपने छत्तीसगढ़ में यह परसेप्शन बना दिया कि छत्तीसगढ़ सरकार कर्ज ले लेकर डूबा रही है । आपने दो महीने में 13 हजार करोड़ रूपए का कर्ज ले लिया । यह *Forbes India Magazine* जो प्रकाशित कर रही है, उसमें छत्तीसगढ़ का अलग पिकचर दिखा रहा है ।

श्री राजेश मूणत :- यह कहाँ की *Magazine* है, मैंने आजतक नाम नहीं सुना ।

सभापति महोदय :- मूणत जी, कृपया उनको बोलने दीजिए ।

श्री उमेश पटेल :- आप निकाल लीजिएगा, आपको मिल जाएगा । सभापति महोदय, यह छत्तीसगढ़ की स्थिति है । अब Debt-to-GDP Ratio आप देखिए कि इस *Magazine* के हिसाब से उत्तरप्रदेश कितने नम्बर में है, 14 वें नम्बर में है । अगर टॉप से खराब की ओर जाएंगे तो उत्तर प्रदेश 14 वें नम्बर पर है । मध्यप्रदेश 16वें नम्बर पर है । उत्तर प्रदेश का Debt-to-GDP Ratio 31 प्रतिशत है, मध्यप्रदेश का 30 प्रतिशत है और हमारा 16 प्रतिशत है। लेकिन हम लोगों ने छत्तीसगढ़ को बर्बाद कर दिया। यह तो राज्य की बात हो गई। माननीय सभापति महोदय, केन्द्र सरकार का debt to G.D.P. ratio कितना है ? अभी वहां अंतरिम बजट प्रस्तुत हुआ। मैं वर्ष 2022-23 के प्रस्तुत बजट के हिसाब से बात कर रहा हूँ। केन्द्र सरकार का debt to G.D.P. ratio 57 प्रतिशत है और हमारा कितना है ? 18-19 प्रतिशत है, 16 प्रतिशत है और हम लोगों ने छत्तीसगढ़ को बर्बाद कर दिया। देश की सरकार 57 debt to G.D.P. ratio है। 57 प्रतिशत debt to G.D.P. ratio केन्द्र सरकार है। ज्यादातर राज्यों में आपकी सरकारें हैं। अगर उनके debt को शामिल करके जोड़ दें तो वह 28 प्रतिशत होता है। स्वयं केन्द्र सरकार का 57 प्रतिशत और 28 प्रतिशत अलग अलग राज्य सरकारों का है, अगर इन दोनों को जोड़े तो 85 प्रतिशत

होता है। माननीय सभापति महोदय, आई.एम.एफ. ने एक वार्निंग लेटर हिन्दुस्तान की सरकार को भेजा है। वार्निंग नहीं, क्या बोलना चाहिए ?

श्री राजेश मूणत :- चेतावनी ?

श्री उमेश पटेल :- हां, एक तरह से वही। सभापति महोदय, उसमें यह कहा गया है कि debt to G.D.P. ratio केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों का मिलाकर अभी 85 प्रतिशत है। अगर वह 100 प्रतिशत तक जाता है तो हिन्दुस्तान में inflation uncontrollable हो जायेगा। इसलिए इसको नियंत्रित करने की आवश्यकता है। सभापति महोदय, ये वास्तविक स्थिति है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, रायपुर में जितने बड़े-बड़े औद्योगिक घराने हैं, वे सब खरसिया के हैं। खरसिया में अभी भी बड़े-बड़े लोग हैं। खरसिया के सेठ लोगों की वित्तीय समझ ठीक रहती है। पटेल जी सेठों के संगत में पले-बढ़े हैं।

सभापति महोदय :- अजय चन्द्राकर जी, इनके बाद आपका नाम है। आप ओपनिंग करेंगे तो बोल लीजियेगा।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, मैं एच.एस.बी.सी. में एक कन्सल्टेंट के रूप में काम करता था और मेरा यही काम था, बजट्स का अध्ययन करना और इनके हिसाब से product develop करना था। तो यह मैंने किसी से सीखा नहीं है। यह मेरे काम का करने का हिस्सा था।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदय, यह तो आपके काम था, आपने बढ़िया अध्ययन किया तो कभी कभी प्रयोगशाला में देखना भी पड़ता है। तो आप खरसिया के प्रयोगशाला में देखे भी होंगे।

उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, राजेश जी, आपने क्या प्रश्न पूछा था ? आप पूछे थे कि क्यों कोई इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं है।

सभापति महोदय :- उमेश जी, आप सदन में चर्चा कर रहे हैं। आप राजेश मूणत जी या अजय चन्द्राकर जी चर्चा नहीं कर रहे हैं। आप इधर मुखातिब होईये, इधर-उधर मत देखिये, आप अपनी बात रखिये न।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, चलिये, मैं आप ही की ओर मुखातिब होकर बात करता हूँ। माननीय वित्त मंत्री ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उनका स्पीच बहुत अच्छा रहा और बहुत लंबा स्पीच था। इसमें बहुत सारी चीजें हैं। इसमें जान की भी बात आई, इसमें किस तरह से कैपेक्स को लगभग 20 प्रतिशत बढ़ाकर 100 रुपये खर्च करके 247 रूपया वापस लाने की बात की, 247 रूपया जी.डी.पी. में बढ़ोत्तरी की बात कही। बहुत सारी बातें आईं। सभापति महोदय, मैं कैपेक्स से ही शुरू करता हूँ। राजेश जी, आप कह रहे थे । कैपेक्स को अगर आप इस तरह से नापेंगे कि पिछली सरकार का एमाउंट टू एमाउंट कितना था तो आपको 20 प्रतिशत बढ़ोतरी दिखेगा । अध्यक्ष महोदय, जो एस्टीमेट पिछली सरकार ने लगाया था, वह 1 लाख 11 हजार करोड़ का था और उसमें 18 हजार करोड़ रुपये कैपेक्स की

बात कही थी, वह 16 प्रतिशत था। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को मानता हूँ कि यह कैपेक्स कम है, यह ज्यादा नहीं है, इसे और बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि जितना कैपेक्स बढ़ेगा, छत्तीसगढ़ की उतनी अधिक उन्नति होगी, मैं इस बात से सहमत हूँ, मैं इससे अलग नहीं कह रहा हूँ, लेकिन पिछली सरकार ने बजट का जो टोटल एस्टीमेट 1 लाख 11 हजार करोड़ का बनाई थी, उसमें कैपेक्स 16 प्रतिशत था। अभी जो वित्त मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, वह 1 लाख 47 हजार करोड़ का बजट है और उसमें कैपेक्स का प्रतिशत केवल 15 है। सभापति महोदय, पिछली सरकार अपने टोटल बजट का कैपेक्स 16 प्रतिशत करने जा रही थी, आप इस साल 15 प्रतिशत कर रहे हैं? आप यह कहते हैं कि हम कैपेक्स बढ़ा रहे हैं, एमाउंट टू एमाउंट डिक्लेयर कर दीजिएगा, हर साल बढ़ेगा? आपका जी.डी.पी. हर साल बढ़ रहा है, आपका टोटल बजट हर साल बढ़ रहा है, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? आप एमाउंट टू एमाउंट कम्पेयर करेंगे? सभापति महोदय, एमाउंट से एमाउंट कम्पेयर करेंगे तो आपका कैपेक्स बढ़ा हुआ होगा? माननीय सभापति महोदय, मैं इस बात से सहमत हूँ कि हमें कैपेक्स और बढ़ाने की आवश्यकता है और यह होना चाहिये।

श्री राजेश मूणत :- सभापति महोदय, कैपेक्स क्या होता है, मैं समझ नहीं पाया हूँ।

सभापति महोदय :- मूणत जी, आप बोल लीजिएगा, जब आपकी पारी आयेगी।

श्री राजेश मूणत :- सभापति महोदय, मैंने पहले ही कहा है कि मैं वित्त की ए.बी.सी.डी. नहीं जानता हूँ, मैं जमा खर्च जानता हूँ। आवक और जावक, इतना पैसा आया और इतना गया। छत्तीसगढ़ सरकार ने लोन लेकर घाटा पूर्ति कर लिया...।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप हिसाब में आवक-जावक जानते हो, वह नोट को इतना ऊंचा-ऊंचा देखना जानता है।

श्री राजेश मूणत :- सभापति महोदय, मेरा इतना ही निवेदन है कि वित्त मंत्री जी ने अपने बजट में जो बात कही, जो उन्होंने विजन दिया, आगे की जो कल्पना बताई, मैं इतना ही समझना चाहता हूँ कि आपके इस 5 साल के कार्यकाल में जब 41 हजार करोड़ का लोन आपने लिया, ऐसा कोई तस्वीर छत्तीसगढ़ के सामने पेश होता है क्या जिसके अंदर मेडिकल कॉलेज खुल गये हों, कोई ऐसी चीज खुल गई हो। अंधा बांटे रेवड़ी चुन-चुन कर दे। नरवा, घुरवा, बाड़ी पैसा कहां जाये, पता नहीं? मैं तो राजधानी का उदाहरण दे रहा हूँ, यह छत्तीसगढ़ की राजधानी है। यह मेरी आपकी नहीं है। विगत 5 साल में राजधानी में कोई एक इमारत बता दें कि आपके कार्यकाल में फिक्स एसेट्स के रूप में खड़ा हुआ हो। मैं आगे कुछ नहीं पुछूंगा।

श्री उमेश पटेल :- शायद आप बात को नहीं समझ पा रहे हैं।

सभापति महोदय :- उमेश जी, आप उनको संबोधित न करें। आप पूरे सदन में बात रख रहे हैं।

श्री उमेश पटेल :- वह शायद समझ नहीं पा रहे हैं ।

सभापति महोदय :- वह शायद समझ नहीं पा रहे हैं । अभी सदन में चर्चा हो रही है ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, मैंने बॉरोइंग की बात की, मैंने कैपेक्स की बात की है । जो हमारा रिवाइज्ड बजट रहा है, जो एक्युअल बजट है या पुनरीक्षित बजट है, यह वर्ष 2023-2024 का जो रिवाइज्ड बजट था, यह मैंने डिटेल्स फायनेंस डिपार्टमेंट के साईट से ही निकाली है । इसमें जो टोटल बजट का साईज हुआ है, वह 1 लाख 48 हजार करोड़ का हुआ है, जो कि हमारा एक्सपेंडिचर 1 लाख 21 हजार का एक्सपेक्टेड था, उससे लगभग 22 प्रतिशत इंक्रीमेंट है । माननीय सभापति महोदय, यह हमारा जो डेफिसिट था, वह भी एक्सपेक्टेड 3 प्रतिशत का था, जो लगभग 6.5 प्रतिशत का हुआ । माननीय सभापति महोदय, अभी जो बजट अनुमान 1.48 लाख करोड़ का लगाया गया है, उससे लगभग 1 हजार करोड़ के आसपास कम है । इस साल बजट अनुमान लगाया गया है, वह 1.47 लाख करोड़ के आसपास है । यह लगभग .8 प्रतिशत कम होता है, इसका मतलब यह होता है कि हम लोग कहीं न कहीं खर्चों में कमी किये हैं या ऐसा अनुमान लगाये हैं कि कुछ चीजों में खर्च कम होगी । अध्यक्ष महोदय, कहां-कहां कम होगी ? सभापति महोदय, मैं अलग-अलग बजट को देख रहा था । जो कमिटेड बजट है, उसमें कमी नहीं हुई है, कमिटेड बजट अभी भी 50 हजार 624 करोड़ का है, जिसमें सैलरी, पेंशन, इंटरैस्ट पेमेंट आता है, यह कमिटेड बजट है, इसको कोई कम कर ही नहीं सकता है ।

सभापति महोदय, एग्रीकल्चर एंड एलाईड एक्टिविटी। इसमें पिछले साल लगभग 33 हजार 719 करोड़ रुपये actual expenditure हुआ है । मैंने इसमें जल संसाधन विभाग को भी जोड़ा है और जो सारी एलाईड एक्टिविटी है, उनको भी जोड़ा है। इस बार expected budget 23 हजार 357 करोड़ रुपये का है। इसमें लगभग 31 प्रतिशत की कमी है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यही पूछना चाहता हूं कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और उसके सारी एलाईड एक्टिविटी में इतनी कमी क्यों ? यह ठीक है कि हमने जो वन टाइम बोनस दिया, शायद उसकी अभी आवश्यकता नहीं है और वह शायद 03 हजार 600 करोड़ रुपये रहा होगा। लेकिन इसी सदन में इसी सत्र के दौरान कृषि उन्नति योजना के लिये अनुपूरक लाया गया, जिसमें 12 हजार करोड़ रुपये दिया गया। मेरा यह मानना है कि यह 12 हजार करोड़ रुपये डिफरेंस की राशि है। अभी कृषि उन्नति योजना के लिये बजट में एक्सपेक्टेड कितनी राशि रखी गयी है ? उसमें 10 हजार करोड़ रुपये रखा गया है। जब आप अनुपूरक लाकर 12 हजार करोड़ रुपये दे रहे हैं, आपको पता है कि जो डिफरेंस राशि है, इसमें टोटल खर्च 12 हजार करोड़ रुपये का है। आपने एक्सपेक्टेड बजट में उस राशि को कम करके 10 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है। अभी मैंने बताया कि आपने कृषि के क्षेत्र में 31 प्रतिशत बजट कम दिया है। क्या इसका मतलब यह है कि आप किसानों को पैसा नहीं देने वाले हैं ? क्या इसका मतलब यह है कि डिफरेंस की राशि जो लगभग 12 हजार करोड़ से 14 हजार करोड़ रुपये के आस पास बैठ रही है, उसमें आप कमी करके 10 हजार करोड़

रूपये खर्च करने वाले हैं क्योंकि मुझे कृषि उन्नति योजना में 10 हजार करोड़ रूपये कम दिखा। इसको आपने अपने बजट भाषण में या वित्त विभाग की वेबसाईट में फ्लैगशिप प्रोजेक्ट के नाम से रखा है।

सभापति महोदय, इसी तरह आपकी महतारी वंदन योजना, जो आपका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। मैंने महतारी वंदन योजना के अंतर्गत देखा कि इसके लिये बजट में एक्सपेक्टेड व्यय 03 हजार करोड़ रूपये का रखा गया है। मुझे जो जानकारी मिली है उसके तहत लगभग 72 लाख आवेदन आये हैं, इस आंकड़े में थोड़ा-सा ऊपर-नीचे हो सकता है। आप 72 लाख आवेदनकर्ताओं को 12 महीने के लिये 1,000 रूपये देंगे, इसमें आपको 08 हजार करोड़ रूपये के आस-पास की राशि लग जायेगी और आपने इसके लिये बजट में 03 हजार करोड़ रूपये की व्यवस्था की है। इसका मतलब क्या है ? यह एक तिहाई राशि है। इसका मतलब यह है कि आप या तो इस योजना में इतनी ही राशि देना चाहते हैं, जो आपको लोकसभा तक चल सके या यदि आप सही में इस योजना को चलाना चाहते हैं तो आप इसमें अनुपूरक लायेंगे और उसमें बाकी की व्यवस्था करेंगे। लेकिन यदि आप अनुपूरक में ले भी आये तो आपने इनकम को ऑलरेडी estimate कर लिया है। इसमें इनकम बढ़ने की बहुत ज्यादा गुंजाईश नहीं है, फिर सरकार कहां जायेगी ? फिर सरकार लोन लेने जायेगी। सरकार के ऊपर ऑलरेडी 13 हजार करोड़ रूपये का लोन हो चुका है। अब यह लोन और कितना बढ़ेगा ? इस साल यह लोन लगभग 20 हजार करोड़ रूपये के आस-पास होगा, जो माननीय भूपेश बघेल जी के कार्यकाल में प्रतिवर्ष औसतन लोन लिया गया, उससे लगभग डबल लोन होगा। मैं यह कहना चाहता था।

सभापति महोदय, इसी तरह मुझे याद है कि जो हमारे साथी हैं, यह लोग चिल्ला-चिल्लाकर बोलते थे कि बेरोजगारी भत्ता के लिये 18 लाख लोग पंजीकृत हैं और आप सिर्फ इतने लोगों को बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं। आप अनुपूरक लाते हैं कि बेरोजगारी भत्ता जारी रहेगा और उसमें कितना बजट पास करते हैं ? उतना ही बजट पास करते हैं, जितना हमने किया था। इसका मतलब क्या हुआ ? इसका मतलब यह हुआ कि आप उसी पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं। आप उस योजना का नाम बदल सकते हैं क्योंकि धर्मजीत भैया, नाम में कुछ नहीं है, नाम तो कुछ भी हो सकता है, मैं नाम में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन पॉलिसी तो वही होने वाली है। आप जो यहां चिल्ला-चिल्ला कर, छत्तीसगढ़ की जनता के दिमाग में Perception बनाये। इसलिए मैं यह कहता हूँ कि आप लोगों का यह Perception बनाने में बहुत बड़ा योगदान है। वह असत्य Perception था, जो आपने बनाया। मुझे जो बजट कम दिखा। एक तो एग्रीकल्चर एनालाईज्ड एक्टिविटी में कम दिखा। मुझे जो बजट कम दिखा वह एनर्जी सेक्टर में कम दिखा। एनर्जी सेक्टर में जो रिवाइज्ड बजट हुआ, जो पिछले साल का एकचुअल बजट रहा, उसमें खर्च लगभग मोटा-मोटी 8 हजार 100 करोड़ रूपये का खर्च रहा। यह खर्च 8 हजार 100 करोड़ रूपये से थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। इस बार जो बजट प्रस्तुत किया गया है वह लगभग 8 हजार करोड़ रूपये का है।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, आप बढ़िया बोल रहे हैं, लेकिन यहां उसे दो ही लोग समझ पा रहे हैं। एक तो अमर अग्रवाल जी और दूसरे ओ.पी. चौधरी साहब हैं।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, आपको यह पता है कि यह सब तीनों के तीनों लोग खरसिया के हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, हमको क्या लेना देना है। हम प्रति माह महिलाओं को 12 हजार रुपये देंगे। मतलब हम यह राशि देंगे। चाहे हम जैसे भी दें, हम यह देंगे। आपको क्या लेना-देना है। इतना दिमाग में जोर डाल रहे हैं। हम किसानों को देंगे, चाहे हम जैसे भी करके दें।

श्री अमर अग्रवाल :- माननीय उमेश जी, आप तुलना करिये। पिछला बजट Estimate मेन फरवरी में आया था। आप आर.ई. से तुलना कर रहे हैं। अभी इस सरकार का अनुपूरक आना बाकी है। तीसरा, मैं आपके नॉलेज के लिए एक और बात बता देता हूँ कि अभी आर.ई. का जो बजट है, वह फुल फाईनल नहीं है। जब ए.जी. की ऑडिट हो जाती है। अगले बार आएगा जब एक्चुअल Expenditure और एक्चुअल इंकम आती है। इसलिए आप जो है कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा जोड़कर, जो तुलना कर रहे हैं यह ठीक नहीं है। आप ए.जी. की रिपोर्ट आ जाने दीजिए। आपको मालूम पड़ जाएगा।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अमर जी, मैं तो उसी डाटा की बात कर रहा हूँ।

श्री अमर अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, इसीलिए आप बार-बार मेरी तरफ देख रहे थे कि मैं इसमें कुछ बोलूँ। मैं यह चाह रहा था कि मैं इस पर नहीं बोलूँ क्योंकि आप जानते हैं कि मैं आपके असत्य कथन को समझ रहा हूँ।

श्री धर्मजीत सिंह :- भईया, मैंने बोलवा लिया।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय धर्मजीत जी, यह तीनों खरसिया के हैं और खग जाने खगही के भाषा। यह तीनों एक दूसरे की भाषा को समझ रहे हैं। आप बीच में मत आईये। फिर यह गड़बड़ हो जाएगा।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, मैंने तो आपकी ही बात को बोला। यह जो बोल रहे हैं उसे यही दो लोग समझ रहे हैं। मैंने यही तो कहा है।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, मुझे यह पता है कि यह आर.ई. पूरा नहीं हुआ है। अभी ऑडिट नहीं हुआ है, लेकिन एक estimate तो पता चलता है कि कितना हुआ है।

श्री अमर अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, इसमें मेन बजट और इस बजट की तुलना होगी। जब इस सरकार का दो अनुपूरक आ जाएगा, तब आप तुलना कर लेना। तब आपको सारा कैपेक्स और सब समझ में आ जाएगा।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अमर जी, मैंने अपने भाषण में यही कहा कि आपने बजट का Estimate रखा है उसके बाद हो सकता है कि आप अनुपूरक लायें। यह तो मैं कह रहा हूँ मैंने इस बात का नकारा नहीं है। मैं यह कह रहा हूँ कि आपको अनुपूरक बजट लाना पड़ेगा। यह अनुपूरक बजट...।

श्री अमर अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, एक प्रक्रिया है।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, मैं वही बोल रहा हूँ कि इस बजट में उसकी व्यवस्था बनानी पड़ेगी। क्योंकि आपने महतारी वंदन योजना में 3 हजार करोड़ रुपये दिया है। अगर आपने इस योजना के लिए 3 हजार करोड़ रुपये दिया है तो यह आगे होगा ही।

सभापति महोदय :- माननीय उमेश जी, काफी वक्ता हैं। अभी चर्चा में 10 लोग हैं। आप थोड़ा जल्दी समाप्त करें।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, मैं अपने दल का पहला वक्ता हूँ।

सभापति महोदय :- आप इधर-उधर का जवाब मत दीजिए। आप अपनी बात रखिये। अंत में माननीय वित्त मंत्री जी सभी बातों का जवाब देंगे।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति महोदय, पहली ले टेक्निकल बात करत हौ तो सब बेहोश हो गे हे। तुंहर बात ला बढावौ। आप बढिया बात बोलत हो।

श्री राजेश मूणत :- माननीय सभापति महोदय, क्या है माननीय उमेश भईया बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। मैं तो केवल इतना ही कहता हूँ कि इधर-उधर की बात छोड़, यह बता कारवां लूटा क्यों?

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, देखिए। क्या है कारवां तो लूट चुका है।

सभापति महोदय :- माननीय उमेश जी, आप जवाब मत दीजिए। आप अपनी बात रखिए। आखिरी में वित्त मंत्री जी जवाब देंगे।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, कारवां तो लूट चुका है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय उमेश भईया, आप इधर के कारवां की बात छोड़िए। आपका कारवां कैसे लूटा, वहां से शुरुआत होनी चाहिए।

सभापति महोदय :- माननीय द्वारिकाधीश जी आप अपने समय में बोल लीजिएगा।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, हमारा कारवां तो लूट चुका है इसलिए हम लोग इधर आ गये हैं। आप मेरे वाक्य को पूरा तो होने दीजिए।

सभापति महोदय :- आप उनको बोलने दीजिए।

श्री राजेश मूणत :- माननीय सभापति महोदय, एक मिनट। चलिये ठीक है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति जी, वह बोल रहे हैं तो उनको बोलने तो दीजिए।

सभापति महोदय :- आप फिर बीच में आ गईं, उनको बोलने दीजिए। यह टोकाटाकी अच्छी बात नहीं है। देखिये, आप लोग सदन की गरिमा को ध्यान में रखिये, उनको बोलने दीजिए।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, कारवां तो लूट चुका है इसीलिए इधर आ गये हैं। लेकिन यह बताईये कि आप वहां पीछे क्यों चले गये? हम तो आपको यहां देखने के आदी थे। आपको याद है कि जब आपसे प्रश्न किया करते थे तो आप यहां बैठे रहते थे। इतने सारे सदस्यों को दिख रहा है कि यह यहां बैठते थे।

श्री राजेश मूणत :- मैं इतना ही पूछा हूं कि कारवां लूटा क्यों, खजाना डूबा क्यों?

श्री उमेश पटेल :- मूणत जी, आप विश्वास खो चुके हैं। आपका कारवां लूट चुका है। अजय चन्द्राकर जी, पुन्नूलाल मोहले जी, अमर अग्रवाल जी हैं, हम लोग आप लोगों को यहां सामने में देखने के आदी थे, लेकिन वह कारवां लूट चुका है। लेकिन जो हो चुका है, हो चुका है। राजेश जी, आज की बात करते हैं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति जी, यही बात हम अजय चन्द्राकर जी से पूछना चाह रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- उमेश जी, पुन्नूलाल मोहले जी का कुछ नहीं लूटा है, वह पूरे एक्टिव हैं, पूरे खड़े हैं।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय सभापति जी, उमेश जी के लिए एक शेर है :-

किसी का कुछ नहीं लिया मैंने, अपना सब कुछ गवां दिया मैंने

उसने थोड़ी सी रोशनी क्या मांगी, तो अपना घर जला दिया मैंने।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, मैं तो यह चाहता हूं कि इस बार के सदन में हमारे बहुत सारे सदस्य कलाकार लोग आये हैं। मार्च महीने में होली का त्यौहार है।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य अनुज शर्मा जी ने बात की है, उसका जवाब तो देना पड़ेगा।

सभापति महोदय :- कुंवर सिंह निषाद जी, आप बैठिये। आप अपने समय में उनको जवाब दे दीजियेगा।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति जी, जवाब देना पड़थे।

सभापति महोदय :- रामकुमार जी, आप बैठिये। आप हर बात में बोल देते हैं।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, इतने समय में मेरी बात हो जाती।

सभापति महोदय :- कुंवर सिंह निषाद जी, आपका नाम है, आप अपने समय में बोल लीजियेगा।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति जी, भाषण देते हे मोर उमेश पटेल जी हा और सब के बया भुलाये हे।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति जी, यह तो 10 सेकंड में ही हो जाता, हम लोग ज्यादा देर तक चर्चा किये। हमारे माननीय साथी अनुज भाई ने कहा, मैं उमेश जी के लिए उसका जवाब देना चाहता हूँ :-

हिफाजत ऐसी न हो कि हफीज गायब हो जाये  
दवा ऐसी न हो कि मरीज गायब हो जाये,  
कद्रदानी खूब बढ़े और हमदर्दी भी,  
तारीफ ऐसी न हो कि तमीज गायब हो जाये।

सभापति महोदय :- उमेश जी, आप अपनी बात को रखिये और समाप्त करिये, आगे और 9 लोगों को बोलना है। बाद के वक्ताओं में, चर्चाओं में समय कम मिल पाता है, इसलिए आप थोड़ा सा सहयोग करें।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, जो हमारा अभी टोटल income resit expected है, उसमें सबसे बड़ा शेयर state one tax का होता है, जिसमें सबसे बड़ा शेयर स्टेट जी.एस.टी. का है। स्टेट जी.एस.टी. में हम लोग लगभग, फिर मैं रिवाइज से कंपेयर कर रहा हूँ, रिवाइज से कंपेयर करने से लगभग 25 प्रतिशत increase करने का हमने यह बजट प्रस्तुत किया है। यह बहुत अच्छी बात है। जो हमारा स्टेट जी.एस.टी. है, वह बढ़ना चाहिए। लेकिन क्या स्टेट जी.एस.टी. बढ़ाने के चक्कर में छत्तीसगढ़ में ऐसा माहौल न बन जाये कि व्यापारियों में खौफ का माहौल हो ? रायगढ़, खरसिया, बिलासपुर में जिस तरह से धमाधम कार्रवाई हो रही है, जिस तरह से कार्रवाई पर कार्रवाई हो रही है। यह वातावरण न बना दिया जाये कि इससे व्यापारियों को बिजनेस करने में असफलता हो या उनको परेशानी हो। इसको भी ध्यान रखने की जरूरत है। हम बढ़ायें, इसमें जितना increase कर सकते हैं, हम बिल्कुल बढ़ायें, लेकिन अनावश्यक कार्रवाई से भी हमें बचकर रहना पड़ेगा। मैं आप सबसे यही कहूंगा। माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा था कि यह मोदी की गारंटी को पूरा करने वाला बजट है। मैं मोदी की गारंटी की पूरी कॉपी लाया हूँ। मोदी की गारंटी को पूरा करने वाल कुछ बिन्दुओं को लिया है। मैं यह मानकर चलता हूँ कि आने वाले साल में इस सब को आप पूरा करेंगे।

श्री धर्मजीत सिंह :- पक्का पूरा किया जायेगा।

श्री उमेश पटेल :- धर्मजीत जी, वह तो देखेंगे। जैसे-जैसे आता जायेगा, वैसे-पैसे पता चलेगा। कुछ तो हमारे महत्वपूर्ण फ्लैगशिप प्रोजेक्ट हैं, चाहे वह महतारी वंदन योजना हो, किसान उन्नति योजना हो, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस सरकार ने किया। माननीय सभापति महोदय, मैं इस बजट में टूट रहा था कि उप मुख्यमंत्री जी ने जो बार-बार कहा था और उसका वीडियो हम सबके पास में है। उन्होंने अपने चुनाव प्रचार के दौरान बार-बार कहा और शायद उसके बाद भी कहा है कि हम लोग हर हिसान का दो लाख रुपये कर्ज माफ करेंगे और उप मुख्यमंत्री जी ने सदन के अंदर इस बात को माना कि हाँ,

मैंने यह बात कही थी। जब उन्होंने यह बात कही थी और वह एक जिम्मेदार पद पर उप मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हैं तो क्या हर किसान का दो लाख रुपये की कर्ज माफी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? लेकिन इस बजट में उसका कोई प्रावधान नहीं है, उसमें एक रुपये का प्रावधान नहीं है। क्या हम यह माने कि जो उप मुख्यमंत्री जी ने कहा दिया था वह बात ऐसे ही थी या उसको सिर्फ चुनावी वादे या चुनावी जुमले के रूप में माना जायेगा?

सभापति महोदय :- जब आपका समय आयेगा तब आप बोलियेगा।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति जी, उप मुख्यमंत्री का बाद में बयान आया था।

सभापति महोदय :- आप अपने समय में बोलियेगा।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- महोदय जी यह भी बोले कि वह मोदी की गारंटी नहीं था और मेरे घोषणा-पत्र में था तो क्या मोदी की गारंटी अलग है और भाजपा सरकार अलग है?

सभापति महोदय :- संगीता जी, उमेश जी बोलने में सक्षम हैं और वह बोल ही रहे हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- वह वैसे ही वाला घोषणा था, जैसा कि आप लोगों का ढाई-ढाई साल वाला घोषणा था। (हंसी)

श्री उमेश पटेल :- धर्मजीत जी, ढाई-ढाई साल का घोषणा नहीं था। यह जनता का घोषणा नहीं था। आप बात को मत बदलिये। यह जनता का घोषणा नहीं था।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय जी, यह उप मुख्यमंत्री का घोषणा था।

श्री रामकुमार यादव :- इन लोगों ने जनता को गुमराह किया है। यहां के तीन करोड़ जनता को गुमराह किया है। (व्यवधान) इन लोग तीन करोड़ जनता को गुमराह करके बैठे हैं। आप जनता को धोखा देकर बैठे हैं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, यह उप मुख्यमंत्री का बहुत जिम्मेदारी व्यक्ति का घोषणा था।

सभापति महोदय :- रामकुमार जी, बैठिये।

श्री धर्मजीत सिंह :- बाबा साहब से कितने लोग लिये थे, यह सब मालूम है। ठीक समय में सब उनको छोड़ दिये थे। मैं सबका नाम बताऊं। मेरे पास पूरी लिस्ट है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय जी, यह जनता का मामला है, यह किसान भाईयों का मामला है और वह भी कर्जा माफी का मामला है।

सभापति महोदय :- माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि अपना-अपना सबके वक्तव्य में ..।

श्री रामकुमार यादव :- क्षेत्र के जनता मन दो-दो लाख रुपये पैसा मांगे हे।

सभापति महोदय :- रामकुमार जी, आपका समय आयेगा तो आप बोलियेगा। आप सबसे अनुरोध है। आप सबका नाम इसमें है।

श्री धर्मजीत सिंह :- सर, एक मिनट सुन लीजिये। इतना कठिन विषय है। हम जिंदगी भर गणित में फैल हुए हैं। हम गणित में कभी पास ही नहीं हुए हैं। अभी आप हमको 50 हजार का नोट दे देंगे तो उसको गिनने में दो-तीन घंटे लगेंगे। 50 हजार 500 हो जायेगा या 49 हजार हो जायेगा। हमको गणित आता ही नहीं है। प्रैक्टिस ही नहीं है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- इसका जरूर ट्रायल किया जाये कि धर्मजीत भैया कितना सत्य बोल रहे हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- तो थोड़ा हंसी-मजाक में थोड़ा नरम करिये। इसको थोड़ा सरल तरीके से होने दीजिये। बोलने दीजिये। अब रामकुमार जी नहीं बोलेंगे तो मजा ही नहीं आयेगा।

श्री उमेश पटेल :- चलिये, अब मैं बजट में डायरेक्ट नहीं बोलता हूँ।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप इतना कठिन-कठिन बोल रहे हैं। भैया, थोड़ा कुछ आरोप लगाईये। कुछ और बोलेंगे तो हमको अच्छा लगेगा। अभी आप कहां जी.डी.पी. का बोल रहे हैं। भाई, हमको कुछ नहीं आता है। आप जो भी बोलेंगे, वह हमारे लिए भैंस के आगे बिन बजाये जैसा है।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, आज हमने पुलिस व्यवस्था पर स्थगन लेकर आया था। क्या हो रहा है? पूरे छत्तीसगढ़ में किस तरह का वातावरण बनाया जा रहा है? कवर्धा में, जो माननीय गृह मंत्री जी का जिला है और हमारे विधान सभा अध्यक्ष जी का जिला है, वहां चार-चार खून एक महीने के अंदर में हुआ है। क्या मैसेज जा रहा है। अगर गृह मंत्री जी का जिला सुरक्षित नहीं है तो क्या वह छत्तीसगढ़ को सुरक्षित कर पायेंगे? नहीं। इसलिए हमने स्थगन प्रस्ताव लाया था। यदि इसी तरह से चलेगा तो हम यह विनियोग का भी विरोध करेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- अभी नहीं करेंगे।

श्री उमेश पटेल :- हम विरोध कर रहे हैं। हम इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि पुलिस व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में नाकामयाब हैं। अभी हमारे जनक ध्रुव जी ने बताया कि उनके क्षेत्र में तीन-तीन अपहरण का केस हुआ है। प्रातपपुर के विधायिका ने बताया कि एक बच्चे को अपहरण करके बहुत ही दर्दनाक तरीके से उसका खून कर दिया गया। सभापति महोदय, एक बैगा जनजाति के पूरे परिवार को समाप्त कर दिया जाता है और 36 दिन तक अगर पुलिस इस बात को पकड़ने में नाकामयाब रही। हमारे मीडिया के साथी कहते रहे कि वहां पर जो एविडेंस दिख रहा है, वह एविडेंस एक मर्डर के तरफ इशारा कर रहा है, लेकिन हमारे पुलिस के कप्तान या पुलिस के जो लोग हैं, वह इस बात को मानने से इनकार करते रहे और मेरा तो यह आरोप है कि हमारे सारे अधिकारियों को गृह मंत्री के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा यह सख्त निर्देश जाना चाहिए कि वह किसी भी आम व्यक्ति का बिना परमीशन के सोसल साईट में वीडियो अपलोड न कर सकें। किसी भी आम व्यक्ति को चमकाते हुए वीडियो अपलोड किया जा रहा है, किसी भी आम व्यक्ति से चालान वसूल करते हुए वीडियो प्रस्तुत किया

जा रहा है। चालान लेना आपका अधिकार है, आप लें। अगर उसने कुछ गलती की है तो बिल्कुल चालान लें लेकिन उसके बिना परमिशन के उसके चेहरे को सोशल मीडिया में नहीं दिखाना चाहिए, यह Privacy act के तहत होता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि अपने सारे अधिकारियों को इसको निर्देशित करें।

माननीय सभापति महोदय, अभी धरमजयगढ़ के विधायक कह रहे थे कि जबर्दस्ती एक आदमी को धरमजयगढ़ में बैठाया गया और उसको इतना मारा-पीटा गया है कि वह वहां से निकलकर सीधा एस.पी. ऑफिस गुहार लगाने गया है। माननीय विधायक जी को इंटरविंग (Intervening) करना पड़ा, इंटरविंग (Intervening) करना पड़ा कि जाकर एस.पी. साहब उनसे मिल लें, समय दे दें। लॉ एण्ड ऑर्डर की यह स्थिति है। हम इसमें कैसे विनियोग को पास कर सकते हैं? नक्सली घटनाओं में वृद्धि हुई है। अभी हमारे बस्तर के विधायक जी बता रहे थे कि किस तरह से बस्तर में लॉ एण्ड ऑर्डर खराब हुआ है। इन सबको देखिये, इसको देखने की आवश्यकता है। यह हम सबके लिये चिंता का विषय है। माननीय सभापति महोदय, यह जो बजट प्रस्तुत हुआ है, आज विनियोग प्रस्तुत हुआ है मैं इसका विरोध करूंगा। हालांकि यह बहुत पहला बजट है और चूंकि पहला बजट है इसलिये मैं सभी को शुभकामनाएं देते हुए इस विनियोग का विरोध करते हुए अपनी बात को यहीं पर समाप्त करूंगा। माननीय सभापति महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने हेतु समय प्रदान किया। धन्यवाद।

श्री अजय चंद्राकर (कुरूद) :- माननीय सभापति महोदय, हमारे भतीजे उमेश पटेल जी ने अपनी बात शुरू की और चूंकि विनियोग का जो मूल उद्देश्य है कि सरकार को खर्च की अनुमति दी जाये उसको साबित करने में यह असफल रहे। खर्च की अनुमति क्यों नहीं दी जानी चाहिए? यह बता पाने में असफल रहे और उन्होंने एक औपचारिकता पूरी की कि इसका विरोध करना है। वे विरोध करने का कोई ठोस कारण नहीं बता पाये तो मुझे यह लगता है कि उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से बजट का समर्थन ही किया है क्योंकि कहने के लिये तो कुछ है ही नहीं।

माननीय सभापति महोदय, कुछ बातें चूंकि सारी बातें बजट में हो चुकी हैं। आप जितने तर्क दे रहे थे, मैं तो ज्यादा नहीं पढ़ूंगा लेकिन मैं राजकोषीय स्थिति के बारे में एक लाइन पढ़ देता हूं - वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य का सकल राजकोषीय घाटा 19,696 करोड़ भारत सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय के लिये, लिये गये 3400 करोड़ रुपये की विशेष सहायता सहित अतः राज्य का शुद्ध राजकोषीय घाटा 16,296 करोड़ रुपये होने का अनुमान है जो जी.एस.डी.पी. का 2.90 परसेंट है। यह एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के निर्धारित 3 प्रतिशत सीमा के भीतर है। इस वर्ष 2023-24 के कुल राजस्व आधिक्य 1600 करोड़ रुपये अनुमानित है। छत्तीसगढ़ उन प्रगतिशील राज्यों में से है, जो राजस्व आधिक्य की स्थिति बनाये हुए हैं। यह हमारा वित्त विभाग बोलता है, हमारी सरकार बोलती है, हमारे वित्तमंत्री जी

बोलते हैं। यह छत्तीसगढ़ की राजकोषीय स्थिति आधिक्य की है। समझे मामा श्री ? तो इनको बोलिए कि वे इधर-उधर के वचन मत कहें।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- वह तो उसमें कम है। भांचा, मैं भी समझ रहा हूँ ऐसा नहीं है।

श्री अजय चंद्राकर (कुरुद) :- माननीय सभापति महोदय, दूसरा बजट के अतिरिक्त हम लोगों ने जो महत्वपूर्ण चर्चाएं कीं। मैं माननीय वित्तमंत्री जी के ध्यान में अभी कुछ बातें जैसे कांग्रेस की करनी, कांग्रेस की लूट, कांग्रेस का शोषण इसके अलावा और भी बातें कहूंगा। लेकिन छत्तीसगढ़ की जी.एस.डी.पी. में 57 प्रतिशत हिस्सा लगभग उद्योग का है। विकास के लिये निवेश एक बड़ी भूमिका अदा करता है और यदि निवेश नहीं होता है तो उसका प्रभाव सीधे अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। कांग्रेस के शासनकाल में लगभग 165 एम.ओ.यू. हुए।

समय :

3.00 बजे

माननीय सभापति महोदय, 40 हजार करोड़ रूपया, जिसे मैंने एम.ओ.यू. घोटाला कहा था, वे परफेक्शन बोल रहे थे कि इंटीग्रेटेड जो स्टील प्लांट है, उसमें टन हिसाब से कमीशन लेकर 10 साल की छूट देकर एम.ओ.यू. किया गया। एक भी आज की तारीख में शुरू नहीं हुआ। एक भी 5 साल में 1 रूपये का निवेश नहीं हुआ तो ये आलोचना करें या प्रशंसा करें ऐसे भूत लोगों की आलोचना, प्रशंसा से कोई फर्क पड़ना नहीं है, क्योंकि मैं वित्त मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि वो ऐसा वातावरण बनाये, जिसमें राज्य में निवेश आये। उमेश जी, एलाइड सेक्टर के बारे में बात कर रहे थे। एलाइड सेक्टर से लगभग 15 प्रतिशत राजस्व प्राप्त होता है। उसमें से भी 9 प्रतिशत कृषि से है। 9 प्रतिशत होने के बावजूद आज भी कृषि सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देता है। आपने बहुत सारे पैसे का इंतजाम एलाइड सेक्टर के लिए किया है, लेकिन एलाइड सेक्टर को अभी भी मजबूत करने की जरूरत है। मैं सोचता हूँ कि इसमें आप ध्यान देंगे। तीसरी महत्वपूर्ण चीज है कि हमने जो बिजली की बात की थी, पूरी दुनिया में मुख्यमंत्री जी ने भी, प्रधानमंत्री जी ने भी एक करोड़ घरों को बिजली देने की बात कही है। प्राकृतिक एनर्जी या फ्री एनर्जी जिसे बोलते हैं, सोलर एनर्जी है। यह नये जमाने की चीज है। बजट में जिन चीजों को मैंने विस्तार से मैंने बजट ओपन किया था माननीय सभापति महोदय, सभी चीजों में चर्चा हुई थी, कुछ चीजें जो विनियोग में हैं, उद्योग के साथ-साथ छत्तीसगढ़ को आपने बड़ी अच्छी परिकल्पना दी कि वर्ष 2047 में छत्तीसगढ़ की क्या भूमिका रही? हम एक सलाहकार परिषद बनायेंगे, जिसमें बड़ी संस्थाएं, बड़े लोग रहेंगे, लेकिन उद्योग के साथ-साथ भविष्य जो है वह डिजिटल की दुनिया का है। डिजिटल के लिए आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि आई.टी. सेक्टर में छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। डिजिटल छत्तीसगढ़ बनाने के लिए आई.टी. सेक्टर ही ऐसा सेक्टर है, जिसमें सबसे ज्यादा लोग आजकल पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं। मैं चाहूंगा कि पढ़ाई-लिखाई में आपने बहुत सारे नवाचार किये हैं

तो डिजिटल सेक्टर में डिजिटल छत्तीसगढ़ बनाने के लिए वर्ष 2047 में छत्तीसगढ़ की भूमिका आज से शुरू हो तो आई.टी. सेक्टर की उच्च शिक्षा यहां के बच्चे यदि बाहर जाते हैं तो ये मान लीजिए कि छत्तीसगढ़ का पैसा भी बाहर जाता है। तो डिजिटल छत्तीसगढ़ बनाने के लिए आई.टी. सेक्टर में अच्छे स्तर की पढ़ाई की व्यवस्था यहां हो। माननीय सभापति महोदय, मैंने निवेश की जब बातचीत की, निवेश आयेगा तो प्रतिव्यक्ति आय भी बढ़ेगी। जीवन के स्तर में सुधार भी होगा। व्यापार-उद्योग को बढ़ावा भी मिलेगा और जो टोटल पूंजीगत व्यय बढ़ेगा तो रोजगार भी बढ़ेंगे, जिसको सर्वाधिक ध्यान विष्णु सरकार ने दिया। बजट में एक महत्वपूर्ण बात आपको कहूंगा, आप अध्ययन कर लीजिएगा, मेरे पास उसके कागज ये रखे हैं, पर उसमें मैं बोलूंगा नहीं, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना है। उसकी पूरी वेबसाइट है। उत्पादकता हिन्दुस्तान में बढ़े कैसे और लिकेज कम कैसे हो। गति शक्ति योजना में उसके बहुत सारे प्वाइंट उन्होंने दिये हैं। यदि छत्तीसगढ़ में आप लागू करते हैं तो मैं आगे बोलने वाला हूं कि छत्तीसगढ़ में लिकेज कैसे थे? और उनको आप रोकेंगे तभी हम आपको बजट को खर्च करने के लिए अनुमति देंगे। उनकी अनियमितता को आप रोकेंगे तभी हम विनियोग पारित करने के लिए आपको समर्थन देंगे। वो तो अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन करके चले गये। वे एक कारण भी नहीं बता सकें कि आपको उसकी अनुमति क्यों नहीं मिलनी चाहिए? तो प्रधानमंत्री गति शक्ति के कंपोनेंट को आप देखेंगे तो उत्पादकता बढ़ाने और लिकेज को रोकने के लिए बहुत सारे उपाय हैं। अब ये कुछ विषय थे, जिसे मैंने आपको बजट में नहीं कहा था। कुछ और पेपर हैं, लेकिन मैं सोचता हूं कि विनियोग की एक परंपरा है कि जिन बातों का हम उल्लेख कर चुके होते हैं, उन बातों को नहीं बोलना चाहिए। मैं चाहता तो उसी समय उन्हें टोक सकता था। ये परंपरा नहीं है। लेकिन चलिए, पहली बार वे विनियोग में बोल रहे थे, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। अब जो छत्तीसगढ़ का परिदृश्य 5 साल में था, बहुत सारे विषय में उस दिन शुरुआत में मैंने कही थी, बजट के भाषण में भी कही थी, कल भी मैंने बहुत सारी बात कही थी, लेकिन असली चीज है कश्मीर फाइल, द केरल स्टोरी, एक पांच साल में पिक्चर बनी। उसके निर्माता लोग दिल्ली में थे, निर्देशक यहां बैठे थे, भूपेश बघेल जी उस फाइल के निर्देशक थे, उस पूरी पांच साल की पिक्चर में। उसमें क्या हुआ? लखेश्वर बघेल जी, फाइल के पहले पेज में एक दृश्य उभरता है। थोड़ा फ्लैश बैक पिक्चर चलती है। पाटन में आप एस.डी.एम. थीं। आपने मुझे किन्हीं किन्हीं मामलों में मदद की थी, आप आइए, बैठिये, सचिवालय को चलाइए और आई.ए.एस. के ऊपर सवार हो जाइए। कल मैंने कहा था कि हिन्दुस्तान में पहला उदाहरण है कि राज्य प्रशासनिक सेवा का अफसर, मेरी वाइस, मैंने उसको कल कहा था नूरजहां की खनकती आवाज़। नूरजहां की खनकती आवाज कानों में गूंजती थी तो बाल खड़े हो जाते थे, बाल खड़े हो जाते थे।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, आखिर ये नूरजहां है कौन? पता ही नहीं है, कल से यह चर्चा चल रही है। थोड़ा बता देंगे तो हमको भी समझ आएगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- ये तो लाईन में खड़े रहते थे चरण छूने के लिए, उनकी नजरें हमारी ओर पड़ जाए। इनकी कारें ऐसी जगह खड़ी होती थी जहां छत्तीसगढ़ के दलाल लोग बैठे रहा करते थे। ये उनके चले बने रहते थे। मैं नाम लेकर बता दूंगा कौन-कौन किसके साथ बैठे रहते थे? किनकी गाड़ियां शंकर नगर के ऑफिस में खड़ी रहती थीं, विधायकों की गाड़ियां।

श्री अटल श्रीवास्तव :- आप वहां क्या करते थे? आप वहां देखने जाते थे या आपकी वहां कोई सेटिंग थी।

श्री अजय चन्द्राकर :- उस सड़क से दुनिया देखी है लेकिन कहने की हिम्मत मैं कर पा रहा हूं, देखी तो दुनिया है। पांच साल में संवैधानेत्तर सत्ता का राज रहा। संवैधानेत्तर सत्ता नहीं रहनी चाहिए, कानून का राज होना चाहिए। दूसरी बात फाइल के दूसरे चरण में आते हैं। यह सरकार पहली सरकार रही, जिन्होंने राज्यपाल के ऊपर मुकदमा किया। गलत है या सही है? कोई बोलेगा?

श्री रामकुमार यादव :- वो पहिली राज्यपाल रिहिस जेन विधान सभा के प्रस्ताव ला रोके के काम करे रहिस। दिल्ली ले फोन करवा के आरक्षण ला रोकवाए के काम करे रहेव। एस.टी., एस.सी, ओ.बी.सी. के आरक्षण ला रोकवाए के काम करे रहिस।

सभापति महोदय :- रामकुमार जी, यह उचित नहीं है कि आप उनको सामने जवाब दें। यहां आसंदी बैठी है।

श्री अजय चन्द्राकर :- राज्यपाल के खिलाफ मुकदमा करने वाली सरकार थी तो वह भूपेश बघेल की सरकार थी। छत्तीसगढ़ में यह शर्मनाक स्थिति किसने बनाई। सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ में शर्मनाक स्थिति क्या बनी, जो नहीं बननी चाहिए। जिसके लिए आपको 1 लाख 46 हजार करोड़ का बजट दिया जा रहा है। महामहिम के प्लेजर, अब प्लेजर का जो भी हिन्दी हो। राज्यपाल के प्लेजर पर्यन्त ए.जी. रह सकते हैं। ए.जी. बोल रहे हैं कि मैंने इस्तीफा नहीं दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ए.जी. ने इस्तीफा दे दिया है। ए.जी. संवैधानिक पद है। विधि मंत्री कह रहे हैं कि उन्होंने काम करने की इच्छा व्यक्त नहीं की। फिर अपने परिवार के एक आदमी को ए.जी. बनाने के लिए, अपने रिश्तेदार को ए.जी. बनाने के लिए छत्तीसगढ़ को संवैधानिक संकट में डाल दिया। इतने अपमानजनक ढंग से यदि ए.जी. को कहीं हटाया गया होगा तो वह राज्य छत्तीसगढ़ है, भूपेश सरकार है, भूपेशरिज्म है जिन्होंने ए.जी. को हटाया। कुछ बोलेंगे आप लोग इसमें? कुछ बोलने की स्थिति है तो टोकिये, मैं बैठा हूं।

श्री अटल श्रीवास्तव :- आप गलत कथन कर रहे हैं कि जो ए.जी. बने थे, उनके कोई रिश्तेदार नहीं थे, ये आप सदन में गलत व्याख्यान कर रहे हैं। जो ए.जी. थे वे भूपेश बघेल के रिश्तेदार थे, ये गलत कथन है।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, बिजली कंपनी । वो बिजली वाले साहब लोग बैठे थे । बिजली कंपनी तो रिश्तेदारों की कंपनी है । यदि एफिशिएंट अफसर हैं, क्षमतावान् अफसर हैं तो उनकी गिनती नहीं है । चार लोगों से ऊपर उठाकर मैं अपने रिश्तेदारों को दो कंपनियों में बिठाऊंगा । इससे मतलब नहीं है कि बिजली व्यवस्था कैसे होगी ? मुझको उपकृत करना है । शासन व्यवस्था कानून से नहीं चलेगी, शासन व्यवस्था मेरी स्वेच्छाचारिता, मेरी इच्छा से चलेगी। मेरी इच्छा का सम्मान करना कानून है। 5 साल यह चलता रहा।

श्री अटल श्रीवास्तव :- माननीय सभापति महोदय, आपके कार्यकाल में रिटायर लोगों को बना-बनाकर रखा गया था। तब वे रिश्तेदार नहीं थे। कौन-कौन 3-4 सिंह साहब थे। रिटायरमेंट के बाद रिश्तेदारों को CSEB का चेयरमेन बनाकर रखा गया था, तब आपको वह रिश्तेदारी समझ में नहीं आ रही थी।

श्री अजय चंद्राकर :- रिटायर लोग मेरे परिवार के नहीं थे।

श्री अटल श्रीवास्तव :- किसके परिवार के थे ?

श्री अजय चंद्राकर :- जिसको मैं सलाहकार बनाता था वे रिश्तेदार नहीं थे, मेरी भाभी नहीं लगती थी, मेरे साले डेढ़ साले नहीं लगते थे। आप समझ रहे हो। सरकार एक पारिवारिक संस्था बन गयी थी। इसीलिए मैंने संविधानेत्तर सत्ता कहा। माननीय सभापति महोदय, राष्ट्रपति के तीन दत्तक पुत्र जला दिये गये। इनको पूरी घटना मालूम है। पंडरिया विधायक महोदय नहीं हैं। बड़ी चिंता व्यक्त कर रहे थे, इनसे बड़ा कोई शुभचिंतक नहीं होगा। एक मंत्री यहां बैठते थे, उन गरीब कौरवाओं की पचासों एकड़ जमीन और दूसरी जगह की भी जमीन खरीद ली गयी। वे अभी भी फरार हैं, सदन में प्रमाणित हो गया। सरकार की ओर से क्या उत्तर आता है। कोई कार्रवाई नहीं हो सकती क्योंकि वह कांग्रेसी है। क्योंकि वह मंत्री है, हमने उनकी जमीन को लौटा दी। आपने कौरवाओं की जमीन को बिना अनुमति के खरीद ली। जो प्रतिबंध है, राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं, उसकी जमीन खरीद ली। कोई कार्रवाई मत हो, हमने उनकी जमीन लौटा दी।

माननीय सभापति महोदय, एक बार, एक कानून हटाने के लिए नार्थ ईस्ट में महिलाओं में निर्वस्त्र प्रदर्शन हुआ था। वह भी पूरी तरह निर्वस्त्र नहीं था। निर्वस्त्र थे लेकिन सामने पोस्टर था, मैं उस घटना का ज्यादा विवरण नहीं दूंगा। पूरी तरह से निर्वस्त्र प्रदर्शन छत्तीसगढ़ में हिन्दुस्तान में हुआ। मैंने देखा, विधान सभा के सदस्यों ने देखा, उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने देखा। इसके समय में छत्तीसगढ़ कितना बड़ा अवसादग्रस्त रहा होगा। लोक लिहाज की तमाम पराकाष्ठाओं को छोड़कर सड़क पर हजारों लोगों के बीच में निर्वस्त्र दौड़ रहे हैं। वा रे छत्तीसगढ़, वा रे शासक, वा रे छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़िया कहने वाले लोग। माननीय सभापति महोदय, इस विधान सभा में एक स्थिति आई। आजकल पूर्व मुख्यमंत्री जी अध्यक्ष जी के चेयर में बैठते हैं।

समय :

3:13 बजे

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए)

सभापति महोदय, इधर निवृत्तमान मुख्यमंत्री थे। मैं बोधघाट परियोजना बनाऊंगा। हम लोगों ने कहा कि परियोजना तो दूर की बात है, आप सर्वे कराकर बता दीजिए। उस बोगस कंपनी से पहले लेनदेन कर लिया गया और ठेका दे दिया गया। आप इसका सर्वे करिए और आखिरी में सदन को बता दिया गया कि वाइबल नहीं है, वह खर्चीला है, ये है, वो है, उसको कागज में भुगतान कर दिया गया। बोधघाट परियोजना कहां हैं, चैलेंज को सीना ठोककर स्वीकार किए थे।

माननीय सभापति महोदय, मेकाहारा में पेट स्कैन और गामा मशीन चालू हो जाए तो हमारा मध्य भारत का सबसे अच्छा सरकारी सेंटर बनेगा। मैं स्वास्थ्य मंत्री था, नियम प्रक्रिया में यदि एक सेकंड की गलती हो गयी हो, किसी तरह की गलती हो गयी होगी, अनुबंध में गलती हो गयी होगी, जो जिम्मेदार हो सजा दीजिए। उसका भुगतान इनके समय में हुआ। भुगतान देकर कमीशन खा लिए। पांच साल से अब तक वह मशीन सड़ रही है। आपने उसके लिए एक कदम नहीं उठाया। यदि मेरे समय में उसका भुगतान हुआ होता, कुछ इधर-उधर हुआ होता तो मैं कहता कि भाजपा सरकार ने अनियमितता की थी, जिसके कारण आप चालू नहीं कर रहे हैं। वह गरीबों का अस्पताल है। आज कैंसर के रोगियों की संख्या बहुत ज्यादा है। एम्स में इतनी लंबी लाईन है कि हर आदमी तक उसकी पहुंच नहीं है। वह भी सरकारी अस्पताल है। उनकी आह लगी है इसलिए आप लोग इधर बैठे हैं, इस बात का ध्यान रखना। गरीब की हाय बड़ी कठिन होती है, वह सहने योग्य नहीं होती। जब तकलीफ होती है, तब पता लगता है कि गरीब की हाय कैसी है।

सभापति महोदय, किसानों की बात करते हैं। इनमें से एक सदस्य भी खड़े होकर बोल दे कि हमने रबी फसल खरीदने की घोषणा नहीं की थी। ताली बजवा दिया, डेस्क बजवा दिया। आपने रबी फसल का कहीं पर एक दाना खरीदा हो तो बता दीजिए। आपने कौन से रबी फसल को पाँच साल में खरीदा। आपने एक रबी फसल को पाँच साल में नहीं खरीदा, वह घोषणा की सरकार थी। मैं राजेश जी की उस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। मैं तो गिनाता हूँ कि अभी दो यूनिवर्सिटी एक-एक कमरे से चल रही है। वानिकी यूनिवर्सिटी और उमेश पटेल जी के पिताजी के नाम से जो रायगढ़ में यूनिवर्सिटी खुली है, वह एक-एक कमरे में है। उसकी जमीन कहां पर है, उसकी मान्यता हुई या नहीं हुई, उसके सेट-अप स्वीकृत हुए या नहीं हुए, उसके आर्डिनेसेस बने या नहीं बने? वह एक अलग विषय है। इसके अतिरिक्त आधी-अधूरी दो काम के अतिरिक्त आपने क्या किया? मैं अवसर दूंगा कि हमने पाँच साल में एक उल्लेखनीय काम किया है। छोड़ दो साहब, हमने गलत बनाई हो। तत्काल में आपको बहुत लगा। ये एक्सप्रेस वे मैं अभी मैं उतरकर पैदल चलता हूँ। उस दिन राजेश जी बोल रहे थे। आप लोगों ने

पाँच साल में मरम्मत नहीं करवा सके। एक जगह पर तो ग्रील हटा-हटाकर दुकान बन रही है। उस एक्सप्रेस वे को आप मरम्मत करवाकर चालू नहीं करवा सके, यह आपकी क्षमता है। जिस दिन स्काई वाक में बहस हुई, मैंने पहली बैठक, पहली सभा में कहा था कि आप जिंदगी में कोई निर्णय नहीं ले सकते। आप उसकी लागत बढ़ाकर पूरा करेंगे, पैसा खाएंगे, तब उसमें काम शुरू करेंगे। आपको पैसा नहीं मिला है इसलिए आप उसको टाल रहे थे। आपको छत्तीसगढ़ की नवाचार से मतलब नहीं है। आपकी सरकार बनी है, वह उगाही के लिए बनी है, यह एटीएम की सरकार है।

माननीय सभापति महोदय, सुराजी गांव में उमेश जी मेरी ओर बहुत संबोधित थे। सक्रिय गौठान। सक्रिय गौठान, निष्क्रिय गौठान, सुराजी गांव का क्या अर्थ है, मैं बैठ जाता हूँ। कांग्रेस के बंधु बताएंगे कि किसको सुराजी गांव बोलते हैं। सुराजी गांव योजना के तहत आप नरवा, गरुआ, घुरुआ, बारी चला रहे थे। सुराजी गांव क्या है, एकाध परिभाषा विधान सभा के पटल पर रखते। हम विपक्ष के 15 लोग थे, हम सब जान जाते, छत्तीसगढ़ की जनता जान जाती। नरवा, गरुआ, घुरुआ, बारी में पाँच साल तक गला सूख गया। सभापति महोदय, आप भी सदन में थे। इसमें बहस तो कर लो। हिन्दुस्तान में आजादी के बाद सरकार की एक फ्लैगशिप योजना नरवा, गरुआ, घुरुआ, बारी जिसमें एक रूप का बजट प्रावधान नहीं है। किसी विभाग से एक रूप का बजट प्रावधान नहीं था। वह पूर्व मुख्यमंत्री जी की फ्लैगशिप योजना थी और ये लोग ताली बजाते थे। अभी दादी नहीं है। मैं दादी के प्रति कुछ नहीं बोलूंगा। वे एक आदर्श गौठान का उद्घाटन करने गए थे। उन्होंने कहा था कि मैं नेता प्रतिपक्ष को दौरे के लिए आमंत्रित करता हूँ, वे मेरे साल चलकर आदर्श गौठान देखें। कैसा आदर्श गौठान है। मैंने ग्रामीण विकास मंत्री से इस बात की बार-बार मांग की कि गौठान मनरेगा से नहीं बन सकता, यदि आपने पशु आश्रय शेड बनाया है, यदि आपने चारागाह बनाया है तो वह पैसा खा गए, कहीं चारागाह का उत्पादन नहीं हो रहा है। पशु शेड एकाध जगह दिखेगा, नहीं तो कोटना के सिवाय आपको कुछ नहीं दिखेगा। ऐसा पैसा खाने की स्कीम, ऐसा ब्रेन कहां से आयातित किये? उस बुद्धि वालों को तो पकड़ो कि कहां-कहां से बुद्धि दिए। मैं पैरा दुलाई के बारे में बोल चुका हूँ, उसमें नहीं कहूंगा। स्कूल पोताई, छत्तीसगढ़िया ओलम्पिक के प्रणेता माननीय उमेश पटेल जी। उसकी क्या उपलब्धि रही, यह मैंने पूछा। वे कहते थे कि आपको बुरा लगता है कि 70 साल की महिला ने फुगड़ी जीत ली।

श्री उमेश पटेल :- अजय जी, आपने वह प्रोजेक्ट बंद कर दिया क्या? उस योजना का सिर्फ नाम बदला गया है, उसको अभी भी आपने चालू रखा है।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं किसी प्रश्न को पूछता हूँ तो पिछले 10 साल से शुरू करके पूछता हूँ। इस सदन में छत्तीसगढ़ ओलंपिक पर मेरा दोबारा प्रश्न आयेगा, क्या आयेगा उसको नहीं बताता।

श्री उमेश पटेल :- यह भी पूछियेगा कि उस योजना को बंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? बजट में प्रावधान रखा गया है। फ्लैगशिप में उसका भी नाम जोड़ा गया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपकी टोटल उपलब्धि उतनी ही रही न कि 72 साल की महिला ने फुगड़ी जीता।

श्री उमेश पटेल :- उस उपलब्धि के लिए अलग से चर्चा रख लीजिये। हम लोग चर्चा करेंगे।

सभापति महोदय :- चलिये बैठिये, हां बोलिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के नाम पर पैसा उगाह लिये। हम एक ही कहानी पढ़ते थे कि एक बीरबल ही था, जो लहर गिनकर पैसे कमा लेता था। ये तो जहां पैर रखते थे, वहां से पैसा निकाल लेते थे।

श्री अटल श्रीवास्तव :- आप सी.बी.आई. जांच करवा दो।

श्री उमेश पटेल :- आप छत्तीसगढ़ियां ओलंपिक का सच में जांच करवा लीजिये। माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, घोषणा कर दें।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सी.बी.आई. जांच करवा दीजिये, माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, घोषणा भी हो जायेगी। आप छत्तीसगढ़ ओलंपिक की सी.बी.आई. जांच करवा लीजिये।

सभापति महोदय :- लहरिया जी, आप बैठिये। (व्यवधान) उनको बोलने दीजिये, अभी तो आपका भी नाम है।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, इनको खेल से परेशानी है। ये सुन नहीं सकते।

श्री दिलीप लहरिया :- सभापति महोदय, सी.बी.आई. जांच करवा दीजिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- पहली चीज, छत्तीसगढ़ का खेल और छत्तीसगढ़ की संस्कृति दोनों अलग अलग चीजें हैं। यदि मैं छत्तीसगढ़ की परम्परा का पालन करता हूँ तो मेरे घर में इस साल भी पोला की पूजा हुई है। हम इस साल भी नांगर बख्खर को धो-बांध के टांग दिए। नांगर नहीं है तो ट्रेक्टर को धो दिए। भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे, तभी अपने बंगले में नाच-गाना, गम्मत कराते थे। उसी दिन लोग हरेली के दिन नीम पत्ता, अंडा पत्ता टांगने जाते थे। इस साल क्यों नहीं हुआ ? इस साल क्यों नहीं हुआ ? इस साल आयोजन क्यों नहीं हुआ ? इस साल पोला मनाना क्यों बंद हो गया ?

श्री अटल श्रीवास्तव :- जैसे आपने बंद कर दिया। आपने छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बंद कर दिया।

श्री उमेश पटेल :- आदमी गरिमामय पद में रहता है तो उसके हर एक कार्य से पूरे छत्तीसगढ़ में संदेश जाता है।

श्री अजय चन्द्राकर :- नेता जी, इसीलिए यहां पर हो। संदेश गया, इसीलिए यहां पर हो।

श्री उमेश पटेल :- आपको शत प्रतिशत छत्तीसगढ़ के खेल से, छत्तीसगढ़ की खान-पान से और छत्तीसगढ़ की संस्कृति से परेशानी है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय ..।

सभापति महोदय :- आप बैठिये न, वह बोल रहे हैं। अच्छा एक-एक मिनट।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, मुझे चन्द्राकर जी एक बात पूछना है।

सभापति महोदय :- हां, पूछ लीजिये।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- हमारी सरकार ने 20 क्विंटल धान खरीदने की घोषणा की थी और हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने 20 क्विंटल धान खरीदा। तब माननीय अजय चन्द्राकर जी का एक वीडियो वायरल हुआ था कि 20 क्विंटल धान किसानों के खेत में होता ही नहीं है। तो आप 21 क्विंटल धान कैसे खरीद रहे हैं ? जब 20 क्विंटल धान नहीं होता है तो आप 21 क्विंटल धान कैसे खरीद रहे हैं ? आप पहले जवाब दो।

सभापति महोदय :- हो गया, आप बैठिये न। संगीता जी, आप बात को लंबा खींच रही हैं। संगीता जी, इतना लंबा मत खींचिये।

श्री दिलीप लहरिया :- माननीय सभापति महोदय, मैं एक सेकेण्ड ले रहा हूँ। मैं पेपर में पढ़ रहा था कि राजिम का नाम कुम्भ कल्प कर दिया गया।

सभापति महोदय :- इस भाषण से कुम्भ कल्प का क्या लेना देना है ?

श्री दिलीप लहरिया :- आप सभी लोग मांघी पुन्नी में अतिथि के रूप में गये थे। हमारे बिलासपुर के पेपर में मांघी पूर्णिमा छप रहा है और वहां कुम्भ कल्प छप रहा है। आखिर आप लोग मांघी पूर्णिमा मेले में गये थे या नहीं ?

सभापति महोदय :- इन सब बातों से मतलब नहीं है न। आप बोलिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, एक फोटो छपी, जेम्स ज्वेलरी पार्क रायपुर में इस जगह, मंडी की जगह पर बनेगा। उसका फोटो आ गया। दूसरे दिन विज्ञापन आ गया कि इसमें की 344 दुकान बिक भी गई। ये लोग चलकर दिखायेंगे क्या कि कहां पर जेम्स ज्वेलरी पार्क है ? वह कहां पर बना ? वह जमीन स्थानान्तरित नहीं हो पाई। ये किसानों की बात करते हैं और किसानों की मण्डी की जमीन पर जेम्स ज्वेलरी पार्क बना रहे हो। सिर्फ बना ही नहीं रहे हो कागज में 344 दुकान बिक भी गई।

श्री उमेश पटेल :- आप सच में मानते हैं कि 20 क्विंटल धान पैदा नहीं होता है, आप बताईये ?

श्री अजय चन्द्राकर :- बोलूंगा।

श्री उमेश पटेल :- आप एक बार बता दीजिये कि आप 20 क्विंटल होता है, मानते हैं या नहीं मानते हैं।

सभापति महोदय :- उमेश पटेल जी, यह प्रश्न उत्तर का समय नहीं है।

श्री उमेश पटेल :- मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है कि 20 क्विंटल धान पैदा होता ही नहीं तो इसको बंद करिये।

सभापति महोदय :- हो गया।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति जी, कुछ भी बोलकर आरोप लगायेंगे।

सभापति महोदय :- मैंने आपको बोलने का अवसर दिया न।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- वह आरोप लगाते जा रहे हैं और हम बर्दाश्त करते जा रहे हैं। पहले आप क्लीयर कर दीजिये कि किसानों के खेत में 20 क्विंटल धान होता है या नहीं होता है ?

सभापति महोदय :- मैंने आपको बोलने का अवसर दिया। अब इसके बाद यह बताईये कि आगे मुझको क्या करना चाहिए ? आप ही बताईये ? मैंने आपको बोलने का अवसर दिया, वह सुन लिए और अब बोल रहे हैं। अब उनको बोलने दीजिये। आप जिद्द में अड़ेंगे तो मैं कैसे सदन चलाऊंगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अमर ज्योति जवान, प्रधानमंत्री जी ने सब जगह को एकीकृत किया, सुभाषचन्द्र बोस वहां अड़ गये कि एक ही खानदान का है, सुभाषचन्द्र बोस वह आदमी थे कि जिन्होंने आजाद हिन्दुस्तान का पहला झण्डा लहराया था, उन्होंने आजादी के पहले घोषणा की थी, किसी खानदान का योगदान नहीं है। (मेजों की थपथपाहट) उनकी प्रतिमा लगी तो बोले कि हम अलग से अमर ज्योति जवान बनायेंगे। चलो न देखने चलते हैं, कहां पर है उसको ? आपको कितना अवसर मिला ? क्या हम चुनाव के समय कुछ भी बोल दें और छत्तीसगढ़ की जनता भरोसा कर ले ? वर्धा की तर्ज पर सेवाग्राम बनेगा, मामा खादी पहिने हस का कि सामने वाले नेता जी खादी पहिने हे ? एक झन बोलथ रहिसे त अतका कन तंबाखू दबाके बोलथ रहिसे।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सभापति महोदय, भांचा, खादी वाले कांग्रेस ही आजादी करायें हैं, उसी का परिणाम है कि सदन में आप एक घण्टा बोल रहे हैं। उसी खादी को पहनकर अंग्रेजों के सामने हमारी पार्टी लड़ी है, इसीलिए आज आप इतना विद्वान हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- महात्मा गांधी कभी तंबाखू नहीं खाये। अरे भई, वर्धा में सेवाग्राम नहीं बना सके तो यदि अपने को कांग्रेसी कहते हो तो आचरण में ले आओ। थोड़ा बहुत गांधी का झलक दिखा दो। चलिये, एक दिन कभी गांधी पर बहस कर लेते हैं, कौन आमंत्रित है ? एक बार यहीं के पत्रकारों ने पूछा, गांधी के बारे में 5 बातें बताये तो [X X]<sup>5</sup> अध्यक्ष थे, वह खसक दिये। तीन के बाद चौथा नहीं बोल पाये ? [X X] का उल्लेख मैं गलत सेंस में नहीं कर रहा हूँ ना ? वह अनुपस्थित है। एक दिन गांधी जी के बारे में ही बहस कर लेते हैं, शुरू से आखिरी तक, यदि आप गांधीवादी अपने को कहते हो ?

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, जो इस सदन का सदस्य नहीं है, आप उसका उल्लेख क्यों कर रहे हैं ? वह सदस्य है नहीं ? (व्यवधान)

<sup>5</sup> [X X] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, मैं उनका नाम अपमानजनक ढंग से नहीं लिया हूँ । बिल्कुल प्रतिबंधित नहीं है । प्रतिबंधित तब है, जब हम उसकी आलोचना करें, जब उसको जवाब देने की जरूरत पड़े ? (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- कि फलां आदमी ने ऐसा-ऐसा किया था । सभापति महोदय, आप मोहन मरकाम का नाम विलोपित करवाईये (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- हम सब का नाम ले सकते हैं । मैं इससे असहमत हूँ ।

सभापति महोदय :- सुनिये, उनके खिलाफ ...। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :-माननीय सभापति महोदय, मेरा पक्ष सुनिये । (व्यवधान)

सभापति महोदय :- मैं सुन रहा हूँ । (व्यवधान) हां बैठिये । आप लोग बैठिये । मैं बिल्कुल देख लूंगा । (व्यवधान) सुनिये तो ।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, आप उनके कोई भी भाषण को उठा लीजिए कि मैं दावा करता हूँ ...।(व्यवधान) कोई भी मनगढंत कहानी बोल देते हैं ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, आप विलोपित करिये । (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- इधर के साथी सब का नाम ले सकते हैं, बशर्ते वह लांछनकारी मत रहे । उनको स्पष्टीकरण देने की जरूरत न हो । (व्यवधान)

सभापति महोदय :- मैं बोल रहा हूँ, आप दोनों बैठो ना । (व्यवधान) मैं कुछ कहना चाहता हूँ ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- लांछन लगाये हैं । (व्यवधान)

सभापति महोदय :- आप मेरे को बोलने दीजिए । ऐसा इस तरह से नहीं चलेगा । अगर मैं थोड़ा बोल रहा हूँ तो दो मिनट सुनिये ना । मैं उनकी बातों को दिखवा लूंगा । यदि उन्होंने अपमानजनक शब्द कहा होगा, उसे विलोपित कर देंगे और आप उसमें ज्यादा हल्ला-गुल्ला करेंगे तो कैसे बनेगा ? आप मेरे को बोलने नहीं दे रहे हैं ? मैं क्या व्यवस्था दूँ ? अब आपकी ही व्यवस्था वहां से लागू होना हो तो अलग बात है । मैं तो बोल रहा हूँ कि उनके खिलाफ कोई अपमानजनक टिप्पणी की होगी तो वह विलोपित हो जायेगा ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, द छत्तीसगढ़ फाईल...।

श्री अटल श्रीवास्तव :- सभापति महोदय, आप कह रहे हैं कि उन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की है, उन्होंने कहा कि गांधी के बारे में तीन लाईन से ज्यादा नहीं बोल पाये । यही तो आपत्तिजनक है । जो सदस्य नहीं है...(व्यवधान) आप झूठ बोल रहे हैं ।(व्यवधान) मोहन मरकाम को दो लाईन के अलावा मालूम नहीं था । यही तो आपत्ति है ।

सभापति महोदय :- मैं अभी यहां पर क्या व्यवस्था दिया हूँ ?

श्री राजेश मूणत :- कौन से गांधी के बारे में बोल रहे हैं ? वह भी क्लियर कर लो कि कौन से गांधी के बारे में बोल रहे हैं ? वह वर्तमान गांधी के बारे में बोल रहे हैं ।

सभापति महोदय :- आप भी सुनिये । मैं पहले ही बोल दिया हूँ कि उनके नाम का कोई आपत्तिजनक रिवरेंस दिया होगा तो उसको विलोपित कर दिया जायेगा। अब इसके बाद क्या बात रह जाती है ? उनको बोलने दीजिए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- चलिये मैं कांग्रेस वालों का नाम नहीं लेता और महात्मा गांधी का भी नाम नहीं लेता । सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में हैं, राजेश जी सदन में हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बात की मांग करता हूँ । सांच को आंच क्या ? सी.बी.आई. जांच सभी मुद्दों में है, कुछ कांड छत्तीसगढ़ में ऐसे हुये हैं, जिसकी सी.बी.आई. जांच कर रही थी, उसके मुद्दे हैं, हर मुद्दे जो सी.बी.आई.जांच के लिये संवेदनशील हो सकते हैं, छत्तीसगढ़ को अनुमति दें । मैं यह आग्रह करता हूँ कि उसमें बड़े-बड़े उद्योगपति आयेंगे, पूर्व मुख्यमंत्री आयेंगे, राजेश जी की गलती है, किसकी गलती है, वह सामने आना चाहिये । वैसे ही सामने आना चाहिए जैसे झीरम का सच सामने आना चाहिए।

श्री राजेश मूणत :- बिल्कुल सही है।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, कहां है वह सबूत, जो वह जेब में लेकर घूमते थे ? मैं हमेशा दो लोगों के बारे में बोलता हूँ, लेकिन मैं उनका नाम नहीं लेता। एक यहां बैठते हैं और एक कांग्रेस के संगठन को देखते हैं। वे झीरम घटना के प्रत्यक्षदर्शी हैं। उसमें कांग्रेस ने जो भी कहा, भाजपा शासन ने, हमने वह सारा कुछ किया। उन्होंने एक एस.आई.टी. बना दी। उस समय यहां देवती कर्मा जी, उमेश जी और अनिता योगेन्द्र शर्मा जी, योगेन्द्र शर्मा जी की श्रीमती जी बैठती थी। यहां ऐसे तीन-चार लोग बैठते थे, जो पीड़ित परिवार के लोग थे, शहीद परिवार के लोग थे, उनको जो उपमा दी जाये, उसके लिये हम तैयार हैं। इनके नेता ने राजनीतिक इस्तेमाल के अतिरिक्त क्या किया ?

श्री अटल श्रीवास्तव :- माननीय सभापति महोदय।

श्री अजय चन्द्राकर :- साहब मुझको बोलने दीजिये।

सभापति महोदय :- देखिये, यदि आप बात-बात में टोकेंगे तो कोई कैसे बोल पायेगा ?

श्री अटल श्रीवास्तव :- सभापति महोदय, आप जिस झीरम घाटी की बात कर रहे हैं, उसमें जो आयोग की रिपोर्ट सबमिट होनी थी, वह रिपोर्ट कहां राज्यपाल जी के पास सबमिट हुई। जबकि शासन ने आयोग बनाया था। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि उसकी जांच होनी चाहिए। हमको सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा, उसमें आपकी एन.आई.ए. और सी.बी.आई. कुछ नहीं कर पायी। इसको सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है।

सभापति महोदय :- देखिये, मैं आप सब से एक आग्रह कर रहा हूँ कि किसी भी माननीय सदस्य के भाषण में बार-बार टोका-टाकी करने से वह भाषण नहीं दे पायेंगे।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, मैं उसमें एक बात रखना चाहता हूँ।

सभापति महोदय :- अब आप एक बार बोल लीजिये, उसके बाद कोई नहीं टोकेगा।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, माननीय अजय चन्द्राकर जी इस सदन में बार-बार झीरम की बात करते हैं। यह बात सही है कि इनके कार्यकाल में जब गृहमंत्री जी का एक्सीडेंट हो गया था, तब इनको गृहमंत्री जी का प्रभार दिया गया और तब इन्होंने इस सदन में सी.बी.आई. जांच की घोषणा की थी। उसके बाद भी उसकी रिपोर्ट नहीं आयी। जब सरकार बदली, तब एस.आई.टी. का गठन हुआ। उसके बाद एन.आई.ए. कोर्ट में गये कि हम इसमें किसी भी और तरीके की जांच नहीं करवा सकते और जो पीड़ित परिवार का सदस्य जितेन्द्र मुदलियार जी हैं, वह हाईकोर्ट गये। हमको इसमें हाई कार्ट से भी सफलता नहीं मिली और उसके बाद हम लोग जितेन्द्र मुदलियार जी को लेकर सुप्रीम कोर्ट गये। उसमें सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि इसमें स्टेट पुलिस जांच कर सकती है। आप उस आदेश की डेट निकलवा लीजिये। मेरे खयाल से यहां 17 नवंबर को वोटिंग हुई थी और लगभग 27 नवंबर के आस-पास सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद भी मैंने नई सरकार से इस विषय में निवेदन किया कि अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है और अब स्टेट पुलिस इस घटना की जांच कर सकती है। इसमें जो एस.आई.टी. गठित थी, आप उससे जांच करवा लीजिये और यदि आप सी.बी.आई. को allow कर रहे हैं, तो सी.बी.आई. से भी जांच करवा लीजिये। मैं इन दोनों बातों पर फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इसमें सुप्रीम कोर्ट से स्टेट पुलिस से भी जांच करवाने का आदेश आ चुका है। क्योंकि उसके पहले उसमें होल्ड लगा था, अब वह होल्ड खुल चुका है। उसमें या तो स्टेट पुलिस जांच कर ले या फिर जैसे अजय जी सी.बी.आई. से जांच कराने की बात कर रहे थे, उसमें आप सी.बी.आई. जांच भी करा सकते हैं।

श्री राजेश मूणत :- सम्माननीय सभापति महोदय, यह इस प्रदेश का बहुत संवेदनशील मामला है। उसमें जो लोग शहीद हुए, वह छत्तीसगढ़ महतारी के बेटे थे और हमारे भी नेता थे। यहां उमेश जी बैठे हैं, चाहे उदय मुदलियार जी रहे हो, चाहे शर्मा जी रहे हो, चाहे महेन्द्र कर्मा जी रहे हो, भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही इस मुद्दे के ऊपर आपके साथ है।

सभापति महोदय :- जी, हो गया।

श्री राजेश मूणत :- सभापति महोदय, लेकिन मैं इतना ही पूछना चाहता हूँ कि जो पूर्व मुख्यमंत्री लगातार हाऊस के अंदर भाषण देते थे कि मेरी जेब में रखे हुए दस्तावेज। वह दस्तावेज कहां गये ? हम यही पूछना चाहते हैं और वह दस्तावेज सी.बी.आई. को क्यों नहीं दिये ? वह दस्तावेज एन.आई.ए. को क्यों नहीं दिये ? उन पीड़ित परिवार के साथ दस्तावेजों को लेकर राजनीति करना, उनकी फितरत रही है और हम इसकी जितनी निंदा करें, उतनी कम है।

सभापति महोदय :- ठीक है। उमेश जी ने भी कह दिया और राजेश जी ने भी कह दिया। यहां मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, वह सुन लिये। चंद्राकर जी, अब आप अपना भाषण दीजिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, मैं झीरम घटना के बारे में एक ही बात कहना चाहता हूँ कि उसको राजनीति से मुक्त करके और उमेश पटेल जी से बात करके इसकी कार्रवाई की जाये। माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे इंसान हैं, जो इधर की तरह राजनीति नहीं करेंगे। जब हम लोग आये तो वह कहते थे कि झीरम में मेरे पास सबूत है, झीरम में मेरे पास सबूत है, झीरम में मेरे पास सबूत है और न्यायालय इसमें, उसमें ..। जो जांच हो रही थी। आप स्वतंत्र थे, एन.आई.ए. की जांच तो चिदम्बर साहब की बनायी एजेंसी थी।

सभापति महोदय :- माननीय चन्द्राकर जी इससे आगे बढ़िये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मैं आगे बढ़ता हूँ। एन.आई.ए. तो चिदम्बर साहब की बनायी एजेंसी थी। जब जांच चल रही थी तो वहां आपको सबूत दे देना था। आप दूसरी एजेंसी बना सकते थे। तीसरी एजेंसी बना सकते थे तो आपने सी.बी.आई. को प्रतिबंधित कर दिया। अब जिस तरह की जांच चाहते हैं मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वह आएं और जो प्रत्यक्षदर्शी गवाह हैं, वह अभी तक दायरे में नहीं आये हैं। उस जांच में दोनों प्रत्यक्षदर्शी गवाह सामने आएं कि वह कैसे बचे, कैसे दिखे, कैसे सेटिंग हुई। उस जांच में वह सब सामने आना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, एक विषय ऐसा है। अभी मैंने परसों धमतरी एस.पी. को दो गांवों का नाम लेकर फोन किया था कि वहां पर धर्मान्तर हो रहा है और वहां तेजी से हो रहा है। अभी हमारी एक बहन का वीडियो वॉयरल हुआ। मैं जो कुछ हूँ, प्रभु इशू के आशीर्वाद से हूँ। आप होंगे, मैं भी उन्हें प्रणाम करता हूँ, लेकिन गरीब लोगों को बहला, फुंसला कर जो मतलब नहीं जानते। मैं विटिकन सिटी गया हूँ। मैंने पास्टर से कहा कि आप कमरे में अंदर किसी काम को मत करिये। आप सार्वजनिक रूप से प्रवचन करिये, मैं भी सुनूंगा।

श्रीमती कविता प्राण लहरे :- माननीय सभापति महोदय, आप तो बोलत हौ कि इहां पर उत्तर नइ देना हे तो का मैं उत्तर नइ देहूँ। मैं आप ला पूछना चाहत हौं कि किसी व्यक्ति के ऊपर ईल्जाम लगाए से पहिले माननीय चन्द्राकर जी...।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मैं तो आरोप नइ लगाए हौं। मैं तोर नामों नइ ले हौं।

सभापति महोदय :- आप सुनिये तो।

श्रीमती कविता प्राण लहरे :- माननीय सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी हा एक बेटी ला हमेशा लज्जित करे के काम करत हौ। मैं सदन के माध्यम से बता देना चाहत हौं। का माननीय नरेन्द्र मोदी जी चर्च नइ जावए। ओ भी चर्च जाथे। माननीय सभापति महोदय, कोई भी जनप्रतिनिधि..।

सभापति महोदय :- उन्होंने आपका जिक्र नहीं किया।

श्रीमती कविता प्राण लहरे :- माननीय सभापति महोदय, कोई भी जनप्रतिनिधि एक धर्म में नहीं चलए। ओ ला सब धर्म में जाना पड़थे। नरेन्द्र मोदी जी भी सब धर्म में जाथे। तो इस तरीके से आरोप लगाना, ए गलत हे।

सभापति महोदय :- उन्होंने आपका नाम नहीं लिया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मैंने तो आपका नाम नहीं लिया है। मैं तो हमार एक बहिनी कहेव हौं। मोर बहिनी कई झने हे जे राखी बांधथे तेहा।

सभापति महोदय :- उन्होंने आपका नाम नहीं लिया है।

श्रीमती कविता प्राण लहरे :- माननीय सभापति महोदय, अभी वह बहिनी महिच बैठे हौं।

सभापति महोदय :- चलिये अब उसे छोडिए।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, ओ बहिनी इहीच हरे, ए समाचारपत्र में आए हे।

सभापति महोदय :- उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है। आप बैठिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मैं एक गांव गया। मैंने पास्टर साहब से कहा कि मैं पैसे खर्च करूंगा आप सार्वजनिक रूप से प्रवचन करिये। मैं भी सुनूंगा और मैं भी प्रभावित होऊंगा तो भई कुछ तर्क वितर्क करूंगा। मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा और मुझे अच्छा लगेगा तो मैं भी सोचूंगा। उस दिन से उन्होंने उस गांव में आना बंद कर दिया। तो यह चोरी छिपे करना और कोई सार्वजनिक रूप से कोई मान्यता को स्वीकार करे । डॉ. अम्बेडकर साहब ने कहा कि मैं सबके साथ जाकर, सार्वजनिक रूप से बौद्ध धर्म ग्रहण करता हूँ। उसमें आज तक किसी ने आपत्ति नहीं उठायी। यह चोरी छिपे वालों को मेरी कोई भी बहन महिमा मण्डित करती है और छत्तीसगढ़ में अधिकांश भोले भाले लोग हैं और उसको इसी तरह से बंद कमरे में उसकी अज्ञानता या कम समझ का लाभ उठाकर, जंतर मंतर करें। यह छत्तीसगढ़ में नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी...।

सभापति महोदय :- माननीय चन्द्राकर जी, आप रुक जाईये। आप बोल लीजिए।

श्रीमती कविता प्राण लहरे :- माननीय सभापति महोदय, मैं हर सप्ताह एक नवधा रामायण में राम मंदिर जाथौं। मोर क्षेत्र के थोड़ा से अंदर, दूर में शिवरीनारायण जी के मंदिर हे जहां शबरी माता अउ उहां राम भगवान बइठे हे। अभी जब राम भगवान के पूजा होईस हे तो भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यक्रम में जाकर शामिल होकर, नृत्य भी करए हौं, ओ मन के साथ मैं समर्थन भी करए हौं। ओ वीडियो ला भारतीय जनता पार्टी काबर वॉयरल नहीं करए। मैं चर्च में गेव तो ओ ला वॉयरल के एक मुद्दा बना दिस। ए तो गलत हे। मैं आपसे निवेदन करता हौं कि इस तरीके से एक बेटी ला लज्जित न करें।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय चन्द्राकर जी से यह निवेदन करना चाहूंगा। सुनना गा। तैं मुंह ला काबर छिपावत हस।

श्री अजय चन्द्राकर :- हव गा। बिल्कुल नहीं।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय सभापति महोदय, भईया जैसे इन्होंने, माननीय पटेल जी ने हमारी तरफ से भाषण दिया। वैसा ही कोई अच्छा भाषण दीजिए। जबरन के तैं लड़ाई झगड़ा काबर करवात हस। काखरो बारे में बुराई करना, काखरो बारे में ओ करना। वो चार आदमी सब जानत हे गा।

श्री अमर अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, अजय जी विनियोग में कम बोल रहे हैं। आप लोगों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में ज्यादा बोल रहे हैं।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय सभापति महोदय, यह अविश्वास प्रस्ताव टाईप की बात चल रही है। उनको कहिए कि वह विषय पर आ जाएं। अपनी बात खत्म करें।

सभापति महोदय :- माननीय चन्द्राकर जी, आप विषय में आ जाएं।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय सभापति महोदय, नहीं तो हमारी जेब में बहुत कुछ है। हम भी निकालना शुरू करेंगे।

सभापति महोदय :- आप थोड़ा तीखा कम बोल दीजिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मैं एकदम धीरे-धीरे बोल देता हूं। विनियोग का मतलब यह होता है कि खर्च की अनुमति दी जाय या न दी जाये, कारण बतायें। मैं आदरणीय वित्त मंत्री जी को यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपने जो अच्छा बजट लाया, जब भोजन करने गये थे तब उसकी महत्वपूर्ण चीजों को मैं बोला। विनियोग में उन बातों को कहा जाता है, यह परंपरा है कि 20 दिन के सत्र में जिन बातों को नहीं गया हो। मैंने एक भी ऐसी बात नहीं कही है जिसको आप रिपीटेशन कह सकते हो।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- नरवा, घुरूवा ला हर बार कहत हस। आज ही बोलेस हस, मैं सुने हवं।

श्री अजय चन्द्राकर :- पूरा सत्र में नई बोलेव हंव। तैं पूरा सत्र के रिकार्ड निकलवा ले।

श्री उमेश पटेल :- हर भाषण में तोर इच्छा हे। आपका पूरा रिपीट हो रहा है।

सभापति महोदय :- उनका वह प्रिय विषय है। उनको बोलने दीजिए।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, एक मिनट मेरे को भी तो बोलने दीजिए।

सभापति महोदय :- आप बोलेंगे तब तो, आपको बोलने का तो मौका दे रहा हूं।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- इस विनियोग विधेयक में सहमति देना है या नहीं देना है, आप सहमति अप्रत्यक्ष रूप से देना नहीं चाह रहे हैं इसलिए आधा घंटा खींच रहे हैं। आप सीधे सहमति दे दीजिए, बात खत्म हो जायेगी।

श्री अजय चन्द्राकर :- ले मैं बंद कर देथों।

सभापति महोदय :- चन्द्राकर जी, आप मत बात करिये। आप बोलिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, धर्मांतरण के विषय में मैंने बहन जी कहा। मेरी बहुत सारी बहने हैं, मैं कोई न कोई गांव में हर रक्षाबंधन में राखी बंधवाने के लिए जाता हूं। मैं आपको फोटो भेज दूंगा। यहां तक राखी बंधी होती हैं। मेरे मित्र लोग यह तय कर देते हैं कि इस साल हम इस गांव में राखी बंधवायेंगे। वहां बहनों के साथ मस्त नाश्ता पानी करते हुए, खाते पीते बैठते हैं। मैंने बहन कहा, किसी का नाम नहीं लिया। कविता जी बार-बार क्यों खड़ी हो रही हैं, मेरे का समझ में नहीं आ रहा है। तो धर्मांतरण के कारण ..।

श्री गुरु खुशवंत साहेब :- माननीय सभापति जी, जांजगीर जिला में ही सबसे ज्यादा धर्मांतरण हो रहा है। वहां अनुसूचित जाति के साथ सबसे ज्यादा धर्मांतरण हो रहा है। बिलाईगढ़ जिस विधानसभा में कविता दीदी रहती हैं, वहां भी बहुत ज्यादा अनुसूचित जाति को प्रताडित करके, बहला-फुसलाकर धर्मांतरण का काम किया जा रहा है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, यह विषय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है।

सभापति महोदय :- आप बहुत ज्यादा ही खड़े हो रहे हैं। आप कितना खड़े होंगे?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति जी, अभी विनियोग विधेयक पर चर्चा चल रही है तो उसमें बात कीजिए न।

सभापति महोदय :- देखिये, उनको क्या बोलना है, वह तो मैं खड़े होकर नहीं बोल सकता। मैं उनको बोलने का अवसर दूंगा। आप सुनिये न, आप बोलेंगे तो इधर से भी 8-8 लोग, उधर से 6-6 लोग बोलने वाले हैं, थोड़ा दिक्कत हो जायेगी न।

श्रीमती कविता प्राण लहरे :- माननीय सभापति महोदय, धर्मांतरण के बात कर हय। मैं एक ऐसे विधान सभा से आथवं जो बाबा गुरु घासीदास जी की तपोभूमि है। शहीद वीर नारायण जी की नगरी है। ऐसी विधान सभा से सतनामी समाज के बेटे के रूप में आथवं। कोई जनप्रतिनिधि कोई भी धर्म में जात है, हर समाज, हर धर्म के लोग वो जनप्रतिनिधि ला वोट डालय जाथे।

सभापति महोदय :- आपको 4 बार हो गया, आप अपना स्पष्टीकरण दे डाली न। आप बैठिये न।

श्रीमती कविता प्राण लहरे :- माननीय सभापति महोदय, वक्त पड़ही तो 50 बार भी उठना पड़ही।

सभापति महोदय :- अभी आप बाद में फिर बोल लीजियेगा। या तो फिर मैं आपका नाम स्पेशल रूप से बोलने के लिए जोड़ देता हूं आप बोल लेना, लेकिन आप बार-बार मत खड़े होईये। द्वारिकाधीश यादव जी, आप बहुत ज्यादा ही खड़े हो रहे हैं।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, धर्मांतरण का विषय हर बार आता है। 15 साल की आपकी सरकार थी। आपने ऐसे कोई कानून नहीं बनाये या जो कानून हैं, आपके 15 साल की

सरकार के समय की भी जांच होनी चाहिए, 05 साल की होनी चाहिए। सरकार आपकी है। आप रोकिये, जांच करिये, उसको बोलने की क्या जरूरत है।

सभापति महोदय :- अभी इस विषय में कोई चर्चा नहीं हो रही है, आप रहने दीजिए न। आप बोलिये न।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, विष्णु देव साय जी की सरकार के रहते ऐसी हरकतें प्रमोट नहीं की जा सकतीं। (मेजों की थपथपाहट) अबोध लोगों को बहला-फुसलाकर छत्तीसगढ़ की डेमोग्राफी को बिगाड़ने का षडयंत्र हम चलने नहीं देंगे। हम वित्त मंत्री जी को इसलिए इस बात को कह रहे हैं कि यदि आप धर्मांतरण विधेयक ला रहे हैं तो उसको पूरा समर्थन दीजिए, आर्थिक समर्थन दीजिए। यह बात इसलिए आई। माननीय सभापति महोदय, E.D. के संबंध में कहना चाहता हूं कि 05 साल शासन चला, यह बात सत्य स्थापित हो गई, उसमें मैं बोल चुका हूं नहीं बोलूंगा कि एक साल में 2 हजार करोड़ रुपये का घपला पकड़ाया। E.D. को राज्य के कानूनों के तहत एक बार भी कोई समर्थन नहीं मिला। राष्ट्र की एजेंसी को आलोचना, प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा। अफसरों के साथ दुर्व्यवहार की घटनायें हुईं। आलोचना कांग्रेस का प्रिय विषय रहा। वह नेता हर कोई जो अपनी रेटिंग बढ़ाना चाहता था, मुख्यमंत्री या प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली में E.D. की आलोचना करना चाहता था। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर मंत्रिमंडल के अपने सारे साथियों से, नेताओं से यह आग्रह करता हूं कि कानून, व्यवस्था की दृष्टि से राज्य की जो भूमिका होती है, बल उपलब्ध करवाना हो, संसाधन उपलब्ध करवाना हो या जो भी उपलब्ध करवाना हो। यदि निर्दोष है तो क्यों डरें?

श्री रामकुमार यादव :- सभापति जी, एक मिनट।

सभापति महोदय :- उनको बोलने दीजिये।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति जी, हमन ला भी कभी-कभी सुन लेवा।

सभापति महोदय :- आपको तो हमेशा बोलने देते हैं।

श्री रामकुमार यादव :- ई.डी. वाला हा कांग्रेस मन ला ही चिनहे हे काय? ओमन ला कुछ रूमाल ला सुंघा देहौ का? अउ कहीं कोई ला नई चिनहे हे।

सभापति महोदय :- आप बैठिये न।

श्री अटल श्रीवास्तव :- ई.डी. वाले कांग्रेस में है और अगर वह भाजपा चले जाता है तो दूध का धूला हो जाता है। वह गंगा से स्नान होकर ठीक हो जाता है।

सभापति महोदय :- उनको बोलने दीजिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं अटल जी के ऊपर आप तक आरोप नहीं लगाया हूं। मैं राम वन गमन पथ भर बोलता हूं, मैं और कुछ नहीं बोलता हूं।

सभापति महोदय :- एक मिनट। रामकुमार यादव जी, आपका अभी इसमें नाम है और जब मैं बोलूंगा न तो आपको जितना बोलन है, बोल लीजियेगा, लेकिन अभी बीच में डिस्टर्ब मत करियेगा।

श्री रामकुमार यादव :- पांच साल ले ओइच बात ला गोठियात हे।

सभापति महोदय :- आपको मौका मिलेगा तो आप बोल लेना।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, ई.डी. को पूरा सहयोग मिलना चाहिए। मैं हमारे सभी नेताओं से, मंत्रिमण्डल के साथियों से और विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी यहां पर उपस्थित हैं, उनसे आग्रह करता हूं। माननीय महोदय, पिछले साल आक्सफोर्ड डिक्शनरी में नये शब्दों को शामिल किया गया है। वह हर साल किसी-किसी भाषा की नये-नये शब्दों को शामिल करता है। माननीय वित्त मंत्री जी, उन्होंने लूट शब्द को शामिल किया है। उन्होंने पिछले साल हिंदी के एक शब्द को अंग्रेजी डिक्शनरी में लूट शब्द को शामिल किया है। संयोग से मुझे पता चला कि मेरे परिवार के लोग वहां रहते हैं। वे ऑक्सफोर्ड में भी रहते हैं, कैम्ब्रीज में भी रहते हैं। मेरे को पता चला कि कहां से लूट को शामिल किया गया। वह बोले कि ऑक्सफोर्ड वाले छत्तीसगढ़ घूम कर आये हैं। छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार नाम का शब्द छोटा पड़ गया। अंग्रेजी के करप्शन शब्द के अर्थ खत्म हो गये। उन लोगों को बताया गया जो खुलेआम बेशर्मी के साथ होती है। कोई अराजकता के साथ होती है।

श्री उमेश पटेल :- महोदय, कौन लोग आये थे?

श्री अजय चन्द्राकर :- मेरी बात पूरा सुन लीजिये।

श्री रामकुमार यादव :- ओहर सपना में आये रिहीस।

सभापति महोदय :- बैठिये।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, यह पूरा मनगढंत बात है। इनका भाषण निकवा लीजिये। इनकी बात इसी तरह से पूरा मनगढंत रहता है। आप कथा वाचन कर लीजिये।

सभापति महोदय :- पटेल जी, आप बैठिये न।

श्री रामकुमार यादव :- ओ कथा सुनाय बर आ हे। मनगढंत कहानी सुनाय आ हे कि एक शहर मा एक राजा रिहीस।

सभापति महोदय :- यादव जी, बैठिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, राजकोष को जहां बेसब्री के साथ लूटा जाता था, वह प्रदेश हिंदुस्तान का एक नाम छत्तीसगढ़ है। वहां हमने देखा, घूमा, सुना और लूट शब्द को हमने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में शामिल किया और जो करप्शन जैसा शब्द है, उसको हमने हटा दिया। अब उसकी जगह में लूट आ गया।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में क्या करप्शन शब्द हट गया है? नहीं हटा है। अभी वह बोले कि करप्शन शब्द को हटाकर लूट कर दिया गया है। आप इतना मनगढ़ंत क्यों बोलते हैं? आप इतना कथा वाचन कर लीजिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- व्यापक कर दिया गया है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- उड़नदस्ता में 400 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है। (व्यवधान) 400 करोड़ रुपये किसके जेब से गया? आपके राज्य शासन से होकर उड़नदस्ता को गया था और वह 400 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है।

सभापति महोदय :- उमेश जी, आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, इनका कोई भी भाषण को देखिये, उसमें यह लोग आधा से ज्यादा असत्य बोलते हैं।

सभापति महोदय :- आप बैठिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, अब मैं शब्द के बाद मुहावरे में आता हूँ। अब वह लोग ज्यादा खड़े हो रहे हैं, इसलिए अब मैं अपनी बात बंद करता हूँ। मैं शब्द के बाद मुहावरे में आता हूँ। हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि कोयले की दलाली साथ काले होते हैं। अब वह मुहावरा भी हिंदी में बदल गया। मैंने लिंग्विस्टिक वाले एक सर को फोन किया था कि कोयले की दलाली से महात्मा गांधी मिलते हैं। काले होते हैं मत बोलिये। आप उस शब्द को डिक्शनरी में लोकोक्ति, मुहावरे में यथोचित स्थान दीजिये। आप भाषा शास्त्री हैं, लिंग्विस्टिक के जानकार हैं। छत्तीसगढ़ ने मायने बदल दिये। कोयले की दलाली से हाथ काले नहीं होते, कोयले की दलाली से महात्मा गांधी के हरे-हरे फोटो मिलते हैं, यह शामिल कीजिये। सभापति महोदय, मैंने लगभग सभी बातें कहीं। लेकिन जो बजट आया है, जो पूंजीगत व्यय बढ़ेगा, जो आधिक्य का बजट है और मैंने बजट के भाषण के अतिरिक्त उनको कुछ सुझाव दिये हैं। मैं एक बात माननीय वित्त मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा। मैं आशा करता हूँ कि वह फालो करेंगे। जो सुझाव उनको अच्छा लगेगा, उसको वह स्वीकार करेंगे। लेकिन मैंने जो तथ्य बताया है, वह तथ्य ऐसे हैं कि विष्णु सरकार में यह पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ की जनता ने लूट, आतंक, भय, भ्रष्टाचार, लेवी, वसूली, जितने प्रकार के अपराध हैं, जुआं-सट्टा अवैध शराब उनके खिलाफ मत दिया है और आप लोगों को यहां बैठाया है तथा हम लोगों को ट्रेजरी बेंच में बैठने का सौभाग्य दिया है। पिछली बार मैंने विनियोग पर बात करते हुए माननीय भूपेश बघेल जी से कहा था कि माननीय रमन सिंह जी थे तो वे चुनाव के 3 महीने पहले कुरुद सभा में गये थे। मैंने कहा कि उन्होंने 4 घोषणाएं की थी, मैंने बोला कि मुख्यमंत्री एक इंस्टीट्यूशन होता है। वह कांग्रेस या भाजपा का नहीं होता, माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी सदन के नेता हैं, वे छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वे एक इंस्टीट्यूशन हैं। उन घोषणाओं का सम्मान कीजिये। मुझे उन्होंने उत्तर दिया कि भैया इतने अरब, इतने करोड़ के हैं, मैं इन

सब लफड़ों में नहीं पड़ता । आप लोग जानिये, जब आओगे तो पूरा कर लेना लेकिन संयोग ऐसा बना कि जब मैंने तर्क दिया । उन्होंने घोषणा की कि सब डीविजन की तहसील और एस.डी.एम. की संख्या बढ़ायी जायेगी तो मैंने कहा कि भई भखारा को तहसील बनाने की एक घोषणा लंबित है तो उन्होंने उसको मान लिया । मैंने अभी बजट में एक चिट्ठी लिखी तो पॉलिटिकल कॉलेज आ गया । दो घोषणायें पूरी हो गयी, उन्होंने और दो घोषणायें की थीं । उन्होंने एक की थी कि मैं कुरुद में नर्सिंग कॉलेज खोलूंगा । मैंने कहा था कि छत्तीसगढ़ में उच्च न्यायालय बन गया है, खुल गया है । त्रिवर्षीय कोर्स में वह सीरियसनेस नहीं होता, छत्तीसगढ़ में कॉर्पोरेट ऑफिस बनेंगे, जो लिटिगेशन है वह बढ़ रहे हैं, चूंकि 3 साल में वह सीरियसनेस नहीं आता तो हमारे यहां के बेरोजगारों को कम से कम 5 साल का कोर्स मिले तो उन्होंने कहा बिल्कुल मैं खोलता हूं ।

माननीय सभापति महोदय, विनियोग में एक अवसर होता है । मैं माननीय वित्तमंत्री जी से यह दो मांग जो अधूरी रह गयी थी कि नर्सिंग कॉलेज की और 5 साल के एल.एल.बी. की । चूंकि आप उदार आदमी हैं, मैं अपेक्षा करता हूं कि आप ध्यान देंगे, मांगों पर ध्यान देंगे और फिर से इस बात को कहते हुए कि भूपेश रिजम के, भूपेश डॉक्ट्रिंग के कि सरकार जो संविधानेत्तर सत्ता चला रही थी, गूंजती और खनकती आवाज से, उनकी हनक से जो छत्तीसगढ़ चल रहा था उससे मुक्त करके ब्यूरोक्रेसी को, कार्यपालिका को वह स्थान दीजिये कि वह छत्तीसगढ़ की सेवा करने के लिये नीति और कार्यक्रम बनायें और उनको वह स्वतंत्रता दीजिये । वह वसूली का एप्रेटस मत बने, वह वसूली के उत्पूरण मत बनें । वह किसी की इच्छा के आधार पर मत चले । भारत के संविधान बिजनेस रूल के हिसाब से चलें, प्रदेश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें, यह मंडेट आपको इसलिये मिला है । आशा है कि आप इस मंडेट का सम्मान करेंगे और मेरा सौभाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस सदन में हैं, वह इस मंडेट का सम्मान करते हुए एक नया छत्तीसगढ़ जनआकांक्षाओं के अनुरूप बनायेंगे, मोदी जी की गारंटी के अनुरूप बनायेंगे । मैं इस भाव के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं । जय हिंद, जय छत्तीसगढ़ । माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने हेतु समय प्रदान किया इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद । (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय :- विनियोग विधेयक पर दोनों पक्षों से प्रथम वक्ताओं ने पर्याप्त विचार रखे हैं । अभी लगभग 10 सदस्यों को अपने विचार रखे जाना है, आगामी सभी वक्ताओं से विनम्र अनुरोध है कि 10-10 मिनट में अपने विचार रखें । श्री कुंवर सिंह निषाद ।

श्री कुंवर सिंह निषाद (गुण्डरदेही) :- माननीय सभापति महोदय, अभी हमारे विद्वान वक्ता अजय चंद्राकर जी ने सम्मानपूर्वक इस विनियोग विधेयक पर बातें की हैं । विनियोग का उद्देश्य तो होता है कि खर्च की अनुमति पर चर्चा करें और उसके संबंध में बात करें लेकिन सबसे ज्यादा बात उन्होंने की केवल और केवल हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी उनके सपने में शायद रोज आते हैं,

उनकी हर बात केवल भूपेश बघेल जी पर खत्म होती थी। वे विनियोग पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, सरकार को क्या करना चाहिए या सरकार को क्यों विनियोग पर सहमति देनी चाहिए उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। माननीय अमर अग्रवाल जी नहीं हैं, वे बढिया बात कर रहे थे कि कहीं का ईट, कहीं का रोड़ा और भानुमति ने कुनबा जोड़ा। अमर भैया भी आ गये हैं। उस बात को यहां-वहां से लाकर जोड़ते थे और वह बात आखिरी में भूपेश बघेल जी के ऊपर समाप्त हो जाती है। आपने एम.ओ.यू. को लेकर बड़ी बात की कि माननीय भूपेश बघेल जी ने ऐसा किया तो वैसा किया। कितने संसाधन खुले इस बारे में चर्चा नहीं, मेडिकल कॉलेज खुले, कॉलेज खुले, डिग्री कॉलेज खुले, उद्यानिकी खुले, कृषि के कॉलेज खुले इस पर कोई चर्चा नहीं। बहुत से जिले बने, बहुत से अस्पतालों का उन्नयन हुआ और बहुत से अस्पताल भी खुले। पर्यटन के क्षेत्रों को भी बढ़ावा मिला लेकिन आपने हमेशा उनका विरोध किया। इनके मन में केवल नूरजहां की खनकती आवाज-नूरजहां की खनकती आवाज। नूरजहां की खनकती आवाज। सभापति महोदय, मैं यह कह रहा हूं कि इनके यहां जो शाहजहां बैठे हैं, उसका का रिमोट का कंट्रोल..।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, विपक्ष के साथी बोल रहे हैं कि नूरजहां की खनकती आवाज तो थी कौन? यह तो बता दीजिए।

समय :

3.55 बजे

**(सभापति महोदय (श्री बघेल लखेश्वर) पीठासीन हुए)**

श्री कुंवर सिंह निषाद :- वही तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि वो शाहजहां जो रिमोट को चलाता है, उसका बटन यहां कौन रखा है?

श्री सुशांत शुक्ला :- बताना तो आपको होगा।

श्री रामकुमार यादव :- वो नूरजहां कौन थी, उसे यहां पर लाकर पेश करो।

श्री सुशांत शुक्ला :- नवाबी व्यवस्था जो आपने 5 साल में दे रखी थी, उसकी व्याख्या तो आप ही को करनी पड़ेगी न।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- गरीबों की भारी चिंता कर रहे हैं। आप गरीबों की चिंता कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, 15 साल कभी चिंता नहीं किये। न गरीबों की चिंता की और न किसानों की चिंता की। उसका परिणाम रहा कि 14 सीट में आकर सिमट गये।

श्री अजय चन्द्राकर :- एक मिनट। यहां थोड़ी अक्ल की बात है। पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन हुआ। लोकसभा के तत्कालीन अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी आये। उनको मैंने बताया कि छत्तीसगढ़ में खाद्य सुरक्षा कानून बना है, जिसके तहत खाद्यान्न दिया जायेगा तो उन्होंने मेरे कंधे में हाथ रखकर क्या कहा मालूम है? मेरे पास उसकी फोटो भी है कि हम वामपंथी 25-27 साल बंगाल में रहकर खाद्यान्न सुरक्षा कानून नहीं बना सके और ये छत्तीसगढ़ राज्य ने बना दिया। कोई गरीब भूखा नहीं

मरेगा, यह सुनिश्चित कर दिया। मैं छत्तीसगढ़ सरकार को बधाई देता हूँ। (मेजों की थपथपाहट) ये वाम पंथी नेता ने कहा, जो पोलित ब्यूरो का सदस्य था, उसने कहा। अब आप गरीबों के बारे में बोलिए।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- शुरुआत मनमोहन सिंह जी ने 25 पैसे में किया।

श्री अजय चन्द्राकर :- ममा, आपके शब्दों में 1971 में गरीबी हट गई है। समझ गये हो न। इसलिए गरीबी हटाकर आप चुनाव जीत चुके हैं। आपको गरीबों के बारे में बात करने का अधिकार ही नहीं है।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- आप क्यों बात कर रहे हो? आप बार-बार उस संबंध में क्यों बात कर रहे हो?

श्री उमेश पटेल :- अजय जी, ये जो 15 साल की सरकार यहां रही, कितने लोग गरीबी रेखा बड़े और जो पिछले 5 साल में जो रिपोर्ट आयी कि कितने लोग गरीबी रेखा से बाहर आये, इसे भी अजय चन्द्राकर जी जाने और सभापति महोदय, मैं इस पर चर्चा मांगता हूँ। मैं चर्चा मांगता हूँ कि कोई भी सदस्य इसमें चर्चा करे कि 15 साल में कितनी गरीबी बढ़ी थी और 5 साल में कितने लोग गरीबी रेखा से बाहर आये हैं? इस पर आज चर्चा मांगता हूँ। अजय जी नहीं हैं, लेकिन उनसे निवेदन करूंगा कि वे चर्चा में भाग ले।

श्री रामकुमार यादव :- जतका मोटर साइकिल अउ ट्रेक्टर भूपेश बघेल जी के सरकार में ले रहिस हे, तुमन दू झने ला नहीं दिलाये हो।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, ये उस गरीब को छलकर आये हैं और आज सरकार में बैठे हैं। बड़े-बड़े सपने दिखाये हैं। मुंगेरीलाल के हसीन सपने। ऐसा बजाये डमरू बड़ी-बड़ी सभा में असत्य बोले हैं।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, इन्होंने कहा कि हमने चिंता नहीं की। इन्होंने जिनकी चिंता की, वे सब आज जेल में हैं।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- बड़ी-बड़ी कर्जाभाफी की बात बोले और अन्य चीजों पर बोले। अभी बात आयेगी, जवाब देंगे। माननीय राजेश भैया, बड़े-बड़े स्मारक निर्माण की बात कर रहे थे। ये जो स्काई वॉक है, यह कौन सा स्मारक है भा.ज.पा. वालों ने बनाया है? कोई स्मारक है क्या? जिसके बारे में बता रहे थे। माननीय धर्मजीत भैया नहीं है, इसी सदन में बात रखते थे कि वहां गुप्ती मारेंगे, चाकू मारेंगे..।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, ये स्मारक की बात कर रहे हैं, हमने तो उच्च काम किया था, ये 5 साल तक स्मारक बनाने का प्रयास कर रहे थे।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- इसको गोब देंगे। ये केवल खंडहर बनकर भा.ज.पा. शासन की याद दिलाता है कि यह स्काई वॉक क्या है?

श्री राजेश मूणत :- माननीय सभापति महोदय, मेरे नाम का उल्लेख किया है। मैं उस समय पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री था। मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिसके कारण मुझे लज्जित होना पड़े। (मेजों की थपथपाहट) आपकी सरकार ने 3 कमेटी बनायी। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी थे। 3 कमेटी बनाई। एक सी.एस. की अध्यक्षता में बनाई। एक जनप्रतिनिधि की बनाई। एक इंजीनियर की बनाई। तीनों कमेटी की रिपोर्ट आ गई। पी.डब्ल्यू.डी. विभाग के अंदर दे दी। एक कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक ठोक लिखकर दे दिया कि इसमें ऐसा-ऐसा हुआ है, ऐसा-ऐसा हुआ। माननीय मुख्यमंत्री उसके ऊपर क्या लिखे, मालूम, वो कॉपी मेरे पास है। सुन लो थोड़ा सा प्लीज। उन्होंने लिखा कि एफ.आई.आर. दर्ज की जाये। मैंने वो कॉपी देखा। गजब। जांच हुई नहीं, कहीं कुछ था नहीं, आपने ई.ओ.डब्ल्यू. को भी भेज दिया, ई.ओ.डब्ल्यू. ने क्लीन चिट आप ही की सरकार के समय दे दी। तीनों कमेटी की रिपोर्ट भी आ गयी कि स्काई वॉक में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई। अरे भाई, उसने तुम्हारे लोगों को कमीशन नहीं दिया, इसके कारण रोककर रखे हो और वह प्रूफ मेरे पास है। अगर हिम्मत है तो मैंने उस समय भी कहा था कि किसी ऐसे व्यक्ति से जांच करा लो जो सुप्रीम कोर्ट का जज हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। राजनीति करने आए हैं, धंधा करने नहीं आए हैं (मेजों की थपथपाहट)।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- बढिया है, अभी आपकी सरकार है बराबर जांच करा लीजिए।

श्री राजेश मूणत :- हो गई जांच, रिपोर्ट आ गई मेरे भाई।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- तो फिर पटल पर रखवा दीजिए, हम लोग भी जानें।

श्री राजेश मूणत :- मेरे मित्र, मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ पांच साल तक जो सरकार कुछ नहीं कर पाई। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- ये बनावै नहीं अउ हटावै नहीं ओला, आदमी ला रेंगे बर डर लागथे।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- इतनी उपलब्धि है कि आपको सपने में भी भूपेश बघेल जी आते हैं।

श्री राजेश मूणत :- अरे, मेरे सपने में नहीं, मैं उनके सपने में आता हूँ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- बार बार जब बोलते हो ना, इसलिए हम कहते हैं कि सपने में आते हैं।

सभापति महोदय :- बैठिये आप लोग।

श्री राजेश मूणत :- छत्तीसगढ़ में सीबीआई को उन्होंने प्रतिबंधित किया था। छत्तीसगढ़ में पहले किसी ने सीबीआई को प्रतिबंधित किया तो इस प्रदेश का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल था। जिसको डर लगा रहा था कि कहीं जांच में अंदर न जाना पड़ जाए।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- करा लीजिए जांच, अब सीबीआई से जांच करा लीजिए। सभापति महोदय, किसानों के प्रति आपकी चिंता दिख रही है।

सभापति महोदय :- विषय पर आइए।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- विषय से हटकर उन्होंने घंटा भर बात की, माननीय महोदय । मैं भी आपसे उस संबंध में बात करना चाहूंगा । छत्तीसगढ़ की परम्परा और संस्कृति पर बात कर रहे हैं । मुख्यमंत्री निवास में ऐसा होता था तो क्या गलत होता था । छत्तीसगढ़ की संस्कृति को इन्होंने कभी पटल पर लाने का प्रयास नहीं किया । मैं आज इस मंच से छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने छत्तीसगढ़ की परम्परा और संस्कृति को जन-जन तक पहुंचाने का काम किया, लोग भूल रहे थे, विस्मृत हो रहे थे । उसको गांव तक पहुंचाने का काम किया, वे हमारी परम्पराएं हैं । जिस परम्परा से हम खेलकूद कर बड़े हुए हैं, उनकी जानकारी लोगों को होनी चाहिए, इसमें किसी प्रकार की रंजिश नहीं होनी चाहिए।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, कोई भी संस्कृति भाषायी व्यवस्था से चलती है । पांच सालों तक छद्म छत्तीसगढ़िया का नारा लेकर चलने वाले लोग पांच साल में राजभाषा आयोग का गठन तक नहीं कर पाये । यहां छत्तीसगढ़वाद की बात करते हैं ।

सभापति महोदय :- चलिए, बैठिये आप ।

श्री रामकुमार यादव :- तुमन छत्तीसगढ़ी त्यौहार ला बंद करे रहेव महाराज।

सभापति महोदय :- चलिए बैठिये ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- मेरी काबिल साथी भाषा की बात बोल रहे हैं । भाषा से परम्परा नहीं चलती ।

श्री रामकुमार यादव :- तुम्हर मुह ने एक भी छत्तीसगढ़ी गोठ नइ निकलय इहां, का बात करथौ । जब भी गोठियाहू तो हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू ।

श्री सुशांत शुक्ला :- इंग्लिश की स्कूल खोले लेकिन छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग का गठन नहीं कर पाए ।

श्री रामकुमार यादव :- प्लीज साइलेंट ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- इस सरकार का विनियोग आया है, इसके विरोध में बात कर रहा हूं । 1 लाख, 60 हजार 568 करोड़, 06 लाख 19 हजार का विनियोग इस सदन में प्रस्तुत कर खर्च करने की अनुमति मांग रहे हैं । उक्त राशि 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय की अनुमति दी जाए । क्यों दी जाए, सभापति महोदय ? क्यों खर्च की अनुमति दी जाए ? बजट सत्र के दौरान इस सदन में सभी माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया और अपने अपने सुझाव दिए । अधिकतर माननीय सदस्यों ने चर्चा के दौरान यह बात प्रमुखता से कही कि सरकार ने प्रदेश के संतुलित विकास के लिए बजट बनाकर सदन में प्रस्तुत नहीं किया, सभी सदस्यों ने विरोध किया था । इस बजट में कुछ क्षेत्रों को ज्यादा महत्व दिया गया और कुछ क्षेत्रों को उपेक्षित करके छोड़ दिया गया । सरकार की विकास यात्रा रिमोट एरिया जिसको हम सुकमा और बीजापुर से शुरू होकर रामानुजगंज और शंकरगढ़ तक

पहुंचना चाहिए। परंतु विकास पहुंचेगा कैसे? क्योंकि आपने बजट प्रावधान में पूंजीगत व्यय में 33452 करोड़, 39 लाख, 72 हजार मात्र का ही प्रावधान किया है। कुल विनियोग का केवल 20.84 प्रतिशत है। शेष पैसा सरकार को ऋण भुगतान एवं वेतन भत्ते सहित दैनिक कार्य में खर्च हो जाएगा। सभापति महोदय, 16871 करोड़, 58 लाख, 76 हजार लोक ऋण एवं ब्याज अदायगी, कुल विनियोग का 10.50 प्रतिशत होता है। इसलिए कर्ज पटाएंगे या विकास करेंगे, यह आपको तय करना है। कुल विनियोग में से 01 लाख 27 हजार 115 करोड़, 66 लाख 47 हजार यानी 70 प्रतिशत राजस्व मद में व्यय हो रहा है और ये बड़े बड़े विकास की बात कर रहे हैं। प्रदेश में कृषि संकट से निपटने के लिए कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया है। आपने कम से कम किसानों के बारे में सोच लिया होता। आपने सार्वजनिक मंच से कहा है कि दो-दो लाख रूपए का कर्ज माफ करेंगे। माननीय सभापति महोदय, पहले भी आपकी सरकार ने किसानों को धोखा दिया है जिसकी भरपाई आपने इस साल दो साल का बकाया बोनस देकर किया है।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, पूर्ण तो किया ना। मातृशक्ति को 5 साल शराबबंदी की तरह धोखे में तो नहीं रखे।

सभापति महोदय :- शुक्ला जी, बार-बार मत उठिए।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- सभापति महोदय, अभी और क्या-क्या होता है देखिए। अभी दो महीने बाद लोक सभा का चुनाव होना है। भाजपा सरकार का पूरा प्लान है कि चुनाव के पहले जो देना है, उन सबको झुनझुना दे दें। इस बजट में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नाम पर जितनी राशि का प्रावधान किया गया है, उससे ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति परिवार औसतन केवल और केवल 32 दिन का ही रोजगार सृजन होगा। यहां सब आंकड़े वाले बैठे हैं, वे सब बता देंगे। मैं माननीय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री जी को इस सदन से बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने ऐसी योजना लाकर पूरे हिन्दुस्तान को आर्थिक रूप से मजदूरों को काम देने का प्रयास किया है। मनरेगा में न्यूनतम 900 दिन रोजगार की गारंटी है। इस बजट में भूमिहीन मजदूरों को प्रतिवर्ष 10 हजार रूपये सहायता राशि देने की घोषणा की है। 6 लाख कृषि मजदूरों को 500 करोड़ में कैसे भुगतान करेंगे? इसलिए मैं इस बजट को लालीपाँप और सपने दिखाने वाला बजट बोलता हूँ। बजट में असमान विकास की बातें कही गयी हैं। सबसे बड़ी बात शिक्षित बेरोजगारों के लिए इस बजट में कोई भी स्थायी एवं तात्कालिक योजना का प्रावधान नहीं दिखता। रोजगार सृजन के लिए कोई बात नहीं कही गयी है। इस प्रदेश में बड़े-बड़े उद्योगपति आए, उद्योग स्थापित किए, वे स्थानीय शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार दें लेकिन इस बारे में कोई उल्लेख नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, बजट में आई.टी. का बड़ा उल्लेख है। ग्रामीण क्षेत्र में कृषि उत्पाद पर आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना। प्रदेश में उत्पादित फल सब्जियों के सुरक्षित भंडारण हेतु कोल स्टोरेज बनाने, गोडाउन बनाने और वेयर हाऊसिंग के क्षेत्र में कोई योजना बनाने का प्रावधान नहीं किया गया है। आई.टी. की बड़ी-बड़ी बात कर रहे हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर बेस्ड

इँकोनामी, एग्रीकल्चर बेस्ड एम्प्लॉयमेंट एक बड़ा सेक्टर होता है। अगर आप बड़ी योजना बना लेते हैं तो छत्तीसगढ़ के किसानों को और किसान के बच्चों को रोजगार मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार जरूर इस दिशा में पहल करें ताकि गरीब और किसान के बेटे भी आर्थिक रूप से मजबूत और सक्षम बन सकें। इस बजट में छत्तीसगढ़ के किसानों की कर्जमाफी का कोई उल्लेख नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है। क्योंकि सार्वजनिक मंच से कही गयी बात है, दो-दो लाख रूपए किसानों के कर्ज माफ होंगे। अभी लोक सभा का चुनाव है, जनता इनसे जवाब मांगेगी। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं हैं, वरिष्ठ साथी और मंत्री जी भी बैठे हैं। इसी सदन में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि राजीव गांधी न्याय योजना की चौथी किस्त की राशि दी जाएगी, हमने उसका प्रावधान रखा है और हम देंगे लेकिन इस बजट में कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। हमारी सरकार ने 2023-24 के बजट में आर्थिक क्षेत्र में 36 प्रतिशत एवं सामान्य सेवा में 23 प्रतिशत का प्रावधान किया था। आपने उसमें कटौती की है। आपने आर्थिक क्षेत्र में 35 प्रतिशत और सामान्य क्षेत्र में 20 प्रतिशत का प्रावधान रखा है। वर्ष 2023-24 के बजट में कांग्रेस सरकार द्वारा भी कोई भी कर का प्रस्ताव नहीं किया गया था। मोदी जी की गारंटी की बड़ी-बड़ी बात की है। गारंटी के भरोसे से ही भाजपा की सरकार प्रदेश की सत्ता में आई है। आपने उन वादों को दरकिनार कर दिया है। आपने तैदूपत्ता संग्राहकों को 4500 रूपये बोनस दिये जाने की गारंटी को बजट में सम्मिलित नहीं किया है। आपने आदिवासियों के साथ छल किया है। इसका भी परिणाम आने वाले लोक सभा में दिखेगा।

सभापति महोदय :- 15 मिनट हो गए।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, मैंने तो अभी शुरुआत की है। बस 5 मिनट में समाप्त कर रहा हूँ। यदि मोदी की गारंटी को पूरा करना है तो राज्य सरकार को बहुत सी राशि की आवश्यकता होगी। जो मैं आपको आंकड़े के माध्यम से बताना चाहता हूँ। ये लोग तो 60 लाख, 70 लाख, 72 लाख, 75 लाख तक के पंजीयन की बात कर रहे थे। मैं तो केवल 50 लाख तक की बात करूँगा। यदि 50 लाख इंटू 12 कर दें तो 6 हजार करोड़ रूपए होते हैं, लेकिन आपने केवल 3 हजार करोड़ का प्रावधान किया है। आप बाकी की राशि कहां से लाएंगे। प्रधानमंत्री आवास हेतु आपने 8800 करोड़ रूपए का प्रावधान किया है और आपने धान की खरीदी के लिए कितना प्रावधान किया है। अगर अनुपूरक और सारी चीजें देखें तो 12 हजार करोड़ रूपए लगेंगे, लेकिन आपने केवल 10 हजार करोड़ रूपए का प्रावधान किया है। ग्रामीण भूमिहीन मजदूरी न्याय योजना के भुगतान हेतु आपने 10 हजार इंटू 6 लाख हितग्राहियों मतलब 600 करोड़। मोदी जी की 3 गारंटी में ही आपके बजट के वित्तीय वर्ष में 27400 करोड़ रूपए की आवश्यकता होगी, यह आप देख लीजिए।

सभापति महोदय, अब कानून व्यवस्था की बात करें तो स्वयं गृहमंत्री जी के गृहजिला में अराजकता की स्थिति बनी हुई है कि आदिवासियों को मार दिया जाता है। उसे दबाने के लिए आत्महत्या

का रूप दे दिया गया । 36 दिन बाद पता चलता है कि उनकी हत्या हुई थी । साधराम यादव की हत्या हुई । परसों मॉ और बेटी को एस.पी. कार्यालय से 100 मीटर की दूरी में मार दिया गया । पहले छत्तीसगढ़ शांति का टापू कहा जाता था, अब अपराध का गढ़ बन गया है । मेरे ही विधान सभा क्षेत्र गुण्डरदेही में सामूहिक बलात्कार हुआ और दो दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ था । जब हम प्रतिनिधिमण्डल मिलने गए तो हमें पीड़ित परिवार से मिलने के लिए रोका गया, ताकि वहां तक कुछ बयान मत आये । वह तो किस्मत अच्छी थी कि उस बेचारी ने अपने आप को समर्पित कर दिया तो जिंदा घर पहुंच पाई, नहीं तो उसका भी निर्भया के जैसा दूसरा निर्भया कांड छत्तीसगढ़ में होने वाला था । 14 साल की बच्चे की निर्मम हत्या हो जाती है और हम देखते रह जाते हैं ।

सभापति महोदय, आपने प्रश्न के माध्यम से उत्तर में स्वीकार किया है कि दो माह में 38 नक्सली घटनाएं और 300 बलात्कार की घटनाएं हुई हैं । ये प्रदेश की कानून व्यवस्था है । यह रिपोर्ट है ।

श्री सुशांत शुक्ला :- संबंधित बातों को ही विधान सभा में बोला जाना चाहिए। अगर गैर तथ्य विषय के साथ है तो आंकड़ों के साथ उल्लिखित कर दें । अगर सदन को गलत शब्दों के साथ, गलत आंकड़ों के साथ गुमराह करने की कोशिश सम्माननीय सदस्य करेंगे तो यह आपत्तिजनक है ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, मैं आपके ही आंकड़े बता रहा हूं ।

श्री सुशांत शुक्ला :- ऐसा कोई भी आंकड़ा नहीं है । विधान सभा में गलत तरीके से गुमराह मत कीजिए । (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- महाराज जी, इससे पहले यहां पर इसी सदन में जिंदा आदमी को मुर्दा और मरे हुए आदमी को जिंदा बोला जाता था । आप क्या बात करते हो । (व्यवधान)

सभापति महोदय :- आप लोग बैठिए ।

श्री गुरु खुशवंत साहेब :- आंकड़ा है तो लाएं और उसे सदन में प्रस्तुत करें । (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- रोज समाचार में छप रहा है । (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- भाजपा सरकार को सिर्फ नीचा दिखाने के लिए गलत बातों की प्रस्तुतिकरण होगी तो यह आपत्ति का विषय है । (व्यवधान)

श्री गुरु खुशवंत साहेब :- वे आरोप लगाने का काम कर रहे हैं । (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- सभापति महोदय, मैं आज भी वही बात कर रहा हूं कि छत्तीसगढ़ में दो महीने में ही 38 नक्सली घटनाएं और हत्या, बलात्कार की 300 घटनाएं हुई हैं । यह मैं नहीं कह रहा हूं, इसी सत्र में माननीय गृहमंत्री जी ने विभागीय प्रश्न के उत्तर में लिखित जानकारी दी है, यह आप निकलवाकर देख लीजिए ।

सभापति महोदय :- आप समाप्त करें, आपका समय हो गया ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- सभापति महोदय, मादक पदार्थों की तस्करी को तो आप देख ही रहे हैं । गौ तस्कर राजधानी के मुख्य सड़क के जा रहे हैं । समाचार-पत्र हत्या, चोरी, डकैती, बलात्कार, दुनिया भर की चीजों से भरा रहता है । अब प्रदेश में बेरोजगारी दर देख लीजिए । प्रदेश में बेरोजगारी दर 2018 तक 22.2 प्रतिशत थी, जो वर्ष 2023 में कम होकर 0.8 प्रतिशत हो गई ।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, बेरोजगारी दर पर फिर से व्याख्या करेंगे कि क्या था ?

सभापति महोदय :- आपकी बात आ गई, आप समाप्त करें ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बेरोजगारी दर 2018 तक 22.2 प्रतिशत थी, जो हमारी सरकार आने के बाद वह घटकर 0.8 प्रतिशत हो गई ।

श्री सुशांत शुक्ला :- यह कौन से आंकड़े में थे ? आंकड़े तो 0.1 थे । आपने 22 प्रतिशत कहा था और 10 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा करके चले गए । (व्यवधान)

सभापति महोदय :- आप लोग बैठिए, बेमतलब खड़े मत होईए ।

श्री सुशांत शुक्ला :- बेरोजगारी पर बयानबाजी उचित नहीं है । (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- सभापति महोदय, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ । सेन्ट्रल फॉर मानीटरिंग इंडिया इकानॉमी की रिपोर्ट बता रही है, आप उठाकर देख लीजिए।

श्री सुशांत शुक्ला :- पिछली सरकार ने जो एक रिपोर्ट खुद क्रिएट की थी । उस रिपोर्ट का क्या हुआ ? (व्यवधान)

सभापति महोदय :- शुक्ला जी, बैठिए । (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- ये तुहरे करनी हे बबा हो । (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- आपके समय में पाँच लाख लोगों को रोजगार देने की होल्डिंग्स लगी थी । (व्यवधान)

सभापति महोदय :- बैठिये, उनको बोलने दीजिये। निष्पाद जी आप खत्म करिये।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, मुझे कम से कम बोलने दीजिये। असत्य बोल रहे हैं तो कम से कम सत्य तो आना चाहिए। सभापति महोदय, ये प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करते हैं। केन्द्रांश और राज्यांश दोनों बराबर होता है, तभी प्रधानमंत्री आवास का निर्माण हो पाता है। सभी ने दो वर्ष देखा है। पूरा देश कोरोना की मार झेल रहा था। सबको पता है कि केन्द्र सरकार द्वारा सन् 2018-19 से 2024 तक लगातार राज्य सरकार को आवास निर्माण का लक्ष्य देती थी। लेकिन पैसा नहीं देती थी। पूरे कांग्रेस के कार्यकाल उठाकर देखिये, तो मात्र एक किश्त ..।

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय, यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम लाने वाले (व्यवधान) ..दिख रहा है। पांच साल तक छत्तीसगढ़ की गरीब जनता को ईलाज से महरूम करने वाले लोग (व्यवधान) गरीब कहां ईलाज करा रहा है। (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- साढ़े सात लाख आवास के लिए पैसा दिया था और ये 18 लाख आवास की बात करते हैं। सभापति महोदय, यह मेरा आकड़ा नहीं है। इसी सत्र में प्रश्न के लिखित जवाब में है, जो आपकी सरकार ने दिया है।

माननीय सभापति महोदय, रही बात मनरेगा की, तो आपने मनरेगा में 2488 करोड़ का प्रावधान किया है। परन्तु आपने यह नहीं बताया कि 15 जनवरी, 2024 की स्थिति में मनरेगा का अभी तक 649 करोड़ रुपये का भुगतान लंबित है। एक ओर हमारे विपक्ष के साथी ने भी सहमति दी है।

सभापति महोदय :- चलिये, समाप्त करिये। चलिये, बैठिये। 20 मिनट से अधिक समय हो गया है।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय मुख्यमंत्री जी के पास सामान्य प्रशासन विभाग भी है। मैं उसमें सिर्फ एक सुझाव देना चाहता हूँ। इसमें हमारे साथियों ने भी विरोध किया है। प्रदेश में व्यापक पैमाने पर प्लेसमेंट के माध्यम से विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर भर्तियां की जा रही हैं। यह बिलकुल नियम विरुद्ध है। यह आर्टिकल 309 का सीधा-सीधा उल्लंघन है। सभापति महोदय, इसमें सरकार को दो प्रकार से नुकसान हो रहा है। किसी भी सरकार को किसी भी न्यायालयीन वाद में उलझना पड़ सकता है। दूसरा, प्लेसमेंट में किसी को कहीं से भी लाकर भर्ती कर देती है, इसमें महिला आरक्षण, एस.टी., एस.सी. ओ.बी.सी. आरक्षण का पालन नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही है। जिस पर सरकार को दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ नियंत्रण की आवश्यकता है। मेरे सत्ता पक्ष के साथी ने इसमें भी चिंता व्यक्त की है।

सभापति महोदय :- चलिये धन्यवाद, हो गया।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- सभापति महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगा।

सभापति महोदय :- चलिये, हो गया। बहुत हो गया।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- मेरे पास बहुत आकड़ें हैं।

सभापति महोदय :- चलिये, सारी बात आ गई।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- ठीक है, अब आप बोल रहे हैं तो मैं अंत में विरोध करने से पहले यही बात कहना चाहूंगा कि जो रेत के महल बनाये हैं, उसके सम्बन्ध में विनियोग की बात मैं कहना चाहूंगा कि-

"नामावर अपना हवाओं को बनाने वाले, अब ना आयेंगे पलटकर जाने वाले

क्या मिलेगा तुझे बिखरे हुए खवाबों के सिवा, और रेत पर चांद की तस्वीर बनाने वाले।"

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, जब इन्होंने पंक्तियां दी हैं तो जवाब बनता है -

"कि खोल दे पंख मेरे अभी उड़ान बाकी है

जमीं नहीं मंजिल मेरी अभी पूरी आसमां बाकी है

लहरों की खामोशी को समन्दर की बेबशी मत समझना नादान,  
जितनी गहराई अंदर है, उतना बाहर तूफान बाकी है।"

### सदन की सूचना

सभापति महोदय :- माननीय सदस्यों हेतु विधानसभा के लॉबी स्थित सदस्य कक्ष में दिनांक 28 फरवरी, 2024 को अनंत साईं हास्पिटल रायपुर द्वारा कार्डियक कैंप आयोजित है। कृपया माननीय सदस्य प्रातः 11.00 बजे से सायं 5.00 बजे के मध्य शिविर का लाभ लें।

सभापति महोदय :- धर्मजीत सिंह जी ।

श्री धर्मजीत सिंह (तखतपुर) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत विनियोग विधेयक का मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ । माननीय सभापति जी, सभी को मालूम है कि 1 लाख 47 हजार करोड़ का बजट पेश हुआ है, इस विभाग में इतना घाटा हुआ है, इतना फायदा हुआ है, मैं इनकी छटपटाहट और बैचेनी पर बोलना चाहता हूँ, अभी पहला ही बजट सत्र पेश हो रहा है और तमाम बुराईयां, तमाम आलोचनार्यें, इनके तरफ से रोज की जा रही है । ऐसा लग रहा है कि तीन महीने पहले तक छत्तीसगढ़ बहुत अच्छा था और तीन महीने में एकदम खराब हो गया है । आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यह वही लोग हैं जब महामहिम राज्यपाल महोदय ने अंग्रेजी में भाषण दिया था, तब मैं वहां पर बैठता था और जब वह भाषण देकर चले गये, दूसरे दिन राज्यपाल महोदय के भाषण का किताब मिला, उसमें जो यहां अंग्रेजी में बोले थे, उसके एकदम अपोजिट हिन्दी में लिखकर ले आये थे । राज्यपाल महोदय जो अंग्रेजी में बोले हैं, उसको आपने हिन्दी में दूसरा अर्थ करके किताब बंटवा दिया ।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- माननीय सभापति महोदय, इस बार का जो बजट भाषण है, उसका पहला पैराग्राफ हिन्दी और अंग्रेजी का आप भी दिखवा लेंगे, कोई गलत नहीं लिखा है, लेकिन हिन्दी और अंग्रेजी का अनुवाद बिल्कुल अलग-अलग है । कृपया आप उसको भी दिखवा लें । मैं बहुत जिम्मेदारी से यह बात कह रहा हूँ ।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदय, इसमें शब्द का एकाध हेरफेर हुआ होगा । वह आप लोग नहीं बोले ?

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- मैं पहले पैराग्राफ की ही बात कर रहा हूँ, पहले पैराग्राफ को दिखवा लें । दोनों में फर्क है । अगर यह इल्जाम आप हमारे ऊपर लगा रहे हैं, आप इसे दिखवा लें ।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय कुछ बोलें और आप लोगों ने कुछ भी लिख दिया । यह छत्तीसगढ़ की जनता का जनादेश है । जनादेश का सम्मान करना प्रजातंत्र में बहुत

जरूरी है। जब आपको जनादेश मिला था, आप वर्ष 2018 में 68 सीट से अहंकार से जीकर आये थे, बैठते थे तो ऐसा लगता था कि सामने के लोग कोई मतलब के नहीं है, आपका बॉडी लैंग्वेज खराब था, लैंग्वेज भी खराब था, आपका एटिट्यूड भी खराब था, आपका एक्शन भी खराब था, आप यहां पर एकदम से आसमान में उड़ते हुये यहां पर 5 साल तक शासन किये। माननीय सभापति जी, आपके लिये दो शब्द बोल देता हूँ -

सुबहें मगरूर को वह शाम भी कर देता है  
शौहरतें छीनकर गुमनाम भी कर देता है  
वख्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो  
वख्त इंसान को नीलाम भी कर देता है

सभापति महोदय, यह वख्त ही है कि जब वर्ष 2023 का आम चुनाव हुआ, आपको जनता ने तख्त से उतारकर यहां पर लाकर बैठा दिया, लेकिन आप आंख में पट्टी बांधे हुये हैं, आपको अभी भी दिखाई नहीं दे रहा है कि इस प्रदेश कि इस प्रदेश की जनता ने विशाल बहुमत से विष्णु देव जी साय की सरकार बना दी है, आप अभी भी इस मुगालते में है कि आप सरकार में है ? आप हर प्रश्न, हर बात इस तरीके से करते हैं कि आप सत्तारूढ़ पार्टी में बैठकर विरोधियों से बात करते हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि बार-बार कवर्धा की हत्या की बात आ रही है, आपको मालूम है कि हत्या किसने की है ? आपको हत्यारों का नाम मालूम है ? यदि राज्य में हत्या हुई है तो उसके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्यवाही हुई है। छत्तीसगढ़ में पहली बार इतना कड़ा धारा लगा है। उनकी बात, उनका नाम, उनका जाति बताऊंगा ना, आपके होश उड़ जायेंगे ? यह वही लोग है, जो बिरनपुर की हत्या में शामिल थे। यह वही लोग है जो कवर्धा झण्डारोहण के समय बहुसंख्यक वर्गों के लोगों को ठेस पहुंचाते थे। यह वही लोग हत्या किये हैं। आप उनकी पैरवी करने के लिये बार-बार हत्या का जिक्र करते हैं।

श्री विक्रम मंडावी :- वहां के यादव समाज आंदोलन क्यों कर रहे हैं ? न्याय नहीं मिलने की बात क्यों कर रहे हैं ?

श्री धर्मजीत सिंह :- कुछ कमी होगी तो उसको भी पूरा करेंगे। मैं बोल रहा हूँ, जैसे कार्यवाही होना चाहिये, उनकी मां चाहती है कि उनको फांसी होना चाहिये, यह न्यायालयीन प्रक्रिया है, पुलिस को।

श्री विक्रम मण्डावी :- आप उसमें सी.बी.आई. जांच करवाईये। जब आप बिरनपुर में सी.बी.आई. जांच करवा सकते हैं तो कवर्धा में भी सी.बी.आई. जांच करवाईये।

श्री धर्मजीत सिंह :- अभी बिरनपुर में कोई फांसी तो लगी नहीं है। बिरनपुर में भी कार्रवाई हुई है, यहां भी कार्रवाई हो रही है। सभापति महोदय, मैं इस सदन में मांग करता हूं कि हमारे कवर्धा के उस बेगुनाह की हत्या करने वाले अपराधियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, आप एक ठन अपराध ला अलग चश्मा से देखत हन अउ एक ठन अपराध ला अलग चश्मा से देखत हन।

श्री धर्मजीत सिंह :- जैसे ?

श्री रामकुमार यादव :- जैसे वहां साधराम यादव के हत्या होये हे। हमन ओ मा सी.बी.आई. जांच मांगत हव, ओ मा काबर सी.बी.आई. के जांच नइ करवात हन ? अपराध तो अपराध हे। ओ भी तो घोर अपराध होये हे। हमन तो वही कहना हे कि यादव समाज से तुमन ला का बैर हो गे हे ?

श्री धर्मजीत सिंह :- वह आप लोग मुख्यमंत्री जी से मांग कर लीजिये, यह उनके लेवल का मामला है। लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि कवर्धा के यादव जी की हत्या पर जो भी लिप्त है, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और आप उनकी हत्या पर राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश मत करिये। वहां तीन बैगा लोगों की हत्या हुई। आप यहां पर बैठ गये और एक बहन जी ने हमारी विधायक का नाम ले दिया। आप यह बात जानते हैं कि मैं वहां का 10 साल तक विधायक रहा हूं। उस गांव में पच्चीसों बार गया हूं, वहां बैगा समाज के लोग रहते हैं। वहां दो सामाजिक लोगों में जमीन का झगड़ा था और एक गुट के लोगों ने उनकी हत्या कर दी और हत्या करने के बाद उनकी लाश को जला दिया। उनकी जितनी बुद्धि थी, वह अपना काम किये। विधायक जी पंडरिया के दौरे में थी, वह वहां स्पॉट देखने गयी और वहां बयान दी कि इसमें मुझे संदेह लगता है, फिर पुलिस ने उसमें कार्रवाई की और अपराधी पकड़ा गये। लेकिन आप किसी के अच्छे काम को भी राजनीतिक चश्मे से देखते हैं। हमारी वह विधायक जो बिल्कुल निर्दोष हैं और कुछ जानती नहीं, आप उनके बारे में और उनका नाम लेकर बदनाम करने की कोशिश करते हैं।

श्री विक्रम मंडावी :- सभापति महोदय, अपराधी कितने दिनों में अरेस्ट हुए ? 33 दिन में अपराधियों का नाम सामने आया। जब यहां पर हम लोगों ने विरोध किया तब उनका नाम आया।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदय, 10 सालों में झीरम कांड के अपराधी नहीं पकड़े गये।

सभापति महोदय :- विक्रम जी, बैठिये। आप बार-बार टोका-टाकी मत करें।

श्री धर्मजीत सिंह :- जब झीरम की घटना हुई, आप उस वक्त यहां नहीं थे, हम उस वक्त यहां विधायक थे। अभी तक उसके अपराधी नहीं पकड़े गये परंतु 30 दिनों में वह अपराधी पकड़े तो गये।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- सभापति महोदय, अपराधियों के पकड़े जाने के पहले ही मुआवजा राशि देने की बात आयी थी, इसलिये हम लोगों ने सदन में बात को रखा।

श्री रामकुमार यादव :- दूसरे कोशिश किये गे हे। आप भी इस बात को जानते हैं।

सभापति महोदय :- चलिये बैठिये।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- उसकी जांच हुई ही नहीं थी तो आपने उनके परिवार वालों को कैसे मुआवजा दे दिया ? इसलिये उस बात को रखा गया था।

श्री रामकुमार यादव :- आगजनी के नाम पर उन लोगों को 4-4 लाख रुपये दिया जाता है।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदय, उनकी मदद करने के लिये उनको मुआवजा दिया गया था। आपके राज में तो मुआवजा भी नहीं मिलता था। इसमें नेता प्रतिपक्ष जी का भी बयान आया कि हमें मोदी की गारंटी पर भरोसा नहीं है, मुख्यमंत्री जी, आपकी गारंटी चाहिए, आप गारंटी दे। सभापति महोदय, पूरा देश मोदी की गारंटी पर भरोसा कर रहा है, पूरी दुनिया भरोसा कर रही है। मोदी जो बोल रहे हैं, वह कर रहे हैं और इसीलिये आज पूरा देश उनके पीछे खड़ा है। यदि इस चुनाव में आपको यह बात समझ में नहीं आ रही है तो रामकुमार जी, लोकसभा चुनाव में दो महीना और बाकी है। यहां 11 की 11 सीटों में कांग्रेस पार्टी हारेगी और 11 की 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। यदि आपको कोई टिकट देने के लिये बोले तो मैं आपको नेक सलाह दे रहा हूं, आप मेरे मित्र हैं, आप मत लड़ियेगा (मेजों की थपथपाहट)। अपने बड़े नेताओं को लड़वाईये।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, मैं लड़ देहव न ता जे बेर भी लोकसभा रहिस, मैं जीतिहा नइ तो मे हा ईहा ले इस्तीफा दे देहव। तुमन कहूं बेर लड़वा के देख लेवव। अउ मोला तुहर संग, काकरो संग, चौधरी जी संग लोकसभा लड़वा लेवव।

सभापति महोदय :- चलिये बैठिये।

श्री धर्मजीत सिंह :- तै मोर से लड़िहव ?

श्री रामकुमार यादव :- हां, मैं हा चौधरी जी संग लड़ देहव।

सभापति महोदय :- रामकुमार जी, प्लीज बैठिये।

श्री रामकुमार यादव :- मोर का हे। गरीब आदमी के का जाने वाला हे। मे हा गरूवा चराने वाला हन, (अस्पष्ट)।

सभापति महोदय :- चलिये बैठिये।

श्री धर्मजीत सिंह :- हां चुनाव लड़ लेहव तो तोर बिगड़ना कुछ नइ हे, तोर तो बनना ही बनना हे। तोर ठीक कहना हे। इनको मुख्यमंत्री जी की गारंटी चाहिए। मुख्यमंत्री जी की गारंटी तो वही है जो मोदी जी की गारंटी है। धान का 3100 रुपये देंगे मतलब देंगे।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- कब देंगे ?

श्रीमती उत्तरी गपनत जांगड़े :- कब देंगे ?

श्री धर्मजीत सिंह :- हम पैसा देंगे। कहां से देंगे, इससे आपको कोई मतलब नहीं है।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- यही बता दीजिये कि धान का मूल्य 3100 रुपये कब देंगे ?

सभापति महोदय :- चलिये बैठिये।

सभापति महोदय :- उत्तरी जी, बैठिये। (व्यवधान)

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- (व्यवधान) आप चुनाव होने के बाद पैसा देंगे या कब तक देंगे यह बता दीजिये ? कुछ फिक्स डेट होगी।

सभापति महोदय :- चलिये बैठिये।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप सरकार की मालकिन नहीं हैं। आपसे पूछकर नहीं देंगे।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- हां, हम सरकार की मालकिन नहीं हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- हम जनता से पूछकर देंगे। जब जनता को चाहिए तब हम देंगे। उसके लिए हमारे वित्त मंत्री जी ने बजट प्रावधान किया है। आप फ्रिक मत करिये। अगर आपका भी धान खरीदे हैं तो आपका भी पैसा टाईम में मिलेगा।

श्री रामकुमार यादव :- वही जनता हा इहां देखे ला आही । वही जनता हमला इहां पूछे बर भेजे हे।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- माननीय सभापति महोदय, किसानों को 3100 रुपये एक मुश्त देने की बात कही गई। उन्हें धान बेचे एक महीने का समय हो गया।

सभापति महोदय :- आप बैठिए। हो गया।

श्री राजेश मूणत :- माननीय धर्मजीत भईया, क्या है आपके प्रति विशेष प्रेम है।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, आप महतारी वंदन योजना के बारे में पूछते हैं इस महतारी वंदन योजना ने ही आप लोगों को यहां से उठाकर, वहां ले जाकर पटका है। (मेजों की थपथपाहट) महतारी वंदन योजना में.. (व्यवधान)

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- माननीय सभापति महोदय, आप एकदम सही बोल रहे हैं। आप लोगों ने महतारी वंदन योजना में फार्म भरवाया था। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- आप लोग बार-बार टोका-टाकी न करें।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति महोदय, एक हजार के जगह 500 रुपया देवत हे। महिला मन बहिरी मुठिया धर के बड़ठे हे।

श्रीमती उत्तर गनपत जांगड़े :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि विधायक की पत्नी को महतारी वंदन योजना का लाभ मिलेगा, लेकिन उनको भी नहीं मिल रहा है। यह जनता के साथ धोखा करने वाली बात है।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, यह जो बजट प्रावधान हुआ है। हम लोक सभा चुनाव ... (व्यवधान)। साहब, मैं ऐसे में क्या बोलूंगा।

सभापति महोदय :- यहां बार-बार उठना उचित नहीं है।

श्रीमती उत्तर गनपत जांगड़े :- माननीय सभापति महोदय, न किसी कलेक्टर के घरवाली को मिल रहा है न किसी विधायक की घरवाली को लाभ मिल रहा है। भईया, महतारी वंदन योजना का लाभ आपकी घरवाली को भी नहीं मिलेगा।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, मैंने कुछ अपशब्द तो नहीं कहे। मैंने गलत बात तो नहीं कहा।

श्रीमती उत्तर गनपत जांगड़े :- माननीय सभापति महोदय, इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि महतारी वंदन योजना का लाभ हर विवाहित महिला को मिलेगा। हम लोग भी महिला हैं। क्या हम लोग महिला नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, महतारी वंदन योजना का लाभ विधायक की घरवाली को मिलेगा तो आपको क्या फायदा होगा।

श्रीमती उत्तर गनपत जांगड़े :- माननीय सभापति महोदय, अगर हमें महतारी वंदन योजना का लाभ नहीं मिलेगा तो हम लोग विधायक तो हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- इसलिए आप छोड़िए। महतारी वंदन योजना का लाभ किसी विधायक की घरवाली को मिलेगा या नहीं मिलेगा।

श्रीमती उत्तर गनपत जांगड़े :- माननीय सभापति महोदय, हम विधायक हैं तो हमें महतारी वंदन योजना का लाभ मिलना चाहिए। भईया, हम तो महिला हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, महतारी वंदन योजना का पैसा लोक सभा के पहले दे देंगे।

सभापति महोदय :- माननीय सदस्य को बोलने दीजिए। आप टोका-टाकी न करें।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, महतारी वंदन योजना में हमारी माताओं बहनों के लिए जो एक हजार रुपये प्रति महीने देने का प्रावधान है। आप इस चक्कर में मत पड़िये कि यह 3 हजार रुपये है, 5 हजार रुपये है, 15 हजार रुपये है। इससे आपको कोई लेना देना नहीं है।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- माननीय सभापति महोदय, केवल एक बात रखने दीजिए। महतारी वंदन योजना के लिए बहुत सी महिलाओं को प्रति माह 1 हजार रुपये लेने के लिए कई हजार रुपये खर्च करना पड़ रहा है उन्होंने पहले जिस आवेदन को भरा था फिर उसमें ऑनलाईन भराया जा रहा है और उसके बाद उसे आंगनबाड़ी तक पहुंचाना है। मतलब आप लोगों ने कितना सारा नियम बना दिया है। यह भी आप लोग बताइये।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति महोदय, इही ला छत्तीसगढ़ में कहिये कि चार अना के घाघर अउ बारह आना के पुदगउनी।

सभापति महोदय :- आप बोलिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, मैं ऐसे में क्या बोलूँ। आप देख तो रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, महतारी वंदन योजना में लोक सभा चुनाव के पहले हमारे पूरे छत्तीसगढ़ की माताओं और बहनों के पास पहुंचेगा। जब उनको महतारी वंदन योजना का लाभ पहुंचेगा तो हमारी माताओं और बहनों को और दृढ़ विश्वास होगा कि मोदी जी जो बोलते हैं, वह करते हैं। (मेजों की थपथपाहट )

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी को विधान सभा में आने से किसने रोक दिया, यह माननीय नेता प्रतिपक्ष जी बोल रहे थे। शायद आपने यह सोचकर तो बोल दिया कि वह आदिवासी समाज से मुख्यमंत्री है। माननीय विष्णु देव साय जी का समाज आदिवासी है, पर उन्होंने तो खुद ही बताया कि आपके संग वर्ष 1990 में एम.एल.ए. थे। वह चार बार लोकसभा में थे। सेन्ट्रल मिनिस्टर थे। ऐसे अनुभवी नेता को इस छत्तीसगढ़ में क्या, पूरी दुनिया में कोई भी आदमी नहीं रोक सकता कि आप विधान सभा मत जाईये। (मेजों की थपथपाहट) क्योंकि जब वह विधान सभा के लिए कदम उठाते हैं तो उनके, इस मंत्रिमण्डल के साथ 3 करोड़ जनता का आशीर्वाद रहता है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को इतना कमजोर मत आंके कि उनको कोई अंकुश लगाने वाला होगा। यहां यह भी बोला गया कि आप रिमोट कंट्रोल से चलते हैं। अरे, वह तो रिमोट कंट्रोल से नहीं चलते। उनका तो बहुत साफ-साफ बयान आ रहा है कि हम इसमें सी.बी.आई. जांच करायेंगे, हम यह करेंगे, हम महतारी वंदन योजना का लाभ देंगे जिन्होंने पी.एस.सी. में भ्रष्टाचार किया है हम उसकी जांच करायेंगे। उन्होंने सब कुछ कहा, लेकिन आप अपनी सरकार का तो बताईये। माननीय चन्द्रकार जी ने कहा कि असंवैधानिक सत्ता का केन्द्र जो न तो विधान सभा के कैम्पस में था, न इन्द्रावती के कैम्पस में था वह बूढ़ा तालाब के पास बैठे हुए, वहां से लोग चलाते थे। (शेम-शेम की आवाज) वहीं से सारे लेन देन, आदेश होते थे। यहां कौन कलेक्टर रहेगा, कौन नहीं रहेगा, कौन एस.पी. रहेगा, कौन एस.पी. नहीं रहेगा और कलेक्टर को कौन कितना कलेक्ट करके कितना महीना देगा, यह सब 4-5 लोग करते थे। मैं एक बात बताऊं कि मैं एक दिन सर्किट हाउस में था। मैं अपने मित्र विधायकों का नाम नहीं लेना चाहता, यहीं बैठे रहते थे। मैं काफी पीने के लिए काफी हाउस गया था। वह मिल गये तो हाय-हैलो किया। हाँय-हैलो किया तो वह 3 विधायक मेरे संग खड़े थे। मेरा मुँह काफी हाउस की तरफ था, उनका मुँह सर्किट हाउस के गेट की तरफ था। मैं अभी ठीक से बात शुरू ही किया था, वह अचानक बोले, अरे दादा रे हम जा रहे हैं, भैया आ गये। गौर वर्ण धारी, लाल टीका धारी पोर्च में खड़े थे, वह विधायक ऐसा दौड़े, ऐसा दौड़े, मुझे लग रहा था कि शायद कलेक्टर भी अपने चपरासी को बुलाता तो इतनी तेजी से नहीं दौड़ता, जितना यह विधायक तेजी से दौड़ रहे थे। (शेम-शेम की आवाज) हमको मालूम है, हमने देखा है। चन्द्रकार जी, कई का लिफाफा 5 लाख वाले के यहां 7 लाख वाला लिफाफा चला गया तो उसमें लड़ाई, झगड़ा हो जाता था कि यह 5 वाला मेरा है, 7 वाला मेरा है। इसमें 7 नहीं आया है, 5 आया है। यह सब झगड़े हमने सुने

हैं। 5, 7 लाख वाले में एक दो लोग यहां पर भी हैं पर मैं नाम नहीं बताऊंगा। हमारे वित्त मंत्री जी ने 18 लाख प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिए बजट में प्रावधान किया है। (मेजों की थपथपाहट) आप 05 साल क्यों नहीं बनाये?

श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े :- माननीय सभापति महोदय, केन्द्र से पैसा भी नहीं आता था। छत्तीसगढ़ से सौतेला व्यवहार बनाकर रखा था। जैसे सौतेला बेटा रहता है न, वैसे ही आपकी केन्द्र की सरकार ने सौतेला व्यवहार बनाकर रखा था।

सभापति महोदय :- उत्तरी गनपत जांगड़े जी, चलिये आप बैठिये। उनको बोलने दीजिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं आपसे नहीं जीत पाऊंगा।

श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े :- जब हमारे मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो छत्तीसगढ़ को पूरा पैसा देते थे, लेकिन आपकी सरकार रही है तो छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार बनाकर रखी थी।

सभापति महोदय :- चलिये, आप बैठिये। आपकी बारी आयेगी तो अपनी बात कहियेगा।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति महोदय, वह बहुत बड़े बात करिस हे। हमर मनमोहन सिंह जी की सरकार रहिस हे तो इहां के मॉडल ला पूरा देवै, ये मन जब आईस हे तो हमर सरकार मा कटौती कर देईस। तैहां बढिया बात बोलेत हस।

सभापति महोदय :- रामकुमार यादव जी, आपक बारी आयेगी, तब बोलियेगा। आप बीच-बीच में बार खडे मत हाईये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, आदरणीय यादव जी को, आदरणीय उत्तरी गनपत जांगड़े जी को कल में इनके समय का विधान सभा के एक प्रश्न के उत्तर की कापी दूंगा कि 6 लाख इतने हजार आवास हमने लौटाये हैं। छत्तीसगढ़ ने लौटाया कि हम राज्यांश नहीं देंगे। यह विधान सभा के उत्तर की कापी कल में दोनों को दे दूंगा।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, अब विष्णु देव साय जी चाहते हैं कि हम 18 लाख गरीब लोगों को आवास दे रहे हैं, आपको क्या तकलीफ है ? वित्त मंत्री पैसा दे रहे हैं, आपको क्या तकलीफ है ? आप क्या चाहते हैं कि जैसा आपने उनका आवास लूटकर जघन्य अपराध किया है, यही पाप हमारी सरकार करे। ऐसा हरगिज नहीं होगा। (मेजों की थपथपाहट) मोदी की गांरटी है। सरकार हर ताकत लगा देगी लेकिन हम 18 लाख गरीबों तक आवास पहुंचायेंगे और हमारे वित्त मंत्री जी ने उसके लिए बजट प्रावधान कर दिया है।

माननीय सभापति महोदय, पी.एस.सी. की सी.बी.आई. जांच करा रहे हैं। अधिकारियों के, नेताओं के [xx] लड़के जिनको गंगा कहां से निकलती है, यह तक मालूम नहीं है। गंगा कहां से निकलती है तो कोई पढ़ा-लिखा आदमी बोलेगा कि गंगा गंगोत्री और गोमुख से निकलती है। पर वह सिहावा के पहाड़ से गंगा निकलती है, लिखने वाले लोगों को सलेक्ट किया गया है और गंगोत्री लिखने वालों को फेल कर

दिया गया है। माननीय सभापति महोदय, हमारे बच्चों के साथ इतना पाप इन लोगों ने किया है कि अपने [xx] बच्चों के लिए उन्होंने होशियार बच्चों की प्रतिभा को कुचल करके रख दिया। सी.बी.आई. जांच करायेंगे, एक-एक को जेल भिजवायेंगे।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- आपकी सरकार है, आप सी.बी.आई. जांच कराईये, अच्छी बात है।

श्री सुशांत शुक्ला :- महोदय जी, सी.बी.आई. जांच करायेंगे तो ठीक रहेगा।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, मेरा एक मिनट भले कम कर दीजियेगा। आप बहुत वरिष्ठ हैं। आप बोल रहे हैं तो मैं बोलना नहीं चाह रहा हूं। उसमें सी.बी.आई. जांच करवा रहे हैं, ठीक है। गलती की जांच होनी चाहिए। लेकिन ऐसी क्या परिस्थिति हो गई कि साधराम यादव की हत्या में, बैगा जनजाति की हत्या हुई, उसमें हम सी.बी.आई. जांच की मांग कर रहे हैं, उसमें क्यों सी.बी.आई. जांच नहीं करा रहे हैं? सी.बी.आई. जांच केवल बड़े लोगों के लिए है। गरीब के लिए नहीं है।

सभापति महोदय :- धर्मजीत जी, बैठिये। आपका हो गया। बैठिये।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, माननीय मामा जी का जवाब देना पड़ेगा। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, इसका सी.बी.आई. जांच कराना चाहिए।

सभापति महोदय :- बैठिये। (व्यवधान) रामकुमार जी, बैठिये। प्लीज बैठिये।

सभापति महोदय :- आप दोनों की बारी आयेगी, उसमें बोलियेगा। आप लोग बार-बार खड़ा क्यों रहे हैं? रामकुमार जी, बैठिये।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- विधायक महोदय जी सत्तापक्ष में हैं, वह अभी घोषणा करवा सकते हैं।

सभापति महोदय :- वही बात को बार-बार नहीं दोहराना है।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, अराजकता, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और विश्वासघात को पांच साल तक अपने सानिध्य बनाकर चलने वाले लोग आज जवाबदेही मांग रहे हैं। यह कहां की बात हुई?

सभापति महोदय :- शुक्ला जी, बैठिये। आपको 20 मिनट हो गये हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं क्या करूं? बीच में सब मेरे को 10 मिनट डिस्टर्ब कर दिये।

सभापति महोदय, मैं अपने पूरे भाषण में ना तो किसी का नाम लेकर आरोप लगाया है, ना ही मैंने कोई असंवैधानिक असंसदीय शब्द बोला है। मैं किसी तथ्य और घटना का जिक्र कर रहा हूं, उसमें अगर इनको तकलीफ हो रही है तो मैं क्या कर सकता हूं? सभापति महोदय, जब यहां इनकी सरकार थी तो इन्होंने चार साल तक बेरोजगारों का ख्याल नहीं रखा। चार साल बाद चुनाव के ठीक पहले 10-20 हजार लोगों को बेरोजगारी भत्ता किन्तु-परन्तु लगाकर दिया, लेकिन यह चार साल क्या कर रहे थे? यह लोग चार साल तक ढाई-ढाई साल का झगड़ा चल रहा था। यहां एक महापुरुष विधायक महोदय बैठते थे। उन्होंने बयान दिया कि तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री उनकी हत्या कराना चाहते हैं, उनकी हत्या का षड्यंत्र रच रहे हैं और वह मामला विधान सभा तक आया। आप में से बहुत से पुराने लोग बैठे हैं। यहां पर

उनके ऊपर हत्या का आरोप लगा, उसके कारण यहां से उठकर मंत्री जी वापस चले गये। उसका आज तक फैसला नहीं हो पाया है कि वह विधायक सच बोल रहा था या गलत बोल रहा था या मंत्री जी सच बोल रहे थे गलत बोल रहा थे? इस तरीके की राजनीति अपने व्यक्तिगत युद्ध में यादवी संघर्ष में छत्तीसगढ़ की जनता के जनकल्याणकारी कार्यक्रमों को इन्होंने तबाह और बर्बाद कर दिया है। सभापति महोदय, इन्होंने कहा था कि हर जगह फूड प्रोसेसिंग प्लांट, फूड पार्क खुलेगा। कहां है? अगर सारे फलों को, सारी सब्जियों को कोई प्रोसेस करने का रहता तो आज हमारे किसानों की आर्थिक स्थिति अच्छी होती। सभापति महोदय, गौठान में तमाम खर्च किये गये। उस गौठान में खर्च किये गये, जहां एक भी गाय नहीं रहती है। सब गाय सड़क में रहती हैं। गौठान में चारे के नाम पर घोटाला, गौठान के बनने के नाम पर घोटाला, गोबर के नाम पर घोटाला हुआ। एक दिन में एक-एक गाय डेढ़-डेढ़ करोड़ रुपये का गोबर रिकॉर्ड किया गया है। बताईये कि कौन सी दुनिया में ऐसी गाय है जो एक दिन में डेढ़ क्विंटल गोबर देगी? यह भी हुआ। खरीदी में पानी गिर गया, सूख गया। उसमें दुनियाभर का तमाशा हुआ। रेत में खुलेआम तस्करों को छूट थी कि आप जहां से चाहे रेत ले जाये। उनको बोलने वाला कोई नहीं था। मैंने इस विधान सभा में बोला था कि रेत माफियाओं को संरक्षण देने वाले भी इस विधान सभा में हैं और जनता समझ रही थी। इसलिए रेत माफियाओं को संरक्षण देने वाले विधायकों को जनता ने निपटा दिया। (मेजों की थपथपाहट) मुझे खुशी है कि हमारे वित्त मंत्री ने यहां जवाब दिया। आज उनकी जगह में श्याम बिहारी जी जवाब दे रहे थे, उन्होंने बताया कि पिछले चार-पांच दिन के अंदर में पचास गाड़ियों को जब्त किया। वित्त मंत्री जी, आपने बहुत बहादुरी का काम किया है। यह संदेश है वित्त मंत्री या खनिज के अधिकारी कही खड़े नहीं रहेंगे, यह संदेश है सरकार की धमक का, यह संदेश है माफियाओं को बताने का कि यह सरकार तस्करों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। आपने कोयले में भी ऑनलाईन को ऑफलाईन कर दिया था। कोरबा में एक पान के ठेले में बैठकर के परमिट कटता था और वहीं पैसा जमा होता था और वही चक्कर है, वही सब गड़बड़ी है कि आई.ए.एस. अफसर और बड़े-बड़े नेता आज जेल के अंदर बैठे हुए हैं। आपने अच्छा काम किया, पारदर्शी व्यवस्था की उसके लिये यदि आपने बजट रखा है तो इसमें क्या बुराई है? हमारी खनिज संपदा का दोहन हो, हमारी खनिज संपदा हमारे प्रदेश के काम आये लेकिन इसका शोषण नहीं होने देंगे। खनिज संपदा को तबाही के रास्ते पर नहीं ले जाने देंगे, अगर बिलासपुर में कोई अरपा को नोचने का काम करेगा तो चूंकि हम उस सरकार में भी विरोध करते थे, इस सरकार में भी विरोध करेंगे। आपके जैसा देखकर सुविधाभोगी तरीके से हम बात नहीं करते हैं।

माननीय सभापति महोदय, शराबमाफियाओं का क्या हाल था? होलोग्राम भी वही बनाते थी, शीशी भी वही बनाते थे, फैक्ट्री में जाकर कब्जा भी उन्हीं का था। जितना माल जाता था उससे ज्यादा माल ऊपर ही ऊपर बिकता था। बूढ़ातालाब के पास पैसा जाता था, वहां माल-टाल इकट्ठा होता था और उसके कारण 2000 करोड़ से ऊपर का भ्रष्टाचार हुआ और यह सब जेल में भी है। चावलमाफिया भी

सक्रिय थे। रोज छापे पड़ रहे हैं, महादेव सट्टा एप भी इस प्रदेश में आपकी ही सरकार में फला-फूला । यह छत्तीसगढ़ पिछले 5 साल से ए.टी.एम. बना हुआ था । किसी प्रदेश में कोई चुनाव हो, छत्तीसगढ़ के सब वरिष्ठ कांग्रेसजन जाते थे, पैसा यहां से जाता था, कांग्रेस के लिये वहां चुनाव प्रचार होता था । यह एक अलग बात है कि असर नहीं होता था । ये यू.पी. गये । यू.पी. में पूरी ताकत लगाये, पूरा पैसा लगाये, पूरा सब-कुछ किये लेकिन केवल 2 सीट मिली । असर भले नहीं हुआ लेकिन ए.टी.एम. के माध्यम से पूरी कोशिश हुई ।

सभापति महोदय :- चलिये, समाप्त करें ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, आपका आदेश है तो मैं खत्म कर देता हूँ । हमारे वित्तमंत्री जी ने बहुत ही विद्वतापूर्ण बातों से बजट रखा था, वह बहुत पढ़े-लिखे और अनुभवी आदमी हैं । उन्होंने तकलीफ देखी है, एक छोटे से गांव से पैदा होकर के आई.ए.एस. क्लियर करना, 10 साल कलेक्टर रहना और इतना शानदार अपने कैरियर को छोड़कर के जनसेवा के इस अंधे कुएं में कूदना बहुत कलेजे का काम है और मैं उनकी तारीफ करता हूँ । मैं उनके लिये बोलना चाहता हूँ कि -

मिला नहीं कुछ पल भर में, एक दौर इसी में बीता है ।

बादल बहुत समेटे हैं तब, दरिया बनना सीखा है । (मेजों की थपथपाहट)

माननीय सभापति महोदय, फ्रांसीसी विचारक मॉन्टेस्क्यू ने कहा है कि- महान बनने के लिये लोगों के साथ खड़े रहें, उनके सिर पर नहीं चढ़ें । जो काम आपने किया था । कुछ बनने से ज्यादा जरूरी है, कुछ करना यह भी फ्रांसीसी विचारक मॉन्टेस्क्यू ने कहा है । अगर कुछ बनना है तो उससे ज्यादा जरूरी है कुछ करना और वह करने का काम हमारे विष्णुदेव की सरकार कर रही है । हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी यहां पर हमारे पवित्र वाक्य और सूत्र वाक्य बनकर के इस प्रदेश की सरकार के सामने रखे हुए हैं और उसे अमली जामा पहनाने के लिये हमारे वित्तमंत्री जी ने यहां पर बहुत ही बढ़िया तरीके से बजट रखा है । मैं एक अपनी व्यक्तिगत बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा । माननीय सभापति महोदय, बजट में वर्ष 2024-25 के नवीन मद मांग संख्या- लघु सिंचाई योजनांतर्गत । मैं बता दूंगा, भरारी तालाब जीर्णोद्धार सड़क एवं सौंदर्यीकरण की अनुमानित लागत 250 लाख है । यह गलती से भरारी छप गया, यह भरनी है । इस गांव के नाम को सुधारकर के इसे यथावत् रखने के लिये मैं आपसे अपील करता हूँ नहीं तो मुझे एक साल इंतजार करना पड़ेगा, इसको मुझे कराना बहुत जरूरी है । आपने बजट में शामिल किया इसके लिये आपको धन्यवाद । यह भरारी को भरनी करना बहुत जरूर है तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप मेरी इस बात पर विचार करेंगे । मैं इसीलिये कहता हूँ कि :-

हमेशा देखा गया है कि महान झूकता है,

जमीन नहीं झूकती है, आसमान झूकता है।

और हम आसमान को झुकाने की कोशिश में हैं। इस प्रदेश के विकास के लिए हम अपने यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में अपने लोकप्रिय वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी साहब के नेतृत्व में हमारी सरकार के सभी मंत्रियों के नेतृत्व में हम प्रदेश की जनता तक पहुंचने का काम करेंगे। आखिरी छोर तक पहुंचेंगे। हमारी माताओ-बहनों को हम महतारी वंदन योजना की राशि देंगे, हमारे गरीब लोगों को 18 लाख मकान देंगे। हमारे किसानों को 3100 रुपये का दाम देंगे और पब्लिक सर्विस कमीशन में जो भ्रष्टाचार करके हमारे बच्चों का जो हक मारा गया है, उनको हम न्याय दिलायेंगे और यही हमारा सूत्र है और यही पवित्र ध्येय रखकर हमारी सरकार काम कर रही है। सभापति महोदय, आपने मुझे अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। (मेजों की थपथपाहट)

### सदन को सूचना

सभापति महोदय :- छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक 2024 (क्रमांक 4 सन् 2024) पर विचार एवं पारण हेतु विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 158 के उप नियम 2 के अनुसार सायं 5.00 बजे तक का समय निर्धारित है। चूंकि चर्चा जारी है तथा माननीय वित्त मंत्री जी का उत्तर भी आना शेष है, अतः नियमावली के नियम 158 के उप नियम 2 को शिथिल कर विधेयक पर चर्चा एवं पारण का कार्य पूर्ण होने तक समय में वृद्धि की जाये। मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत है।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई)

### शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमशः)

सभापति महोदय :- श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह (अकलतरा) :- धन्यवाद, सभापति महोदय। जब आज की चर्चा शुरू हुई तो ऐसा लग रहा था कि आज विनियोग पर ज्यादा बातें होंगी, पक्ष और विपक्ष की बात होगी, लेकिन आरोप और प्रत्यारोप ही ज्यादा लग रहे थे। इसके पहले एक माननीय सदस्य ने कहा कि शायद अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा ज्यादा लग रही है तो मैं इस बात पर उनसे भी सहमत हूं और हमें कहा गया कि हम लोग अभी भी मुगालते में जी रहे हैं कि हमारी सरकार है। इस बात से तो सहमत नहीं हूं, लेकिन उन्हें बहुत ही आदरपूर्वक एक बात जरूर कहूंगा कि वो भी विपक्ष में हैं, उनकी बातों से ऐसा लग रहा है। जब छत्तीसगढ़ बजट आया और हर विभाग पर चर्चा हो रही थी तो अमृतकाल से शुरुआत हुई। अमृतकाल की बात हुई और यह कहा गया कि लेखा-जोखा का बजट नहीं है, यह एक विजन डाक्यूमेंट है। अमृतकाल विजन डाक्यूमेंट 2047 का, जिसमें कई तरह की बातों की गई थीं चूंकि वो बातें पहले हो

चुकी हैं तो मैं उसमें बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा। जी.एस.डी.पी. की बात हुई थी कि 5 लाख करोड़ को 10 लाख करोड़ करेंगे। 25 प्रतिशत जी.एस.टी. बढ़ायेंगे। 29 प्रतिशत आबकारी में बढ़ायेंगे। जैसा कि मैंने कल भी कहा कि व्यापारी लगातार डर में जी रहा है, क्योंकि 3 दिन में 11 जगह रेड किया गया। अगर कोई कर की चोरी कर रहा है तो बिल्कुल उसे पकड़ना भी चाहिए और उससे कर वसूलना भी चाहिए, लेकिन सभापति महोदय, ऐसा भय का साया नहीं बनाना चाहिए कि छोटा व्यापारी व्यापार करने से डरे। राज्य कर अधिकारी से डरें कि कहीं न चाहते हुए ऐसे टैक्सेस लिये जाये, उस जी.एस.टी. में लिया जाये, जहां पर वो अभी नहीं है। मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूं, हमने बनाया है, हम ही इसे संवारेगे, मैं तो सबसे ज्यादा असहमत रहता हूं। अटल जी को हम याद करते हैं। हमारे सबके आदरणीय हैं, लेकिन हमें रामचंद्र सिंहदेव की उस सिंचाई की परियोजनाओं को भी याद करना होगा, उनके विजन को याद करना होगा। सभापति महोदय, अगर हम आगे का विजन बना रहे हैं तो हम पिछला विजन नहीं भूल सकते हैं। हमें ठाकुर प्यारेलाल का, बैरिस्टर छेदीलाल का, खूबचंद बघेल जी का, बिसाहू दास महंत जी का विजन याद करना ही पड़ेगा, उसकी स्टडी करनी ही पड़ेगी। मैं एक छोटा सा इंसीडेंट बता रहा हूं, 1970 की एक किताब में डल लेक में बाढ़ आयेगी, यह बात स्व. रामचंद्र सिंहदेव जी ने उस समय कह दी थी। उन्होंने सिल्टिंग होते हुए जो सिल्टिंग हो रही थी, उसको उन्होंने उस समय से जज किया कि ये सिल्टिंग हो रही है और आने वाले समय में वहां पर बाढ़ आयेगी। तो पुराने लोगों की पुरानी बातें, उनका विजन, वे क्या चाहते थे, क्यों कोई चीज को किया गया, इसको समझना हम सबके लिए बहुत आवश्यक है। हम सब जल, जंगल, जमीन की बात करते हैं। अगर बजट में आर्ये, हम सब जल, जंगल, जमीन की बात कर रहे हैं, लेकिन पूरे भारत का सिर्फ दो प्रतिशत जो घनघोर जंगल है, उसको हमने अडानी को सौंप दिया। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, हिंदुस्तान की रिपोर्ट है कि No Go जोन्स हैं उनको आखिरी में खोदा जाए। आखिर ऐसी कौन सी जरूरत आ गई कि सरकार बनते ही, मुख्यमंत्री जी ने शपथ भी नहीं ली थी उसके पहले ही हमने जंगल को काटने का काम शुरू कर दिया। जब 60-62 गांवों को हटाया गया था और हसदेव बांगो प्रोजेक्ट बनाया गया था। उस समय लगभग 3 फसलों का पानी दिया जाता था। तीसरी फसल का पानी आसपास और दो फसलों का पानी हमेशा दिया जाता था। अब वह लगभग 1 पर आ गया है, सिल्टिंग लगातार बढ़ रही है। बांध की आयु कम हो रही है, यह बात सब जानते हैं। यदि हम लोग 20-30 साल के विजन डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं, तो इस बजट में सर्वे का प्रावधान कहां है। कहां है वह सर्वे का प्रावधान कि सर्वे करके मेजर केनाल्स बनने की जरूरत है, कहां माइनर केनाल्स बनने की जरूरत है, कहां भूमि सिंचित होगी, कितना लक्ष्य होगा? आखिर इस बारे में हम बात क्यों नहीं कर रहे हैं? हसदेव बांगो डेम हमने जब बनाया उससे खेत सिंचित हुए, हमारा सम्मान है वह, हमारा अभिमान है।

समय :

4:56 बजे

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए)

कल परसों ही एक सवाल में अरपा भैंसाझार की बात हो रही थी जो कि 300 करोड़ से लगभग 1140 करोड़ का हो गया है। उसमें 8 बार समय का बढ़ावा हो चुका है। महालेखाकार द्वारा टिप्पणी की गई है। इस तरह के प्रोजेक्ट्स को हम लोगों को दोबारा सर्वे कराने की आवश्यकता है। हम और कहां पर जाकर सिंचाई की व्यवस्था कर सकते हैं, हमें इसको देखने की आवश्यकता है। आरोप-प्रत्यारोप का ही दौर चल रहा था। मैं बहुत शान से कहूंगा कि हसदेव बांगो प्रोजेक्ट हमारा अभिमान है और कहीं न कहीं अरपा-भैंसाझार प्राजेक्ट आपके खाते में जाएगा।

सभापति महोदय, जंगल की चर्चा हो रही है। हसदेव पर स्थगन प्रस्ताव भी आया और बहुत सारी बातें भी हुईं। इस बीच दो-तीन सवाल आए, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी के भी सवाल आए, उन्होंने इसमें ध्यानाकर्षण भी लगाया। हमारा 44 परसेंट का फॉरेस्ट कवर है, कहीं से एक बाघ घूमकर हमारे यहां आ रहा है तो मारा जा रहा है, चौंसिंघा मारे जा रहे हैं और डॉक्टर साहब शिर्डी घूमने गए हुए हैं। मीरकैट को लेकर आया गया उसको रेस्क्यू सेंटर में रखा गया था, उसका कोई इन्कलोजर नहीं बनाया गया, इसलिए वह इन्फेक्शन से मारा गया। जो जोड़ा आया था, वह इसलिए मारा गया। अब कहा जाएगा कि आपके समय में क्या हुआ था, अगर मौत अभी हो रही है तो सवाल भी अभी ही पूछे जाएंगे। अगर किसी भी व्यवस्था में कोई भी लचीलापन है, कोई भी ढीलापन है तो आखिर सवाल अभी पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा। आखिर हसदेव के जंगल कटने पर आप चुप क्यों हैं। उस पर कोई जवाब नहीं आया। एक जवाब में बताया गया कि छोटे जानवर मारने के लिए तार लगाते हैं, बाघ उसकी चपेट में आ गया। यह बात हम सब लोग जानते हैं जिनके क्षेत्र में जंगल है। कहीं न कहीं उसमें इंसानों की भी मृत्यु हुई है और उसको छिपा दिया गया है। यह बहुत गंभीर विषय है। क्यों नहीं वहां इंसुलेटेड तार का इंतजाम किया जा रहा है, क्यों नहीं वहां पर बैरीकेटिंग की जा रही है ताकि कोई अंदर न घुस सके, क्यों नहीं उन तारों को बदला जा रहा है? आखिर उसका प्रावधान इस बजट में नहीं है। 44 प्रतिशत जंगल की हम लोग बात करते हैं, नेशनल पार्क की कोई बात नहीं है। नेशनल पार्क के आदिवासियों को पुनर्वास करने के लिए कोई बात नहीं है।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, मेरे साथी बहुत अच्छा उद्बोधन दे रहे हैं। पूर्ववर्ती सरकार ने जो नेशनल पार्कों के लिए राष्ट्रीय प्रावधान के तहत कैम्पा की राशि आती थी। आपके भी दृष्टांत में है और आपने भी बहुत अच्छा वक्तव्य दिया था। उस पर भी मेरे साथी कुछ कहें कि पूर्ववर्ती व्यवस्था में कैम्पा में जो भ्रष्टाचार हुआ, इस प्रदेश में उस पर भी जवाब देना चाहिए उनको।

सभापति महोदय :- सुशांत जी, उनको बोलने दीजिए, वे बढिया बोल रहे हैं आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बोलिए ।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि कैम्पा का पैसा आता था । उसके भ्रष्टाचार पर बात करनी है ।

सभापति महोदय :- आप उधर जवाब मत दीजिए ना, आप अपने फ्लो में जो बोल रहे हैं, बोलिए ।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- सभापति महोदय, मैं वही कह रहा था कि अभी जैसे हम पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि हम शासन से बाहर नहीं आ पाए हैं तो आप भी विपक्ष से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, यह मैं कहना चाहूंगा । अचानकमार के बारे में पढ़ रहा था, वहां हिरनों का शिकार अब कुत्तों के द्वारा किया जा रहा है । यह खबर एक बार नहीं, तीन या चार बार छप चुकी है । हम इस पर संज्ञान नहीं ले रहे हैं । आखिर जब तक वहां पुनर्वास नहीं होगा और इसके लिए बजट में प्रावधान नहीं किया जाएगा, उस गांव को हम बाहर नहीं ला सकते । जब तक बाहर नहीं लाएंगे ये चीजें वहां पर कंटीन्यू रहेंगी । जो विज्ञान की बात हो रही है, आज बड़ा को-इंसीडेंस है कि आज सब सदस्यों की आंख चेक हो रही है । उस विज्ञान में कहीं ब्लडनेस है।

समय :

5:00 बजे

यदि हमें उस विज्ञान को देखना है तो कहीं न कहीं हमें पुराने, अभी और आने वाले समय की आंकलन करने की आवश्यकता है। हमें उस बजट में आंकलन करने का प्रावधान बहुत बार करना पड़ेगा। दावत का निमंत्रण तो है लेकिन कहां हैं, कैसे होगा, इसका प्रावधान ज्यादा नहीं दिख रहा है।

श्री सुशांत शुक्ला :- कौन सी दावत की बात कर रहे हैं, उसकी व्याख्या कर दीजिए।

सभापति महोदय :- सुशांत जी, बार-बार मत खड़े होईए।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- आदरणीय यह सिर्फ एक कंपेरिजन था, दावत तो बुला ली गयी है, जैसे आपने एक विज्ञान डोक्यूमेंट बना लिया है लेकिन वह विज्ञान दिख नहीं रहा है।

सभापति महोदय :- आप इधर देखकर बोलिए।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- सभापति महोदय, किसानों की जमीन और लैंड बैंक की बात हुई। मैं यह पूछना चाहता हूं कि हमने लैंड बैंक में जमीन दे दी लेकिन जिनसे जमीन ली उनके पुनर्वास का क्या हुआ ? उनकी नौकरी का क्या हुआ ? उनकी एजुकेशन का क्या हुआ ? जो पैसा मिला था, उनसे अपना घर बना लिया लेकिन आखिर उनकी नौकरी, उनके बच्चों का पैसा, उनकी जमीन भी चली गयी, आखिर हम उस पुनर्वास नीति का कैसे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे ? इस बजट में कोई प्रावधान नहीं है, न इसके बारे में चर्चा की गयी।

आदरणीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में वर्ष 2008 से 2012 के बीच में आदिवासी भूमि खरीदी गयी और उसका अधिग्रहण किया गया। उस रजिस्ट्री में एक लाइन लिखवाई गयी है, मैं इस पैसे से अन्य जगह जमीन खरीद लूंगा। यह धारा 70(ख) की एक नई व्याख्या है। आज हमारा वह आदिवासी भाई बिना नौकरी के, बिना मुआवजे के घूम रहा है। कई प्लांट के अंदर वह जमीन ले ली गयी है, उनको अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। आखिर हम उनका प्रावधान करेंगे या नहीं करेंगे। हमारे यहां आदिवासी परेशान हैं। चाहे गृह विभाग की बात हो, इस पर लगातार बात की गयी है। हम लोगों के यहां कृषि, खनिज और वन सबसे बड़ी संपदा है। कृषि के बारे में बताया कुछ और जा रहा है, किया कुछ और जा रहा है। कथनी और करनी में फर्क है। कर्जमाफी की बात की गयी, इस बजट में कर्जमाफी का कोई उल्लेख नहीं है। राजीव गांधी न्याय योजना की चौथी किस्त की बात की गयी थी, उसकी किस्त का भी कोई उल्लेख नहीं है। आदरणीय सभापति महोदय, हम लोगों का जो बोनस ट्रांसफर हुआ है, वह भी अभी कई हजार लोगों को नहीं मिल पाया है। हम उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं। आप हम पर आरोप लगाते हैं कि हमने दो साल का बोनस नहीं दिया था, लेकिन कहीं न कहीं ये बोनस आपके समय का है, यह आपका पश्चाताप है, हमारा नहीं है। यह वह बुनियाद है जो रखी गयी थी। कृषि के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में हर सरकार उसको आगे बढ़ा रही है। हम सिर्फ उसको आरोप ही लगाने का काम क्यों कर रहे हैं। पहले इस पांच साल में कितनी धान खरीदी हुई और उसके पहले दस साल में कितनी धान खरीदी हुई, अगर इसका आंकड़ा पढ़ लिया जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सभापति महोदय, भूमिहीन कृषि मजदूर को प्रतिवर्ष 10 हजार की सहायता राशि की बात की गयी है जबकि 6 लाख 25 हजार मजदूरों के लिए सिर्फ 500 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। सभापति महोदय, कृषि क्षेत्र की बात करें तो 3.23 से इंक्रीज माना जा रहा है। वहीं इंडस्ट्री सेक्टर को 7 प्रतिशत और सर्विस सेक्टर को 5 प्रतिशत बढ़ाया जा रहा है। अगर हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर को नहीं बढ़ायेंगे, हमारा एक फॉरेस्ट एरिया है, कृषि प्रधान राज्य है, आखिर हमें इसके बारे में भी ध्यान देना होगा कि हम रकबे को कैसे बढ़ा सकते हैं और हम कितना ज्यादा रकबा को सिंचित कर सकते हैं। कृषि आधारित उद्योग जैसे कोल्ड स्टोरेज, गोडाउन, वेयर हाउसिंग, सार्थक कार्ययोजना बनाने की आवश्यकता है। सभापति महोदय, जब हम खनिज संपदा की बात करते हैं, ऑफलाईन और ऑनलाईन की बहुत ज्यादा डिबेट चली। लेकिन यह बात तो माननी पड़ेगी कि हमारा राजस्व दोगुना हुआ है। चाहे वह ऑफलाईन में हो या ऑनलाईन में हो। हमने विजन 2047 पर इकोनामिक ग्रोथ, ज्ञान और 7 फंडामेंटल स्ट्रेटीजीक पीलर की बात की। यह बहुत अच्छी चीज है, सराहनीय है। आदरणीय वित्त मंत्री जी भी बैठे हुए हैं, मैं आपके माध्यम से एक ओर उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, चूंकि हम एक लंबे समय के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के युवाओं के, छत्तीसगढ़ राज्य की भविष्य की बात कर रहे हैं। हम लोगों ने इकोनामिक ग्रोथ की बात की लेकिन ग्रीन ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात नहीं की। ग्रीन GDP, हमारा जो लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी हो रहा है,

उसका मानक है। क्लाइमेट चेंज का मानक है। वेस्ट *per capita* या कार्बन डाईऑक्साइड एमिशन का मानक है। इसका बजट में उल्लेख है कि हमारा 44 प्रतिशत Forest Cover है, लेकिन हम Green GDP की बात नहीं कर रहे हैं। सभापति महोदय, मैं आपके सामने बहुत कम शब्दों में बात रख रहा हूँ, जो कि आने वाले समय में हम सबको ध्यान देनी होगी। चाहे वह कोयला हो, सोना हो, हीरा हो, हम जितनी चीजें जमीन से निकाल रहे हैं, उसको हम अपने जीडीपी में जोड़ते हैं, लेकिन हमें यह सोचना होगा कि जब हम उसको अपने GDP में जोड़ते हैं तो उसको बनाने में हमारा क्या योगदान रहा? हम उसको खत्म कर रहे हैं तो कहीं न कहीं Green GDP के माध्यम से हमें उस Loss को समझना होगा कि हम अपने Green Product को या हम अपने Product को जहां पर GDP में जोड़ रहे हैं, उसका Loss कहां से Calculate होगा, इसको हमें आगे देखने की, Calculate करने की जरूरत है। RBI और World Bank, दोनों ने इस पर अपने पेपर प्रकाशित कर चुके हैं। आदरणीय वित्त मंत्री जी बहुत युवा हैं, चीजों को समझते हैं और एक लंबे विजन की बात कर रहे हैं तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप इसको भी आगे लेकर जाएं, ताकि आने वाले समय में हमारा जो Vision Document बने, उस पर हम Green GDP की बात करें, Sustainable development की बात करें। हम Policy Relevant और Resource Management की बात करेंगे और यह Green Document जब तक हमारे हाथ में नहीं होगा, हमारा यह Vision अधूरा होगा, यह मैं आपसे कहना चाहता हूँ।

सभापति महोदय, रोजगार के नाम पर जो राशि आवंटित है, औसत प्रति परिवार 32 से 33 दिन का सृजन होगा। हम लोगों ने मनरेगा में 100 दिन की बात कही है। हम लोगों को शिक्षित बेरोजगारों के बारे में भी सोचना होगा। चुनाव के पहले बड़े-बड़े नम्बर आते हैं कि हम इतने लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन यह सभी के क्षेत्र में दिक्कतें हैं कि जहां उद्योग लगे हुए हैं, वहां हम लोगों के पास लगातार आवेदन आते हैं और वह आवेदन उस अनुपात से कहीं ज्यादा होते हैं, जितने लोग वहां लग सकते हैं। मोदी जी की गारंटी की बात है, महतारी वंदन योजना के बारे में बहुत बात हो गई है तो मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन प्रधानमंत्री आवास, धान खरीदी की अंतर की राशि और भूमिहीन मजदूरों की बात करें तो हमें लगभग 28 हजार करोड़ की और आवश्यकता पड़ सकती है। हमें इस बारे में भी सोचना होगा।

सभापति महोदय, हम कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। कवर्धा की घटना है, नक्सलियों की घटना है, हत्याओं की घटना है। मेरे अपने विधान सभा में धारदार हथियार से 37 गायों की हत्या कर दी गई और मैंने बार-बार विधान सभा में प्रश्न उठाया तो जो उनको खाना खिलाते थे, उन दो गरीब लोगों को उठाकर जेल में डाल दिया गया। कोई जांच नहीं हुई है, गृह विभाग के द्वारा किसी भी विभाग के अधिकारी के ऊपर कोई भी बात या कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। हमें इस ओर सोचना होगा, हमें नये पुलिस रूल्स बनाने की जरूरत है। जब तक Public की Responsibility, जब तक संगठनों

का दबाव पुलिस प्रशासन के ऊपर नहीं रहेगा, तब तक इस तरह की बातें होती रहेंगी और इस तरह की घटनाएं सामने आती रहेंगी ।

सभापति महोदय, पुलिस के जवानों को मिलने वाले अनेक भत्तों को भी हमने Revise नहीं किया है । हमें यह भी सोचना पड़ा । मुझे बड़ा बुरा लगा, अभी एक माननीय सदस्य ने एक बात कही कि पुलिस आपके समय भ्रष्टाचारी थी, अब जिम्मेदार हो गई है । हम किसी भी फोर्स के बारे में यह बात नहीं कर सकते । वह जवान जो नक्सली प्रभावित क्षेत्र में काम करते हैं, जब होली या दीवाली आती है तो वह हमारे लिए खड़ा रहता है । हमने सबको एक लाईन से भ्रष्टाचारी बना दिया । हमें उनके बारे में भी सोचना होगा, पुलिस रूल्स के बारे में भी सोचना होगा । पुलिस को मिलने वाले भत्तों के बारे में सोचना होगा । उनका धुलाई और वर्दी का जो भत्ता है, वह इतना कम है कि अगर हम लोग देखें तो हँसी आती है ।

सभापति महोदय, हमारे प्रदेश में जितनी दवाई और नशे की बात बढ़ गई है, हमें उस पर बहुत तेजी से और बहुत सख्ती से कार्रवाई करने की आवश्यकता है । चूंकि और माननीय सदस्यों को बोलना है । मैं सिर्फ एक और बात कहूंगा कि जो वन का मामला है, हमारे यहां फिर से हाथी की मौत लगातार बढ़ रही है । करीब 30 हजार हाथियों में हमारे छत्तीसगढ़ में करीब 1 प्रतिशत हाथी निवास हैं, लेकिन *Human elephant conflict* हमारे यहां 15 प्रतिशत है और उसका कारण है कि उनका रास्ता जो बीच में चलने के लिए होता है, सभापति महोदय, हम लोग आपके भाषणों को हमेशा देखते हैं और हमने पढ़ा है कि हाथी 32 साल और 22 साल की चीजों को याद रखता है । उस *conflict* को खतम करके हमें यहां पर वन की ओर चाहे वह पर्यटन के माध्यम से हो या किसी और माध्यम से हो, हमें ध्यान देने की आवश्यकता है और कहीं न कहीं जो बजट एलोकेशन को हमें बढ़ाने की आवश्यकता है । स्कूल शिक्षा विभाग में इस बार 10 प्रतिशत और एनर्जी विभाग में 20 प्रतिशत का एलोकेशन हुआ है। यह पिछले बजट से तो ज्यादा है, लेकिन जो समस्याएं और जनसंख्या जिस तरह से बढ़ रही है, आने वाले समय में एक बड़ी चुनौती भी है। हमें आने वाले समय में एलोकेशन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। किसानों को, हमारे आदिवासी भाईयों को ही मूल बनाकर छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाना होगा। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री राजेश मूणत (रायपुर नगर पश्चिम) :- सम्माननीय सभापति महोदय, मैं वर्तमान सरकार श्री विष्णुदेव साय जी की नेतृत्व में छत्तीसगढ़ राज्य की प्रगति और तरक्की के मार्ग को प्रशस्त करते हुए एक विजन डोक्यूमेंट लेकर आये हमारे वित्त मंत्री माननीय ओ.पी. चौधरी जी की मांगों के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

सभापति महोदय, कोई सरकार बनती है तो सरकार का विजन क्या है ? उसकी सोच क्या है ? उसकी कल्पना क्या है ? आने वाला छत्तीसगढ़ कैसा हो ? उसकी कैसे तरक्की हो ? उसके विकास के

काम कैसे आगे बढ़े ? गांव, गरीब, मजदूर, किसान की बात तो करते हैं, लेकिन उनके लिए पूर्ण रूप से योजना बनाकर काम करना, संसाधनों का सदुपयोग करना, उसके दुःख-दर्द को दूर करना, यही सरकार की पहली प्राथमिकता होती। विजन डोक्यूमेंट में इस बात को संदेश देता है कि जब अमृत मिशन काल के अंदर हम विजन डोक्यूमेंट लेकर आये हैं। हमारे वित्तमंत्री जी एक होनहार वित्त मंत्री हैं, जिन्होंने पहली बार वित्त मंत्री के रूप में काम किया है, लेकिन प्रशासनिक क्षमता का दक्षता रखते हुए लगातार कलेक्टरी करते हुए प्रदेश की सेवा करते करते आज वित्त मंत्री के रूप में विजन डोक्यूमेंट छत्तीसगढ़ की जनता के बीच में रखा है, मैं उनका स्वागत और अभिनन्दन करता हूँ। उन्होंने इस बात का ध्यान रखा है कि कल के आने वाले छत्तीसगढ़ का क्या विजन होना चाहिए, उसकी क्या सोच होनी चाहिए, उसके आधार पर आज वित्त मंत्री जी ने अपना बजट रखा है।

सम्माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि विजन डोक्यूमेंट में जो 10 बात कही है, उन 10 बातों से बिलकुल स्पष्ट हो जाता है कि विजन डोक्यूमेंट की सोच क्या है। हमारे संसाधन का सदुपयोग करना चाहिए। उससे राजस्व की वृद्धि कैसे हो, हमारा घाटा पूर्ति कैसे कम हो, हम यहां के बरोजगार नवजवानों को रोजगार देने के लिए सही दिशा में आगे ले जाकर कैसे उपयोग कर सकें, उन सब चीजों को समाविष्ट करे बजट की रूपरेखा तय की गई है।

सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान प्रदेश है। कृषि के सेक्टर में कैसे काम होना चाहिए, छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है। धान के कटोरे के अंदर आय के स्रोत कैसे निर्मित कर सकते हैं, धान के किन-किन सेक्टरों के अंदर जाकर किन-किन चीजों का उपयोग करके अपने राजस्व की वृद्धि कर सकते हैं। यहां के आई.टी. सेक्टर के अंदर कितना उपयोग कर सकते हैं, जहां पर लीकेज है, वहां उस लीकेज को कैसे बंद कर करके अपनी आय के स्रोत को बढ़ा सकते हैं, इन सब चीजों को जोड़कर इस बात की कल्पना की गई और 1 लाख 39 हजार करोड़ का बजट लेकर आये तो इसमें सब चीज का विजन स्पष्ट है। माननीय सभापति महोदय, मैं यह नहीं कहूंगा कि किसने क्या किया। मैं तो इतना ही कहूंगा कि जब सरकार का विजन नहीं होता तो लोग भटका देते हैं। आपका स्वयं का विजन क्या है ? आपकी सोच क्या है ? आपकी कल्पना क्या है ? आप किस उद्देश्य के साथ राजनीति में काम कर रहे हैं ? वित्त मंत्री पहले एक अच्छे कलेक्टर थे, उनको क्या तकलीफ थी ? गाड़ी-घोड़ा, बंगला, चौकीदार, साथ में घूमने वाले अधिकारी, क्या कमी थी ? लेकिन मन में एक जज्बा आया, एक सोच आई, एक विचार आया कि आज मुझे अवसर है, लोकतान्त्रिक परम्पराओं के साथ चुनाव लड़कर, जीतकर आये हैं और आज हमारे वित्त मंत्री के रूप में काम करते हुए प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। यह विजन है। जब कोई अवसर देता है तो अवसर के साथ काम करना आना चाहिए। पूर्व सरकार को भी अवसर मिला। जिन-जिन सेक्टरों की बात की, तो आपकी उपलब्धि आपके खाते में होना चाहिए। किसी को आईना दिखाने से काम नहीं चलता है। आईने में स्वयं का चेहरा भी दिखता है। जिस दिन से छत्तीसगढ़ की नींव रखी है

मैं इतिहास के उस पन्ने को नहीं पलटना चाहता हूँ। जब सन् 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ तो पहली बार राजनीतिक हत्या हुई थी। यह आपको मालूम है। जोगी सरकार में किसकी हत्या हुई थी, मैं बताना नहीं चाहता हूँ। उस सरकार के बारे में जोगी जी का विजन अच्छा था। मैं तारीफ करता हूँ कि वह छत्तीसगढ़ की प्रगति और उन्नति का मार्ग सोचते थे। लेकिन एक चस्पा लग गया था, उस चस्पा से जिंदगी में मुक्ति नहीं पाई, कांग्रेस पार्टी के नेता सबक नहीं ले पाये, यह सरकार भी आई, पांच साल रहे, आये, बैठे, योजनाओं पर काम नहीं किया, यह गलत किया उस पर जांच करो, इसको जांच करो, पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर काम करोगे तो जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। सभापति महोदय, मैं विजन की बात इसलिये कह रहा हूँ और इस बात का उल्लेख मैंने कल भी कहा था, यह विष्णु देव साय जी की सरकार ...।

श्री विक्रम मण्डावी :- वही गलती आप फिर कर रहे हैं, आप फिर जांच करवा रहे हैं।

श्री राजेश मूणत :- मैं आपको बता रहा हूँ, आप प्रेम से सुन लो। मैं न आलोचना करूँगा और न ही इतिहास के पन्ने पलटूँगा, नहीं तो मेरे पास इतने सारे पन्ने हैं ...।

श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े :- माननीय राजेश भईया, अब डबल इंजिन की सरकार है, जितना हो सके पूरा काम करिये।

श्री राजेश मूणत :- सुनो ना बहन, पूरा बताऊँगा।

श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े :- हम लोग सुन तो रहे हैं।

श्री राजेश मूणत :- बिल्कुल अच्छे से सुनो। डबल इंजिन भी बताऊँगा, सिंगल इंजन भी बताऊँगा, किसके इशारे पर कौन क्या करता था, यह भी बताऊँगा। सम्माननीय सभापति महोदय, अभी सरकार को आये दो महीने हुये हैं, दो महीने में चाँऊ, चाँऊ, म्याऊ-म्याऊ चालू हो गये, थोड़ा धैर्य तो करो। हमारी मातायें, बहनें भी बैठी है, थोड़ा धीरज तो रखो।

श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े :- माननीय सभापति महोदय, हम लोग जब विधायक बने थे, दो महीना नहीं हुआ था, कोरोना आ गया था। हम लोग के समय में कोरोना आ गया था।

श्री राजेश मूणत :- आप पहले बोल लो, मैं बैठ जाता हूँ। सभापति महोदय, गेहूँ से रोटी नहीं बनती है, आटा पीसना पड़ता है, आटा गूँथना पड़ता है, चूल्हे को जलाना पड़ता है, उसके बाद उसे तवे पर डालना पड़ता है और उसकी सिंकाई करना पड़ता है। तब जाकर रोटी पकती है, तब उसका स्वाद आता है, अभी तो आटा पीसने के लिये दिया है। यह पहला बजट है, पहले बजट में इतना ज्यादा हो गया, इसलिये कह रहा हूँ कि आलोचना मत करो। सभापति महोदय, मैं दारू पर भी नहीं बोलूँगा, मैं महादेव एप पर भी नहीं बोलूँगा, जमीन घोटाले पर भी नहीं बोलूँगा, कितने घोटाले गिनाऊँ, इसके लिये कभी उस पर एक दिन अलग से चर्चा कर लेना। सभापति महोदय, अगर इस सरकार ने कुछ किया होता तो आज उधर बैठने की नौबत नहीं आती। जब कुछ किये नहीं है, कल माननीय नेता जी बोल रहे थे

कि रिमोट कंट्रोल से सरकार चल रही है। सभापति महोदय, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, कोविड काल के बाद में मंत्रालय में कोई भी आज तक बैठक नहीं हुई है। सरकार चल रही थी, क्या मजाक पट्टी चल रही थी? सरकार चल रही थी और मंत्रालय में कोई अधिकारी नहीं मिल रहा है, क्या इसे सरकार कहते हैं? नया रायपुर का मंत्रालय, विकसित रायपुर के साथ बसा हुआ रायपुर, लोग भटकते रहे कि कहां मिलें, वहां कोई मंत्री नहीं बैठता था, कोई अधिकारी नहीं रहता था, सरकार ही नहीं थी। कैबिनेट की बैठक नहीं होती थी, कैबिनेट की बैठक भी घरों में होने लग गई थी। जब सरकार घर से चलने लग जाये, इस प्रदेश की जनता का हाल क्या होगा, यह चिंता का विषय है। सभापति महोदय, मंत्रालय की बिल्डिंग में जहां मुख्यमंत्री जी विराजमान हैं, पांच साल में मॉन्टेनेंस नहीं कर पाये, पुताई नहीं हुई है, पपड़ी निकल रही है। यह हालत थी, यह आपका कार्यकाल रहा है। सभापति महोदय, मुतरी खोली के अंदर बदबू आती है, कर्मचारी जापन देते हैं, क्या विजन था? नया रायपुर का फोटो तो अच्छा छपाते हैं, 21 वीं सदी का नया रायपुर बढ़िया फोटो है, मुख्यमंत्री जी उस समय फोटो लगाने में देरी नहीं करते हैं, जो आते थे, उसको वहीं घुमाने ले जा रहे थे, मॉन्टेनेंस तो कर लेते, कुछ तो कर लेते, चलो और कोई बात नहीं, छत्तीसगढ़ के अंदर धान के कटोरे की बात करते? छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है। धान के कटोरे में किसान आज भी आकर धान बेच रहा है, पुराने इतिहास को मत खोलो। आपने क्या दिया, हमने क्या दिया, हमने क्या दिया, आप उसको मत पढ़िये। आपकी सोच क्या है, आपका विजन क्या है? आने वाले किसान की समृद्धि (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- मूणत जी, भूपेश बघेल जी के सरकार हा किसान के कर्जा माफ करडिया हे। आप मन एको रूपये करे हन का ?

श्री राजेश मूणत :- यादव साहब, बैठ जाईये। [xx]<sup>6</sup> बहुत हो गया।

श्री रामकुमार यादव :- ठीक है। [xx]

श्री राजेश मूणत :- का चीज ?

श्री रामकुमार यादव :- [xx]

सभापति महोदय :- आप बैठिये।

श्री रामकुमार यादव :- [xx]। (व्यवधान) [xx]। मे हा बोलहू का ?

सभापति महोदय :- आप यह सब अनावश्यक टिप्पणियों से बचिये। आप बैठिये।

श्री राजेश मूणत :- बिल्कुल।

श्री रामकुमार यादव :- मैं हर [xx] हन। [xx]?

सभापति महोदय :- नहीं, आप दोनों बैठिये।

<sup>6</sup> [xx] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

श्री रामकुमार यादव :- हां तो फिर। आप मन [xx]<sup>7</sup>। मे हर [xx] जानथव। में हर काकर बारे में नइ जानत हव ?

सभापति महोदय :- आप बैठिये। यह सब विलोपित कर दीजिये और व्यक्तिगत टीका-टिप्पणी मत करिये।

श्री राजेश मूणत :- माननीय सभापति महोदय, मैं टीका-टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। मैं तो कहता हूं कि मेरा कोई उद्देश्य भी नहीं है।

सभापति महोदय :- आप भी सीनियर सदस्य हैं, वह भी सीनियर सदस्य हैं।

श्री राजेश मूणत :- सभापति महोदय, मैंने पहले भी निवेदन कर दिया।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, मंहू तो इंसान ही हव। में हर [xx] के लइका हन तो तुमन मोला बार-बार बोलिहव।

श्री राजेश मूणत :- आपको कौन बोल रहा है ? ईश्वर करें आप।

सभापति महोदय :- मूणत जी।

श्री रामकुमार यादव :- यदि आप व्यक्तिगत बोलिहव तो व्यक्तिगत सुने बर भी क्षमता रखिहव।

सभापति महोदय :- यादव जी, आप बैठिये।

श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े :- सभापति महोदय, बार-बार बोला जा रहा है कि आप यह है, वह है। क्या 15 साल में कुछ नहीं हुआ और 05 साल में सब कुछ हुआ है ?

श्री अटल श्रीवास्तव :- माननीय सभापति महोदय, विनियोग पर चर्चा हो रही है।

सभापति महोदय :- यादव जी, बैठिये। अटल श्रीवास्तव जी कुछ बोल रहे हैं।

श्री रामकुमार यादव :- ये मन आग्रह के कोई बात नइ करेन।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय रामकुमार जी।

श्री रामकुमार यादव :- तुमन का करत हन, ओला झन गोठियाथन।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय रामकुमार जी, तोर जैसन [xx] भगवान सब ला बनाये।

श्री रामकुमार यादव :- हां, तोर अइसन ज्ञानी भी भगवान सब ला बनाये। तोर जान हा बिगाड़े जात हे। ज्यादा बुद्धि हो गे हे। ते तो ज्ञान [xx] हो गे हे।

श्री अजय चन्द्राकर :- ताकि विधान सभा में कही होये तो देख [xx] ऐसन कहात।

श्री रामकुमार यादव :- तै तो ओखरो खातिर दोनों झन के बीच में पड़े हन।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं हा 06 साल में तोर [xx] ला बहुत सुन डारे हन।

सभापति महोदय :- रामकुमार जी।

<sup>7</sup> [xx] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

श्री अजय चन्द्राकर :- हमन 06 साल मा तोर [xx]<sup>8</sup> ला देख डारे हन।

श्री रामकुमार यादव :- हां, दोनों के बीच मा कैसे पड़े हस।

सभापति महोदय :- रामकुमार जी, अटल जी क्या बोल रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- तोर कहानी हा बहुत सुन डारे हन।

श्री रामकुमार यादव :- महु तोरो कहानी ला जानत हव।

सभापति महोदय :- चन्द्राकर जी, बैठिये।

श्री अटल श्रीवास्तव :- माननीय सभापति महोदय, आज विनियोग पर चर्चा हो रही है। मुझे लग रहा है कि यहां पर विधवा विलाप जैसा मामला ज्यादा चल रहा है। हमने 05 साल क्या किया उसकी जगह पर आपने 15 सालों तक क्या किया, उस पर बोलिये। अभी जो बजट आया है, उसमें आगे क्या करना है, आपका विजन डाक्यूमेंट क्या है ? यहां केवल गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम किया जा रहा है। आप इस पर चर्चा कीजिये कि आपका आगे क्या डाक्यूमेंट हैं और आप आगे क्या करना चाहते हैं ?

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, मोर नाम ला काट दे हे। मे हर केवल 05 मिनट बोलहू। आपसे निवेदन हे कि मोला 05 मिनट बोलवा देव।

सभापति महोदय :- बैठिये। अटल जी, आपने बोल लिया है, आपकी बात आ गयी। मूणत साहब, आप व्यक्तिगत टीका-टिप्पणी मत करिये। आप अपने भाषण में आ जाईये। आपकी तैयारी है न ?

श्री राजेश मूणत :- सभापति महोदय, यदि मेरी बात से किसी को ठेस पहुंची है तो मैं क्षमा चाहता हूं परंतु मेरा उद्देश्य वह नहीं है। मैंने पहले ही कह दिया कि मैं गड़े मुर्दे उखाड़ने के लिये खड़ा नहीं हुआ हूं। मैं यह विजन डाक्यूमेंट पर ही बातचीत कर रहा हूं।

सभापति महोदय :- आप उसी में आ जाईये।

श्री राजेश मूणत :- सभापति महोदय, मेरा मूल उद्देश्य भी यही है कि यह छत्तीसगढ़ की प्रगति के संबंध में आने वाले भविष्य में एक कार्ययोजना लेकर आये, यह सरकार पहली बार एक विजन डाक्यूमेंट प्रकाशित कर रही है। आज तक किसी ने विजन डाक्यूमेंट नहीं दिया। हमारी सोच क्या है, हमारी कल्पना क्या है ? हमारी सोच और कल्पना यह है कि कल का छत्तीसगढ़ कैसा होना चाहिए। इस सरकार ने उसके लिये विजन डाक्यूमेंट भी तय किया है कि उन्नतिशील, प्रगतिशील राज्य कैसे आगे बढ़े। वित्त मंत्री जी 01 नवंबर, 2024 को विजन डाक्यूमेंट प्रस्तुत भी करेंगे। यदि कोई सरकार काम करती है तो उसकी सोच भी होगी और उसकी कल्पना भी होगी। उसी दृष्टि से हम आगे बढ़ रहे हैं। अब कई लोग इतिहास में कहते थे कि जब से भाजपा चली है तब से यही बात कि रामलाल कब आयेंगे, मंदिर कब बनायेंगे ? अब मंदिर बन गया तो प्रश्नवाचक चिन्ह, धारा 370 खत्म हो गयी तो प्रश्नवाचक चिन्ह। मैं

<sup>8</sup> [xx] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

कुछ नहीं कह रहा हूँ। मैं तो सीधे-सीधे यह प्रश्न पूछ रहा हूँ कि जब कल नेता प्रतिपक्ष जी अच्छी बात बोले। जब नेता जी बोल रहे थे तो मैंने बीच में टोका, उसके लिये मैं क्षमा चाहता हूँ क्योंकि वह बड़े वरिष्ठ सदस्य हैं, उनका अनुभव है, मैंने कल भी बोला। लेकिन वह जिन चीजों को इंगित करके बात कर रहे थे, उनको विषय वस्तु को समझकर बात करना चाहिए। छत्तीसगढ़ के अंदर धान की पैदावार बहुत होती है, भरपूर होती है। आपके समय कितना सूखत था और पूर्व में सूखत कितना था, उसका भी आकलन करना चाहिए क्योंकि सूखत के कारण कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ का ही पैसा बर्बाद होता है और उसकी व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। मिलिंग का रेट कितना था ? मिलिंग का रेट 40 रुपये था। लेकिन ऐसा कौन सा जादू आ गया कि दुर्ग में एक बैठक होती है और उस बैठक में एक निर्णय हो जाता है और मिलिंग का रेट 120 रुपये घोषित हो जाता है। यदि इतना था तो किसानों का समर्थन मूल्य घोषित कर देते। मिलिंग में सीधे तीन गुना रेट कर दिये। उसके बाद लेन-देन की बात हो जाती है, एडवांस हो जाता है। गरीब मिल वालों के ऊपर 3-3, 5-5, 7-7 करोड़ रुपये का पेमेण्ट बाकी है, उनका पैसा फंसा पड़ा है। उनका पेमेण्ट नहीं हो रहा है। वह लोग एडवांस लेकर चले गये। यह कौन सी बात है। जब ई.डी. की चपेट में आ जाते हैं तो वह समय देते हैं। ऐसा कौन सा भ्रष्टाचार है कि आप 40 रुपये से 120 रुपये कर दें। चलिये, मैं यह भी आरोप नहीं लगाता हूँ। वह आरोप अपने आप चल रहा है, उसमें जांच चल रही है उस चक्कर में कई लोग जेल चले गये, लेकिन यह पूर्व सरकार थी और यह वर्तमान सरकार है।

माननीय सभापति महोदय, अब, आपने प्रधानमंत्री जी की जल आवर्धन योजना के बारे में कहा। आप भी दुःखी हैं, मैं भी दुःखी हूँ और यह भी दुःखी हैं। इसका क्या विजन है। अगर आपने उसका डी.पी.आर. बनाया, आप वॉटर सप्लाई की योजना लेकर आए। उसमें 60/40 का रेश्यो हैं। आपको 40 प्रतिशत देना है और 60 प्रतिशत केन्द्र से मिल रहा है। आपने उसका टेण्डर कर दिया। उसका एक बार नहीं, 3-3 बार टेण्डर हो गया। जब आप चाहें तब कैंसिल हो। वहां पाईप लाईन बिछ गई, टंकी नहीं बनी। ऐसा कभी होता है क्या ? उस समय काम करने वाले कौन थे ? उसकी मॉनिटरिंग करने वाले कौन लोग थे? कल का हो, आज का हो, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हो, वर्तमान में कोई प्रशासनिक अधिकारी हो, उस समय कोई सोच थी। हमने जल आवर्धन योजना में करोड़ों-अरबों रुपये खर्च कर दिया और उन घरों तक पानी नहीं पहुंचा। कल इस सदन में एक विषय आया था। उन्होंने कल इस बात को कहा। क्या गरीब परिवार स्मार्ट मीटर के आधार पर छत्तीसगढ़ की संरचना है ? इस बात को समझने की आवश्यकता है। यही विजन दस्तावेजों में स्पष्ट करते हुए, इसमें कहां-कहां लिकेज है, उसकी व्यवस्थित प्लानिंग हो। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जल आवर्धन योजना में पूर्ति करने के लिए 700 करोड़ रुपये का प्रावधान किया ताकि लोगों के घरों तक पेयजल की योजना सुनिश्चित हो जाए। यह हमारी सरकार का विजन है

कि जो चीज रूकी है। अगर हम 18 लाख परिवारों को आवास दे रहे हैं वह किस समाज, जाति, वर्ग के हैं, वह किस पार्टी के हैं यह किसने सोचा ? आपको भी अवसर मिला था, उस समय आप क्यों पूर्ति नहीं कर पाये ? आपको किसी ने रोका नहीं था। ठीक है उस समय संसाधन की व्यवस्था नहीं थी तो आपने नहीं किया। यह हमारे भाग्य में लिखा था यह हमारे हाथों संपन्न हो, माननीय ओ.पी. चौधरी जी और विष्णु देव साय जी के हाथों से 18 लाख गरीब परिवारों को आवास मिल रहा है।

### सदन को सूचना

सभापति महोदय :- आज की कार्यसूची के पद 4 का कार्य पूर्ण होते तक सभा के समय में वृद्धि की जाए। मैं समझता हूँ कि इससे सभा सहमत है ?

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई)

### शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमशः)

श्री राजेश मूणत :- माननीय सभापति महोदय, हम जिन गरीबों की बात करते हैं। मैंने इसीलिए कहा है कि इसमें किसी जाति, परिवार, समाज की बात नहीं है। आपके हाथों में वह यश नहीं था, जिनके हाथों में यश था, वह पूर्ति कर रहे हैं। आयुष्मान भारत कार्ड, माननीय नेता जी मैं आपसे आग्रह करूंगा। इस रायपुर शहर में जितने प्राईवेट सेक्टर के अस्पताल हैं, उन लोगों का आयुष्मान भारत कार्ड के कारण पुराना पेमेण्ट नहीं हुआ। उन लोगों ने गरीबों का ईलाज करना बंद कर दिया। आज यह स्थिति है कि यहां ईलाज के लिए गरीब भटक रहा है। मैं अपने स्वास्थ्य मंत्री जी और इन्हें धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने मिटिंग करने के बाद, कुछ पैसे रिलिज करके, वापस गरीब परिवारों को राहत देने की कोशिश की है। किसी समस्या का समाधान होना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं उसी के आगे एक बात कहना चाहूंगा। मैं तेन्दूपत्ता संग्रहण पर कहना चाहता हूँ। आपने भी 400 रुपये प्रति मानक बोरा देने की बात कही थी। भईया, उस समय चरण पादुका बंटती थी तो आपको क्या तकलीफ थी ? वह गरीब जानता है कि उसके जीवन में चरण पादुका का क्या स्थान होता है। अगर गांव के अंदर रहने वाला, जंगल में जाकर कहीं तेन्दूपत्ता संग्रहण करता है तो उसके पांव में कांटा चुभ जाता है अगर हम उसके लिए थोड़ा-बहुत सहयोग कर रहे थे तो उसमें आपको क्या तकलीफ थी ? आपने उस योजना को बंद कर दिया। हम लोग एक रूपया सेस लगाते हैं।

श्री अटल श्रीवास्तव :- माननीय सभापति महोदय, आप जो तेन्दूपत्ता का 2500 रुपये मानक बोरा खरीदते थे, हमने 4000 रुपये मानक बोरा खरीदा। आप चरणपादुका बांटते थे, वह एक पैर की 7 नंबर

की, एक पैर की 9 नंबर की रहती थी। हमने तो तेंदूपत्ता संग्राहकों को पैसा दिया है कि आप अपने नाप की चप्पल खरीद लें। आपकी तरह 8 नंबर और 9 नंबर की चप्पल नहीं दी।

श्री राजेश मूणत :- अटल जी, अगर मैं आलोचना करूंगा तो मेरे पास में बहुत सारी सामग्री है। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आपने क्यों बांटना बंद कर दिया? आप ऑक्शन लाते। आपको उनकी सेवा करने का अवसर था, उनके लिए कुछ करते। आपने गरीब परिवार जो खोमचा, ठेला, दिहाड़ी करता है, श्रम विभाग के अंदर करोड़ों रुपये का बजट होता था, जो 35 साल की बहन थी, उसको साइकिल मिलती थी ताकि कहीं दूर जाना हो तो वह साइकिल से अपनी दिहाड़ी करने चली जाये। जिनकी 35 साल या 50 साल से ऊपर उम्र हो गई है, उनको सिलाई मशीन मिलती थी। राजमिस्त्री का काम करने वाला नौजवान के पास अगर औजार नहीं है, उसको 10 हजार रुपये औजार के लिए मिलता था। कोई बहन अगर अपनी बच्ची की शादी करने में सक्षम नहीं है तो वह श्रम कार्ड के माध्यम से आवेदन करती थी, उसको 20 हजार रुपये मिल जाता था। अपने योजना जीरो कर दी। आपके पास कोई ऑक्शन है, आपने कहा, मैं पेपर में नेता जी का स्टेटमेंट पढ़ा। कई बहनों की शादी है। हमारी पूर्व मंत्री जी बैठी हैं, इनका भी स्टेटमेंट पढ़ा कि कई बहनों की शादियां हैं, उनको पैसा नहीं मिल रहा है। आप लोग पैसा दे कहां रहे थे ? जब योजना ही पूरी की पूरी बंद हो गई, श्रम विभाग के माध्यम से..।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- कोई योजना बंद नहीं हुई थी। 25 हजार से 50 हजार रुपये हो गया था। कहां योजना बंद हो गई थी ? अभी आपकी सरकार ने तेल, हल्दी का सब कार्यक्रम हो गया था, उसके बाद कैन्सिल कर दिया कि नहीं करेंगे।

श्री उमेश पटेल :- राजेश जी, आपको भी पता है कि यह दो जगह redundant योजना चल रही थी। जब दो जगह redundant योजना चल रही थी, आप श्रम का बोल रहे हैं न। दो विभाग में redundant योजना चल रही थी तो एक योजना को बंद किया गया, दूसरे विभाग से चालू रखा गया।

श्री राजेश मूणत :- आप पहले इस बात को आराम से बैठ करके क्लीयर कर लेना, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैंने पहले ही यह कह दिया है। मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आप कहेंगी तो मैं कल आपको ला करके उसकी पूरी डिटेल दूंगा। मेरी बात को सुन लीजिए।

श्री उमेश पटेल :- मैं आपको दावे के साथ बोल रहा हूँ कि दो विभाग में एक ही योजना चल रही थी, दो जगह redundant था, एक जगह उस योजना को बंद किया गया और एक जगह चालू रखा गया।

सभापति महोदय :- चलिये, अब आगे बढ़ जाइये।

श्री दिलीप लहरिया :- माननीय सभापति जी, कर्जमाफी जरूरी था या मोबाइल बांटना, इसके बारे में भी थोड़ा सा विस्तार से बता दीजिए।

सभापति महोदय :- मूणत जी, आप अपने विषय में बोलिये, जो आप बोलना चाह रहे हैं। सबकी बातों का जवाब देना जरूरी नहीं है।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, आप इतने नाराज क्यों हैं ?

समय

5.33 बजे

(सभापति महोदय (श्री विक्रम मंडावी) पीठासीन हुए)

श्री राजेश मूणत :- माननीय सभापति महोदय, सरकार के कुछ विषयों के ऊपर मैंने इसलिए कहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य आपका अपना, हम सबका है। 5 साल के अंदर ऐसे नये-नये तरीके के आयाम चिन्हित करके जो कार्य किये हैं। लोक निर्माण विभाग, अभी वर्तमान मंत्री जी बैठे हैं, आप भी हैं, आप जानते हैं कि क्या है, क्या नहीं है। पूरे प्रदेश में खाली दो जिले में लोक निर्माण विभाग चल रहा था। वह भी खाली एक जिला दुर्ग ग्रामीण और पाटन में लोक निर्माण विभाग का कार्य चल रहा था। रिपेयरिंग का पैसा नहीं। सड़क विकास निगम बना दिया, उसका एक विजन था कि सड़क विकास निगम बनने के बाद अपना निगम खड़ा होगा जिसका स्वयं का संसाधन होगा, जिसका रिसोर्सज होगा और भविष्य में आने की दृष्टि से नई रोड़ें बन सकती थीं। उस विजन के साथ में निगम का गठन किया। आपने 5 हजार करोड़ रुपये लोन ले लिया। वह लोन रिपेयरिंग के नाम में ले लिया। जो बजट के अंदर रोड़ें थीं, वह बजट की रोड सड़क विकास निगम को ट्रांसफर कर दी। अब यह भी एक अच्छा खेल था। सड़क विकास निगम को रोड ट्रांसफर कर दी। estimate कौन बनायेगा, पी.डब्ल्यू.डी. बनायेगी। टेंडर कौन करेगा, सड़क विकास निगम टेंडर करेगा। क्या कहीं ऐसा होता है ? जो estimate बना रहा है । आपका अमला ही नहीं, सड़क विकास निगम का 12 लोगों का अमला है। 5 हजार करोड़ रुपये का लोन लिया गया। क्या सोच है, क्या विजन है? मैंने कहा कि इसी प्रकार से हाउसिंग बोर्ड सिंगल नाट प्रोजेक्ट। उसमें करोड़ों के मकान बने पड़े हैं। उसका कोई विजन नहीं है। आपने नाम चेंज कर दिया। आपको कमल विहार नाम अच्छा नहीं लग रहा था तो आपने माता कौशल्या के नाम पर कर दिया। चलिये माता कौशल्या छत्तीसगढ़ की महतारी है तो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आप लोगों को कमल से इतनी एलर्जी क्यों है? हमने तो नहीं बोला कि राजीव पथ चेंज कर दीजिये, हमने तो कभी नहीं बोला कि किसी महापुरुष का नाम बदल दीजिये। आपका एक ही सूत्र, कहीं पर भी आये। पांच साल में राजधानी के अंदर एक भी काम हुआ है तो सिर्फ नाम परिवर्तन करने का काम हुआ है।

श्री रामकुमार यादव :- मोदी जी काय करत हे?

श्री राजेश मूणत :- हम यही की बात कर रहे हैं। अभी मोदी जी तक तो पहुंचने में उम्र लग जाएगी।

श्री रामकुमार यादव :- ओखरे गारंटी तो चलत हे न।

सभापति महोदय :- रामकुमार जी, बैठिये। बार-बार खड़े होना ठीक बात नहीं है।

श्री उमेश पटेल :- राजेश जी, आप एक बार बजट की सारी योजनाओं का नाम देख लीजिये। जो-जो योजना चल रही थी, वह योजना नहीं बदली है। योजना वही है, लेकिन सारी योजनाओं का नाम बदल दिया गया है।

श्री राजेश मूणत :- उमेश भाई, मेरे को अच्छा लगता। स्वयं ने बोया है और स्वयं उसकी फसल काटे तो अच्छा लगता है। बोये कोई और हम फसल काटने पहुंच गये। यही तो है कि हम लोगों ने ही कमल विहार बसाया है। हमने एक विजन, एक सोच, एक दृष्टि के साथ में बसाया है। क्या गांव, गली, मोहल्ले के अंदर झोपड़पट्टियां होना चाहिए। हम विकसित प्लानिंग के साथ में अगर कोई योजना बसा रहे हैं। आपने क्या किया? आप लोग तो कुछ कर नहीं पाये तो उसके अंदर तो नाम चेंज कर दो। आप लोग नया रायपुर में कुछ नहीं कर पाये तो हर गली-मोहल्लों में बोर्ड लगा दो। भैया, बोर्ड लगाने से कुछ नहीं होता है। जनता के दिल में बसना पड़ता है। इसके अंदर बोर्ड लगाने का चक्कर में रायपुर की सातों सीट से नमस्कार ही हुए। यह धरातल में हुआ है। वहां उमेश जी बैठे हैं। उन्होंने स्वीकार कर लिया।

श्री उमेश पटेल :- राजेश जी, मैं तो कह रहा हूं न कि हम लोग इधर आ गये। यह आज की बात है, यह हकीकत है, यह धरातल है। अब वहां से उसी बात को कर-करके, अब आप विनियोग में आ जाइये न। विनियोग में चर्चा हो जाये।

श्री राजेश मूणत :- भैया, हमने तो यात्रा प्रारंभ की है। मैं विनियोग पर ही बोल रहा हूं कि हमारा विजन डाक्युमेंट है कि हमें क्या काम करना है, किसान के हित में क्या करना है, मजदूर के हित में क्या करना है, बहनों के हित में क्या करना है। हमने लोग महतारी वंदना योजना लेकर आया और इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना पैसा खर्च करना है, यही तो हमारा विजन है। हमने आने वाला वर्ष 2024 के अंदर विजन डाक्युमेंट लेकर आया है। यह हमारा विजन है और इसी विजन पर हम बात कर रहे हैं।

श्री बघेल लखेश्वर :- राजेश भैया, दो मिनट। हम लोग गलती किये। हम लोग सारी योजना में गलती किये हैं। इसलिए तो इधर आए हैं। यह बात छोड़िये न। आप विनियोग में आइये।

श्री राजेश मूणत :- मतलब आपने स्वीकार कर लिया न। लखेश्वर जी, एक चीज यह भी बता दीजिये।

श्री बघेल लखेश्वर :- मैंने कहा कि गलती हुई है।

श्री राजेश मूणत :- नहीं। गलती कैसे होती है। मैंने कहा न। आप भी जगदलपुर के हैं और मैं भी जगदलपुर का हूं और अभी अजय चन्द्राकर जी ने वह विषय उठाया। मैं नेता जी से भी कहूंगा कि जो भी साथी जगदलपुर जाये, वहां झीरम घाटी के शहीद के नाम पर एक स्मारक बनाये। मैं करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि जो नैतिकता की बात करने वाले हैं, वह एक बार घुमकर आ जाना, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ स्मारक देखकर जरूर आना। उसको भी नहीं छोड़ा। लखेश्वर भाई, अगर मैं गलत बोल रहा होऊंगा तो मैं अभी एक सेकण्ड में बैठ जाऊंगा। मैंने वहां जाकर वह स्मारक देखकर आया है। उसमें करोड़ों रुपये लगा

दिया गया। लेकिन मूर्तियां टूटी हुई, पेटिंग उखड़ी हुई है। कहीं कुछ नहीं है। भाई, यह क्या है? कहीं तो कुछ रहम करिये। मैं यह बात इसलिए उल्लेख कर रहा हूं।

सभापति महोदय :- महोदय, आपको आधा घंटा हो गया है। आपको और कितना समय लगेगा?

श्री राजेश मूणत :- सभापति महोदय, मेरा 15-20 तो यह भाई लोग ले लिये।

सभापति महोदय :- जल्दी समाप्त करिये।

श्री राजेश मूणत :- सभापति महोदय, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। मैं इतना ही कहूंगा कि चाहे महतारी वंदन योजना हो, चाहे गरीब परिवार के मकान की बातचीत हो, ओ.पी. चौधरी जी ने एक विजन, एक डोक्युमेंट के साथ यह प्रस्ताव रखा है। मैं विनियोग के समर्थन में इतना ही कहना चाहता हूं कि आपकी सोच क्या है, आपकी कल्पना क्या है और आप क्या करना चाहते हैं? यह विजन डोक्युमेंट भारतीय जनता पार्टी विष्णु देव सरकार के नेतृत्व में वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने रखा है। मैंने पहले ही कह दिया कि मैं कोई चीज पर आरोप-प्रत्यारोप नहीं लगाऊंगा और जितने लोग अंदर हैं, ईश्वर से प्रार्थना करो कि आगे और न जायें।

श्री द्वारिकाधीश यादव (खल्लारी) :- राजेश भैया, आप बार-बार बोलते हैं कि मैं आरोप नहीं लगाऊंगा लेकिन आप रिकॉर्ड निकालकर देख लीजिये कि आप पूरे समय केवल और केवल आरोप लगा रहे हैं। आप रिकॉर्ड दिखावा लीजिये कि कितने आरोप लगा चुके हैं।

श्री उमेश पटेल :- यादव जी, क्या है कि...।

सभापति महोदय :- आप लोग कृपया बैठिये। बार-बार खड़े मत होइए।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, क्या है कि इनको 5 साल में आरोप लगाने की आदत पड़ गयी है और ये भूल ही नहीं पा रहे हैं कि इनकी सत्ता आ गयी है।

श्री राजेश मूणत :- माननीय सभापति महोदय, मैंने कहा न कि आपकी सोच, आपकी कल्पना, आपका विजन आपके पास था। जो कुछ नहीं कर पाये, मैंने तो एक उदाहरण दे दिया न भाई। मैं इस शहर में रहा हूं, ठीक और यह राजधानी आपकी अपनी है। 5 साल इस राजधानी को किसने अछूता करके रखा है? आप स्काईवॉक की जांच नहीं करा पाये। स्काईवॉक के लिये 3 कमेटियां बनायीं। तीनों कमेटियों की रिपोर्ट आने के बाद मैं मुख्यमंत्री जी ने एफ.आई.आर. दर्ज करने के लिये निर्देश दिये उसके बाद भी ई.ओ.डब्ल्यू. ने उसको कैंसिल कर दिया, उसमें कहीं अनियमितताएं नहीं हैं। मैंने कभी नहीं कहा। एक्सप्रेसो बनकर तैयार पड़ा है, 5 साल से उसका उद्घाटन नहीं कर पाये। क्या कमी है? आप क्यों नहीं कर पाये, आपको किसने कहा? आपने पेपर में छपवा दिया, यदि आपको वाहवाही लूटनी है तो ऐसी तो मत लूटो भाई। राजधानी में आप भी उस रोड से आ रहे हैं और मैं भी आ रहा हूं। शहर में आप भी घूमते हैं और वह भी घूमता है। क्या किसी के माथे पर लिखा हुआ है? बाहर का आया हुआ आदमी आपकी तारीफ करता है, आपका रायपुर बदला हुआ दिख रहा है। वह राजेश मूणत या उमेश की

तारीफ नहीं करता है, वह छत्तीसगढ़ की तारीफ करता है । कल का रायपुर क्या था और आज का रायपुर क्या है ? कल का बस्तर क्या था और आज का बस्तर क्या है ? यह विजन है और इसीलिये मैं किसी व्यक्ति पर आरोप नहीं लगाना चाहता । इस सोच और कल्पना को आपसे आग्रह है कि विनियोग के ऊपर नेता जी जब कुछ भी बोलें तो मैं इस बात को अवश्य कहना चाहता हूँ कि जब कहीं पर शादी होती है तो रिजल्ट में आने में थोड़ा समय तो लगता है और समय के पहले अगर बिफोर डिलीवरी मांगोगे तो मामला गड़बड़ा भी जाता है इसमें मैंने कल नेता जी से एक आग्रह किया है । नेता जी उसको समझा गये । चलो आगे विकास की गाथा लिखें, आओ हम सब मिलकर छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा करें, यही आपका-मेरा हम सभी का उद्देश्य है । आपका छत्तीसगढ़ प्रगतिशील राज्य की ओर आगे बढ़े, उन्नति की ओर आगे बढ़े । इसमें आप सभी का योगदान रहे । माननीय ओ.पी. चौधरी जी ने जो विनियोग के ऊपर अपना प्रस्ताव रखा है । मैं उसका समर्थन करता हूँ । (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय :- श्री लखेश्वर बघेल जी ।

श्री उमेश पटेल :- राजेश जी, आपने जो कहा कि हमारा यह विजन है, ऐसा है, आरोप-प्रत्यारोप । एकचुअल में आप अपने भाषण को निकाल लीजिये और आप किसी भी थर्ड पर्सन को दिखवा लीजियेगा कि आपने केवल आरोप लगाने के अलावा और कोई काम नहीं किया है ।

श्री राजेश मूणत :- मेरे मित्र, उमेश जी आपको भी अवसर मिला । यदि हम उसी पर बातचीत करके दोनों चलें तो कोई मतलब नहीं है । यहां जितने भी बैठे हैं । मैंने इतना कह दिया कि उनका विजन है चाहे महतारी हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे बेरोजगार नौजवानों के ऊपर रोजगार की बातचीत हो, चाहे वेल्यूएडीशन के आधार पर आने वाली कार्ययोजना हो । मैं एम.ओ.यू. पर नहीं बोल रहा हूँ । नहीं तो कागज बेचकर के लोगों के 150 करोड़ रुपये ले लिये और 1 रुपये का इन्वेस्टमेंट नहीं आया । भाई, मैंने उस पर नहीं बोला, मैंने कई चीजें छोड़ दी हैं ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, आपने बार-बार विजन की बात की । हमारा भी विजन था किसान । आपने 1870 रुपये में खरीदा, 2 साल का बोनस नहीं दिये । हमने 9500 करोड़ कर्जा माफी की, दूसरा 2500 में धान खरीदे । तीसरी बात, आप सरकार की पूंजी को बढ़ा रहे हैं । ठीक है, हमने किसानों की पूंजी को बढ़ाया है । ढाई-तीन लाख में छत्तीसगढ़ में किसानों की खेती बिका करती थी । आज 5 साल के अंदर हमारे किसान नीति का परिणाम रहा कि 10 लाख में भी गांव में जमीन नहीं मिल रही है । (व्यवधान)

श्री राजेश मूणत :- भाई, सुनो न ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- 10 एकड़ के किसान को साढ़े 7 लाख रुपये की इंकम हो रही है तो वह हमारी सरकार ने दी । (व्यवधान)

श्री राजेश मूणत :- आपकी सरकार ने किया, मैं कहां मना कर रहा हूँ? (व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- आप केवल और केवल राजधानी की बात बोल रहे थे। आपने गरीब को नहीं देखा। किसान को नहीं देखा। (व्यवधान)

श्री राजेश मूणत :- आपने गरीब किसानों का बोनस दिया क्या? (व्यवधान)

श्री द्वाकाधीश यादव :- मैं दूसरी बात बोल देना चाहता हूँ। (व्यवधान)

श्री राजेश मूणत :- किसानों का 2 साल का बोनस क्यों नहीं दिया? (व्यवधान)

श्री द्वाकाधीश यादव :- आप मुझे बोलने दीजिए। आपने राजधानी में धनराशि का दुरुपयोग किया है। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- आप लोग आपस में वाद-विवाद न करें। कृपया बैठें।

श्री द्वाकाधीश यादव :- राजधानी में एक अधिकारी का चेंबर देखो कैसे मतभेद वन विभाग, सिंचाई विभाग में ऐसे निर्माण कराये हैं कि चीफ सेक्रेटरी से बड़े चेंबर उनका देखने को मिलता है। आप राजधानी की बात करते हैं। हमने ऐसी राजधानी बनायी है, ऐसी राजधानी बनायी है। हमने किसानों के लिए किया है। गरीबों को पहली बार 10 हजार रुपये कोई सरकार दी तो हमारी सरकार ने दी और चाउंर वाला बाबा बने। 3 रुपये 25 पैसे में मनमोहन सिंह की सरकार ने दी। 15 साल में छत्तीसगढ़ में केवल भ्रष्टाचार हुआ है। (व्यवधान)

श्री राजेश मूणत :- 1 रुपये किलो में चावल गरीब परिवार को डॉ. रमन सिंह जी की सरकार ने दी। फूड सिक्योरिटी बिल कोई लेकर आया तो डॉ. रमन सिंह की सरकार ने लेकर आया और छत्तीसगढ़ में दो साल का बोनस माननीय विष्णु देव सरकार ने दिया। आपने घोषणा पत्र में जो लिखा था उसमें किसान के लिए क्या किये हो? दो साल का घोषणा पत्र में लिखा था। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- कृपया आपस में चर्चा न करें।

श्री राजेश मूणत :- दो साल का आपने घोषणा पत्र लिखा था कि किसान को दो साल का भा.ज.पा. ने बोनस नहीं दिया। हम देंगे। आपने 5 साल में क्या दिया? आपने कहा कि सिलेंडर देंगे, क्या किया आपने? (व्यवधान)

श्री द्वाकाधीश यादव :- आपके पाप को हम क्यों धोयेंगे? आप इस बात को बताओ। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- खाओ पीयो तुमन अउ बिल ला हमन देबो। (व्यवधान)

श्री राजेश मूणत :- पुरानी बातों को याद मत करो।

सभापति महोदय :- मूणत जी, बैठिए।

श्री द्वाकाधीश यादव :- नहीं-नहीं, आप इस बात को बताइए। सभापति महोदय, मैं इस सदन में चुनौती देता हूँ आप सी.बी.आई. जांच करवा रहे हैं। एक जांच और करवा लीजिए। (व्यवधान)

श्री राजेश मूणत :- सी.बी.आई. को प्रतिबंधित किसने किया?

सभापति महोदय :- मूणत जी, हर बात पर खड़े होना ठीक नहीं है। आप बैठिए।

श्री राजेश मूणत :- सी.बी.आई. को प्रतिबंधित किसने किया, आप ही की सरकार ने।

श्री द्वाकाधीश यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे दो मिनट बोलने दीजिए।

सभापति महोदय :- लखेश्वर जी का नाम है।

श्री द्वाकाधीश यादव :- दो मिनट। आप इस बात की भी जांच करवाइए कि छत्तीसगढ़ में 15 साल में कितने किसानों ने खेत बेचा है? कितनों ने आत्महत्या की और हमारे 5 साल में कितने किसानों ने खेत बेचा और गरीबों ने आत्महत्या की?

सभापति महोदय :- हर बात में खड़े होना अच्छी बात नहीं है।

श्री उमेश पटेल :- एक सेकण्ड। यादव जी, इन्होंने घोषणा पत्र में डाला। वर्ष 2016-17 और वर्ष 2017-18 का हम बोनस देंगे और कब का दिया पता है? वर्ष 2014-15 और 2015-16 का। पहला ठग तो यहीं से शुरू हो गया राजेश जी।

श्री द्वाकाधीश यादव :- और कितने लोगों की आप लोगों ने आंखें ले ली। कितने लोगों की आंखें लेने का काम किसी सरकार ने किया। आपके 15 साल की सरकार में माताएं और बहनें के गर्भाशय सुरक्षित नहीं थीं। नसबंदी कांड आपकी सरकार में हुआ। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय दल है। हमने पुलिस के आतंक को देखा है। बिलासपुर में कांग्रेस के कार्यालय में जाकर आपके पुलिस ने सिर फोड़ा है। ऐसी भी सरकार चलाये हैं। दूसरी बात, अभी आप बोल रहे हैं कि कानून का राज आपकी राजधानी में नहीं है। आपकी राजधानी में कानून का राज नहीं है। छत्तीसगढ़ में पुलिस है या नहीं, आरोपियों के साथ आपके पुलिस कप्तान, आपकी सरकार को भी कुछ नहीं समझ रही है। आपकी सरकार को पहले बोलती है कि आगजनी से मौत हुई है। मतलब सरकार का नियंत्रण पुलिस कप्तान के ऊपर नहीं है और सरकार में साहस नहीं है कि उस पुलिस कप्तान के ऊपर कार्रवाई कर दे। ये बात सच है और अभी हमारे माननीय सदस्य बोल रहे थे कि सभापति महोदय, निर्दोष को पुलिस झापड़ मार रही है। ताकत दिखा रही है और 302 के आरोपी के साथ रात में डिनर कर रहे हैं। ऐसा कानून का राज चल रहा है। आप जितना आरोप लगाये हैं भविष्य में अवसर मिलेगा। माननीय सभापति महोदय, आप विद्वान हैं। आप मंत्री रहे हैं। बेबुनियाद के आरोप लगाना आपको शोभा नहीं देता। आप सदन के समय को दूसरी दिशा में ले गये और आपने घोषणा की है 1 लाख 57 हजार बेरोजगारों को रोजगार देंगे। चूंकि 2 महीना हुआ है, मैं आज इस सदन में बोलना चाहता हूं। यह केवल और केवल पेपर में रह जायेगा। आप गरीबों के लिए जी से शुरूआत किये बजट का 32 दिन का रोजगार की व्यवस्था आपने बजट में दिया। अन्नदाता का कर्जा माफ नहीं हुआ। नारी वंदन के नाम से आप धोखा देकर उधर आ गये और 3 महीने का आप नारी वंदन मतलब साफ है लोकसभा तक के और इसमें आप मांग करते हैं सभापति महोदय, वित्त मंत्री जी 31 मार्च, 2025 तक के लिए ।

श्री राजेश मूणत :- अच्छा, आप घोषणा कर दीजिए कि कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी हैं, वे नारी वंदन का पैसा नहीं लेंगे । जितने कांग्रेस पार्टी के हैं सब घोषणा कर दो ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- ये अनुमति मांग रहे हैं पूरे साल की और बजट में नारी वंदन के लिए 3 महीने की व्यवस्था करते हैं । मतलब लोक सभा तक के लिए ही आपने प्रावधान किया है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- अरे भइया, यह बताओ कि अभी आपका भाषण चल रहा है या बीच में टोकने के लिए बोल रहे हो ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- मैंने तो 2 मिनट बोलने के लिए निवेदन किया है, अभी भाषण नहीं दे रहा हूँ । मुझे अवसर दे दीजिए मैं भाषण से शुरुआत करता हूँ ।

सभापति महोदय :- समाप्त कीजिए अब ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- अभी आपने मुझे भाषण देने का अवसर ही नहीं दिया है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदय, समाप्त करने नहीं, बैठ जाइए बोलिए ।

सभापति महोदय :- बैठिये ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सभापति महोदय, मुझे पांच मिनट दे दीजिए ।

सभापति महोदय :- लखेश्वर बघेल ।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति जी, अगर आज्ञा हो तो मोर क्षेत्र के दू मिनट बात करहूँ ।

सभापति महोदय :- लखेश्वर बघेल ।

श्री रामकुमार यादव :- लेव ना सर । एकक घंटा तो बोले सब ओमन ।

सभापति महोदय :- आपकी पार्टी की तरफ से ही नाम आया है ।

श्री रामकुमार यादव :- पार्टी के तरफ से नाम हे तो ठीक हे ।

सभापति महोदय :- ले बोल जल्दी, दो मिनट ।

श्री रामकुमार यादव (चन्द्रपुर) :- सभापति जी, ये बजट में जो विनियोग लाए गे हे मंत्री जी द्वारा । सभी विभाग में अनुदान मांग करेन, लास्ट मा फैलसा हे, जतका बजट ला सुनत होही । एखर बारे में बताना चाहत हौ । आज अगर फैसला हो ही पास होइस के नइ । एखर मतलब यही होथे कि जब हमन पहिली पहिली विधायक बने ता विनियोग के मतलब का होथे भइ । एखर मतलब वोइ हे कि परमीशन मिलत हे, आज लास्ट । 1 लाख 47 हजार करोड़ रुपया के बजट हे, अउ ए बजट बर में चर्चा 2 मिनट करहूँ ओखर बाद मां गर लेहूँ । मोदी जी के गारंटी पूरा करे के बार में अपन क्षेत्र के मांग करिहौं । मोदी जी के गारंटी, मोदी जी के गारंटी एमन सब बोलत हे, जब छोटे रहैव तो मैं एक तमाशा देखे रहें । सुनिहौं, सब देखे हौ । हमर गांव मा एक डबडबी वाला आइस, बजाइस, सांप धरा । आइए, आइए सांप और नेवला के लड़ाई को देखिए कहिस । हमन सांप अउ नेवला के लड़ाई ला देखबो कहिके सामने मा बोरा दसा के बइठ गेन । अब एदे लइही, ओदे लइही, वो 12 बजे के बइठे बइठे 6 बज गे ।

सांप अउ नेवला नइ लडिस, बल्कि वो हा सारा ताबीज ला बेच डारिस । भूत नइ धरए, तुम्हर घर मा मसान नइ आए, ले जाओ, जम्मो ला धर डारेन । हमन कहेन कब लइही सांप अउ नेवला । कहिस, कभू नइ लइए । उसी प्रकार से न 15 लाख रूपया कभू आवय अउ न सांप नेवला कभू लइय । मोद जी के गारंटी वही हे । सांप अउ नेवला नइ लडिस, मोदी जी बोले रहिस 15 लाख रूपया लाउंगा, मैं गरीब का बेटा हूं, मेरी मां का धुंआ को देखा हूं । गैस सिलेंडर की महंगाई मनमोहन सिंह जी ने बढ़ा दी, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो कम करूंगा । हमन सोचे रहेन वो प्रधानमंत्री बनही तो 200, 300 मा दिही कहिके ता बढ़ाके 1200 रूपया कर दिस । तबो ले का कहत हे, मोदी तोर हाथ पांव जोड़ हंव । तुमन मुख्यमंत्री के गारंटी लाना, चंद्राकर जी के गारंटी लाना, हमर अरूण साव जी के गारंटी लाना लेकिन मोदी जी गारंटी इन लाना, वो नइ देवय हमन ला । मोर आपसे प्रार्थना हे, बात तो बहुत सारा हे, तनक तनक के भाषण मारत राहय । मोला कहत रहिस से गरीब आदमी कइसने करके पइसा वाला वीडिया ला बता दिस, अब जब भी खड़े होथों तो उही ला बता देथे । लेकिन मैं आज कहना चाहत हों । ये जो एक लाख ओर सैतालिस करोड़ रूपए है जो सही सलामत गरीब तक जाना चाहिए । हम देखे हन 15 साल के सरकार मा जेन नेता मोटर साइकिल मा चलत रहिस हे, ओखर घर मा लोग लइका अउ ओखर घरवाली के अलग-अलग गाड़ी, वहु कतका के डेढ़-डेढ़ करोड़, ओखर पनही जूता कतका के दू-दू लाख के पनही पहिनत हे । आज मैं वो बात मा नइ जाना चाहत हों । जतका पइसा हे सही सलामत प्रदेश मा जाना चाहिए । काबर के ए पइसा ए प्रदेश के गरीब मन के हे । ये तुम्हर हमर खेत डोली के पइसा थोड़ी हे, ओ गरीब आदमी मेहनत करते अउ वो हमर सरकारी खजाना मा आथे, टेक्स के रूप मा आथे तेकर हमन सियानी करत हन, उही ला छत्तीसगढ़ी में कहावत हे, पर के मुड़ मे नाउ सियान। ए छत्तीसगढ़ के पइसा मैं हमन सियानी करे बर बइठे हन। मोर आपसे प्रार्थना हे, चाहे कर्मचारी रहे, चाहे नेता रहे, हम सब ला मिलजुल कर जवाबदारी पूर्वक एमा काम करना हे। मैं अंत में मोर क्षेत्र के मांग ला मांग लेथव। जब एक लाख 47 हजार करोड़ रूपए के बजट हे। 10 साल से मोर एरिया में पहली भी देखेव तो मोर एरिया में बड़े-बड़े सड़क बनीन, मैं ओखर विषय में नई जाना चाहों लेकिन मोर एरिया में अभी बहुत सारे अइसने गांव हे, जहां रोड के चिन्हा नई परे हे। मोला कतक अन तकलीफ होत होही। एक तरफ रोड टूतत हे ता दोबारा रोड बनत हे, लेकिन मोर तरफ रोड के चिन्हा नई परे हे। चंद्रपुर भी तो छत्तीसगढ़ में ही आथे। मोर अरूण साव मंत्री जी बैठे हे, वित्त मंत्री जी भी सुनत होही, मुख्यमंत्री जी भी सुनत होही, मोर एरिया में जो प्रशासनिक स्वीकृति मिल गे हे, ओ टेंडर लगे बर माढ़े रिहिस हे, जैसे ही सत्ता बदलीस ता ओला रोक दे गे हावए। मैं आपके माध्यम से निवेदन करत हों, भले सत्ता बदलीस लेकिन मुख्यमंत्री 90 विधान सभा के हरे, आप ओ प्रशासनिक स्वीकृति ला कर देतेव तो ओ क्षेत्र के जनता मन आप ला धन्यवाद देतीस। दो रोड तुण्ड्री से सकती और गोबरा से जैजेपुर वाला हे। हमर पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री से किसान मन घलो मिलिस हे, ओ कुछ जगह हा रूक गे हे, ओला आप पूरा करवा देव, मैं अतकी कह

के अपन वाणी ला विराम दे थौं। ये जो गरीब आदमी तक पैसा जाही तिही दिन में आप मन के समर्थन करिहौं, अउ जब तक नई जाही तब तक मैं घोर विरोध करते रहूं। धन्यवाद।

श्री लखेश्वर बघेल (बस्तर) :- सभापति महोदय, हमारे सत्ता पक्ष के वरिष्ठजन ने विनियोग विधेयक से संबंधित कोई बात नहीं की, बाकी 5 साल सरकार की बुराई की बात करते रहे। हम लोगों ने भी 15 साल का कार्यकाल देखा है। 15 साल की कथनी और करनी क्या थी, उन सब चीजों को देखा है। इस छोटे से कार्यकाल में संकट के समय हमारा छत्तीसगढ़ नहीं, पूरा देश गुजर रहा था। उसके बावजूद भी हमने ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ छत्तीसगढ़ को उबारने का काम किया, देश के हर क्षेत्र में हमारे कार्य को प्रोत्साहन मिला है और इनाम भी मिला है। उसके बावजूद भी साथी लोगों को आज तक देख रहे हैं। उन्होंने सी.बी.आई. जांच, फलाना जांच, ई.डी. सी.डी. की बात की लेकिन कांग्रेस और भाजपा में यही अंतर है। आपने 15 साल क्या-क्या किया उसको हमने कभी सदन में नहीं कहा। हम लोग ई.डी. सी.बी.आई. की जांच कराये, लेकिन उन्हीं लोगों के द्वारा झीरम घटना की सी.बी.आई. जांच किये थे, उसके बाद भी मुकर गये। हम लोगों ने ऐसी चीज भी देखी है। यह हमारे वरिष्ठ लोगों के मुंह से शोभा नहीं देता। इस तरह की बात न करें। आज विनियोग विधेयक पर हमारे पक्ष विपक्ष के द्वारा महत्वपूर्ण चर्चा की गयी। हमारे आदरणीय वित्त मंत्री के द्वारा पिछले पांच साल में की गयी कई महत्वपूर्ण योजनाओं को उन्होंने बंद कर दिया। चाहे, नरवा, गरवा, घुरूआ, बाड़ी की बात हो, चाहे राजीव गांधी मितान क्लब की बात हो, गांव के सेवाकारी पुजारी, गुनिया, गायता, पटेल, मोरिया, चाहे प्रोत्साहन राशि देने वाली बात हो, चाहे कनिष्ठ चयन बोर्ड की बात हो, चाहे मुख्यमंत्री हाट क्लीनिक बाजार की बात हो, छत्तीसगढ़ की संस्कृति परंपराओं से जुड़े खेलकूद की बात हो, सारी बातों को बजट में उल्लेख नहीं किया गया है, यह बड़े दुख की बात है। यह महत्वपूर्ण योजनाएं थी। गांव गरीब की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाली योजनाएं थी, इन योजनाओं को नहीं जोड़ा जाना, इस बजट में गरीब विरोधी बजट दिखता है। मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जैसे राजीव गांधी युवा मितान क्लब, यह हमारी सरकार की हमारे लोगों की सोच थी, इस मांग के आधार पर यह गठन किया गया था। गांव की संस्कृति धीरे-धीरे खत्म होती जा रही है। युवा लोगों को जगाकर संस्कृति परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है। युवाओं को एक विजन दिया गया था ताकि युवाओं के हाथ में पैसा रहेगा तो अच्छा काम होगा।

समय :

6:00 बजे

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए)

उसका गठन इस उद्देश्य से किया गया था, उस पर पुनर्विचार किया जाये। वित्तमंत्री जी, मेरा आपसे यह निवेदन है। इसी प्रकार गाय गौठान की बात करूंगा। आजकल गाय पालना धीरे-धीरे कम होता जा रहा है, यह गाँव के लोगों का साईड बिजनेस है। आज गाय को चराने वाला कोई नहीं होने से

गाय पालना बंद कर रहे हैं। हमने इसी उद्देश्य से गाय के गौठानों की व्यवस्था की थी। अगर एक गरीब आदमी को गाय दें और वह दिन भर चराने जाएगा तो गाय को खिलाने के लिए क्या कमाएगा? इस उद्देश्य से गाय के गौठान की व्यवस्था की गई थी और यह गाय गौठान हमारे गांव की संस्कृति और परम्परा है। इसीलिए यह सब व्यवस्था की गई थी, उसको भी आप लोगों ने बंद कर दिया। तीन महीने से लोग गोबर नहीं बेच पा रहे हैं, उस स्व सहायता समूह में हजारों लाखों लोग जुड़े थे। उसमें रासायनिक और उर्वरक खाद बनाया है, उनको बेच नहीं पा रहे हैं, उनको तकलीफ हो रही है। उस पर मेरा निवेदन है कि उसमें भी विचार किया जाये।

अध्यक्ष महोदय, उसी प्रकार सिरहा, पुजारी, पटेल, बाजा मौर्या और हाट पहाड़िया लोगों को हम लोग प्रोत्साहित करते थे। ये गांव के सेवाकारी लोग हैं, ये गांव में सेवा करते हैं। उनको किसी प्रकार की प्रोत्साहन राशि गांव के लोग नहीं देते हैं। ये लोग सेवा के रूप में बाजा मौर्या लोग हमारे देवी देवताओं की संस्कृति, हमारे धार्मिक क्षेत्रों में सेवा करते हैं, उस ओर भी आप विचार करें तो बहुत अच्छा होगा।

अध्यक्ष महोदय, आपने तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों की स्थानीय भर्ती के लिए कनिष्ठ चयन बोर्ड भी बनाई थी। आपकी सरकार के द्वारा पूर्व में भी इस प्रकार की भर्ती योजना का गठन किया गया था। मेरा निवेदन है कि इस पर भी विचार किया जाये। मैंने जो बातें रखी हैं, उस पर पुनः विचार करके बजट में शामिल किया जाये। आपने इतना भारी-भरकम बजट रखा है और हम लोगों ने वर्ष 2000 के बजट को भी देखा है, वह 7 हजार करोड़ समथिंग बजट था, अब वह बजट 23 साल में 1 लाख, 60 हजार करोड़ से अधिक का हो गया, यह बहुत बड़ी बात है। इसी प्रकार जो भी बात है, आप लोग पिछली बातों पर ध्यान देते हैं। बजट 7 हजार से 1 लाख, 60 हजार करोड़ हो गया तो इस ओर भी आप सोचिएगा। आप तुलना करते हैं कि वर्ष 2000 में आपकी सरकार ने क्या किया, वह क्या किया, लेकिन धीरे-धीरे ऐसे ही तो बजट बढ़ता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि ज्ञान से ज्यादा व्यवहार महत्वपूर्ण होता है। आपने प्रस्तुत बजट में ज्ञान की बातें बड़ी विद्वता से रखी हैं, कृपया आप उसी व्यवहार से तराजू में तौलने का प्रयास करें। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि कोरे ज्ञान से प्रदेश का भला होने वाला नहीं है। आपको व्यवहार में साबित करना होगा, शब्दों की बाजीगरी से आप लोगों का पेट नहीं भर सकते, न ही लोगों की जरूरत उससे पूरी होती है।

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति हो तो मैं पढ़कर बताना चाहता हूं। मेरा अपने बात की शुरुआत में एक प्रश्न है कि सरकार द्वारा प्रस्तुत विनियोग को पारित करने के लिए क्यों सहमत हों, क्या सरकार ने चुनाव के पहले जो वायदे किये थे, उन वायदों को इस सरकार ने पूरी करने की पहल की है, क्या 18 साल से अधिक उम्र वाली हमारी बेटी, बहनों, माताओं को महतारी वंदन योजना का लाभ

मिला है, क्या प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था के लिए मिल रही सुविधा मील का पत्थर साबित हुई है, आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम विद्यालय के प्रबंधन हेतु सरकार ने बजट रखा है, क्या ग्रामीण कृषि व्यवस्था पर आधारित गोधन न्याय के लिए इस सरकार ने बजट का प्रावधान किया है, क्या छत्तीसगढ़ ओलम्पिक के लिए इस सरकार ने कोई योजना बनाई है ? ऐसी बहुत सारी बातें हैं, जिसमें हमारा नीतिगत विरोध के कारण भले ही हमारा कटौती प्रस्ताव स्वीकृत न हुआ हो, परन्तु हम सरकार के इस बजट से, उनके विनियोग प्रस्ताव से पूर्णतः असहमत हैं और उसका विरोध करते हैं ।

अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने अपने 5 साल के कार्यकाल में गांव, गरीब और किसान के लिए काम किया था । हमने किसानों की आर्थिक स्थिति को सँवारने का काम किया था । हमने किसानों की आर्थिक स्थिति को संवारने का काम किया था। हमने कोरोना जैसी महामारी के काल में भी प्रदेश की अर्थव्यवस्था को संतुलित ही नहीं, बेहतर बनाये रखा था। हम लोगों की क्रय क्षमता में वृद्धि हुई थी और हमने प्रदेश को आर्थिक मंदी दौर से बचाया था। परन्तु आज यह सरकार वर्तमान स्थितियों से लोगों का ध्यान भटकाते हुए भविष्य की बात करती है। महोदय, इस सरकार के पास केवल शब्दों का मायाजाल है, वास्तविकता से इनका कोई लेना देना नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, चुनाव के पहले प्रदेश की सुरक्षा को बेहतर से बेहतर बनाने की बात करते थे। आज गृह मंत्री के जिले में भी निरन्तर घटनाएं घट रही हैं। व्यवस्था में निरंतर शून्यता है। बस्तर में निरंतर नक्सली हमलें हो रहे हैं। हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। गरीब, मासूम आदिवासी फर्जी मुठभेड़ के शिकार हो रहे हैं और इस सरकार के कान तक आवाज नहीं पहुंच रही है। मैं ऐसा नहीं कहता कि यह सरकार बहरी है, परन्तु इतना जरूर कहूंगा कि आम जनों की पुकार को यह सरकार अनसुना कर रही है। प्रदेश में थाने सुरक्षित नहीं हैं। आम लोगों की बात ही अलग है। पुलिस वाले हेलमेट और सीट बेल्ट के नाम से जिस तरह से लोगों से उगाही कर रहे हैं, उसको प्रदेश की जनता भलीभांति देख रही है। जनता के मन में आक्रोश है और आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में इसको सब सिखायेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मोदी जी की गारन्टी की बात जिस सत्ता पक्ष के लोग करते हैं, उनको कुछ कहने के पहले जरूर सोचना चाहिए कि आखिर मोदी जी ने देश के साथ जो वादे पूर्व में किए थे, उनमें से ऐसे कितने वादे हैं, जिसको उन्होंने पूरा किया है। देश में बेरोजगारी दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है। युवा हताश एवं परेशान हैं। महंगाई सुरसा की तरह मुंह फैला रही है। सरकार का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। मोदी जी की वह भारतीय जनता पार्टी नहीं है, जिसमें अटल बिहारी बाजपेयी जी, सुषमा स्वराज जी, आडवानी जी जैसे सिद्धांत और विचारधारा से जुड़े हुए नेता रहते थे। वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी प्रायवेट लिमिटेड कम्पनी की तरह काम कर रही है। इसकी पार्टी के अंदर ही जब लोकतन्त्र नहीं है तो उससे लोकतन्त्र की रक्षा की उम्मीद करना, मैं समझता हूं बेईमानी होगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही रही है जो सत्ता के लिए चुनी हुई सरकारों को छल, प्रपंच से गिराना और लोकतन्त्र

को समाप्त कर निरंकुश सामंतवादी व्यवस्था को कायम रखना है। प्रजातन्त्र की हत्या करना भारतीय जनता पार्टी की पहचान है। कैसे प्रजा का भला हो सकता है, स्वयं को धोखा देना है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, किसान हितैषी सरकार कहती है। मैं पूछता हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी की नीति किसानों के हित के लिए काम करती है तो देश के किसानों को दिल्ली पहुंचने से क्यों रोका जा रहा है ? भारतीय जनता पार्टी के बड़े-बड़े नेता किसानों को आतंकवादी, देशद्रोही कह रहे हैं, ऐसी भारतीय जनता पार्टी से हमारे प्रदेश के किसानों का कोई भला हो सकता है, यह विचारणीय प्रश्न है। भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के कार्यकाल में जितने किसानों ने कर्ज के कारण आत्महत्या की, वह अपने आप में एक रिकार्ड है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम प्रतिपक्ष में 35 सदस्य हैं। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि हम 8 से 10 विधान सभा क्षेत्र में सौ वोट से लेकर 2 हजार वोट तक पीछे रहे हैं। मेरे कहने का आशय यह है कि चुनाव में मतों के विभाजन का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला है, परन्तु यह भी सत्य है कि प्रदेश की जनता ने हमारी नीतियों और योजनाओं को बराबर समर्थन दिया है। सत्तारूढ़ दल यह मुगालता बिलकुल ना पाले कि लोगों ने हमें अस्वीकार किया है। आज भी प्रदेश का बहुत बड़ा वर्ग हमारे साथ है और हम उनके समर्थन में ही उनके हितों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, दो महीने में यह नजर आने लगा है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। बिचौलिये सक्रिय हो गए हैं, दलालों की चल पड़ी है। मैं प्रतिपक्ष की ओर माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको सचेत कर रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ के हितों के साथ जब भी आप नाइंसाफी करेंगे तो कांग्रेस सदन से लेकर सड़क तक आपका विरोध करेगी। आपकी जवाबदारी बनती है कि सरकार में निष्पक्ष एवं पारदर्शी व्यवस्था कायम करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब हम जब वर्ष 2018 से वर्ष 2023 के बीच में किसानों के लिये, गरीब और जरूरतमंदों के लिये कर्ज लेते थे तो सत्ता पक्ष के लोग प्रदेश में कर्ज की स्थिति और बड़े-बड़े बयान करते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी और सत्ता पक्ष के सदस्यों से मैं पूछना चाहता हूँ कि आपकी सरकार ने हमारे से कम कर्ज लिया है ? माननीय वित्त मंत्री जी, इस बात का उल्लेख अपने भाषण में जरूर करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि सपनों के खीर से हकीकत के खिलाड़ी ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं। आप छत्तीसगढ़ के लोगों को ख्याली पुलाव परोसने का प्रयास न करें। अमृतकाल का बजट आपका अपना बनाया हुआ शब्द है, यह इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आप पुन्नी मेला को कुंभ मेला बना लेते हैं, किसी के काल को अमृतकाल का नाम देना आपके लिये कौन सी बड़ी बात है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति, लोक संस्कार, लोक परम्परा को नवजीवन दिया था। छत्तीसगढ़ के कलाकार, साहित्यकार, सांस्कृतिक क्षेत्र में एक किरण पड़ी थी, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी का यह सपना था कि बरगद भले ही पूजे जायें लेकिन घर के आंगन की तुलसी सुरक्षित होनी चाहिये। अध्यक्ष महोदय, उनके कहने का आशय यह था कि

छत्तीसगढ़ में लोक संस्कृति को बढ़ावा मिले, उसे सम्मान मिले, परन्तु सभी जानते हैं कि यह 15 साल के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ की संस्कृति के साथ कैसा अन्याय किया है, दोगम दर्जे का व्यवहार किया गया है। हम सत्तारूढ़ दल को आगाह करते हैं कि ...।

श्री अजय चन्द्राकर जी :- माननीय लखेश्वर जी, मैं आपको इतना ही बोल रहा हूँ कि आप तीसरी बार के विधायक हैं। बस इतना ही याद दिलाना चाहता हूँ।

श्री लखेश्वर बघेल :- जी। थैंक्यू। माननीय अध्यक्ष महोदय, धर्म के नाम पर लोगों को भड़काना और उसकी भावनाओं के साथ खेलना भारतीय जनता पार्टी का शौक रहा है। सामाजिक सद्भाव, राष्ट्रीय एकता, अखण्डता जैसे शब्द उनके शब्दकोष में ही नहीं हैं। सत्ता के लिये प्रायोजित रूप से सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ना इनका हुनर रहा है। आज राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसकी हुनर का कमाल है। कांग्रेस की विरासत देश की रक्षा के लिये बलिदान देने की रही है।

श्री अजय चन्द्राकर :- लखेश्वर जी, एक सेकण्ड।

श्री लखेश्वर बघेल :- हम आखिरी सांस तक अपने राज्य में सामाजिक सद्भाव के संरक्षण के लिये संघर्ष करते रहेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह डबल इंजन की सरकार है, इसीलिए कह रहा हूँ। चाहे केन्द्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, युवाओं के लिये इनके पास कोई स्पष्ट नीति नहीं है।

एक माननीय सदस्य :- एक्सप्रेस ट्रेन हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप कांग्रेस के विरासत के बारे में बोल रहे हैं, आप तो भाजपा की विरासत को भी जानते हैं। मैं यह कह रहा हूँ। अब पढ़िये। आप भाजपा के विरासत को जानते हैं कि नहीं जानते हैं? यह बताईये।

श्री लखेश्वर बघेल :- धन्यवाद। धन्यवाद। बैठिये तो। आप हमारे गुरुदेव हो।

श्री धर्मजीत सिंह :- अभी मैं एक अंतर देख रहा हूँ सर। कांग्रेस की सरकार में आप हताश, उदास, निराश दिखते थे। अभी आपके चेहरे में चमक है। (हंसी)

श्री अजय चन्द्राकर :- वह हमारे पुराने साथी हैं। चमक तो रहेगी ही।

अध्यक्ष महोदय :- अजय जी, पढ़ने के पहले अनुमति ले लिये थे।

श्री लखेश्वर बघेल :- हां, मैं पढ़ने के पहले अनुमति ले लिये थे।

श्री अजय चन्द्राकर :- साथ-साथ आपको टेबल करने की अनुमति दे देनी थी। जो नहीं सुन पाये हैं, वह पढ़ लेते।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, खत्म करिये। बहुत हो गया।

श्री लखेश्वर बघेल :- अब खत्म हो गया। अब कबड्डी खत्म हो गयी। मैं कुछ व्यावहारिक बात कहना चाहता हूँ।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप बोलिये। हम लोग सुन रहे हैं।

श्री लखेश्वर बघेल :- हमारे बहुत से विद्वान सदस्यों ने 5 साल, 15 साल और 23 सालों की बातें कही, यह अच्छा नहीं लगता। हमारे साथी लोग और नये लोग आप लोगों से सीखते हैं। आप लोगों के द्वारा जिस तरीके की बातें की जाती है, ऐसा इनके संस्कार में न आये। मेरा यह निवेदन है कि हम इन नये सदस्यों से अच्छी-अच्छी बातें कहे कि हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस तरह की बातें करें।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस को भूपेश बघेल जी ने 05 साल में पूरी तरह से संस्कारित कर दिया और किसी का संस्कार क्या बनेगा क्योंकि काले रंग में दूसरा रंग चढ़ता ही नहीं है।

श्री लखेश्वर बघेल :- नहीं, भविष्य में ऐसा रंग न चढ़े। आप लोग हमारे नये सदस्यों को अच्छे संस्कार दें। हम लोग अच्छा काम करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष के लोग बार-बार शराब घोटाले की बात करते हुए नहीं थकते हैं। अब आपकी डबल ईजन की सरकार है, बिना किसी की देरी के।

श्री धर्मजीत सिंह :- बघेल साहब, अबकी बार 75 पार वाला नारा भूलेंगे, तब आप लोग नॉर्मल रहेंगे। अभी तक आप लोगों का 75 पार वाला नारा ही चल रहा है।

श्री लखेश्वर बघेल :- नहीं, होगा। मेरा सत्ता पक्ष के लोगों से और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि शराब घोटाले की जो बात आयी, उसको आपने सी.बी.आई. को सौंप दिया है। मैं निवेदन करूंगा कि आप लोगों ने 05 साल तक शराब बंद करने की बात उठायी। मेरा हमारे विपक्ष की तरफ से निवेदन है कि यदि आप शराबबंदी करने के लिये कदम उठाते तो बहुत अच्छा रहता। इस पर हमारा विशेष आग्रह है। इसी तरह हमारे युवा वित्त मंत्री जी ने विनियोग विधेयक लाया है। हमारी सरकार के द्वारा जनहित में जो योजनाएं लायी गयी थी, उस योजना पर पुनः विचार करें और उसमें गरीबों का फायदा करते तो अच्छा रहता।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस विनियोग विधेयक का विरोध करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। आपने बोलने का अवसर दिया, उसके लिये धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- वित्त मंत्री, श्री ओ.पी. चौधरी। (मेजों की थपथपाहट)

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बात रखने का अवसर प्रदान किया, उसके लिये मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं उन सभी सदस्यों को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने आज विनियोग पर अपनी बातें रखी है, जिसमें आदरणीय उमेश पटेल जी, सत्ता पक्ष की ओर से विधायक आदरणीय अजय चन्द्राकर जी, आदरणीय कुंवर सिंह निषाद जी,

आदरणीय धर्मजीत सिंह जी, आदरणीय राघवेंद्र सिंह जी, आदरणीय राजेश मूणत जी, आदरणीय द्वारिकाधीश यादव जी, आदरणीय लखेश्वर बघेल जी और बीच-बीच में चाहे-अनचाहे अपना पार्टिसिपेशन हर वक्त सुनिश्चित करने वाले आदरणीय रामकुमार यादव जी को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ कि उनकी उपस्थिति से सदन में हमेशा जीवंतता बनी रहती है, वह भी जरूरी है।

अध्यक्ष महोदय, विपक्ष का मूड क्या है, विपक्ष की सोच क्या है, वह सब जानते हैं। मैं भी जानता हूँ।

“तुम किस जुबान को समझोगे, सब जानता हूँ मैं  
मुश्किल मेरी है, अदब जानता हूँ मैं” (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस की राजनीति काफी लंबे समय से इसी तरह से आरोप-प्रत्यारोप और जनता को गुमराह करने की राजनीति पर ही चलती रही और उसी का परिणाम हुआ कि भारत के साथ जो देश आजाद हुए थे, उनमें से अनेक देशों ने विकासशील से विकसित राष्ट्र बनने की यात्रा कई दशकों पहले ही पूरी कर ली और हम कहीं न कहीं पिछड़े रहे। इसके लिये निश्चित रूप से कांग्रेस को अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए। उन्होंने पूरे भारत की यात्रा में जो गलतियाँ की, उन्हें उसको स्वीकार करना चाहिए। मैं इस बात सदन में निश्चित रूप से रखना चाहूँगा।

अध्यक्ष महोदय, जिस बजट के संबंध में बहुत सारी बातें हुई। लेकिन मैं मूल रूप से बताना चाहता हूँ कि इसके बैकग्राउण्ड में जो हमारी छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था की स्थिति थी, वह काफी स्लो-डाउन वाली स्थिति थी। हम राष्ट्रीय औसत से भी तुलना करें तो भी हमारी स्लो-डाउन जैसी स्थिति थी। हमारे छत्तीसगढ़ के लिये है वर्ष 2023-24 के लिये जो जी.एस.डी.पी. की वृद्धि दर है, वह 6.56 प्रतिशत है। जबकि भारत का राष्ट्रीय औसत जिसमें जम्मू कश्मीर जैसे राज्य, नार्थ ईस्ट जैसे राज्य, बिहार जैसे पिछड़े हुए राज्य भी इसमें सम्मिलित रहते हैं। हम उन सब का भी एवरेज लेते हैं तो भी भारत के जी.डी.पी. का जो ग्रोथ रेट है वह 7.32 प्रतिशत है। जबकि हमारे जी.एस.डी.पी. का ग्रोथ रेट 6.56 प्रतिशत चल रहा है अर्थात् हमारी अर्थव्यवस्था की जो गति है वह राष्ट्रीय औसत से भी पीछे चल रही है। हमें इस बात को समझना चाहिए। यह हमारे बैकग्राउण्ड में है। जो हमारी अर्थव्यवस्था का क्षेत्रवाद योगदान है, जो हम छत्तीसगढ़ के लिए आगे विजन की बात करते हैं उसमें समझना बहुत जरूरी है कि जो हमारी इकानॉमी में एग्रीकल्चर सेक्टर का योगदान है, वह लगभग 15.3 प्रतिशत का है। इंडस्ट्री सेक्टर, सेकेण्ड्री सेक्टर का जो योगदान 53.5 प्रतिशत का है। सर्विस सेक्टर का योगदान मात्र 31 प्रतिशत का है। जब भी कोई विकासशील अर्थव्यवस्था विकसित अर्थव्यवस्था में बदलती जाती है तो टर्सरी सेक्टर, सेवा क्षेत्र का विस्तार बहुत तेजी से होने लगता है। यदि मैं राष्ट्रीय औसत से तुलना करूँ तो जी.डी.पी. में जो सर्विस सेक्टर का योगदान है वह लगभग 55 प्रतिशत का और हमारे छत्तीसगढ़ का मात्र 31 प्रतिशत का है। वहीं सेकेण्ड्री सेक्टर में हम लोगों के किसी के परिश्रम से नहीं बोलूंगा कि हमारी

मेहनत से हो गया या कांग्रेस की मेहनत से हो गया या भारतीय जनता पार्टी की मेहनत से हो गया, मैं यह नहीं बोलूंगा। सेकेण्ड्री सेक्टर का योगदान हमारी जी.डी.पी. में 53 प्रतिशत का है। यह Abnormally High है। इसे बढ़ाकर सर्विस सेक्टर, टर्सरी सेक्टर में छत्तीसगढ़ की जी.डी.पी. में Contribution को बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। राष्ट्रीय औसत सेकेण्ड्री सेक्टर का 31 प्रतिशत है जबकि हमारे यहां 53 प्रतिशत का है, लेकिन जब हम वर्तमान की आर्थिक परिस्थिति को देखते हैं तो ठीक है सर्विस सेक्टर का जी.डी.पी. में Contribution हमारी इकानॉमी में कम है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में सर्विस सेक्टर का जो ग्रोथ रेट है, वह मात्र 5 प्रतिशत है जबकि राष्ट्रीय स्तर पर जो औसत ग्रोथ रेट है वह 7.72 प्रतिशत है। मतलब सर्विस सेक्टर का हमारी जी.डी.पी. में योगदान तो कम है ही। उसमें जो वृद्धि की दर है वह राष्ट्रीय औसत से भी कम है। मतलब हम और पिछड़ते जा रहे हैं। इन 5 सालों में जो कुछ कमियां रहीं, उसे हमें स्वीकार करना पड़ेगा। मैं पक्ष विपक्ष से ऊपर उठकर बात करना चाह रहा हूँ। हम उसे स्वीकार करते हुए, सर्विस सेक्टर को नई ऊंचाईयों पर ले जाने के लिए एक नये विजन के साथ ...।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय चौधरी जी, हमारी गोबर खरीदी को ऑन लाईन करने की योजना थी।

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमको सर्विस सेक्टर के Contribution को बढ़ाने की जरूरत है। इस सेकेण्ड्री सेक्टर में भी थोड़ी चिन्ता का विषय है कि जो ग्रोथ रेट है जो ग्रोथ का राष्ट्रीय औसत है वह 8 प्रतिशत पर है जबकि हमारा 7.13 प्रतिशत पर है। वह भी स्लो डाऊन की स्थिति में है। हमारे आदरणीय सदस्य राघवेन्द्र कुमार सिंह जी कह रहे थे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ रेट मात्र 3.23 प्रतिशत का है और इण्डस्ट्री सेक्टर का 7 प्रतिशत है और सर्विस सेक्टर का 5 प्रतिशत है। वह ऐसा बोल रहे थे, लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि हमारी प्रायमरी सेक्टर का जो ग्रोथ रेट है वह राष्ट्रीय औसत 1.82 प्रतिशत से ज्यादा है। उस दृष्टिकोण से प्रायमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ रेट को और बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन हम राष्ट्रीय स्तर से ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। सर्विस सेक्टर और इण्डस्ट्री सेक्टर को और ज्यादा तेजी से गति देने की आवश्यकता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो पर कैपिटा इंकम, प्रति व्यक्ति आय है जो मुझे यह लगता है कि सबसे बड़ा Criteria है, वह छत्तीसगढ़ का 1 लाख 47 हजार 361 रुपये है। जबकि भारत देश का 1 लाख 85 हजार 854 रुपये है। हमारा कम है और जो प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर है, वह राष्ट्रीय औसत 7.9 प्रतिशत से हमारा कम है। यह 7.3 प्रतिशत है। हमारी प्रति व्यक्ति आय कम है, यह तो चिन्ता का विषय है ही, लेकिन उससे भी बड़ी चिन्ता का विषय यह है कि हमारी प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से भी कम है। तो इसे हम सब को मिलकर, हमारे छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में आने वाले समय के लिए हमें आगे बढ़ाने की और बहुत ध्यान देकर, काम करने की जरूरत है। न केवल 5 सालों, न केवल 10 सालों बल्कि आने वाले 20-25 सालों के लिए विजन की

जरूरत को महसूस करते हुए, हमारी सरकार ने आदरणीय विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में इसी बजट में संकल्प लिया है कि अमृत काल, अर्थात् भारत की आजादी का जब 100 वर्ष देश पूरा करेगा, हम देश की आजादी की 100वीं वर्षगांठ मनायेंगे, जैसे मोदी जी ने देश के लिए दीर्घकालिक विजन निर्धारित करते हुए विकसित भारत की परिकल्पना की है, वैसे ही विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने परिकल्पना की है कि 2047 में विकासशील छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ में परिवर्तित करने के लिए हम काम करेंगे। (मेजों की थपथपाहट) इसके लिए टाईम लाईन ही फिक्स नहीं किया गया है, फिक्स डेट 1 नवंबर की रखी गई है। जिस तारीख को श्रद्धेय भारतरत्न अटल बिहारी बाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया था, उसी तारीख को इस साल 2024 में हम छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना दिवस मनायेंगे, उसी दिन अमृतकाल : छत्तीसगढ़ विजन @ 2047 यह विजन डोक्यूमेंट छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन को हमारी सरकार समर्पित करेगी। इसमें मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि हमारे विपक्ष के साथियों को भी निश्चित रूप से आमंत्रित करना चाहूंगा कि इस विजन को आगे बढ़ाने में, अभी जो हमारे पास 6-8 महीने का समय होगा, उसमें आप सभी लोग अपने-अपने विचारों को, अपने दृष्टिकोण को, अपने विजन को हमारी सरकार तक पहुंचाये, हम तक पहुंचायें। आप सब लोगों के बहुमूल्य विचार, अनुभवों को भी हम इस विजन में डोक्यूमेंट में समाहित करेंगे और छत्तीसगढ़ राज्य की विकास यात्रा के लिए काम करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, कई सदस्यों ने कहा कि छत्तीसगढ़ हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे, मैं वह चाहते हूँ कि छत्तीसगढ़ में और लोगों का जो योगदान है, उसको भी न भुलाया जाये। निश्चित रूप से सवाल ही नहीं उठता। उसमें तो हमारा कमिटमेंट है कि हमने बनाया है और हम ही संवारेंगे। आदरणीय रामचन्द्र सिंहदेव जी को आज मैं याद करना चाहूंगा जिन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम वित्त मंत्री के रूप में योगदान दिया। उन्होंने एक विजन डोक्यूमेंट बस्तर के लिए बनाया था, उसी विजन डोक्यूमेंट की प्रति मैंने बड़ी मुश्किल से खोजी। बहुत सारे लोगों से संपर्क किया और मैंने उसको खोजा है। जो अमृतकाल : छत्तीसगढ़ विजन @ 2047 बनाया जायेगा, उसके उनके अनुभवों को भी शामिल करने का पूरा प्रयास करेंगे। (मेजों की थपथपाहट)

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो हमारा मध्यकालिक विजन है, जैसे मोदी जी देश के लिए मध्यकालिक विजन लेकर चल रहे हैं कि 5 trillion dollar, 10 trillion dollar की economy हमको बनानी है। जब मोदी 2014 में देश की सत्ता में आये थे तो हम 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थे। महज 10 सालों में हमने 11वें से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनने की छलांग लगाई है। (मेजों की थपथपाहट) अध्यक्ष महोदय, मैं तुलना करने की दृष्टि से रखना चाहूंगा कि 2004 में यू.पी.ए. की सरकार आई थी तो हम 12वें नंबर की अर्थव्यवस्था थे और 10 साल में 12वें से 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन पाये थे। मात्र एक स्थान का हम जंप लगा पाये थे।

श्री रामकुमार यादव :- रुपया और डॉलर में घलो तुलना कर दिहा।

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम उसी तरह की तुलना करते हैं तो मोदी जी के कार्यकाल में 11वें नंबर से चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था..।

श्री उमेश पटेल :- चौधरी जी, अगर आप 2004 से लेकर के 2014 तक की तुलना कर रहे हैं तो हर साल 2004 से लेकर के 2014 तक की ग्रोथ रेट और 2014 से लेकर के अभी तक की ग्रोथ रेट की भी तुलना कर दीजिए।

श्री ओ.पी. चौधरी :- ग्रोथ रेट भी कंपेयर कर दूंगा।

श्री उमेश पटेल :- आपको पता चलेगा, मैं नॉमिनल जी.डी.पी. की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं रियल टर्म जी.डी.पी. की बात रहा हूँ। रियल टर्म जी.डी.पी. में हम लोग 2004 से लेकर 2014 तक 7 प्रतिशत के ऊपर से ग्रोथ कर रहे थे। और 2014 से लेकर एवरेज निकालेंगे तो आपका 6 प्रतिशत आ रहा है।

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वह तुलना भी हम करेंगे। Inflation की भी तुलना करेंगे, सारे पैमानों पर तुलना निश्चित रूप से होगी। इसी तरह का Mid term टारगेट छत्तीसगढ़ के लिए आदरणीय विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने तय किया है। इसमें 5 लाख करोड़ के जी.डी.पी. को हम 10 लाख करोड़ ले जाने का बहुत ही बड़ा महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। (मेजों की थपथपाहट) जब यह लक्ष्य रख रहे थे तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि इसको 7 साल, 8 साल रखिये, तब जाकर होगा। तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ कि हमने बड़ा लक्ष्य रखा है, महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। इस बड़े और महात्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हम सब लोग काम करेंगे। मैं चाहता हूँ कि इसमें छत्तीसगढ़ के हर प्रकार के लोग, विशेषज्ञ, अर्थशास्त्री, निवेशक, छत्तीसगढ़ का युवा, छत्तीसगढ़ की महिलायें, छत्तीसगढ़ के किसान, गरीब, सब इसमें अपनी भागीदारी दें। इस बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम सब लोग मिल करके अच्छे से काम करें, यह हमारा मूल विजन है। हमने इसमें जो दस पिल्लर्स निर्धारित किया है, उसमें हमने बहुत महत्वपूर्ण बिन्दुओं को शामिल किया है। आज आदरणीय सदस्य श्री राघवेन्द्र सिंह जी ने एक अच्छी बात रखी कि ग्रीन जी.डी.पी. पर यह 10 पिल्लर्स में क्यों नहीं है। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ कि ग्रीन जी.डी.पी. और ग्रीन डेव्हलपमेंट, सस्टनेबल डेव्हलमेंट आज के समय की बहुत बड़ी मांग है और मैं मानता हूँ कि आज भारत ग्रीन एनर्जी के मामले में पूरी दुनिया को लीड कर रहा है। नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे थर्ड वर्ल्ड को, सभी दूसरे सेकंड वर्ल्ड को, फस्ट वर्ल्ड को, सभी प्रकार के देशों को लीड करने का काम नरेन्द्र मोदी जी की सरकार कर रही है और रीनिवल एनर्जी की दिशा में हम निश्चित रूप से काम करेंगे। लेकिन अभी पांच सालों में हमको बीच में निश्चित रूप से और कई बिन्दुओं को ध्यान देना था। इसलिए वह अभी 10 पिल्लर्स में शामिल नहीं हुआ है, लेकिन निश्चित रूप से ग्रीन जी.डी.पी. के लिए भी आदरणीय विष्णु देव साय जी की सरकार पूरी तरह से समर्पित है। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मोदी जी की गारंटी पर बहुत सारी बातें हुईं। मोदी जी की गारंटी के साथ-साथ बहुत सारे सम्माननीय सदस्यों ने कर्ज पर भी बात की, जिसे मैं सदन में आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2018 में हमारे कांग्रेस पार्टी के सम्माननीय सदस्यों की जब सरकार आई थी तब उन्होंने उसी वित्तीय वर्ष में 11,000 करोड़ रुपये का लोन लिया था। हमने इसी वित्तीय वर्ष में 13,000 करोड़ रुपये का मैं लोन लिया है। इस बात को स्वीकार करने में हमारी सरकार को तनिक भी संकोच नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमने 13,000 करोड़ रुपये का लोन जरूर लिया है, लेकिन केवल महिलाओं, किसानों और गरीबों के लिए लोन लिया है। केवल तीन योजना में, जिसमें किसानों की उन्नति के लिए, महतारी वंदन योजना में और साथ में आवास के लिए, केवल हम इन तीन विषयों को लें तो हमने 13,000 करोड़ रुपये का लोन लिया है और 21,000 करोड़ रुपये इसी वित्तीय वर्ष में खर्च किया है। (मेजों की थपथपाहट) हमने पिछला बोनस लगभग 3716 करोड़ रुपये को 25 दिसंबर को अटल की जयंती के दिन सुशासन दिवस के अवसर पर देने का काम किया है। हमने अनुपूरक बजट में महतारी वंदन योजना के लिए 1200 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है। जो 18 लाख आवास पूरे नहीं हो पाये थे, अब उसमें मैं क्या ब्लेम करूँ। लेकिन उसके लिए भी हमने अनुपूरक बजट में ही 3,800 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है और मुख्य बजट में लगभग 8,369 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। अध्यक्ष महोदय, कृषक उन्नति योजना के लिए हमने अनुपूरक बजट में ही 12,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। (मेजों की थपथपाहट) हमने 13,000 करोड़ रुपये का लोन जरूर लिया है, लेकिन आज हमारी वित्तीय स्थिति यह है कि जिस दिन हमारे मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी कहेंगे कि एक क्लिक दबाना है तो हम महतारी वंदन का पैसा और किसानों के कृषक उन्नति का पैसा एक क्लिक में किसानों और माताओं-बहनों को भेजने के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से तैयार है। (मेजों की थपथपाहट)

श्री उमेश पटेल :- माननीय मुख्यमंत्री जी, जल्दी कह दीजिये। किसान लोग इंतजार कर रहे हैं। वित्त मंत्री जी तो तैयार हैं। बस आपकी इशारे का इंतजार है।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, मैं विष्णु देव साय जी के बारे में बता देता हूँ -

"हर किसी से फरियाद नहीं करते, लफ्जों को बर्बाद नहीं करते।

हक परस्तों की जहां राय शुमारी होगी, सबसे पहले वहां आवाज हमारी होगी।" (मेजों की थपथपाहट)

श्री उमेश पटेल :- माननीय वित्त मंत्री जी, आपने वर्ष 2028 तक जी.डी.पी. को लगभग डबल करने का विजन देखा है। आपने कहा, मैं सही समझ रहा हूँ। लेकिन हमारा पिछला जी.डी.पी. जो लगभग डबल हुआ है, ढाई लाख से लेकर पांच लाख तक हुआ है, वह छः साल के अंदर में हुआ है। जब हम लोग छः साल में जी.डी.पी. को डबल कर चुके हैं, उसको आप डबल करने में 8 साल ले रहे हैं।

श्री ओ.पी. चौधरी :- हम पांच साल ही रखे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय सदस्य उमेश पटेल जी ने जो इन्फ्लेशन (Inflation) की भी बात कही थी। मैं उसमें भी बोलना चाहूंगा कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच में 7.8 प्रतिशत का देश में इन्फ्लेशन (Inflation) था और वर्ष 2015 से 2020-22 के बीच में मात्र 4.9 प्रतिशत का इन्फ्लेशन (Inflation) रहा है। यह बात रखना बहुत जरूरी है।

श्री उमेश पटेल :- माननीय चौधरी जी, इन्फ्लेशन (Inflation) की बात नहीं हुई। मैं रियल टर्म GDP की बात कर रहा हूँ। जिसमें इन्फ्लेशन (Inflation) नहीं जुड़ा रहता है। मैं नॉमिनल GDP की बात नहीं कर रहा हूँ।

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी स्पीच के समय आपने इन्फ्लेशन (Inflation) की बात रखी थी और मैं यही बात रखना चाहता हूँ कि देश में इन्फ्लेशन (Inflation) कब-कब आया है? यदि आप पूरे स्वतंत्र भारत के आर्थिक इतिहास का अध्ययन करेंगे तो पूरा समय आता है वर्ष 1970 और 80 का दशक जिसमें एक-एक रोटी का दाम कितना हो गया था? इंदिरा जी के समय में 28-28 प्रतिशत तक इन्फ्लेशन (Inflation) का रेट हो गया था। रोटी कपडा-मकान जैसी मूवी बनती थी, उसमें उस तरह के गाने बनते थे। जब यू.पी.ए. की सरकार आयी तो उस समय फिर से इन्फ्लेशन (Inflation) ने अपना पांव पसारा था और महंगाई डायन खाये जात हे जैसे बॉलीवुड में गाने बनते थे। इस तरह की स्थिति आदरणीय सदस्य उमेश पटेल जी शंका व्यक्त कर रहे थे कि फोर्ब्स की जो रिपोर्ट है उसमें सेंटर का जो Debt-to-GDP Ratio है और स्टेट का जो Debt-to-GDP Ratio है, उस पर वे फोर्ब्स की रिपोर्ट के हवाले से आशंका व्यक्त कर रहे थे कि इन्फ्लेशन (Inflation) के चक्र में भारत फंस सकता है। यह मोदी जी की नेतृत्ववाली सरकार देश में चल रही है। कहीं से भी भारत न तो इन्फ्लेशन (Inflation) में फंसने वाला है और न ही भारत किसी भी प्रकार की आर्थिक कुव्यवस्था में फंसने वाला है। जो भी Debt मोदी जी की सरकार लेती है, 10 लाख करोड़ रुपये का रेल्वे में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। (मेजों की थपथपाहट) इंफ्रास्ट्रक्चर में, नेशनल हाईवे में, पोर्ट में, रेल्वेज में...।

श्री उमेश पटेल :- आप Debt का परसेंटेज तो बताईये कि कितना है, सेंट्रल का?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अइसे लगत है कि एमन दुनों एके स्कूल में पढ़े हैं। (हंसी)

श्री उमेश पटेल :- हम लोग एक ही स्कूल में पढ़े हैं। दोनों एक ही स्कूल में पढ़े हैं, सही बात है।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह दो पंक्तियां अपने वित्तमंत्री जी को समर्पित करता हूँ।

श्री रामकुमार यादव :- लेकिन रूपया अउ डालर के अंतर ला कोनो नइ बतात हओ। डालर के सामने मा रूपया कइसे गिरत जात हे तेला?

श्री अनुज शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी और वित्तमंत्री जी के लिये -

सूरमा नहीं विचलित होते, पल एक नहीं धीरज खोते ।

सूरमा नहीं विचलित होते, पल एक नहीं धीरज खोते ।

विघ्नों को गले लगाते हैं और कांटों में भी राह बनाते हैं । (मेजों की थपथपाहट)

श्री रामकुमार यादव :- महाराज, तुमन कतको कविता सुनावो । उंहां सड़क नइ बनए, झोरखी हा ।

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने जो भी लोड लिया है उसको बहुत अच्छी तरीके से हमने यूज किया है उससे डेढ़ गुना ज्यादा, छत्तीसगढ़ की जनता-जनार्दन के लिये अच्छे तरीके से खर्च किया है और मैं इस वित्त वर्ष में बताना चाहूंगा कि कई ऐसे प्रावधान हैं चिरमिरी का रेल लाईन जो वर्षों से नहीं हो पा रहा था उसको हमने 120 करोड़ रुपये का सीधा प्रावधान किया । (मेजों की थपथपाहट) माननीय अध्यक्ष महोदय, सिम्स । छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस । जो बिलासपुर का मेडिकल कॉलेज है । छत्तीसगढ़ कांग्रेस की पहली सरकार ने उस मेडिकल कॉलेज को स्थापित किया था यह बात स्वीकार करने में मुझे कोई संदेह नहीं है लेकिन उसी समय जो बिल्डिंग बनी ।

श्री अजय चंद्राकर :- स्थापित नहीं किया था केवल घोषित किया था । हमने शुरू किया, वह उच्च शिक्षा के अधीन था । उसको बनाया फिर उसको हमने मेडिकल शिक्षा को दिया ।

श्री रामकुमार यादव :- ये देश ला आजाद आपे मन कराये रहे काय ? (हंसी) सब ला तंहीच कराये हओ । जेला कबे तेला मइच कराये हंओं कहिथे । अइसे लगथे मौका में ये सृष्टि ला मइ करे हंओं कह दिही ते घलू हे ऐहा ।

श्री उमेश पटेल :- कथावाचक ।

श्री अजय चंद्राकर :- रामकुमार तें ये बात जान ले । मैं जो बोलत हंओं अउ रिकॉर्ड देख ले, मेडिकल ऑफिस के डी.एम.ई. से मिल ले अउ रिकॉर्ड देख ले तेकर बाद टप ले अइसे खड़े होबे । समझ गेच ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज पूरे सदन ने इनके लिये नया नाम रखा है कथावाचक । (हंसी)

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वह सिम्स की बिल्डिंग है ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- यथावत रखा जाये ।

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सिम्स की बिल्डिंग कई सालों से नहीं बन पा रही थी और वह जर्जर पड़ी हुई थी उसके लिये इस बजट में सीधे 700 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया । अटल जी आप ताली तो बजा दीजिये । (मेजों की थपथपाहट) जो रायपुर का मेडिकल कॉलेज है,

इतने सालों से वहां पर और इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत थी। आपके कार्यकाल में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बने, इसके बाद भी और कई जरूरतें थीं उसके लिये 776 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया। (मेजों की थपथपाहट) इस तरह के बड़े स्टेप्स लिये गये हैं। कैपेक्स का जो हमने लक्ष्य रखा है, पिछले बजट से उमेश जी बड़े मायावी की तरह तुलना कर रहे थे। माननीय सदस्य मूल बजट यहां का उठा रहे थे और रिवाइज्ड एस्टीमेट पिछली बार का उठा रहे थे और दोनों की पूरी तुलना कर दे रहे थे। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, जब रिवाइज्ड की तुलना करनी है तो हमारे रिवाइज्ड से तुलना होगी। मूल बजट से तुलना करनी है तो मूल बजट से तुलना होगी।

श्री उमेश पटेल :- माननीय वित्त मंत्री जी, जब मैंने कैपेक्स की तुलना की तो वो जो बजट प्रस्तुत हुआ था एस्टीमेटेड बजट था, उसी से मैंने तुलना की। उस समय आप कैपेक्स का परसेंट निकाल लीजिए। वह 16 परसेंट होता है। अभी भी कैल्कुलेट करके देख लीजिए। जो आपने प्रस्तुत किया है, वह 15 परसेंट हो रहा है।

श्री ओ.पी. चौधरी :- नहीं, आपने माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उमेश जी सभी चीजों की तुलना लगातार कर रहे थे और मैं इतना बोलना चाह रहा हूँ कि कैपेक्स में हमारी सरकार निश्चित रूप से पछाड़ेगी। आदरणीय विष्णु देव साय जी के नेतृत्व की सरकार है। (मेजों की थपथपाहट) 5 साल के बाद आज मैं अपने प्रथम बजट के प्रथम विनियोग में ये दावा करते हुए कह रहा हूँ कि 5 साल बाद भी, आप पिछले 5 साल की तुलना चाहे कैपेक्स के फ्रंट पर करेंगे, चाहे इकोनामी के ग्रोथ के फ्रंट पर करेंगे, निश्चित रूप से हमारी सरकार कई गुना बेहतर साबित होगी। (मेजों की थपथपाहट) अध्यक्ष महोदय, ये बात मैं स्पष्ट रूप से रखना चाहता हूँ। माननीय सदस्यों ने एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटी में कहा था कि 33 हजार 700 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान पिछले वाले वर्ष में है और इस बार 23 हजार 357 करोड़ का प्रावधान है। 31 प्रतिशत की कमी हो गई है। अध्यक्ष महोदय, ऐसा गुमराह करने का प्रयास हुआ। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ 33 हजार 700 करोड़ का जो बजट प्रावधान पिछले वर्ष में बैठा रहा है, उसमें 12 हजार करोड़ रुपये का कृषक उन्नति योजना का पैसा शामिल है। इसके अलावा पिछली बार की सरकार ने धान खरीदी में उसी वित्तीय वर्ष में खर्च किया था और साथ ही 3716 करोड़ दो साल के बोनस का पैसा भी खर्च किया गया था। इन सबको मिलाने के कारण 33 हजार करोड़ की बैठती है और किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। चाहे महतारी वंदन योजना में 3 हजार करोड़ है या 10 हजार करोड़ रुपया कृषक उन्नति योजना में है। हमारी सरकार ज्ञान के लिए समर्पित है और निश्चित रूप से चाहे वह गरीब हो, चाहे युवा हो, चाहे अन्नदाता हो या नारी शक्ति हो, हमारी सरकार विष्णु देव साय जी की सरकार उनके नेतृत्व में पूर्णतः प्रतिबद्ध है। अध्यक्ष महोदय, किसी को चिंता करने की, शंका करने की जरूरत नहीं है। अध्यक्ष महोदय, बहुत बातें हुईं कि महतारी वंदन योजना में मात्र 3 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। ये देंगे या नहीं देंगे। कई

तरह से सदन को भरमाने के दुष्प्रयास अलग-अलग सदस्यों द्वारा किया गया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूँ। पिछली सरकार ने अपने जन घोषणा पत्र में 10 लाख युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, जिस भी नाम से किया था। 10 लाख युवाओं को कहा था कि ढाई-ढाई हजार रुपये प्रतिमाह देंगे। अध्यक्ष महोदय, पहले वित्तीय वर्ष में कोई प्रावधान नहीं किया गया। दूसरे वित्तीय वर्ष में कोई प्रावधान नहीं किया गया। तीसरे वित्तीय वर्ष में कोई प्रावधान नहीं किया गया। चौथे वित्तीय वर्ष में कोई प्रावधान नहीं किया गया। पांचवें वित्तीय वर्ष में जाकर थोड़ा सा प्रावधान किया गया। अध्यक्ष महोदय, यह तुलना कर देता हूँ। 10 लाख युवाओं को ढाई हजार रुपये की दर से बेरोजगारी भत्ता देने के लिए 5 साल में 15 हजार करोड़ रुपये की जरूरत थी और पांचवें वित्तीय वर्ष में मात्र एक बार 550 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। 15 हजार करोड़ रुपये की तुलना में मात्र 550 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया।

श्री उमेश पटेल :- आदरणीय वित्त मंत्री, आप बेरोजगारी भत्ता को चालू रखे हैं, बजट में आपने उसमें नाम बदल दिया है। ठीक है। नाम बदल सकते हैं। लेकिन योजना तो चालू है, क्योंकि आपके बजट में उसमें प्रावधान है। आप उसमें कितना बढ़ा रहे हैं? 15 हजार करोड़ रुपये कर रहे हैं। एक। दूसरी चीज, मैंने अगर 3100 करोड़ का खर्च उसमें बोला है, जो बजट है और अभी का 21 करोड़ तो वो मेरा भ्रामक नहीं है। वह आंकड़ा है, वह आंकड़ा सही है।

श्री ओ.पी. चौधरी :- अध्यक्ष महोदय, जो भ्रामक भरमाने का प्रयास इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि पिछले वित्तीय वर्ष में 2 सिजन के धान खरीदी का पेमेंट हुआ है। माननीय विपक्ष के साथी जब उनकी सरकार थी तब तो किशतों में देते थे। तो किशतों में देने के कारण वो जो पिछली बार की धान खरीदी थी, उसका भुगतान भी उस वित्तीय वर्ष में आगे जाकर हुआ। पहले वाले वित्तीय वर्ष में तो हो नहीं सकता था और हम एकमुश्त देने के लिए उसी वित्तीय वर्ष में 12 हजार करोड़ का प्रावधान किये हैं। इसीलिए यह राशि बढ़ी हुई है। (मेजों की थपथपाहट) इसको समझना बहुत जरूरी है और 3716 करोड़ भी हमने उसी में दिया है। वर्ष 2023-24 में पिछले साल की धान खरीदी जो आप लोगों ने की थी, उसका आप लोगों का पेमेंट भी उसी में शामिल है। हम जो 12 हजार करोड़ कर रहे हैं, वह भी शामिल है और 3716 करोड़ जो कर रहे हैं, वह भी शामिल है। इसलिए वह इतना बड़ा दिखता है। अध्यक्ष महोदय, मैं बेरोजगारी भत्ते की बात कर रहा था। पूरा प्रदेश और पूरा सदन जाता है कि जन घोषणा पत्र में किस पार्टी ने क्या कहा था और क्या किया? उसी का परिणाम रहा कि जो कुछ हुआ। मैं एक और उदाहरण रखना चाहूंगा महतारी वंदन को लेकर विशेषकर विपक्ष की हमारी दीदियां, महिला सदस्य बहुत ज्यादा चिंता व्यक्त कर रही हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि जन घोषणा पत्र में कांग्रेस ने वायदा किया था 500 रूपए प्रतिमाह, अर्थात् 6000 रूपए वार्षिक छत्तीसगढ़ की माताओं और

बहनों को दिया जाएगा । पांच सालों में 6 रूपए का भी प्रावधान न तो बजट में किया गया और न ही 6 रूपए का भुगतान ही कांग्रेस ने किया (शेम शेम की आवाज) ।

श्री रामकुमार यादव :- ता ओखरे बर तुहु मन नइ दिहौ । मतलब ओखरे बर तुहु मन ठगत हौ । अलदा के बदला करत हौ ।

श्री डोमनलाल कोर्सेवाड़ा :- हम लोग तो दे रहे हैं भइया, ध्यान से सुनो ।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- जितना प्रावधान है उसमें तो जितने लोगों का पंजीयन हुआ है, उनको भी 1000 रूपए नहीं मिल पाएगा । पहले जिन्होंने पंजीयन कराया था, वे क्राइटेरिया के कारण अलग हो गए हैं ।

श्री ओ.पी.चौधरी :- अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने कहा कि कई विभागों के बजट का साइज कम कर दिया गया है । मैं बताना चाहता हूं कि महिला एवं बाल विकास विभाग के बजट में 112 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, इसे दोगुना से ज्यादा किया गया है (मेजो की थपथपाहट)। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के बजट में 97 प्रतिशत की वृद्धि अर्थात् दोगुने की वृद्धि की गई है । मोदी जी का सपना है कि जल जीवन मिशन के तहत सभी घरों में टैप वाटर पहुंचाया जाए, उसके लिए डबल किया गया है । खनिज साधन विभाग के बजट में 80 प्रतिशत वृद्धि दिख रही है, पहले डी.एम.एफ. की राशि का कैसे उपयोग होता था, हमारे सम्माननीय विपक्ष के सदस्य भी अच्छी तरह से जानते हैं । उनकी भी इच्छा को किस तरह से मारा जाता था, जेल रोड के सामने की बिल्डिंग से पूरा संचालित किया जाता था, इनकी इच्छाओं का कोई सम्मान नहीं किया जाता था । डी.एम.एफ. की राशि का कैसा दुरुपयोग किया जाता था । कौन कमीशनखोरी का खेल खेलता था यह माननीय सदस्यों को भी मालूम है ।

श्री लखेश्वर बघेल :- लेकिन मंत्री जी, हम लोगों ने स्वीमिंग पूल नहीं बनाया। आपके जमाने में स्वीमिंग पूल बनता था ।

श्री उमेश पटेल :- आपके जमाने में कलेक्टोरेट में लिफ्ट लगते थे ।

श्री धर्मजीत सिंह :- स्वीमिंग पूल में कोई खराबी है क्या ?

श्री अजय चन्द्राकर :- स्वीमिंग पूल बनाने वाले को आपने प्रभारी सी.एफ. बिलासपुर बनाकर रखा था । ताकि वो जंतर मंतर देकर सिखाए ।

श्री उमेश पटेल :- आपके जमाने में लिफ्ट का आर्डर हुआ था ।

श्री धर्मजीत सिंह :- इनके जमाने में मरवाही में रेंजर डी.एफ.ओ. था । मालूम है या नहीं, दुनिया में आज तक रेंजर डी.एफ.ओ. सुने हो ।

श्री रामकुमार यादव :- वो गरीब के, गांव के डी.एम.एफ. ला तुमन शहर में लाकर बोरत रहेव हौ तेला कइसने कहत हौ ।

श्री अजय चन्द्राकर :- ते गरीब घर के लड़का हस तेला जानथन ।

श्री रामकुमार यादव :- तुमन गरीब के कोयला के पड़सा ला कलेक्टोरेट मा झुलवा लगात रहेव, झुलवा । तू भारी जानी हौ कथा वाचक हौ लेकिन आशाराम के चेला मत बनिहौ ।

श्री अजय चन्द्राकर :- सुने ममा । एखर छोड़ जतका झन गरीब हौ बोलते तैं नकली हे, ये असली गरीब हे ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- अध्यक्ष महोदय, धर्मजीत भइया आप बहुत वरिष्ठ हैं । हमारे पांच साल में भी इस बात को लाए और इस समय भी लाए कि कलेक्टर, पुलिस कप्तान को दो साल, ढाई साल रखना चाहिए, समझने का अवसर देना चाहिए। थोड़ा बताइए, ढाई महीने में कलेक्टर बदलने की शुरुआत हो गई है । तीन बजे रात को 80 आई.पी.एस. बदल जा रहे हैं । आपकी बात कही सुनवाई उधर हो रही है या नहीं, सलाह थोड़ा अच्छे से दिया करो ।

श्री रामकुमार यादव :- कलेक्टर रहे हौ चौधरी साहब, कलेक्टर के दर्द ला आप नइ समझिहौ तो कौन समझही ?

श्री धर्मजीत सिंह :- मोदी जी का ऐसा झाड़ू वाला फोटो देखे हो कि नहीं, अभी सफाई अभियान चल रहा है ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- नहीं, उनको आप ही ने ढाई महीने पहले पदस्थ किया था । ढाई महीने पहले का इसी सरकार का आदेश है (मेजो की थपथपाहट) श्री अजय चन्द्राकर :- ममा, पहिली मूछ वाले बड़ठे ना ते फड़के नहीं । अइसे नौं गे रहिए, अब फड़कते वो ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- उसी का परिणाम है कवर्धा में एक महीने में 4 हत्याएं हो गई ।

श्री अजय चन्द्राकर :- दिन रात कतको देर नहीं, जतका बेर मूछा फडकिस ता कार्रवाई होना हे ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- उसी मूछ का परिणाम है, कवर्धा में जो हो रहा है ।

श्री उमेश पटेल :- इतना मत फड़फड़ाना, याद है पिछले समय विधायकों को भी महासमुंद में मारे थे । इसलिए इतना भी मत फड़के कि विधायकों को दिक्कत हो जाए ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- एक बार नहीं, दो बार विधायक को मारा गया, एक बार भी नहीं, दो-दो बार और विद्यार्थी परिषद से राजनीति की शुरुआत किया था ।

श्री अजय चंद्राकर :- ए ममा, मार खवई ला हमन देखेन, मोर ले ज्यादा कोनो नई देखे हे, नंदकुमार साय के पीछे में मीही खड़े रहेव, सुनत हस नहीं। (हंसी) राजेश मूणत जी गवाह है, मैं उनके पीछे खड़ा था, मैंने उनको अस्पताल तक ले गया।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- आप दो-दो बार मंत्री बन गये, आपको मिल गया। उनको तो नगरपालिका का बी फार्म भी देखने को नहीं मिला।

श्री अजय चंद्राकर :- ओला चार महीना हेलीकॉप्टर में बहुत घुमाय हो। अब बेचारा ला टपका के छोड़ देव। (हंसी)

श्री ओ.पी.चौधरी :- अध्यक्ष महोदय, आज DMF पर बहुत बात होती है। आजादी के 70 सालों तक कांग्रेस ने कभी DMF के बारे में नहीं सोचा। अगर किसी ने सोचा तो आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी ने सोचा और उन्होंने यह प्रावधान किया, यह एक्ट लाया कि 30 प्रतिशत की रायल्टी जो स्थानीय जिला है, वहां के जिला स्तर पर जमा करने का प्रावधान नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने किया। (मेजों की थपथपाहट) अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूँ, यह जो चिरमिरी वाला रेलवे लाईन है, जो पेण्ड्रा रोड से डोंगरगढ़ तक जा रहा है, उसका पैसा कहां से आया, यह मैं बताना चाहूंगा। एमडीआर की राशि जो माईनिंग डेवलपमेंट का फंड है, जो स्टेट लेवल पर जमा होता है, उसी पैसे से हमने रेलवे लाईन बिछाने का काम किया है, इसीलिए हमारे विष्णुदेव साय की सरकार में 80 प्रतिशत बजट बढ़ा है। (मेजों की थपथपाहट)

श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े :- माननीय मंत्री जी, निवेदन हे, सारंगढ़ के तरफ भी थोड़ा ले जतेव, सारंगढ़ में सांसद जी घोषणा करके आए हे।

श्री ओ.पी.चौधरी :- चिंता मत कर दीदी, ओ हो जाही। अध्यक्ष महोदय, हमने आवास में 8300 करोड़ का प्रावधान किया है, उसके कारण 70 प्रतिशत पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के बजट में वृद्धि हुई है। हेल्थ डिपार्टमेंट में 37 प्रतिशत की ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। इसमें रायपुर मेडिकल कॉलेज, बिलासपुर मेडिकल कॉलेज जैसे बड़े-बड़े प्रोजेक्ट लिये गये हैं। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के बजट में पिछले साल की मूल बजट की तुलना में 33 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। स्कूल शिक्षा विभाग के बजट में 10 प्रतिशत की वृद्धि जरूर दिखती है, क्योंकि उसमें बहुत बड़ा बेस सैलरी का होता है, उसके कारण हम बाकी चीजों को बढ़ाते हैं तो भी उसमें उतनी बड़ी वृद्धि नहीं दिखती है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, इस बार इस बजट में जितने भी हाई स्कूल, हायर सेकेण्डरी स्कूल की बिल्डिंग लिये गये हैं, इतिहास में उतनी बड़ी संख्या में बिल्डिंग नहीं लिये गये थे। इस बार इतनी अधिक बिल्डिंग ली गयी है। (मेजों की थपथपाहट) इन सारे प्रावधानों को इस बजट में किया गया है। हमारी सरकार सांस्कृतिक जागरण के प्रति भी पूर्णतः प्रभु श्रीराम जी के प्रति समर्पित है, छत्तीसगढ़ प्रभु श्री राम जी का नैनिहाल है। इसीलिए रामलला के दर्शन के लिए भी बजटीय प्रावधान किया गया है जो कि अपने आप में ऐतिहासिक और काफी प्रेरणादायी है।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अजय चंद्राकर जी ने एक विशेष बात रखी है कि धर्मांतरण के विरुद्ध हर कदम का जो आर्थिक पक्ष होगा, उसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। इसके लिए भी आदरणीय विष्णुदेव साय जी की सरकार पूर्णतः समर्पित है। किसी भी भय, लोभ और आतंक के आधार पर जो भी धर्मांतरण, मतांतरण होता है, उसको रोकने के लिए, उसमें जो भी आर्थिक पक्ष आएंगे उसके लिए भी हमारी सरकार पूर्णतः समर्पित है।

अध्यक्ष महोदय, तैदूपत्ता के बोनस को बजट में शामिल नहीं किया गया है, ऐसी बात उठाई गयी। मैं बताना चाहूंगा, हमने तैदूपत्ता का जो भी रेट बढ़ाया है, पिछली सरकार प्रति मानक बोरा 4000 देती थी, उसके स्थान पर 5500 रुपये प्रति मानक बोरा देने का निर्णय विष्णुदेव साय जी की सरकार ने लिया है। वह भी हम पूरा करने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध हैं। हम टेंडर का प्रोसेस सही तरीके से करके सही रेट पर तैदूपत्ता को बेच रहे हैं, उसके कारण हमको ज्यादा बजटीय प्रावधान की आवश्यकता महसूस नहीं हुई है। अगर जो भी कमी पड़ती है, जो भी गैप बनता है, उसको भी देने के लिए विष्णुदेव साय जी की सरकार पूर्णतः प्रतिबद्ध है। उसके लिए हम कोई भी वित्तीय व्यवस्था बनाएंगे लेकिन 5500 रुपये प्रति मानक बोरा भुगतान अनिवार्य रूप से किया जाएगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री आवास में तमाम तरह की बातें हुई। सबसे बड़ी बात पिछली सरकार ने भरमाने का किया, वह पुरानी सूची को न मानकर नई सूची की बात करने लगे। नई सूची बनाते अच्छी बात थी, नये लोगों को जोड़ देते अच्छी बात थी, लेकिन उसमें मात्र चंद हजार लोगों को जोड़ा गया। उस सूची में 2016 की सूची को नकारा गया। जो आवास प्लस की सूची थी और आवास प्लस की सूची को ग्राम सभाओं ने अनुमोदन किया था। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि क्या ग्राम सभाओं पर पिछली सरकार का विश्वास नहीं था ? ग्राम सभाओं के अस्तित्व को पिछली सरकार नहीं मानती थी, उन्होंने 2016 के आवास प्लस की सूची को मानने से मना कर दिया । दूसरा, मैं कहना चाहता हूँ कि 2011 की एसईसीसी की जो सूची थी, उसको भी उन्होंने मानने से इंकार कर दिया । मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि 2011 की सूची भारत देश में किसने बनवाई थी ? सोनिया जी के नेतृत्व वाली नेशनल एडवाज़री कौंसिल की रिमोट वाली सरकार ने, कांग्रेस की यूपीए की सरकार ने 2011 की सूची बनवाई थी, उस सूची को भी पिछली सरकार ने, उन्हीं की पार्टी की सरकार ने मानने से इंकार किया । हम निश्चित रूप से 2011 की सूची की एसईसीसी के हितग्राहियों को देने के लिए भी समर्पित हैं । 2016 के आवास प्लस की सूची के हितग्राहियों को देने के लिए भी समर्पित है और पिछली सरकार ने जो सूची बनवाई है, उसको भी हम देने के लिए समर्पित है । इसमें कोई संदेह नहीं है। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय, पी.एस.सी. पर विष्णु देव साय जी की सरकार ने, हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि सी.बी.आई. जांच कराएंगे और वहां पर सुधार की प्रक्रिया को, ट्रांसपेरेंसी की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए भी हमारी सरकार पूर्णतः प्रतिबद्ध है । उसके लिए भी आदरणीय विष्णु देव साय जी ने निर्णय लिया है कि वे एक रिफार्म कमेटी का गठन करने जा रहे हैं और उसमें पारदर्शिता लाने के लिए पूरी तरह से देश भर की श्रेष्ठ व्यवस्थाओं को, श्रेष्ठ सिस्टम्स को एप्लाइ करने के लिए एक कमेटी बनाकर एक सुधार आयोग का गठन करके रिकमंडेशन के आधार पर यू.पी.एस.सी. की तर्ज में भी एग्जाम प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा । साथ ही छत्तीसगढ़ के बच्चों को फायदा मिलेगा । कहीं ऐसा

न हो कि यू.पी.एस.सी. की तैयारी करने वाले दूसरे राज्यों के बच्चे आकर छत्तीसगढ़ के एग्जाम में हावी हो जाएं, उसकी भी चिन्ता हमारी सरकार करेगी और छत्तीसगढ़ी कल्चर, छत्तीसगढ़ी भाषा, छत्तीसगढ़ी बोली पर आधारित पेपरों को भी समाविष्ट करेगी, ताकि स्थानीय छत्तीसगढ़िया युवाओं के हितों की भी रक्षा की जा सके। साथ में बेस्ट ट्रांसपेरेंट मॉडल जो यू.पी.एस.सी. या अन्य पी.एस.सी. में चल रहे हैं, उसको भी एप्लाइ किया जा सके। इससे दो फायदे होंगे कि हमारे छत्तीसगढ़ के एग्जाम में छत्तीसगढ़ के युवाओं को फायदा भी मिलेगा क्योंकि छत्तीसगढ़ी कल्चर, भाषा का पेपर रहेगा और उसके अलावा यू.पी.एस.सी. की तर्ज पर बहुत सारी चीजें रहेंगी तो यू.पी.एस.सी. में भी इन युवाओं को फाईट करने में मदद मिलेगी। दोनों तरह से हमारे युवाओं को फायदा मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय, लगभग बहुत सारे विषय आ गए हैं। मैं यही कहना चाहूंगा कि पिछली सरकार ने बहुत सारे काम गलत तरीके से किये। इसमें मैं सम्माननीय सदस्यों का दोष नहीं मानता, उसमें बहुत सारे लोग एनोसेंट थे। सबको पता है कि रिमोट कहीं और से चल रहा था। मैं कुछ लाईनें बोलना चाहूंगा -

वहीं, वहीं तुम्हारे दस्तखत हुए, जहां-जहां फैसले गलत हुए।

(मेजों की थपथपाहट)

यह केवल संयोग मात्र नहीं था, ये जानबूझकर किया गया दस्तखत था। इसी कारण से तमाम तरह की दिक्कतें पूरे प्रदेश को झेलनी पड़ी। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कल मोदी जी की गारंटी पर सवाल उठाए थे। उन्होंने मोदी जी की गारंटी पर सवाल उठाया, जो मुझे लगता है कि इस देश के पूरे जनमानस के खिलाफ है। कांग्रेस जो डूबती नैया बनी है, उसमें इसी तरह की मानसिकता का योगदान है। जनता की नब्ज को, जनता की सोच को, जनता की मनोवैज्ञानिक स्थिति को समझने में कांग्रेस सक्षम नहीं है। उसी कारण से इस तरह की स्थिति कांग्रेस की लगातार बनती जा रही है। मोदी जी की गारंटी पर सवाल उठा रहे हैं। विष्णु देव साय जी के सुशासन पर, उनकी गारंटी पर सवाल उठा रहे हैं, निश्चित रूप से इसका परिणाम आने वाले समय में कांग्रेस को और विपक्ष को झेलना पड़ेगा। मोदी जी वह नेतृत्व हैं, जिनको ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जानशन स्पेशल फ्रेंड, खास दोस्त कहते हैं। वे कहते हैं कि वन वर्ल्ड, वन ग्रीड, वन नरेन्द्र मोदी। इस तरह की बात करते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो हमारे देश को कभी गुलाम बनाकर रखे हुए थे। मोदी जी वह नेतृत्व हैं, जो सबसे शक्तिशाली राष्ट्र माना जाता है-अमेरिका और सभी जानते हैं कि निकसन के जमाने में, इंदिरा जी के जमाने में वही अमेरिका का राष्ट्रपति हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीया इंदिरा जी के साथ कैसा व्यवहार करता था। वे अमेरिका जाती थीं तो उनको घंटों बिठा देता था। उनके लिए क्या अपमानजनक शब्द, जिसको मैं सदन में बोल भी नहीं सकता, उसका प्रयोग निकसन ने किया था।

श्री उमेश पटेल :- माननीय चौधरी जी, अगर इंटरनेशनल अफेयरस के लिए चर्चा रखना है तो मैं तैयार हूँ, आप रखिये। चूँकि निकसन के समय और इन्दिरा गांधी जी के समय में जो रिलेशन अमेरिका और पाकिस्तान का था, बंगलादेश के वार में इन्दिरा गांधी ने पाकिस्तान को जो तोड़ने का काम किया था, इसलिए ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ है। इसलिए आप वो मत करिये। अभी जो रिलेशन है, वह काफी अलग है।

श्री रामकुमार यादव :- रतिहा पाकिस्तान जाके बिरयानी खाय जावय तेला कैसे नइ कहा था।

श्री उमेश पटेल :- हिन्दुस्तान एक बड़ा देश है। यहां युवा की आबादी है, यहां इतना बड़ा मार्केट है। कोई देश हिन्दुस्तान को इग्नोर नहीं कर सकता है, यह इकानॉमी हमारी बन रही है। इसमें नेतृत्व किसी का भी हो, मैं आदरणीय मोदी से यह नहीं छीन रहा हूँ। लेकिन मैं यही कहूंगा कि आने वाले समय में हिन्दुस्तान का जो भविष्य है, वह यहां की जनता और यहां का वर्क फोर्थ है, यहां की जो युवा पीढ़ी है, वह तय करेगी।

श्री लखेश्वर बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 85, 97 प्रतिशत तक बजट बढ़ा है। लेकिन हमारे ट्रायबल मंत्री, ट्रायबल मुख्यमंत्री होते हुए भी मात्र 2 प्रतिशत बढ़ा है। कितने आश्रम छात्रावास जर्जर हैं, कई नवीन बिल्डिंग बनाना है, कहीं कोई प्रावधान नहीं है। ट्रायबलों के साथ कैसे उपेक्षा हुई, मुझे यह बताने का कष्ट करेंगे ?

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाह रहा हूँ। आपने सबके लिए अच्छा बजट बनाया है, भविष्य के लिए बनाया है। मैं आपसे अर्द्ध नागेश्वर के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ कि उनके लिए भी बजट में कोई व्यवस्था हो। जब भगवान राम वनवास गये तो वही थर्ड जेण्डर हैं, जो 14 साल बैठे रहे और जब भगवान वापस आये तो अयोध्यावासी से भी उन्हीं को पहले भगवान राम का आशीर्वाद मिला था। नारी वंदन में इनका क्या होगा ?

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उनके लिए महत्वपूर्ण बात बोल रहा हूँ। उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। अभी उनके लिए नहीं आये हैं तो अनुपूरक में लाईये। वह विधानसभा में प्रथम नागरिक भी बनें। तो उनके हित में भी होना चाहिए। इसमें एक और दिक्कत आ रही है। हर समाज के लिए सामुदायिक भवन, सांसद निधि, विधायक निधि से बन रहा है। लेकिन स्पष्ट नहीं है कि उस समाज का बनेगा या नहीं ? उनको नारी वंदन में लाभ मिलेगा या दूसरे तरीके से लाभ मिलेगा ? मैं यह भी जानना चाहता हूँ। दलगत राजनीति को छोड़कर कुछ ऐसी व्यवस्था बनाईये, अलग से योजना लाईये। जैसे बैगा जनजाति के लिए प्रधानमंत्री जी लाये हैं, वैसे ही इनके लिए प्रदेश में आये, मैं यही बात का निवेदन कर रहा हूँ। आप अगले अनुपूरक में जरूर लाईये। क्या ला सकते हैं, यह जरूर बताईयेगा।

श्री राघवेन्द्र सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक निवेदन करूंगा। जब आप जवाब दे रहे थे तो मैं आपको सुन रहा था। आपने एक बात ग्रीन जी.डी.पी. की करी तो मैं आपसे निवेदन करूंगा

कि जब आप उसको फारमुलेट करेंगे तो हम लोगों का भी सुझाव ले लेंगे। चूंकि यहां पर इंटरनेशनल अफेयर की बात होनी नहीं है, लेकिन आदरणीय इन्दिरा गांधी जी के नाम का उल्लेख किया तो आप उसका भी उल्लेख कर दें कि कैसे सेवंध स्पीलीट आई थी और सोवियत यूनियन और रसिया ने उसको रोकने का काम किया था क्योंकि वह भारत के मित्र थे और आज उनकी स्थिति कहां पर है ? श्रीलंका और नेपाल से कैसे सम्बन्ध हो गये हैं, आप इस पर भी जरूर चर्चा करवाईयेगा।

श्री रामकुमार यादव :- मोर नाम धर डरे हा तो महुं नान बुटी कह देवत हंव। हमन 70 रूपया ले के अमेरिका जाबो तो ओमन एक डालर देथे। जब ले मोदी जी बने तो रूपया के भाव कम होवत जाथ हे, डालर के भाव बढ़ते हे। कोई आदमी शरीर से मजबूत हो जाय ले थोड़ी हो जाही। जब डालर के सामने हमर पैसा मजबूत होही ओ दिन महुं ताली बजा देहूं। ओला करवा देवा।

श्री धर्मजीत सिंह :- अगर दिल्ली में आपकी सरकार बनी तो ये केन्द्रीय राज्य मंत्री हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप दोनों मिलकर एक बार विदेश नीति पर चर्चा मांग लो, हम लोग चर्चा करेंगे। हम भी उसमें शामिल होंगे। उन्होंने किस दृष्टि से इन्दिरा जी के नाम का उल्लेख किया, किस दृष्टि से बातें कहीं, उसको इधर-उधर ट्वीट मत करिये।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, निकसन साहब की बात निकली तो एक बात के लिए सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। रायपुर के एक पत्रकार पंकज शर्मा थे, उन्होंने सन् 1970 में निकसन का इंटरव्यू लिया था। यह जानकारी बहुत ज्यादा लोगों को नहीं होगी। लेकिन रायपुर के पत्रकार पंकज शर्मा थे, उनकी स्मृति में पुरानी बस्ती में खोखो पारा पंकज उद्यान है, उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति निकसन का इंटरव्यू लिया था।

श्री अरुण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी वित्त मंत्री जी के भाषण के दौरान विपक्ष के सदस्यों के बहुत सारी बातें सुन रहा था। यह पूरी तरह से डिफेंड करने की कोशिश कर रहे थे कि कांग्रेस ने यह किया, कांग्रेस ने यह किया, हमारे प्रधानमंत्री ने यह किया और देश को आगे बढ़ाने का काम किया। यदि कांग्रेस पार्टी देश को आगे बढ़ाई होती तो कांग्रेस 400 सीटों से 40 सीटों में नहीं आती। (मेजों की थपथपाहट)

श्री अटल श्रीवास्तव :- [xx] प्रधानमंत्री भी नहीं बनता ?

श्री लखेश्वर बघेल :- आजादी के पहले सुई-धागा भी नहीं बनता था ? आज क्या नहीं बन रहा है ? जिस स्कूल में आप पढ़े हैं उसे कांग्रेस ने बनाया है और आज उस स्थिति में पहुंचे हैं। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- कोनो राजा के घोड़ा के पुछी ला हमन धोवत रहितेन।

श्री धर्मजीत सिंह :- 60 दिन बाद जब रिजल्ट आयेगा तो ई.वी.एम. खराब है मत बोलना। (हंसी)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- ई.वी.एम. ही तो उधर लगा है।

श्री अरुण साव :- अमेठी के बाद वायनाड और वायनाड के बाद कहां जाने वाले हैं जरा बता दें ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- अध्यक्ष महोदय, रामकुमार जी बोल रहे थे कि सुई धागा नहीं बनता था । भारत एक ऐसा देश है, जहां विश्व के लोग कपड़ा नहीं देखे थे तब यहां मलमल जैसे कपड़े बनते थे और वह अंगूठी में पार हो जाता था । यह भारत की ऐतिहासिक विरासत है ।

श्री उमेश पटेल :- यह भारत के आजादी की बात कर रहे हैं । आप पुराने इतिहास में चले गये ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, अब पूरा करिये ।

श्री ओ.पी.चौधरी :- अभी आदरणीय लखेश्वर जी ने ट्राईवल डिपार्टमेंट के बजट के बारे में कहा है ...।

श्री अजय चन्द्राकर :- कहा नहीं है, उन्होंने पढ़ा है । (हंसी)

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप इनका बार-बार क्यों अपमान कर रहे हैं ? जब से वह भाषण दे रहे हैं, तब से आप अपमानित कर रहे हैं। हमारे आदिवासी विधायक बस्तर से आते हैं, आप उनको बार-बार अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं । बार-बार ट्रायवल लोगों के साथ...।(व्यवधान) आदिवासियों के साथ आपको क्या प्रब्लम है ? आप हमेशा आदिवासी विधायकों को टारगेट करते हो।आज एक महिला का मजाक उड़ाने की कोशिश की है । आप ट्रायवल के तीन-तीन बार के विधायक हैं, उसका मजाक उड़ाने की कोशिश की है । आप क्या कर रहे हो ?

श्री लखेश्वर बघेल :- मैं ट्रायवल विधायक हूँ ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, अब बढ़िये ।

श्री ओ.पी.चौधरी :- अध्यक्ष महोदय, जो ट्राईबल डिपार्टमेंट के लिये बजटीय प्रावधान किये गये हैं, यह सदस्य महोदय को अवगत ही है, यह भी कहना चाहता हूँ कि चाहे तेंदूपत्ता की खरीदी हो, जो वन विभाग के माध्यम से बजट होगा, कृषक उन्नति योजना में धान का पैसा हो, महतारी वंदन योजना, जो महिला बाल विकास विभाग के बजट में दिख रहा है या 12 हजार करोड़ रुपया का आवास योजना है, वह पंचायती राज विकास विभाग के बजट में दिख रहा है । इन सारी योजनाओं का अधिकतम लाभ एस.टी.,एस.सी., ओ.बी.सी.वर्ग के लोगों को ही मिलेगा । (मेजों की थपथपाहट) माननीय सदस्यों को किसी प्रकार की चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है । श्री विष्णु देव साय जी की सरकार, दलितों के लिये समर्पित सरकार है, आदिवासी भाईयों के लिये समर्पित सरकार है, पिछड़ों को समर्पित सरकार है, सभी का विकास करने वाली सरकार है, उनको चिन्ता करने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है । श्री द्वारिकाधीश जी ने थर्ड जेंडर के इश्यू को उन्होंने उठाया है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय है । इसमें निश्चित रूप से विष्णु देव साय जी की सरकार है, वह चिन्ता करेगी । हम उसके लिये अनुपूरक का इंतजार नहीं करेंगे, आवश्यकता पड़ने पर सी.एफ.एडवांस में 24 घण्टे के अंदर काम को स्वीकृति प्रदान करेंगे । (मेजों की थपथपाहट)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। भविष्य में भी ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर ऐसी घोषणायें हों, यह विश्वास करता हूँ।

श्री ओ.पी.चौधरी :- अध्यक्ष महोदय, मोदी जी के इंटरनेशनल पालिटिक्स पर, इंटरनेशनल लीडरशिप पर बहुत सारी बातें हुई हैं, आज मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि शायद हमारे विपक्ष के साथियों के लिये भी गर्व का विषय है कि आज देश का प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रम्प जी के कंधों पर हाथ रखकर चल सकता है, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाईडन मोदी जी के आटोग्राफ के लिये आता है, पपुआ गिनी प्रधानमंत्री मोदी जी के लिये पैर छूने आ जाते हैं, आस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर बॉस कहकर संबोधित करते हैं, ऐसे प्राइम मिनिस्टर हमारे देश के हैं, इसका फक्र और गर्व विपक्ष को भी होना चाहिये। (मेजों की थपथपाहट) अध्यक्ष महोदय जी, हर मोर्चे पर भारत एक लीड रोल प्ले कर रहा है, यह हम सब के लिये बहुत गर्व का विषय है। अध्यक्ष महोदय, हमारे बहुत सारे सम्माननीय सदस्यों ने बहुत सारी बातें रखी हैं, कई महत्वपूर्ण विषय छूट गये हैं, ऐसी बातें आई हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं उसमें यही रखना चाहूंगा कि जो अत्यन्त आवश्यक रहेगा, उसको सी.एफ.एडवांस से सम्माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश प्राप्त करके, उनका अप्रूवल प्राप्त करके उसे करने का काम करेंगे, जो बड़ा होगा, उसे जून के अनुपूर्क बजट में लाकर करेंगे। अध्यक्ष महोदय, सभी सदस्यों के चिन्ताओं को ध्यान में रखकर विष्णु देव साय जी की सरकार काम करेगी और हम सब मिलकर अच्छे कार्य करेंगे। केवल चार पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ।

“मुझमें भी कमियां हैं क्योंकि मैं कोई भगवान नहीं हूँ

लेकिन वायदा करूं और भूल जाऊं, ऐसा कोई इंसान नहीं हूँ” (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि - छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2024 (क्रमांक 4 सन् 2024) पर विचार किया जाये।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

(मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 2, 3 व अनुसूची इस विधेयक का अंग बने।

**खण्ड 2, 3 व अनुसूची इस विधेयक का अंग बने।**

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने।

**खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।**

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

**पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।**

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि - छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2024 (क्रमांक 4 सन् 2024) पारित किया जाये।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि - छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक 2024 (क्रमांक 4 सन् 2024) पारित किया जाये।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**विधेयक पारित हुआ।**

(मेजों की थपथपाहट)

## **(2) छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 2 सन् 2024)**

उप मुख्यमंत्री (श्री अरूण साव) :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि - छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 2 सन् 2024) पर विचार किया जाये।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह (अकलतरा) :- अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव में जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है।

अध्यक्ष महोदय :- आप continue करिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप इसे तो सर्वसम्मति से पारित करिये।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- हां सर्वसम्मति ही है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार यह सारे नाम बदले जा रहे हैं और जब यह जल्द से जल्द लागू होगा, तो इसमें जितनी विसंगतियां हैं, जिसमें वेतन की विसंगती है, वह उसमें पूरी हो जायेगी। इसमें हमारा समर्थन है।

अध्यक्ष महोदय :- श्री अजय चन्द्राकर जी।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरुद) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उद्देश्य और कारणों के कथन में लिखा है कि माननीय श्री न्यायमूर्ति पी.व्ही. रेड्डी, सेवानिवृत्ति की अध्यक्षता में न्यायिक अधिकारियों के संबंध में द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक आयोग गठित की गयी थी। उसकर सिफारिश के अंतर्गत यह विधेयक आया है और इसमें वेतन विसंगति को लेकर बहुत छोटा-सा लेख है। इसके डिटेल्स उपबंध में है कि वह कौन-कौन सी धारा में है परंतु उपबंध को नहीं पढ़ते हुए मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जो कंडिका 02 है, उसके

(1) में शब्द "जिला न्यायाधीश" जहां कहीं भी आये हों के स्थान पर शब्द "प्रधान जिला न्यायाधीश" प्रतिस्थापित किया जाये।

(2) में शब्द "अपर जिला न्यायाधीश" जहां कहीं भी आये हों के स्थान पर, शब्द "जिला न्यायाधीश" प्रतिस्थापित किया जाये,

(3) में शब्द "व्यवहार न्यायाधीश प्रथम वर्ग" जहां कहीं भी आये हों के स्थान पर, शब्द "व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ श्रेणी" प्रतिस्थापित किया जाये, और इसी तरह के विभिन्न पदों की

(4) में शब्द "व्यवहार न्यायाधीश द्वितीय वर्ग" जहां कहीं भी आये हों के स्थान पर, शब्द "व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ श्रेणी" प्रतिस्थापित किया जाये।

इस तरह से नीचे भी सुधार हैं 2 कंडिका और है। यदि आप पढ़ने कहेंगे तो मैं पढ़ दूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- इसकी जरूरत नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य रूप से सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर वेतन विसंगति के लिए आयोग बने थे उसकी सिफारिश के अनुसार यह संशोधन लाये गये हैं और विपक्ष ने भी अपना सर्वसम्मति करने का अनुरोध किया है तो मेरा भी अनुरोध है कि इसको सर्वसम्मति से पारित किया जाये।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि- छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 2 सन् 2024) पर विचार किया जाये।

माननीय मंत्री जी कुछ बोलना चाहेंगे। इसमें सर्वसम्मति से हो गया था। आप भी बोल दीजिये।

उप मुख्यमंत्री (विधि एवं विधायी कार्य) श्री अरुण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, न्यायिक अधिकारियों के कार्यों के उचित संपादन के लिए मध्यप्रदेश राज्य के द्वारा मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम 1958 अधिनियमित किया और आज यह जो विधेयक प्रस्तुत हुआ है सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर पूरे देश भर में न्यायालय के पदनाम समरूप बने ताकि सर्वोच्च न्यायालय और केन्द्र सरकार के जो आदेश हैं, उसका क्रियान्वयन पूरे देश भर में समान रूप से हो। इसलिये यह विधेयक लाया गया है। मैं सभी से आग्रह करता हूँ कि इसे सर्वानुमति से पारित किया जाये।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि- छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 2 सन् 2024) पर विचार किया जाये।

**प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।**

अध्यक्ष महोदय :- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 4 इस विधेयक का अंग बने।

**2 से 4 इस विधेयक का अंग बने।**

अध्यक्ष महोदय:- प्रश्न यह है कि- खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने।

**खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।**

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

**पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।**

उप मुख्यमंत्री (विधि एवं विधायी कार्य) श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूँ कि:- छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 2 सन् 2024) पारित किया जाये।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि - छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 2 सन् 2024) पारित किया जाये।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**विधेयक पारित हुआ।**

(मेजों की थपथपाहट)

### **(3) छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 3 सन् 2024)**

वाणिज्यिक कर मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूँ कि छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 3 सन् 2024) पर विचार किया जाये।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री अटल श्रीवास्तव (कोटा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव को जी.एस.टी कौंसिल ने पारित किया है मैं केवल यह चाहता हूँ कि इस प्रस्ताव में जो संशोधन हो रहे हैं उस संशोधन से छत्तीसगढ़ के व्यापारियों को ज्यादा नुकसान न हो, इसका ध्यान रखा जाये। बाकी प्रस्ताव ठीक है। यह सर्वसम्मत किया जाये। यह नेशनल कौंसिल से पास है यह जी.एस.टी. कौंसिल से पास है इसमें कुछ नहीं हो सकता

श्री अमर अग्रवाल (बिलासपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे देश के संविधान में केन्द्र का टैक्स कौन सा होगा, राज्य का टैक्स कौन सा होगा और निकाय का टैक्स क्या होगा, इसके बड़े स्पष्ट प्रावधान हैं। पहले जो संविधान था, उसमें राज्यों को विक्रय कर के अधिकार प्राप्त थे। हमने देखा है कि आजादी के बाद सारे राज्यों में विक्रय दर अलग-अलग होती थी, अलग-अलग राज्य सरकारें अपना निर्णय करती थीं। उसके आधार पर कर अपवंचन किसी राज्य में कम है तो वहां से गाड़ी खरीद लो, ये

व्यवस्थायें चलती थीं। पूरे देश में एक टैक्स लगे, इसकी परिकल्पना सबसे पहले अगर किसी समय में हुई तो वह एन.डी.ए. के समय में हुई। जब अटल बिहारी वापजेयी जी इस देश के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने सारे राज्यों के एक empower committee बनाई थी, राज्यों के वित्त मंत्री उस empower committee के सदस्य थे और राज्य के ही वित्त मंत्री में से कोई उस empower committee का अध्यक्ष होता था। अध्यक्ष महोदय, उस वेट में सारे राज्यों ने तय किया कि पूरे देश में विक्रय कर की जो दर है, वह एकसमान रहेगी और एक minimum floor rate सिद्धांत हमारे देश में लागू हुआ। हमने भी छत्तीसगढ़ में जब 2003 में वेट लागू हुआ, जब आपके नेतृत्व की सरकार थी, हमने वह वेट सिस्टम यहां पर प्रारंभ किया था। उस समय जो minimum floor rate का violence करता था, उनके सेन्ट्रल असिस्टेंट रोके जाते थे। जब यह पूरी तरह से सफल हुआ तो हमारे देश में 2004 में टैक्स का सरलीकरण हो, कर का अपवंचन हो और एक देश, एक टैक्स इसकी परिकल्पना के आधार पर जी.एस.टी. की कार्य प्रणाली प्रारंभ हुई। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके समय में मैंने 2003 से वाणिज्य मंत्री के रूप में काम किया। मैं लगातार 2003 से लेकर 2017 तक, जब तक यह जी.एस.टी. रही, मैं उसका मेंबर रहा। जब यू.पी.ए. की सरकार थी, उस समय जी.एस.टी. लगाने के बहुत प्रयास हुए। लेकिन जिस प्रकार से यू.पी.ए. की सरकार राज्यों को अधिकार देना चाहती थी या राज्यों के साथ न्याय करना चाहती थी, उसका समाधान नहीं होने के कारण 2014 तक इस देश में जी.एस.टी. लागू नहीं हो सका।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रसंग ऐसा भी आया कि एक बार जब यू.पी.ए. की सरकार थी तो यह तय हुआ कि सी.एस.टी. कम करके हम प्रयोग करें और सी.एस.टी. में जो हानि होगी, उसका compensation केन्द्र की सरकार करेगी। सारे राज्यों ने माना, सबने सी.एस.टी. कम किया। हमने छत्तीसगढ़ में भी सी.एस.टी. कम किया और हमको उसमें लॉस हुआ, अध्यक्ष महोदय, मैं कोई आरोप के हिसाब से नहीं बोल रहा हूं, केवल इस जी.एस.टी. का ब्रीफ बता रहा हूं। वह लॉस को केन्द्र सरकार ने जो कमिट किया था, उसको कभी पूरा नहीं किया। उसको राज्यों ने वहन किया। इसके कारण सेन्ट्रल के साथ एक अविश्वास का वातावरण बना और इस देश में कभी जी.एस.टी. नहीं आ पाया। अध्यक्ष महोदय, जब 2014 में फिर से एन.डी.ए. की सरकार बनी, इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी बने। उनसे संकल्प लिया कि इस देश में जी.एस.टी. चालू करना है और एक समय में चालू करना है। सबसे बड़ा रोड़ा अगर इस जी.एस.टी. को लागू करने में था, वह केन्द्र के प्रति अविश्वास का था। सबसे पहले उनसे निराकरण किया और उनसे कमिट किया कि 5 साल तक जिस राज्य को जी.एस.टी. आने में नुकसान होगा, उसकी क्षतिपूर्ति केन्द्र की सरकार करेगी। क्योंकि केन्द्र की सरकार के प्रति अविश्वास था। लेकिन एन.डी.ए. की सरकार ने कानूनी रूप से संसद में पास किया कि 05 साल तक हम राज्यों की क्षतिपूर्ति करेंगे। जब राज्यों का विश्वास उसके ऊपर हुआ, उसमें जी.एस.टी. का मार्ग प्रशस्त हुआ।

जी.एस.टी. एक ऐसी काउंसिल है। संविधान बनने के बाद यह देश की पहली काउंसिल है, जिसको विधान सभा के अधिकार और लोक सभा के अधिकार दिया गया है। हमारे देश के संविधान में दो बाँड़ी है, फायनेंस कमीशन और यू.पी.एस.सी.। वह दोनों रीकोमेंडेटरी बाँड़ी हैं। लेकिन जी.एस.टी. एक ऐसा काउंसिल है, वह मंडेटरी बाँड़ी के रूप में आया। पार्लियामेंट के अधिकार और विधान सभा के अधिकार उस जी.एस.टी. काउंसिल में दिये गये। अध्यक्ष महोदय, देश का 101 संविधान में जी.एस.टी. लागू करने का एक्ट बना। बड़ा संशोधन हुआ है। इस जी.एस.टी. में सारे टैक्स, हमारे यहां profession tax लगता था, purchase tax लगता था, विक्रय कर लगता था, केन्द्र सरकार का central excise duty थी, Special duty थी। उसके पीछे भावना थी कि सारे टैक्सों को मर्ज करके एक दर करना और इस संविधान के अंदर जी.एस.टी. काउंसिल बनी। जी.एस.टी. काउंसिल, यह लगने में टैक्स दिखता है, यह टैक्स का रिफार्म लगता है। वास्तव में एक मात्र कोई एक्ट था जो इस देश के संघीय ढांचे में सारी जगह लागू होता है, वह जी.एस.टी. एक्ट था। हम सब जानते हैं कि हमारे देश के संविधान में कोई भी नियम बनता था, कोई भी एक्ट बनता था, उसमें लिखा जाता था कि जम्मू-कश्मीर को छोड़कर। उसमें लिखा जाता था कि कुछ नार्थ-ईस्ट के स्टेट के लोगों को स्पेशल प्रावधान है। इसीलिए जब भी जी.एस.टी. काउंसिल की बैठक होती थी, इमपावर कमेटी की बैठक होती थी, कश्मीर वाले बोलते थे कि यह एक्ट हमारे ऊपर लागू नहीं हो सकता, नार्थ-ईस्ट वाले बोलते थे कि हमारा विशेषाधिकार है। वास्तव में यह टैक्स नहीं है। यह देश का एक पहला कानून 101 संशोधन में बना, जो वास्तव में देश के संघीय ढांचा का पहला एक्ट था, जो पूरे देश में लागू हुआ। यह मोदी जी की प्रयत्न था, मोदी जी का प्रसास था। जिसमें यह एक्ट बना। (मेजों की थपथपाहट) अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने पहले ही बताया कि यह एक्ट बना और उस एक्ट का आधार पर जी.एस.टी. काउंसिल ने इसके सारे नियम, उप नियम बनाया। इसमें जो प्रावधान है। मैंने पहले ही बोला कि यह पहला कानून है, जिसमें संसद के और विधायिका के अधिकार इस काउंसिल में समाहित है। इस जी.एस.टी. काउंसिल में सारे राज्यों के वित्त मंत्री सदस्य होते हैं और इसके जो अध्यक्ष होता है, वह केन्द्रीय वित्त मंत्री होता है। यह सारे निर्णय जी.एस.टी. काउंसिल में होते हैं। हमारे देश में बहुत-सी विवधता है, अन्य दलों की सरकार है। यह सारे निर्णय उस जी.एस.टी. काउंसिल में बहुमत के आधार पर हो सकते हैं। उसका अलग प्रावधान है। अध्यक्ष महोदय, इस देश के वित्त मंत्री रहे श्री अरुण जेटली जी का मैं आज याद करना चाहूंगा, क्योंकि जब से जी.एस.टी. लागू हुआ है। मैं आपके मंत्रिमण्डल का साथी होने के कारण मैंने बैठकें अटेंड की है। एक भी निर्णय ऐसा नहीं हुआ है, जिसको बहुमत के आधार पर कराना पड़े। सारे निर्णय सर्वानुमति से यह देश की एकता का पहला मिसाल इस जी.एस.टी. काउंसिल में हुआ। (मेजों की थपथपाहट) कई बार आज भी यह जी.एस.टी. का प्रश्न आता है। अब मैं कहना नहीं चाहता हूँ। अभी भी न्याय यात्रा में जो कांग्रेस के नेता है, वह जी.एस.टी. के बारे में बात-चीत करते हैं कि जी.एस.टी. से क्या लाभ हुआ? यह दोहरा चरित्र है कि जी.एस.टी. काउंसिल में उनके फायनेंस मिनिस्ट

मेम्बर है, वहां सर्वानुमति से पास करते हैं और बाहर निकर आलोचना करते हैं। यह कांग्रेस का दोहरा चरित्र है, जो जी.एस.टी. काउंसिल में पास करते हैं। उसमें उनके फायनेंस मिनिस्ट्र हैं, उनकी सहमति होती है और उसके बाद बाहर आलोचना होती है। अध्यक्ष महोदय यह जी.एस.टी. 1 जुलाई, 2017 को लगा। समय के आधार पर जो एक्ट बने, उसमें कई चीजों की संशोधन की आवश्यकता पड़ती क्योंकि कार्य के अनुभव के आधार पर समय-समय पर बहुत सी परिस्थितियां बदलती रहती हैं। इसीलिए यह संशोधन आया है। इसके तीन-चार संशोधन हैं। एक तो जो छोटे व्यवसायी हैं, उनको एक करोड़ रुपये से लेकर पांच करोड़ रुपये तक कंपोजिशन की छूट होती है, लेकिन जो ऑनलाईन ट्रांजेक्शन होता है, उसमें उनको छूट नहीं थी और आज के परिवेश में जब ऑनलाईन का डिजिटल इंडिया के नाम से बढ़ रहा है तो यह जरूरी था कि इस एक्ट के संशोधन में इसको शामिल किया जाये। अध्यक्ष महोदय, जी.एस.टी. में जो ट्रिब्यूनल था, उसकी स्थापना हो जिससे लोगों को और सुविधा हो। इसमें ट्रिब्यूनल का प्रावधान किया गया। कुछ अपराध थे जो एक अफेंस की अपराध की श्रेणी में आते थे उनको मिनिमाईज करने के लिये वह अपराध की श्रेणी में नहीं आयेंगे, उसके कुछ कानून में रिलेक्स दिया गया। जो ऑनलाईन गेम होता है उसमें कुछ शब्द थे और कुछ शब्द छूट गये थे तो यह जो ऑनलाईन गेम होता है उसमें जो अधिकतम 20 परसेंट टैक्स है उसका प्रावधान, उसको स्पेसीफाई करने के लिये जिसमें कोई कन्फ्यूजन न रहे उसका प्रावधान किया गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले कर अपवंचन में 50 से 150 परसेंट का जो दंड था उसको कम करके 25 से 100 किया गया। यह सारे निर्णय जी.एस.टी. कौंसिल के हैं। इसमें सारे राज्यों का प्रतिनिधित्व था, उस निर्णय के आधार पर इस एक्ट में परिवर्तन हमारे देश की संसद में इसका अमेंडमेंट हुआ और देश की संसद में अमेंडमेंट होने के बाद क्योंकि यह एक्ट हमारे भी राज्य का उसी के अनुसरण में हमने बनाया हुआ है। यह आवश्यक है कि इस विधानसभा से भी पास हो और वैसे मैंने पहले ही कहा कि यह सारे अधिकार जी.एस.टी. कौंसिल के हैं। केवल एक संसद में पास हुआ फिर आज विधानसभा को उसका अनुसरण करना है इसलिये यह प्रस्ताव लाया गया है और अटल श्रीवास्तव जी ने कहा भी है कि जी.एस.टी. कौंसिल का आम फैसला है इसको सर्वानुमति से पास किया जाये तो इसको सर्वानुमति से पास किया जाये और केंद्र का जो अमेंडमेंट आया है उसका अनुसरण यह विधानसभा करे ऐसा सभी सदस्यों से आग्रह है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने हेतु समय दिया इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। मंत्री जी कुछ कहेंगे।

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सारे विषय सम्माननीय सदस्य अमर अग्रवाल जी ने बहुत स्पष्टता के साथ रखे हैं और सम्माननीय सदस्य अटल जी ने कुछ बिंदु रखे कि कोई परेशानी न हो। दरअसल मैं बताना चाहूंगा कि इसमें जो भी बिंदु हैं वह व्यापारी साथियों की सुविधा के लिये ही

हैं। जैसे ऑनलाईन जो ई-कॉमर्स में कव्हर नहीं होते थे उनको इसमें कव्हर किया गया है या पैनाल्टी की रेंज को 150 परसेंट अधिकतम और 50 परसेंट न्यूनतम से घटाकर 100 प्रतिशत अधिकतम और 25 प्रतिशत न्यूनतम किया गया है या फिर जो व्यवसायियों के प्रकरणों के त्वरित निपटान के लिये लीगल रेमिडी (Legal Remedy) के लिये जी.एस.टी. ट्रिब्यूनल अधिकरण की स्थापना करने की बात है ताकि सीधा हाईकोर्ट न जाना पड़े। जब हाईकोर्ट में जाते हैं तो हाईकोर्ट में बहुत सारे विषय रहते हैं, ट्रिब्यूनल में फोकस्ड उसी पर काम होगा यह महत्वपूर्ण बिंदु है तो यह भी सुविधा के लिये ही है। इज ऑफ ड्रूंग बिजनेस के प्रयासों के तहत जी.एस.टी. के कई अपराधों को जो क्रिमिनल एक्ट माना जाता था उसको क्रिमिनल से हटाकर फाईन पर बेस्ड किया गया है। उससे भी व्यापारी साथियों को लाभ ही होगा तो इसमें से अधिकांश निर्णय, सभी निर्णय व्यापारी साथियों की सुविधा की दृष्टि से हैं और इससे निश्चित रूप से हमारे छत्तीसगढ़ के और पूरे देश के लोगों को लाभ मिलेगा और जैसा कि जी.एस.टी. काँसिल ने निर्णय लिया है उसके एकार्डिंग पार्लियामेंट ने भी डिसेंसाइज किया है तो हमारे सदन के सभी सदस्यों से अर्थात् मैं सभी से निवेदन करूंगा कि इसको सब पारित करें।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि - छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 3 सन् 2024) पर विचार किया जाये।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

अध्यक्ष महोदय :- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 26 इस विधेयक का अंग बने।

**खण्ड 2 से 26 इस विधेयक का अंग बने।**

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने।

**खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।**

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

**पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।**

वाणिज्यिक कर मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूँ कि- छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 3 सन् 2024) पारित किया जाय।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि- छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 3 सन् 2024) पारित किया जाय।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

विधेयक सर्वसम्मति पारित हुआ।

(मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 28 फरवरी, 2024 को 11.00 बजे दिन तक के लिये स्थगित।

(सायं 07 बजकर 36 मिनट पर विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 28 फरवरी, 2024 (फाल्गुन-9 शक संवत् 1945) के पूर्वाह्न 11.00 बजे दिन तक के लिये स्थगित की गयी)

रायपुर (छत्तीसगढ़)

दिनांक : 27 फरवरी, 2024

दिनेश शर्मा

सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा